



वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली—110012

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं
	प्राक्कथन	V
	आभार	VI
	कार्यकारी सारांश	VIII
1	संक्षिप्त परिचय	1
2	पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति	6
3	डीयूएस परीक्षण केन्द्र	10
4	डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास एवं जननद्रव्य बैंकों की स्थापना	84
5	किसानों से संबंधित गतिविधियां	100
6	भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन	121
7	डाटाबेस, आईआईएनडीयूएस, एनओआरवी, वेबसाइट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)	122
8	प्रशासनिक मामले	124
9	प्राधिकरण की सामान्य गतिविधियां	128
10	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	143
11	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की आय और व्यय लेखा	146
12	नागरिक आचार संहिता	152
	अनुबंध	
I	प्राधिकरण के सदस्य	154
II	पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के मानव संसाधनों का विवरण	156
III	वर्ष 2017–18 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई धनराशि	157
IV	वर्ष 2017–18 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को धनराशि	159
V	वर्ष 2017–18 के दौरान फील्ड जीन बैंक/जीन बैंक को जारी की धनराशि	162
VI	वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता	163
VII	वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त कृषक किस्मों की सूची	164
VIII	पंजीकरण के अंतर्गत फसलें	168
IX	वर्ष 2017–18 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र	173
X	उपयोग किए गए लघुरूप का तात्पर्य	193

प्राक्कथन

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। भारत, एक हस्ताक्षरित देश ने विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते को मंजूरी देते हुए समझौते के भाग – II में धारा 27 के अनुच्छेद 3 के उप–अनुच्छेद (बी) को प्रभावी करने हेतु प्रावधान बनाया और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001 का 53) को लागू किया। तत्पश्चात्, भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।



प्राधिकरण का अधिदेश, पौधा किस्मों और कृषकों, पादप प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु पीपीवी एवं एफआर अधिनियम में उल्लेखित प्रभावी कानूनी प्रणाली उपलब्ध करना तथा बीज उद्योग को आर्थिक महत्व के पौधों की नई किस्मों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा परम्परागत पौध आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं सुधार में किसानों के योगदान की पहचान करना है। भारत अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सु जेनेरिस प्रणाली पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू करने वाले विश्व के कुछ प्रथम देशों में से एक है। इस अधिनियम से खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) में मौजूद हमारे अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों तथा प्रतिबद्धताओं की पूर्ति होती है।

प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्ररम्भ किया और पिछले दशक में प्राधिकरण ने पादप किस्मों की रजिस्ट्री के माध्यम से नई व विद्यमान पौधा किस्मों के पंजीकरण; पौधा किस्मों की विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण के लिए दिशा–निर्देश विकसित करने; पूरे देश में उन किसानों की पहचान करने, जिन्होंने परंपरागत पौधा किस्मों को संरक्षित करने व नई किस्मों के विकास में योगदान दिया है; राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंकों की स्थापना, फसलों के लिए डीयूएस नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रणाली सृजित करने की दिशा में कार्य करना आरंभ किया। प्राधिकरण ने अपने पंजीकरण को 147 फसल प्रजातियों तक विस्तरित किया और आर्थिक रूप से महत्पूर्ण अन्य फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने पर कार्य कर रहा है। प्राधिकरण अपने कार्यकलापों एवं गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रकाशन जैसे भारतीय पौधा किस्म जरनल, सार संग्रह तथा तकनीकी ब्रोचर प्रकाशित करता है। वर्ष 2017–18 में प्राधिकरण में तीन श्रेणियों के अंतर्गत कृषक किस्में (980), नई किस्में (132) तथा विद्यमान किस्में (75) के पंजीकरण हेतु कुल 1187 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें से 619 किस्मों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए काजू, सुपारी, चिरौंजी, इमली, शकरकंद, कसावा और चिनार के 7 जेनेरा / प्रजातियों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी किया गया है।

वर्ष 2012 में प्राधिकरण के दो शाखा कार्यालय स्थापित किए गए, पहला रांची में, जिसके अंतर्गत झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अधिकार क्षेत्र है तथा दूसरा गुवाहाटी में जिसके अधिकार क्षेत्र में असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश आते हैं (राजपत्र अधिसूचना संख्या 929 दिनांक 27 अप्रैल, 2012)। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की सहायता से 3 और शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है (राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 182 दिनांक 19 जनवरी, 2017)। प्राधिकरण ने संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से वर्ष 2017–18 के दौरान पुणे, पालमपुर और शिवामोगा में ये कार्यालय स्थापित किया और इन्हें प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं एवं मानव संसाधनों का प्रबंध किया है।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने विभिन्न आंचलिक परियोजना निदेशालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व देशभर के स्वयं सेवी संगठनों व अन्य संगठनों के सहयोग से अनेक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्राधिकरण ने अनेक किसान मेलों व किसान उत्सवों में भाग लिया जहां इसने पौधा किस्मों से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के महत्व तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की खास-खास बातों के बारे में बताया और अपनी गतिविधियां प्रदर्शित कर जागरूकता फैलाई।

मोतीहारी में चम्पारण सत्यग्रह के 100 वर्षों के एतिहासिक अवसर पर श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को पादप जिनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2014–15 तथा पादप जिनोम संरक्षक कृशक सम्मान एवं प्रतिदान (2015) पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस अवसर पर पांच किसान समुदायों; 10 किसानों / महिला संरक्षकों तथा 21 किसानों / महिला संरक्षकों को कृषि जैवविविधता के संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

नियमित गतिविधि के रूप में आईसीएआर—आईआईएसआर तथा आईसीएसएच के सहयोग से संयुक्त रूप में लखनऊ में 15–17 जनवरी, 2018 के दौरान डीयूएस केन्द्रों का तीन दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न डीयूएस केन्द्रों तथा डीयूएस परियोजनाओं के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जर्मनी तथा नेदरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु अनेक बैठकों का आयोजन किया गया ताकि भारत को तकनीकी रूप से उपोव समझौता के समकक्ष बनाया जा सके।

भारत सरकार से एक वैधानिक संगठन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने की रणनीति तथा नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सुविधाओं से प्राधिकरण किसानों के अधिकारों को प्राप्त करने की कानून निर्माताओं की अद्भुत परिकल्पना को साकार करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए कटिबद्ध है, ताकि पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण तथा भविष्य में मानवता की सततता के लिए पादप प्रजनन हेतु इन संसाधनों को उपलब्ध कराने में किसानों तथा कृषक महिलाओं के “पूर्व, वर्तमान एवं भावी” योगदानों की पहचान की जा सके। प्राधिकरण, पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनुकूल, सुसंगत बनाने एवं सर्वोत्तम पद्धतियों के माध्यम से लाभ साझाकरण तथा नवाचार हेतु प्रभावी परितंत्र के सृजन तथा पादप प्रजनन पर इसके प्रभाव हेतु प्रयास करेगा।

प्राधिकरण की वृद्धि व विकास में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन तथा दिशा—निर्देश का उल्लेख करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ ही मैं डॉ. एस.के. पटनायक, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति उनके मार्गदर्शन, नेतृत्व तथा निरंतर सहायता के लिए ऋणी हूं। मैं श्री बी. प्रधान, अपर सचिव एवं वित सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति प्राधिकरण में उनकी रुचि तथा मूल्यवान समर्थन हेतु आभारी हूं। मैं प्राधिकरण के माननीय सदस्यों तथा विभिन्न समितियों / टास्क फोर्स के अन्य अधिकारियों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने समर्पित भाव से प्राधिकरण की सहायता की है। डॉ. टी. महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. के व्यावसायिक सहयोग तथा तकनीकी सहायता के लिए उन्हें तथा भा.कृ.अनु.प. एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक कार्यबल की सराहना करता हूं।

इस अवधि के दौरान मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के बीज प्रभाग के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्मिकों द्वारा डॉ. बी. राजेन्द्र तथा श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिवों के कुशल नेतृत्व में प्राधिकरण को प्राथमिकता के तौर पर दिए गए तार्किक एवं सुविधाकार समर्थन एवं उनके द्वारा प्राधिकरण के प्रति प्रदर्शित सम्मान एवं दायित्व के लिए अत्यंत आभारी हूं। बीज प्रभाग के कार्मिक सदैव प्राधिकरण के प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कार्यों के लिए उपस्थित रह कर समय पर समाधान किए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा अन्य संस्थानों के डीयूएस केन्द्रों के नोडल अधिकारियों को प्राधिकरण के लक्ष्यों में प्राप्त करने में उनकी सहायता हेतु धन्यवाद देता हूं।

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आईसीएआर, आईसीएफआरई, सीएसआईआर, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों को उनकी सहायता और समय समय पर मार्गदर्शन हेतु कृतज्ञता के भाव से धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाए हैं। मैं अपने सम्मानिक बैंकरों भारतीय स्टेट बैंक तथा सिंडिकेट बैंक को उनकी वित्तीय सेवाओं एवं सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सीएजी के प्रति आभारी हूं जिसने समय पर समर्थन, मार्गदर्शन एवं निर्देश दिया है।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट के प्रभावी समन्वयन तथा समय पर प्रकाशित करने हेतु संपादकीय मंडल की सराहना एवं प्रशंसा करता हूं। उपलब्धियों की प्राप्ति में, प्राधिकरण के पंजीकारों डॉ. रवि प्रकाश, डॉ. टी. के. नागरत्ना एवं डॉ. एस. ए. देसाई, संयुक्त पंजीकार श्री डी. आर. चौधरी, वित्त सलाहकार श्री जे. पी. सिंह तथा विधि सलाहकार श्री राज गणेश तथा मुख्यालय एवं शाखा कार्यालयों के उनके टीम के समर्पित सदस्यों की सहायता से डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए का अथक प्रयास सम्मिलित है। मैं उनकी सेवाओं और योगदान के प्रति आभारी हूं।

कुम्बले विनोद प्रभु
अध्यक्ष

आभार

वर्ष 2017–18 के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों को दर्शाने वाली इस रिपोर्ट की तैयारी में डॉ. के. वि. प्रभु, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए की गतिशीलता एवं मूल्यवान समर्थन, प्रेरणादायक उत्साह एवं महत्वपूर्ण विचारों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं श्री एस. के. पट्टनायक, सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा डॉ. बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रभारी अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए के प्रति उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट के संकलन एवं संश्लेषण में श्री दिपल रॉय चौधरी (संयुक्त पंजीकार) तथा श्री डी. एस. राज गणेश के कर्तव्यपरायण प्रयासों की सराहना करता हूं। प्राधिकरण की इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार; डॉ. टी. के. नागरत्ना, पंजीकार; डॉ. एस. ए. देसाई, पंजीकार; श्री जे. पी. सिंह, वित्तीय सलाहकार, श्री उमाकान्त दुबे, उपपंजीकार, श्री आर. एस. सेंगर, उपपंजीकार के समर्थन एवं सहायता की प्रशंसा करता हूं।

मैं डॉ. अजय कुमार सिंह, एसटीओ, डॉ. डी. एस. पिलानिया, तकनीकी सहायक तथा रजिस्ट्री के सभी कम्प्यूटर सहायकों सुश्री शिप्रा माथुर, श्री संजय गुप्ता, श्री नितेश कुमार वर्मा एवं रजिस्ट्री के सभी सहायकों डॉ. मनीशा गौतम, डॉ. जसबीर मदान, डॉ. ज्योति जयसवाल को उनके द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं, कम्प्यूटर सहायक श्री श्याम नारायण प्रसाद, श्री अरविन्द कुमार राय और रजिस्ट्री के सहायक श्री सुनीत कुमार एवं श्री स्टीफेन तामू तथा कार्यालय सहायक श्री गौरव शर्मा, श्री विक्रम भूषण, कु. नीता कुमारी, श्री संतोष सिंह बिष्ट, श्री प्रवीण त्रिपाठी, श्री विवेक सेंगर, श्री रामवीर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ इस रिपोर्ट को समय पर प्रकाशित करने में सहयोग दिए हैं। नियमित रूप से वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों में योगदान हेतु श्री बी. के. बंसल और श्री श्याम एस. लाकड़ा की सराहना करता हूं।

यहां यह उल्लेख करना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉ. शिवाजी गूर्ज, उपपंजीकार, पूर्ण शाखा कार्यालय; डॉ. के. जी. परमेश्वरप्पा, उपपंजीकार, शिमोगा शाखा कार्यालय; डॉ. ए. एच. खान, उपपंजीकार, गुवाहाटी शाखा कार्यालय तथा डॉ. सतीश शर्मा, उपपंजीकार, पालमपुर शाखा कार्यालय का कर्तव्य परायण एवं निष्ठापूर्ण समर्पण प्राधिकरण के लिए गौरव की बात है। मैं पीपीवी एवं एफआरए के समस्त कार्मिकों को इस रिपोर्ट हेतु दिए गए इनपुट के लिए धन्यवाद देता हूं।

प्राधिकरण, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के बीज प्रभाग तथा आंतरिक वित्त प्रभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हैं। आईसीएआर, राज्य कृषि विद्यालयों, सीएसआईआर, आईसीएफआरई तथा अन्य संगठनों से स्थापित साझेदारी की सराहना करते हैं जिन्होंने डीयूएस परीक्षणों में अपना सहयोग तथा इस रिपोर्ट हेतु महत्वपूर्ण इनपुट दिए हैं।

२०८२

आर. सी. अग्रवाल

महापंजीकार

कार्यकारी सारांश

भारत ने सु जेनेरिस प्रणाली अपनाकर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) लागू किया है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पौधा किस्मों, किसानों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। यह एक अनोखा अधिनियम है जिसमें यूपीओवी, 1978 समझौते तथा अन्य के प्रावधानों की जहां एक ओर पुष्टि की गई है वहीं दूसरी ओर खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) की भावना को भी पूरा किया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय अपेक्षा के अनुसार प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु वर्ष 2005 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्राधिकरण पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रणाली को सुचारू रूप से उपलब्ध कराने, हितधारकों को परस्पर जोड़ने, बीज क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने, राष्ट्र के किसानों के योगदानों व महत्व को ज्ञापित करने, राष्ट्रीय जीन निधि विकसित करने, जीन बैंकों को स्थापित करने व उनका रखरखाव करने से संबंधित कार्य अपनी स्थापना के काल से ही निरंतर करता आ रहा है।

अब तक, भारत सरकार ने पौधा किस्म पंजीकरण के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों पर 147 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 7 वंश प्रजातियों को अधिसूचित किया है। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राधिकरण को तीन विभिन्न श्रेणियों में कुल 1187 आवेदन प्राप्त हुए इनमें से कृषक श्रेणी के अंतर्गत 980, नई श्रेणी के अंतर्गत 132 तथा विद्यमान किस्मों के अंतर्गत 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक आवेदन कृषक श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हुए थे (980), जिसके पश्चात् क्रमशः सार्वजनिक संस्थानों (57) व निजी संगठनों (150) द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों का स्थान था। सर्वाधिक आवेदन चावल के मामले में प्राप्त हुए (289) जिसके पश्चात् क्रमशः मक्का (97), आम (67), लौकी (42), बाजरा (39), उड़द एवं अरहर (प्रत्येक के 37), करेला एवं मूंग (प्रत्येक के 23), मिर्च (21) तथा अन्य फसलों का स्थान है।

वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 619 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। कृषकों के 361 किस्में, 76 नई किस्में, साधारण ज्ञान की किस्में 99 तथा 83 विद्यमान अधिसूचित किस्मों का पंजीकरण किया गया है। सर्वाधिक प्रमाण—पत्र अनाजों की किस्मों के लिए जारी किए गए (439) जिसके पश्चात् क्रमशः रेशेदार फसलें (69), सब्जियां और कद्दू वर्ग (61), फलीदार फसलें (19), तिलहनें (19), मसालें एवं शर्करा फसलों (प्रत्येक के 6), का स्थान रहा है।

दिनांक 31 मई, 2017 को सम्पन्न पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण की 27वीं बैठक में सदस्यों को 3 शाखा कार्यालयों शिमोगा, पालमपुर तथा पूणे में स्थापना के संदर्भ में राजपत्र अधिसूचना; स्थायी समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त; पात्रता वाले कार्मिकों के लिए एमएसीपी को अपनाने के संदर्भ में अवगत कराया गया। दिनांक 22 नवम्बर, 2017 को सम्पन्न 28वीं बैठक में पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001; पीपीवी एवं एफआर नियम, 2003 तथा पीपीवी एवं एफआर विनियम, 2006 में संशोधन हेतु समेकित प्रस्ताव, परिक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात् पंजीकृत किस्मों के बीजों का हस्तांतरण, प्लांट वैरायिटी जरनल ऑफ इंडिया के मुद्रण को त्याग देना, वार्षिक लेखा 2016–17 का अनुमोदन तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई।

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किए गए मुकदमों में पैरवी की। तीस मुकदमें लम्बित थे जिनमें से छह का निपटान किया गया और शेष मामलें प्राधिकरण के विरुद्ध अब भी लम्बित हैं। अब तक पंजीकरण योग्य 140 प्रजातियों के लिए भारत के राजपत्र में एक समेकित अधिसूचना एसओ सं. 1536(ई), दिनांक 12 मई, 2017 के माध्यम से जारी की गई। काजू, सुपारी, चिरौंजी, इमली, शकरकंद, कसावा एवं चिनार के सात वंशों/प्रजातियों की किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से अन्य अधिसूचनाएं जारी की गई। इनके अलावा अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए की नियुक्ति के संदर्भ में भी राजपत्र अधिसूचना एसओ सं. 908, दिनांक 01 मार्च, 2018 जारी की गई।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) कोष्ठ को सीधे या अन्य विभागों के द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। मांगी गई सूचना को निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराया गया।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने 19 अप्रैल, 2017 को पादप जिनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। पांच कृषक समुदायों को 10 लाख रुपयों का पीजीएससी पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र एवं मेमन्टो; दस किसानों / कृषक महिलाओं को पादप जिनोम संरक्षक किसान सम्मान जिसमें 1.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र एवं मेमन्टो तथा 20 किसानों को पादप जिनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान जिसमें 1.0 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र एवं मेमन्टो दिए गए हैं। यह समारोह चम्पारण सत्याग्रह के 100 वर्षों के अवसर पर मोतीहारी, चम्पारण, बिहार में आयोजित किया गया और पुरस्कार वितरण माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा किया गया।

विभिन्न संस्थाओं, डीयूएस केन्द्रों, आंचलिक परियोजना निदेशालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों व अन्य हितधारकों को पूरे देश में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई। प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों व कृषि मेलों में भाग लिया जहां किसानों के अधिकारों, किसानों की किस्मों सहित अन्य किस्मों के पंजीकरण, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास किया। किसानों को स्थानीय किस्मों सहित उनकी परंपरागत किस्मों व कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु जागरूक बनाने के लिए उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। इस प्रयास में भा.कृ.अन.प. के अधीनस्थ कृषि विज्ञान केन्द्र मददगार रहे हैं।

बीज क्षेत्र में इण्डो-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत नेदरलैंड एवं जर्मनी के विशेषज्ञों की प्रतिभागिता से गुलाब, सेब पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सहित अनेक कार्यशालों का आयोजन किया गया। दिनांक 22–23 फरवरी, 2018 के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें उपोव, बीएसए, द नाकटुइनबौ, सीआईओपीओआरए, भारत और विदेशों के सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बीज उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने द्विपक्षीय सहयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मामलों, ऑईटीपीजीआरएफए, सीबीडी, उपोव (यूपीओवी), डब्ल्यूआईपीओ, द्विपक्षीय सहयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मामलों सहित अनेक तकनीकी मामलों में प्राधिकरण से परामर्श किया। प्रतिनिधि मंडल ने उपोव मुख्यालय जेनेवा में प्रशासनिक एवं विधि समिति की 74वीं सत्र में भाग लिया और नेदरलैंड एवं जर्मनी में पौधा किस्म संरक्षण कार्यालयों का दौरा किया।

प्राधिकरण को वर्ष 2017–18 के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से 1517.10 लाख रुपयों की अनुदान सहायता प्राप्त हुई जिसमें पिछले वर्ष के अव्ययित शेष राशि 126.69 को समायोजित करने के पश्चात 1485.81 लाख रुपयों का उपयोग किया गया और 95.40 लाख रुपए शेष रह गए हैं।

प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को समय पर भेजा गया। प्राधिकरण के वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखा को अंतिम रूप दे कर समय पर लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात् उन्हें वैधानिक समय—सीमा में संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अध्याय 1 : संक्षिप्त परिचय

पादप आनुवंशिक संसाधन मानवता के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भोजन, रेशे, चारा, वन तथा औद्योगिक उपयोग के लिए पौधों की नई किस्में सृजित करने में आनुवंशिक विविधता के एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। परंपरागत पादप प्रजनकों में खेती करने वाले समुदाय व वनों के निवासी शामिल हैं जिन्होंने इस विविधता का पालन-पोषण किया है तथा सदियों से पौधे उत्पन्न करने के लिए चयन का कार्य किया है। आधुनिक पादप प्रजनक जैव विविधता से समृद्ध अंचलों में खोजपूर्ण भ्रमण तथा अन्वेषण के माध्यम से आनुवंशिक विविधता संकलित करते हैं तथा खेती के लिए उनका मूल्य बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न युक्तियों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, पादप प्रजनकों के अधिकार उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा ऐसी पारिस्थितिक प्रणाली सृजित करने के लिए हैं जिनसे निरंतर नई खोज होती रहती है तथा जननद्रव्य पर उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व प्राप्त करने की क्रियाविधि स्थापित की जा सकती है तथा ऐसे दीर्घावधि अनुसंधान एवं विकास को सहायता मिलती है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में पादप प्रजनन को बढ़ावा मिलता है तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री उपलब्ध होते हैं।

कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) को लागू करने के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में 'पादप पेटेंट अधिनियम, 1930' लागू हुआ तथा यूनियन इंटरनेशनेल पाउर ला प्रोटेक्शन डेस ॲबटेंशंस वेजिटेले (उपोव) या पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की 1961 में यूरोप में स्थापना हुई जिसे बाद में 1972, 1978 और 1991 में संशोधित किया गया। वर्तमान में, उपोव समझौते के अंग के रूप में 74 सदस्य देश हैं जिनमें यूरोपीय यूनियन, ओएपीआई शामिल हैं। भारत उपोव का पर्यवेक्षक रहा है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए बहुपक्षीय उपाय के रूप में टैरिफ तथा व्यापार पर सामान्य समझौते (गैट) के द्वारा पादप प्रजनकों के अधिकारों द्वारा पौधा किस्मों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उरुग्वे वार्ता में गैट की संधियों से वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर हुए समझौते (ट्रिप्स) के अनुच्छेद 27.3 (बी) में यह प्रावधान है कि सभी सदस्य पौधा किस्मों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जिसके लिए या तो पेटेंटों को अपनाया जाएगा या ऐसा कोई प्रभावी सु जेनेरिस प्रणाली लागू करके किया जाएगा या इन सभी के उपयोग द्वारा ऐसा किया जाएगा।

भारत सरकार ने पौधा किस्मों की सुरक्षा, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी सु जेनेरिस प्रणाली की स्थापना हेतु भारतीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) लागू किया।

भारतीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम 12 सितम्बर 2003 को अधिसूचित हुए जिनमें बाद में समय-समय पर संशोधन हुआ। अंततः अधिनियम के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1588(ई) के द्वारा 11 नवम्बर 2005 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1.1 पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के उद्देश्य

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम एक स्थू जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को पैदा करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज / रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, बशर्ते कि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें कृषक समुदायों / कृषकों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.3 पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने, बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए ठेका करने का भी अधिकार है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। 31 मार्च 2016 को प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं।

1.4 पौध किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु 147 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अनाज, दालें, मोटे अनाज, तिलहन, मसाले, सब्जियां, पुष्प, औषधीय व सगंधीय पौधे तथा रेशा फसलें शामिल हैं। प्राधिकरण ने रिपोर्टाधीन वर्ष 2017–18 के दौरान पौधा किस्मों (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत 619 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और अधिक आवेदकों को आकर्षिक करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

पीपीवी और एफआर द्वारा आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों के सत्यापन, प्रजनन अनुरक्षण, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित संदर्भ / उदाहरण किस्मों / किस्मों के अनुरक्षण, प्रजनन व प्रगुणन संबंधी आवेदकों के दावों की पुष्टि के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मगत गुणों का डेटाबेस सृजित करने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और विश्लेषण के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता भी प्रदान की है। प्राधिकरण ने अपना राष्ट्रीय जीन बैंक तथा देशभर में फील्ड जीन बैंक स्थापित किए हैं। यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है तथा मुख्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है।

1.5 पादप प्रजनकों के अधिकार

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि,

पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी अधिकार दिए गए हैं।

तथापि, किसी नई किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अधिनियम के अंतर्गत नई किस्मों की नवीनता के लिए पौधा किस्म सुरक्षा में डीयूएस की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रणाली के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न में से किसी के भी के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

- **नई किस्म अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टिकृत ऐसे गण या प्रजातियां**

- **विद्यमान किस्म**

- बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित, — सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके)

- **कृषक किस्म (विद्यमान किस्मों का भी हिस्सा)**

- किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म,
 - ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।

- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी)**

आरंभिक किस्म से मुख्यतः व्युत्पन्न किस्म या ऐसी किस्म से व्युत्पन्न किस्म जो ऐसी आरंभिक किस्म से मुख्यतः व्युत्पन्न हो जिसमें अनिवार्य गुण की अभिव्यक्ति बनी रहे जिसके परिणामस्वरूप ऐसी आरंभिक किस्म के जीनप्ररूपों का संयोग या जीनप्ररूप प्राप्त हुआ हो।

1.6 कृषकों के अधिकार

अधिनियम में कृषकों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं :

- अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार : इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्में या उनके द्वारा विकसित नई किस्में मान्यता की पात्र हैं।
- बीज पर अधिकार : इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी फसल से अपने बीज को बचाकर रखने, उसे बुआई, पुनः बुआई, आदान-प्रदान करने और अन्य किसानों के साथ साझीदारी करने या बेचने का अधिकार बशर्ते कि वह किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज की बिक्री न करे।
- पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार : इस अधिनियम के अंतर्गत जो किसान या कृषक समुदायपादप आनुवंशिक संसाधनों (आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों) के सुधार के साथ भू-प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में रत हैं, वे पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान, सम्मान प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते कि उनकी पादप सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों के विकास में किया गया हो।
- अज्ञानता में हुए उल्लंघन के प्रति सुरक्षा : यदि किसी किसान ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 65 के अनुसार अधिकार का उल्लंघन किया हो और वह न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध कर सके कि उसे उल्लंघन के समय ऐसे अधिकार के विद्यमान होने का ज्ञान नहीं था तो उसे आरोपी नहीं माना जाएगा।
- शुल्क में छूट : किसी किसान या किसानों के समूह को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय की प्रति प्राप्त करने, या आदेश अथवा दस्तावेज प्राप्त करने या उसका निरीक्षण करने के लिएकोई भी शुल्क अदा नहीं करना होगा। किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क अदा करने तथा किस्म के पंजीकरण में सामान्यतः अन्य लोगों द्वारा अदा किए जाने वाले शुल्क की तुलना में ऐसे भुगतानों से छूट प्राप्त है उसे पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा किस्मों के परीक्षण तथा अन्य सेवाओं, इसके साथ ही अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कानूनी कार्रवाई या अदालत, न्यायाधिकरण आदि में चलाए जाने वाले मुकदमों के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्कों से छूट प्राप्त है।
- बीजों का तर्कसंगत मूल्य : किसानों को तर्कसंगत तथा लाभप्रद मूल्य पर किसी पंजीकृत किस्म के बीजों को प्राप्त करने का अधिकार है। जब यह शर्त पूरी नहीं होती है तो अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत प्रजनक का यह एकमात्र अधिकार निलंबित कर दिया जाता है तथा प्रजनक को किसी किस्म के बीजोत्पादन, वितरण तथा बिक्री का अधिकार लेना पड़ता है। पादप सुरक्षा संबंधी अधिकांश कानूनों में सुरक्षित किस्मों को अनिवार्य लाइसेंस लेने का प्रावधान है, ताकि किसानों को बीजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- **कृषक किस्मों का प्राधिकृतिकरण :** किसी कृषक किस्म से किसी अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के विकास तथा इसके वाणिज्यीकरण के लिए उस किसान (नौं) या उस कृषक समूह(हों) से अनुमति के साथ प्राधिकरण प्राप्त करना होता है जिसने ऐसी किस्म के संरक्षण या विकास में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया से किसान प्रजनकों के साथ प्राधिकार दिए जाने की शर्तों के बारे में परस्पर निर्धारण कर सकते हैं जिसमें रायलटी, लाभ में भागीदारी आदि शामिल हैं।
- **क्षतिपूर्ति का अधिकार :** जब इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म की किसी प्रवर्धित सामग्री को किसी किसान को बेचा जाना हो तो प्रजनक को दी गई शर्तों के अंतर्गत उस किस्म के अपेक्षित निष्पादन का खुलासा करना होता है। यदि प्रवर्धन सामग्री निर्धारित दशाओं के अंतर्गत ऐसा निष्पादन करने में असफल रहती है तो किसान प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा पेश कर सकता है। प्राधिकरण संबंधित किस्म के प्रजनक को इस मुद्रे के बारे में अधिसूचित करेगा तथा उसे विरोध दाखिल करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके पश्चात् प्राधिकरण यदि उवित्त समझता है तो संबंधित किसान को क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश प्रजनक को दे सकता है।

प्राधिकरण में स्थित कृषक कोष की कृषक किस्मों के आईपीआर पंजीकरण की देखभाल करता है, देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है तथा उन किसानों तथा कृषक समुदायों की पहचान करता है जिन्होंने जननद्रव्य के संरक्षण और नई किस्मों के विकास में अपने योगदान दिए हैं।

1.7 किस्मों का पंजीकरण

किसी पौधा किस्म और इसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्न श्रेणियों में दिया जा सकता है :

- **नई किस्म :** यदि कोई किस्म अपनी पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि के लिए वाणिज्यीकृत की गई है तो यह नई किस्म है।
- **विद्यमान किस्म :** इसमें निम्नलिखित श्रेणियां हैं :
 - **बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म :** बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र हैं।
 - **कृषक किस्म :** कृषकों द्वारा विकसित और उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई जिसमें वे वन्य संबंधी या भू-प्रजातियां या किस्में भी शामिल हैं जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
 - **सामान्य ज्ञान की किस्में :** जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यीकृत श्रृंखला में हैं।
 - **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म :** वह किस्म जो मुख्यतः आरंभिक किस्म से विकसित की गई हो, नई या विद्यमान किस्म के अंतर्गत आती है।

1.8 किस्मों के खेत परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा कराना होता है। वांछित शुल्क और बीज प्राप्त करने के पश्चात् किस्म को डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :

- **नई किस्में :** दो स्थानों पर दो समान फसल वर्ष
- **कृषक किस्म और वीसीके :** दो स्थानों पर एक फसल मौसम
- **बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म :** डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है लेकिन किस्म की ईवीआरसी समिति द्वारा जांच की जाती है जो इसके पंजीकरण की सिफारिश करती है।
- **ईडीवी :** डीयूएस परीक्षण अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदंडों की पुष्टि के लिए फील्ड परीक्षण किया जाता है।

डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद आवेदन पर फिर कार्रवाई की जाती है और यदि दावा किए गए गुण तथा डीयूएस परीक्षण में ज्ञात किए गए गुण समान होते हैं तो उस किस्म का विज्ञापन किया जाता है। यदि दावा किए गए गुण और डीयूएस परीक्षण द्वारा निर्धारित गुण भिन्न होते हैं तो आवेदक को आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अंततः किस्म के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए जाते हैं।

आवेदन को भारतीय पौधा किस्म जरनल में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई विरोध दाखिल नहीं होती है या यदि दाखिल किया गया विरोध अस्वीकार कर लिया जाता है तो किस्म के पंजीकरण की कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार है :

1.8.1 सुरक्षा की अवधि तथा फसलें

वर्तमान में कुल 140 फसल प्रजातियां सुरक्षा की पात्र हैं (अनुबंध-VII)। खेत फसलों की सुरक्षा की अवधि 15 वर्ष है जबकि वृक्षों और लताओं के लिए यह अवधि 18 वर्ष है। अधिसूचित विद्यमान किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।

1.9 प्रजनक को दिए गए अधिकार

पंजीकरण से किसी किस्म को उसके नाम के साथ पैदा करने, बेचने, उसका विपणन करने, आयात-निर्यात करने का एकमात्र अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार कृषकों के इस अधिकार से जुड़ा है कि किसान किसी भी ब्रांडहीन लेकिन पंजीकृत किस्म के बीजों का उपयोग कर सकता है।

1.10 किसानों / कृषक समुदायों को पुरस्कार/प्रतिदान

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 70(2)(ए) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45(2) में उन किसानों व कृषक समुदायों और विशेष रूप से आदिम जातियों तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों को सहायता प्रदान करने और पुरस्कार देने का प्रावधान है जो विशेष रूप से कृषि जैव विविधता के हॉट-स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में रत हैं। यह पुरस्कार/प्रतिदान राष्ट्रीय जीन निधि से दिए जाते हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 2009–10 में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ऐसे पांच पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही दस किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान तथा 15 किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान प्रमाण—पत्र दिए जाते हैं। दिए गए पुरस्कारों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है। इन पुरस्कारों का चयन किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

सारणी 1 : पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान एवं सम्मान का विवरण

पुरस्कार	विवरण	आवेदन
पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार	प्रत्येक वर्ष पांच कृषक समुदायों को पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्घरण, स्मृति चिह्न व 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।	इन पुरस्कारों के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था तथा इसे प्राधिकरण की वेबसाइट : (http://www.plantauthority.gov.in/forms.htm) पर भी दर्शाया गया था।
पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान	प्रत्येक वर्ष 20 कृषकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्घरण, स्मृति चिह्न तथा 1 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।	आवेदन संबंधित पंचायत समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव या संबंधित जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या जिला आदिवासी विकास कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए जाने चाहिए।
पादप जीनोम संरक्षण कृषक सम्मान	प्रत्येक वर्ष दस किसानों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्घरण, स्मृति चिह्न तथा 1.5 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।	

अध्याय 2 : पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति

2.1 फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश जारी करना

वर्ष 2017–18 के दौरान सात फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार कर प्लांट वैरायिटी जर्नल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया, जिस प्रकार सारणी–1 उल्लेखित है, प्राधिकरण ने कुल 147 फसल प्रजातियां के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार किया और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया। इन फसल प्रजातियों के किस्मों का पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधा किस्मों के संरक्षण हेतु अब पंजीकरण प्रक्रिया खुली हुई है।

सारणी–2 : वो 2017–18 के दौरान विभिन्न फसल प्रजातियों के लिए विकसित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश

क्र.सं.	फसल का नाम	वनस्पतिक नाम	पौधा किस्म जरनल का विवरण
1	काजू	एनाकार्डियम एक्सीडेंटेल एल.	खण्ड 11, अंक 05, 04 मई, 2017
2	सुपारी	एरिका केटेचु एल.	
3	चिराँजी	बुचाननिया लांजन स्पर्ज	खण्ड 11, अंक 07, 04 जुलाई, 2017
4	इमली	टेमरिनडस इंडिका एल.	
5	शकरकंद	आइपोमोइया बटाबस एल. लेम	खण्ड 11, अंक 10, 00 अक्टूबर, 2017
6	कसावा	मनीहॉट एस्क्यूलेंटा क्रैंट्ज	
7	चिनार	पॉपुलस डेलटोयडस बार्ट	

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या में वृद्धि

वर्ष 2017–18 के दौरान, पंजीकरण हेतु कुल 1187 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश आवेदन अनाज, सब्जियों तथा फलियों से संबंधित हैं (सारणी–3)।

सारणी–3 : प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या (फसल वर्गवार)

फसल वर्ग	कुल	फसल वर्ग	कुल
अनाज	526	तिलहन	88
रेशोदार फसल	7	मसाले	68
फूल	10	शर्करा फसलें	5
फल	98	वृक्ष	5
फलियां	156	सब्जियां	217
औषधीय एवं संगंधीय पादप	7		
कुल योग			1187


प्राप्त आवेदनों में से आवेदनों की उच्चतम संख्या अनाजों के अंतर्गत चावल (289) तथा मक्का (97) के लिए; फलों के अंतर्गत आम (67) के लिए; सब्जियों के अंतर्गत टमाटर (24), करेला (23) तथा लौकी (42) के लिए; फलियों के अंतर्गत अरहर (37) तथा उड़द (37) के लिए (सारणी–4) हैं।

सारणी–4 : प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या (फसल–वार)


क्र.सं.	सामान्य नाम	कुल	क्र.सं.	सामान्य नाम	कुल	क्र.सं.	सामान्य नाम	कुल
1	एसिड लाइम	3	29	लहसून	5	57	पपीता	6
2	सेब	1	30	अदरक	4	58	बाजरा	39
3	बेल	1	31	अंगूर	1	59	अरहर	37
4	केला	7	32	मूंग	23	60	आलू	7
5	जौ	10	33	मूंगफली	5	61	कद्दू	17
6	सम्वत के चावल (बार्नयाड मिल्लेट)	3	34	अमरुद	5	62	राजगीरा	1

7	पान	1	35	आंवला	1	63	रेपसीड (गोभी सरसों)	4
8	करेला	23	36	बेर	1	64	रेपसीड (तोरिया)	12
9	उड्ड	37	37	भारतीय सरसों (करन राई)	1	65	चावल	289
10	लौकी	42	38	भारतीय सरसों (सरसों)	20	66	तुरई	16
11	ब्रह्मी	1	39	जामुन	1	67	गुलाब	1
12	बैंगन	20	40	पटसन	3	68	सैफपलावर (कुसुम)	1
13	बंद गोभी	1	41	राजमा	14	69	तिल	26
14	अरंडी	4	42	कोदो (कोदो मिल्लेट)	9	70	छोटी इलायची	1
15	कासूरिना	5	43	मसूर	10	71	ज्वार	16
16	फूल गोभी	2	44	अलसी	6	72	सोयाबीन	7
17	चना	19	45	लीची	1	73	स्पाइनेक बीट	1
18	मिर्च	21	46	लिटिल मिल्लेट	1	74	गन्ना	5
19	धनिया	20	47	मक्का	97	75	सूरजमुखी	2
20	खीरा	9	48	आम	67	76	कचालू	9
21	डिप्लोयड कॉटन	1	49	गेंदा	3	77	टेट्राप्लोयड कॉटन	3
22	ड्यूरम गेहूं	3	50	मेथोल मिंट	2	78	टमाटर	24
23	जिमीकंद	2	51	खरबूजा	1	79	रजनीगंधा	1
24	फाबा बीन (सेम)	3	52	नोनी	2	80	हल्दी	20
25	मेथी	3	53	जायफल	15	81	सब्जी चौलाई	2
26	फील्ड पी	16	54	भिण्डी	15	82	अखरोट	1
27	रागी	17	55	प्याज	3	83	तरबूज	2
28	कंगनी (फाक्सटेयल मिल्लेट)	9	56	ऑर्किड	5	84	गेहूं	32
कुल योग								1187

कुल 1187 आवेदनों में से 980 आवेदन किसानों द्वारा तथा 207 आवेदन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया (चित्र 1)। विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत 32 आवेदन तथा विद्यमान सामान्य ज्ञान की किस्मों के अंतर्गत 43 एवं नई श्रेणी के अंतर्गत 132 आवेदन प्राप्त हुए हैं (चित्र 2)।




चित्र 1 : आवेदकों से प्राप्त श्रेणीवार आवेदन (2017–18)




चित्र 2 : प्राप्त श्रेणीवार आवेदन (2017–18)

वर्ष 2007–08 से 2017–18 के दौरान पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या से स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया के प्रारम्भ में 654 आवेदन और अधिकतम आवेदन (3569) वर्ष 2016–17 के दौरान एवं रिपोर्ट अवधि के दौरान 1187 आवेदन प्राप्त हुए (चित्र 3) हैं। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 के दौरान प्रारम्भ में 12 फसल प्रजातियों तथा रिपोर्ट अवधि के दौरान 84 फसल प्रजातियों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं (चित्र 4)।




चित्र 3 : वर्षवार प्राप्त (2007–08 से 2017–18) आवेदनों की संख्या।




चित्र 4 : वर्षवार (2007–08 से 2017–18) फसलों की संख्या जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

2.3 किस्मों के पंजीकरण में प्रगति

वर्ष 2017–18 के दौरान पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात विभिन्न फसल प्रजातियों (चित्र 5 एवं 6) के 619 किस्मों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से अधिकतम प्रमाण पत्र किसानों की श्रेणी को तथा इसके बाद का स्थान क्रमशः विद्यमान सामान्य ज्ञान की किस्में (99) श्रेणी, विद्यमान अधिसूचित श्रेणी (83) तथा नई श्रेणी (76) का रहा है।



चित्र 5 : जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र (2007–2017)



चित्र 6 : जारी किए गए प्रमाण पत्रों की श्रेणीवार संख्या (2017–2018)

इसी प्रकार अनाजों के लिए अधिकतम (438) प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और इनके बाद का स्थान रेशेदार फसलों और सब्जियों का रहा है।

सारणी 5 : जारी किए गए प्रमाण पत्र फसल समूह—वार (2017–18)

फसल समूह	जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या
अनाज	439
रेशेदार फसल	69
फलियां	19
तिलहन	19

फसल समूह	जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या
मसाले	6
शर्करा फसलें	6
सब्जियां एवं कद्दू वर्ग	61
कुल योग	619

सारणी 6 : वर्ष एवं फसल समूह—वार जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या

फसल समूह	09 20 08	10 20 09	11 20 10	12 20 11	13 20 12	14 20 13	15 20 14	16 20 15	17 20 16	18 20 17	कुल योग
अनाज	17	98	42	59	157	208	631	344	471	439	2465
फलों की फसलें									2		2
रेशेदार फसल		5	2	41	37	31	36	18	60	69	298
फूल									1		1
फलियां	23	25	16	18	34	6	32	7	9	19	189
तिलहन					13	58	110	25	14	19	239
रोपण फसल							6				6
मसाले					1		3	1	11	6	22
खांड फसलें					11	25	1	1	4	6	48
सब्जियां एवं कदूवर्ग					1	2	23	23	57	61	167
सकल योग	40	128	60	118	254	330	842	419	629	619	3437

2.3.1 जारी किए गए प्रमाण पत्रों में वृद्धि

सारणी 5 में दर्शाए गए वर्ष 2008–09 से 2017–18 के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्रों के वर्षवार एवं फसल समूह—वार आंकड़ों में देखा गया है कि 71.7% प्रमाण पत्र अनाजों के लिए (2465) जारी किए गए हैं और इसके बाद का स्थान रेशेदार फसलों (298), तिलहनों (239) तथा फूलों एवं रोपण फसलों के लिए बहुत ही कम प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि वर्ष 2017–18 तक जारी हुए प्रमाण पत्रों की अधिकतम संख्या 3437 हैं और सूची में किसानों की श्रेणी अधिकतम प्रमाण पत्रों के साथ प्रथम स्थान पर है और इसके बाद का स्थान विद्यमान अधिसूचित श्रेणी का है (सारणी 7)।

सारणी 7 : वर्ष 2008–09 से 2017–18 के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्रों की श्रेणीवार संख्या

श्रेणी	09 20 08	10 20 09	11 20 10	12 20 11	13 20 12	14 20 13	15 20 14	16 20 15	17 20 16	18 20 17	कुल योग
ईडीवी (अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्में)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
विद्यमान (अधिसूचित)	40	123	60	98	192	125	214	48	68	83	1051
विद्यमान (सामान्य ज्ञान की किस्में)	0	0	0	0	24	69	56	63	71	99	382
किसान	0	3	0	0	3	76	461	238	388	361	1530
नए	0	2	0	20	34	60	111	70	102	76	473
सकल योग	40	128	60	118	254	330	842	419	629	619	3439

अध्याय 3 : डीयूएस परीक्षण केन्द्र

3.1 डीयूएस (विशेषता, एकरूपता, स्थायित्व) परीक्षण केन्द्र

3.1.1 भाकृअनुप—भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में खरीफ, 2017 के दौरान चावल के 44 प्रत्याशी किस्मों के सातवें सेट का 70 संदर्भ किस्मों की तुलना में डीयूएस परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त दूसरे वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत 25 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 11 नई किस्मों, 12 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 9 सामान्य ज्ञान की किस्मों का मूल्यांकन किया गया।



वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण में 91 कृषक किस्मों का जोड़ी पंक्ति परीक्षण तथा 132 कृषक किस्मों का डीयूएस गुणचित्रण भी सम्मिलित किया गया। तदानुसार, डीयूएस दिशानिर्देश के अनुसार विवरणकों (डिस्क्रिप्टर्स) को दर्ज किया गया।

अनुरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईआरआर प्रक्षेत्र में सर्वाधिक 140 आरसीवी उगाए गए। इन आरसीवी का रखरखाव प्रोजेनी रो टेस्टिंग में उल्लेखित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों वाली एक निगरानी दल ने 02 नवम्बर, 2017 को इक्रीसैट परिसर स्थित आईआईआरआर के प्रक्षेत्र में डीयूएस परीक्षण भूखण्डों का दौरा किया।

- डॉ. एस. आर. धुआ, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर—एनआरआरआई — अध्यक्ष
- डॉ. टी. के. नागरल्ला, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए — प्राधिकरण की प्रतिनिधि
- डॉ. एल. वी. सुब्बा राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, पादप प्रजनन, आईसीएआर—आईआईआरआर—नोडल अधिकारी (डीयूएस)।



बेयर क्रॉप साइंसेस; अजीत सीड़स प्राइवेट लिमिटेड; त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड; पायनीर ओवरसीस कार्पोरेशन; नूजीवीडू सीड़स लिमिटेड; मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेस लिमिटेड तथा बायोसीड रिसर्च इंडिया के प्रतिनिधिगण इस मॉनीटरिंग के दौरान उपस्थित रहें थे।

परीक्षणों का सामान्य प्रवर्तन तथा फसल का ठहराव अच्छा रहा और चावल में डीयूएस परीक्षण, सुझाए गए तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार पाया गया। सभी प्रत्याशी किस्मों और संदर्भ किस्मों का फील्ड डाटा दर्ज किया गया और सख्योत्तर डाटा दर्ज करना बाकी है।

- सभी प्रयोगों का रखरखाव अच्छी तरह किया गया और सभी भूखण्डों में फसल का ठहराव भी अच्छा रहा है।
- कुछ मामलों में दावा की गई विशेषताएं निगरानी के दौरान पाई गई सूचनाओं (जैसे तने की लम्बाई, पत्ती ब्लेड की यौवनता तथा पैनीकल एक्सरेशन) से मेल नहीं खा रहीं थीं। इस प्रकार की सूचनाओं को डाटा शीट में दर्ज कर इन पर बीज कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर लिए गए।
- परीक्षण के दूसरे वर्ष की कुछ सामग्री निर्धारित क्षेत्र से दूर खेत में उगाया जा रहा था। यह सुझाव दिया गया कि उन परीक्षणों को भी निर्धारित क्षेत्र में व्यवस्थित करें।

टीम ने सुझाव दिया कि फसल की कटाई समय पर उनकी परिपक्वता के अनुसार करें और सख्योत्तर सूचनाओं से संबंधित डाटा दर्ज कर कार्य पूर्ण करें।

3.1.2 भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (क्षेत्रीय केन्द्र), करनाल

यह केन्द्र उत्तरी भारत में चावल के डीयूएस परीक्षण के लिए एक सह—नोडल केन्द्र है। खरीफ 2017 के दौरान 11 संदर्भ किस्मों के साथ 04 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। कृषकों के कुल 04 किस्मों (कृषक किस्में) का भी डीयूएस परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त खरीफ 2017 में 20 संदर्भ किस्मों का किस्मीय रखरखाव तथा 28 बासमती किस्मों की अनुरक्षण विशेषताओं का भी चित्रण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण किए गए किस्मों की संख्या

फसल	नई किस्में		कृषक किस्में	कुल	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
चावल	02	02	04	08	25 अक्टूबर, 2017



डॉ. वी.के. पंडिता, अध्यक्ष,
आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र,
करनाल के अधीन निगरानी

3.1.3 असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम

चावल में डीयूएस परीक्षण के लिए यह एक सह—नोडल केन्द्र है, विशेषकर पूर्वी/उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों के लिए।

3.1.3.1 प्रथम वर्ष का मूल्यांकन

वर्ष 2017 के दौरान प्राधिकरण से प्राप्त कृषकों के निम्नलिखित 12 चावल की किस्मों का खरीफ, 2017 में गुणचित्रण किया गया।

किस्मों की 30 दिन आयु वाले नवोद्भिद पौधों को 04 पंक्तियों वाले भूखण्डों में दोहराव के साथ 04.08.2017 को प्रतिरोपित किया गया। तथापि दो किस्मों (टे योह, चक्को योह) में अंकुरण नहीं हुआ है अतः उन्हें मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग
REG/2016/1943	खम्बा फोउ
REG/2017/1442	केशो फोउ
REG/2017/1443	कथाइ फोउ
REG/2017/1444	दार्सम फोउ
REG/2017/1445	राजेन और नेरगेन फोउ
REG/2016/566	यमनायक

पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग
REG/2016/1944	सानायांबी फोउ
REG/2014/1318	टाइ यूथ
REG/2014/1313	चक्को यूथ
REG/2016/564	वाम्शू
REG/2016/565	ताहन्यू
REG/2016/567	फुहा—थह

दिशानिर्देशों के अनुसार खेत एवं प्रयोगशाला में विभिन्न गुणों से संबंधित सूचनाओं को दर्ज किया गया।

दूसरे वर्ष का डीयूएस परीक्षण :

प्राधिकरण से वर्ष 2016 में प्राप्त कृषकों के 55 चावल किस्मों के एक अन्य सेट का जैसे नीचे उल्लेख किया गया है, 11 संदर्भ किस्मों के साथ खरीफ, 2017 के दौरान डीयूएस परीक्षण किया गया। एक माह आयु के नवोद्भिद पौधों को 4 पंक्तियों वाले भूखण्ड में प्रतिरोपित कर दिनांक 08.08.2017 को दो बार दोहराया गया।

दिशानिर्देशों के अनुसार खेत एवं कटाई उपरांत के विभिन्न गुणों से संबंधित सूचनाओं को दर्ज किया गया।



किस्में	डीयूएस केंद्र
सदा माला, शेषफल, शेषफल-1, शिआल भूमरा, सितालकूची-1, सितालकूची-2, सितालकूची-3, सितालकूची-5, सितालकूची-6, सूंगा बोरे, तारा पाकरी, तारा पाकरी सलेक्शन-1, तराइ रिसर्च सोसायटी-1, तराइ रिसर्च सोसायटी-4, तुलैपंजी—एडी, तुलशीभोग, उत्तर बंगा लोकल-1, उत्तर बंगा लोकल-2, उत्तर बंगा लोकल-3, उत्तर बंगा लोकल-4, उत्तर बंगा लोकल-5, उत्तर बंगा लोकल-8, उत्तर बंगा लोकल-9, उत्तर बंगा लोकल-13, उत्तर बंगा लोकल-18, उत्तर बंगा लोकल-19, लाल ध्यापा, लागी धन, मालशिरा	असम कृषि विश्वविद्यालय एवं एनआरआरआई—आईसीएआर
राजा साली, कागा मिमा, नासिंगकेट, पुराजोनी, मिकाटचु, मिमिटिम, जाहा सिमाइल, पाइचोंग, अर्निंगका, मिनिल, मालसिरा, वयिफिर, फाजु, आईडीएडब्ल्यू—1	असम कृषि विश्वविद्यालय, असम एवं आईसीएआर—एनईएच, नागालैंड
हौसिर, एएसओ, नापि फोउ, संग संगबा, सिपिबुह, मिकोरोरो—ए, फौरैल फौजाओ, नेपाड़े—ए, लांगफोउ चाखाओ, सराए नाप, काहुंगजा—ए, लोंगमझ	असम कृषि विश्वविद्यालय, असम एवं आईसीएआर—एनईएच, मणिपुर

अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

इनके अतिरिक्त खरीफ, 2017 के दौरान अनुरक्षण / गुणचित्रण हेतु 12 संदर्भ किस्में नामतः लचित, बहादुर, लुइत, गितेश, अघोनी, महसूरी, रंजित, मनोहरसाली, स्वर्णा, कटेकीजोहा, स्वर्णा तथा स्वर्णा सब 1 उगाया गया।

3.1.4 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयमबत्तौर

वर्ष 2017–18 के दौरान कृषकों के तीन किस्मों नामतः थोम्बे, बास जिनिया तथा रक्ताशाली का गुणचित्रण किया गया। डॉ. एल. वी. सुब्बा राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी (डीयूएस), आईआईआरआर, हैदराबाद ने जुलाई, 2017 निगरानी दौरे के तहत डीयूएस परीक्षण खेतों का दौरा किया और खेतों के रखरखाव की सराहना की।



इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 के दौरान आईआईआरआर से प्राप्त 22 चावल



किस्मों जैसे जगतियाल साम्बा (जेजीएल 3844), कुन्नारा सन्नालु (केएनएम 118), प्रथियुम्मा, सोमनाथ (डब्ल्यूजीएल 347), शीतल (डब्ल्यूजीएल 283), रामप्पा (डब्ल्यूजीएल 23985), सिद्धी (डब्ल्यूजीएल 44), जेजीएल 11118, केएनएम 110, गंगावती सोना, वीएल-धान—157, वीएल-धान—68, पंत बासमती—1, पंत बासमती—2, प्रताप सुगंधा—1, केएमपी—105, बलशमुथी, आरसी मनीफोउ—11, कैआरएच—4, एआरबी—6, सीएसआर—43 तथा आरसी मनीफोउ—12 का अनुरक्षण प्रजनन सह गुणचित्रण किया गया। इस संदर्भ में पादप तथा बीज के आकृतिमूलक गुणों का प्रलेखन किया गया और डाटा शीट तैयार किया गया।

3.1.5 भाकृअनुप—राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

केन्द्र की उल्लेखनीय प्रगति

- प्रथम वर्ष के परीक्षण :** डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष के परीक्षण हेतु 50 प्रत्याशी किस्मों तथा 50 संदर्भ किस्में प्राप्त हुईं। इस सेट को दिनांक 21.06.2017 को नर्सरी में बोया गया तत्पश्चात 21.07.2017 को निर्धारित खेत में प्रतिरोपित किया गया।
- दूसरे वर्ष के परीक्षण :** दूसरे वर्ष के डीयूएस परीक्षण हेतु 09 प्रत्याशी किस्मों के एक सेट के साथ 31 संदर्भ किस्में प्राप्त हुईं। इन किस्मों को दिनांक 19.06.2017 को नर्सरी में बोया गया तत्पश्चात 19.07.2017 को मानक डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार दो क्रम रहित भूखण्डों में प्रतिरोपित किया गया। डीयूएस परीक्षण से संबंधित सभी विशेषताओं को दर्ज किया गया।



- वीसीके के 09 तथा 18 संदर्भ किस्मों का एक सेट डीयूएस परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ। इस सेट को दिनांक 21.06.2017 को बोया गया तत्पश्चात 21.07.2017 को खेत में प्रतिरोपित किया गया।
- कृषकों के 97 किस्मों (किसानों के 125 किस्में, जिनमें से 28 का अंकुरण नहीं हुआ) के एक सेट को दिनांक 19.06.2017 को बोया गया और दिनांक 21.07.2017 को प्रतिरोपित किया गया।

खरीफ 2017 में डीयूएस परीक्षण के लिए उपरोक्त प्रयोग किया गया जिसके अनेक विशिष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रत्याशी एवं वीसीके के दावे किए गए समूहीकरण विशेषताएं प्रजनक द्वारा दावा की गई विशेषताओं से पूर्णतः मेल खाती हैं।

सभी आंकड़ों का आकृतिमूलक से जैवरसायनिक तक के विश्लेषण किए गए। इन आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत कर पीपीवी एवं एफआरए को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, दूसरे वर्ष में 09 प्रत्याशी किस्मों का एक अन्य सेट के साथ 31 संदर्भ किस्मों का परीक्षण किया गया। प्रथम वर्ष की तुलना में किसी भी विशेषता में कोई भिन्नता नहीं पायी गयी। मॉनीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार फसल का ठहराव अच्छा था। कुल 46 किस्मों में हरे रंग की नुकीली शीथ पायी गयी, जब कि जीके120, एनपी10026, एमआर8666, पीएन 5047 में रंगविहीन नुकीली शीथ हैं। तीन किस्मों जैसे आर834एफ, आरए403एफ, एमआर8666 में छिलका उतारा हुए धान्य जैसा हल्के भूरे रंग की नुकीली शीथ होती हैं। परीक्षित अधिकांश किस्मों में तने की लम्बाई मध्यम (111–130 से.मी.) स्तर की है। इन सभी किस्मों में से केवल 17 किस्मों में ही शूक विद्यमान हैं।

सीआर धान 404 में 1000 धान्य का अधिकतम भार पाया गया यानि 32.0 ग्रा। तीस (30) में धान्य की लम्बाई मध्यम (8.6–10.5 मि.मी.) पायी गयी जब कि 20 किस्मों में धान्य की कम (6.1–8.5 मि.मी.) लम्बाई देखी गयी। लगभग सभी किस्मों में प्रति पौध पुष्पगुच्छों की संख्या मध्यम स्तर (11–20) की रहीं। तीस (30) किस्में फेनॉल के प्रति सकारात्मक पाए गए। सहभागी धान में एमीलेज की उच्चतम प्रतिशत देखी गई और इसके बाद का स्थान एनपी 9862 का रहा है जिसमें एमीलेज 26.02 प्रतिशत दर्ज किया गया।

अद्धारह (18) संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 9 वीसीके किस्मों का परीक्षण किया गया। इन किस्मों में हरे रंग की नुकीली शीथ विद्यमान है। सभी 9 किस्मों में से तने की अधिकतम लम्बाई (96.4 से.मी.) आर 849 किस्म में पायी गई और इसके बाद का स्थान आर915 (95.6 से.मी.) का रहा है। इन सभी किस्मों में से दो किस्मों आर 874 तथा आर 909 एफ में शूक पाए गए हैं। एक हजार (1000) धान्य का अधिकतम भार एमसी 13 (28 ग्रा) और डीआरएच 836 (26 ग्रा.) में दर्ज किया गया। धान्य की अधिकतम लम्बाई 10.31 मि.मी. आर 818 एफ में पायी गई और इसके बाद का स्थान क्रमशः एमसी 13 (9.48 मि.मी.), डीआरएच 836 (9.0 मि.मी.), आर 871 एफ (8.94 मि.मी.) तथा आर 909 एफ (8.93मि.मी.) का रहा है। आर 909 एफ तथा अक्षया किस्मों में प्रति पौध पुष्पगुच्छों की संख्या अधिक (> 20) पायी गयी है। एक किस्म आर 818 एफ में काफी लम्बे > 30 से.मी. पुष्पगुच्छ पाए गए हैं। किस्मों जैसे आर 871 एफ, आर 874 एफ, एमसी 13 तथा डीआरएच 836 में भी लम्बे (26–30 से.मी.) पुष्पगुच्छ पाए गए हैं। सात किस्में फेनॉल के प्रति सकारात्मक पायी गयी हैं। किस्मों जैसे डीआरएच 836, अक्षया तथा आर 871 एफ में एमीलेज का उच्च प्रतिशत क्रमशः 21.75, 21.15 तथा 20.77 देखी गयी। प्रत्याशी किस्मों तथा वीसीके की तुलना में उगाए गई संदर्भ किस्मों जिनमें दावे की गई विशेषताओं की पूर्ति होती हैं उन्हें जीन बैंक में संरक्षित किया गया है। उपयुक्त प्रारूप में डाटा को दर्ज कर प्राधिकरण को भेजा गया है। समस्त आकृतिमूलक एवं जैवरसायनिक डाटा को उपयुक्त रूप से दर्ज कर कम्प्यूटरीकृत किया गया।

कृषकों की 97 किस्मों के एक सेट का परीक्षण किया गया और समस्त डाटा का आकृतिमूलक से जैवरसायनिक स्तर तक विश्लेषण किया गया। बैंगनी रंग की नुकीली शीथ 13 किस्मों में, दो किस्मों में रंगविहीन नुकीली शीथ तथा शेष में हरे रंग की शीथ पाई गई। समस्त किस्मों में से 21 किस्मों में शूक पाए गए, 97 किस्मों में से 25 किस्मों में तने की अधिकतम लम्बाई 131–150 से.मी देखी गई और 13 किस्मों की तने की लम्बाई बहुत ही कम (ढ 91 से.मी.) पायी गयी। बैंगनी रंग की नुकीली शीथ गाली किस्मों में स्टिग्मा, नॉड, इन्टरनॉड हैं तथा सिरे का रंग बैंगनी रंग में है। चिंगरी बाबा, चिरीगुरी हाल्का, कोरया तथा सिमरी कोंटा किस्मों में लम्बे शूक (3–4 से.मी.) पाए गए हैं।

कृषकों के समस्त किस्मों में से बारून पीडी किस्म के 1000 धान्य का भार अधिकतम पाया गया। परमल पीआर तथा गोपाल 1 किस्मों में धान्य की लम्बाई अधिकतम क्रमशः 10.60 मि.मी. तथा 10.04 मि.मी. पायी गयी। इसी प्रकार, राधुनी पागल (5.88 मि.मी.) राधुनी पोगोल (5.49 मि.मी.) धान्य की लम्बाई न्यूनतम दर्ज की गई। आका (32), अस्कलमा पीडी 2 (21–23), बलाय (23–25), चिंगरी बाबा (25–27), कर्पूर सुन्या दाहर (20–22), करानी बीएल (20–22) और सीता गंगसैर (23–24) में तुलनात्मक रूप से प्रति पौध पुष्पगुच्छों की संख्या अधिक पायी गई। घोरा (28.27), डुगी गोरा (27.90), भंगानी बीएल (27.52), गंजाय जटा बाबा (26.92) तथा सीता बाला गोडा (27.90) किस्मों में एमीलेज की प्रतिशत अधिक पायी गई। किसानों की किस्मों की इस सूची में केवल 6 किस्में ही सगंधीय हैं।

खरीफ 2017 में डीयूएस परीक्षण का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	किस्म	किस्मों की सं.	प्लॉट नं.	बुवाई की तारीख	रोपण की तारीख
1.	प्रत्याशी (द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण)	09	N ₁ e (Rep-I & II)	21/06/2017	19/07/2017
	संदर्भ	31			
2.	किसानों की किस्म	97	N ₁ d (Rep-I & II)	19/06/2017	19/07/2017
3.	प्रत्याशी (प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण)	50	N ₁ c (Rep - I)	21/06/2017	21/07/2017
	संदर्भ	50			
4.	प्रत्याशी (प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण)	50	N ₁ b (Rep - II)	21/06/2017	21/07/2017
	संदर्भ	50			
5.	वीसीके	09	N ₁ a (Rep- I & II)	21/06/2017	21/07/2017
	संदर्भ	18			
6.	पुष्पगुच्छ संतति	27	N1a, N1b, N1c	19/06/2017	21/07/2017

एनआरआरआई—राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को कृषक अधिकार पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि—जैवविविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें तीन राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा झारंखंड से 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. टी. महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप; श्री एस. के. पटटनायक, सचिव, डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू; अध्यक्ष, पीपीवी एण्ड एफआरए तथा विकास आयुक्त, ओडिशा सरकार उपस्थित हो कर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा जिससे इसकी काफी सराहना हुई।


3.1.6 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रथम वर्ष में चावल के 402 किस्मों को परीक्षण के लिए रखा गया जिनमें से 8 किस्मों में अंकुरण नहीं हुआ है। वे किस्में इस प्रकार हैं—(पंजी/2017/625) लोनागी रामसिया, (पंजी/2017/721) इरपाची धान, (पंजी/2017/754) करधाना सरोज, (पंजी/2017/1148) सुरेश लाल धान, (पंजी/2017/1156) बनपुर धान, (पंजी/2017/1167) सेट भादायनु, (पंजी/2017/1229) भौंरी ब्रजेश तथा (पंजी/2017/1230) लोंगी सेवक।



3.1.6 कृषकों की किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए भूखण्ड का तकनीकी विवरण

- जोड़ी पंक्तियों के एक सेट के दो पंक्तियों के बीच की दूरी : 30 से.मी.
- एक जोड़ी पंक्तियों के एक सेट और दूसरे सेट के बीच की दूरी : 45 से.मी.
- एक पंक्ति में दो टीलों के बीच की दूरी : 20 से.मी.
- पौध समशिट : 20 टीलें/पंक्ति
- किसानों की प्रत्येक किस्म को जोड़ी पंक्तियों के दो सेटों में रोपित किया और प्रत्येक सेट को दो बार दोहराया गया अर्थात प्रत्येक किस्म के 4 सेट यानि 160 टीलें।
- डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक दोहराव में क्रम रहित रूप से चुने गए 10 पौधों से संबंधित डाटा दर्ज किया जाएगा।
- ग्रो—आउट—टेस्ट के दौरान किसानों की विशिष्ट किस्मों की पहचान की गई जैसे पंजी/2017/288 तथा पंजी/2017/289 (वन्य प्रकार के), कुछ किस्में उच्च उपज वाले हैं जैसे पंजी/2017/580, पंजी/2017/186, पंजी/2017/351, पंजी/2017/180, पंजी/2017/887, पंजी/2017/267, पंजी/2017/836, पंजी/2017/442, पंजी/2017/831, पंजी/2017/653।



3.1.7 भाकृअनुप—भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल

फसलवार प्रगति इस प्रकार है :

3.1.7.1 ब्रेड व्हीट (चपाती गेहूं)

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल गेहूं एवं जौ के डीयूएस परीक्षण के लिए एक नोडल केन्द्र है। पीपीवी एवं एफआरए के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण हेतु गेहूं एवं जौ को बोया गया। वर्ष 2017–18 की फसल अवधि के दौरान, गेहूं के 10 प्रत्याशी किस्मों {गेहूं (ब्लू), रंगीन गेहूं (ब्लू–2), रंगीन गेहूं (ब्लू–3), रंगीन गेहूं (बिंगनी), रंगीन गेहूं (ब्लाक), एनएबीआईएमजी 10', एनएबीआईएमजी 11', एनएबीआईएमजी 12', एचडीसीएसडब्ल्यू 16, एचडीसीएसडब्ल्यू 18} तथा नए वर्ग (परीक्षण के दूसरे वर्ष) के अंतर्गत किसानों की 3 किस्मों (मोहित गोल्ड, सोनाली—केएडब्ल्यू तथा गोहोम) का डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत 29 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध तीन प्रतिकृतियों के साथ परीक्षण किया गया।



परिशुद्धिकरण हेतु ग्रो—आउट टेस्ट के लिए कृषकों की 67 किस्मों (परीक्षण के प्रथम वर्ष) को उगाया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सूचनाओं को एकत्रित किया गया और संकलन कार्य जारी है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान अनुरक्षण प्रजनन / गुणचित्रण की प्रगति निम्नानुसार है—

गेहूं	
नया प्रथम वर्ष	एनएबीआई एमजी 10*, एनएबीआई एमजी 11*, एनएबीआई एमजी 12*
नया द्वितीय वर्ष	एचडीसीएसडब्ल्यू 16, एचडीसीएसडब्ल्यू 18, रंगीन गेहूं (नीला), रंगीन गेहूं (नीला–2), रंगीन गेहूं (नीला–3), रंगीन गेहूं (बिंगनी), रंगीन गेहूं (काला)
वीसीके	शून्य
किसानों की किस्में (गुणचित्रण / शुद्धिकरण)	वंशी मुकेश, गेहूं गुलजार, बादाम, त्रिपति लाली, एसकेएफ—सीएन 5, मंडी, एसकेएफ—डब्ल्यूए 2022, एसकेएफ—डब्ल्यूए 462 (वामन), एसकेएफ—डब्ल्यूए 6058, गेहूं सरबती पीली, ब्रिटा सुजीत, बेटाइया, सफेशी नागेन्द्रा, सफेदाजोखु, गोरखनाथ नं. 1, आजाद, पटेल—10, गुहुम, एसकेएफ—डब्ल्यूए 6051, पालक, शेतायी, गेहूं सीताबाई, शरबती राजपाल, सुकलाल गेहूं, गेहूं सिपातिया, सेहवा पीली गेहूं मुकेश, सरबती कालूराम, खारिया, बारका, पंच हीरा, चुर्का सफेदी गुरु, स्मृति, महाराजपुरा गेहूं सोनालिका, गेहूं पासी, हेमा, चपातिया, सककूह, चातक, सेहरा, श्रीमन गेहूं, नंदराम गेहूं, मंगला 1, गजब, मंगला रामजी, सेहरिया, श्याम, मंगला अजय, गेहूं लाल मुंडिया (जीकेएसएस गेहूं–1), गेहूं सफेद मुंडिया (जीकेएसएस गेहूं–1), गेहूं झुनसिया (जीकेएसएस गेहूं–3), सरबती फूल सिओरी, गेहूं चंद्रभान, काथिया मुक्ता, एसकेएफ—डब्ल्यूडी—7003, अमरी गेहूं नीम्हा काथिया संकर, बिलास, शोडा, सूरजमणी, उलोचना
कृषकों की किस्में (डीयूएस परीक्षण)	मोहित गोल्ड, सोनालिका—केएडब्ल्यू, गोहोम, लाम्हरवान गेहूं काथिया देसी गेहूं

3.1.7.2 जौ



वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षणों के अंतर्गत किसानों के कुल 17 जौ किस्मों का परीक्षण किया गया। किसान की किस्म भगत जौ–1 (ग्रो–आउट टेस्ट के लिए) तथा गुणचित्रण एवं समूहीकरण विशेषताओं के लिए किसानों की 16 किस्मों को उगाया गया। डीयूएस की 32 विशेषताओं के वैधीकरण के लिए 99 संदर्भ किस्मों को भी उगाया गया।

डॉ. एस.एम.एस. तोमर, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, अनुवांशिकी प्रभाग, आईएआरआई की अध्यक्षता में डॉ. टी. के. नागरला, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, डॉ. अरुण गुप्ता, नोडल अधिकारी (डीयूएस गेहूं) तथा सह–नोडल अधिकारी डॉ. चरण सिंह, आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल का एक दल ने दिनांक 04.04.2018 को आईआईडब्ल्यूबीआर में डीयूएस गेहूं की निगरानी की।

पीपीवी एवं एफआरए के दिशानिर्देशों के अनुसार भूखण्डों को व्यवस्थित किया गया। प्रत्याशी किस्मों तथा संदर्भ किस्मों को तुलनात्मकता के लिए बगल बगल में उगाया गया। 432 संदर्भ किस्मों के साथ साथ 119 उदाहरण किस्मों को आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल में रखरखाव किया जा रहा है। डीयूएस परीक्षणों का समग्र निष्पादन अच्छा रहा है। फसल साप्ट डौ अवस्था में पायी गई और डीयूएस परीक्षणों में अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में मॉनीटरिंग के दौरान दावा की गई सभी विशिष्टताएं पाई गईं। किसानों की किस्मों में अत्यधिक मिक्चर देखा गया।

3.1.7.3 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

फसलें	वर्ष 2017–18 में रखरखाव प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम एवं संख्या
गेहूं	रिलीज की गई किस्में (ऐस्टिवुम) रिलीज की गई किस्में (झूरम एवं डिकोकम) रिलीज की गई किस्में (1965 से पूर्व) उदाहरण किस्में
जौ	संदर्भ एवं उदाहरण किस्में
	— 264 — 36 — 58 — 119 — 99

3.1.8 भाकृअनुप–भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

मक्का की संदर्भ किस्मों, अंतःप्रजनन वाले वंशक्रमों तथा मक्का संकरों (एकल संकरण, त्रिकोणीय संकरण आदि) के बीज उत्पादन का रखरखाव जिन्हें डीयूएस परीक्षण में उपयोग किया जा रहा है, के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी तथा वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य पौधों/समर्शिटयों की संख्या के उपयोग से सेल्फिंग के माध्यम से रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रजनन समूह या संस्थान जो जीनप्ररूपों को विकसित किया है, वह आनुवांशिक अखण्डता तथा निर्धारित समय अवधि तक जीनप्ररूपों के रखरखाव के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। अतः एआईसीआरपी केन्द्रों/अनुसंधान संस्थानों

विवरण	परीक्षण के अंतर्गत नई प्रविष्टियां				वीसीके (एक वर्षीय परीक्षण)	
	स्वाभाविक वंशावलियां		संकर		स्वाभाविक वंशावलियां	संकर
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
सार्वजनिक	-	-	3	3	-	-
व्यक्तिगत	22	25	18 [16+2]	25 [21+4]	2	3 [2+1]
किसानों की	-	-	-	-	-	-
उप–योग	22	25	21 [19+2]	28 [24+4]	2	3 [2+1]
योग	47		49 [43+6]		5 [4+1]	

जिन्होंने अंतःप्रजनन वाले वंशक्रमों और/या किस्मों (ओपीवी/संकर) को जारी किए हैं, उन्हें संदर्भ प्रविष्टियों के रखरखाव का दायित्व दिया गया है।

वर्तमान ऋतु के अंत में सभी संबंधित व्यक्तियों या अनुसंधान संस्थानों या एआईसीआरपी केन्द्रों से अनुरोध किया गया है कि संदर्भ किस्मों का पर्याप्त परिमाण में बीजों का उत्पादन करें और डीयूएस परीक्षण में उपयोग की जा रही सभी संदर्भ प्रविष्टियों के प्रजनक बीजों को प्रस्तुत करें।

3.1.9 भाकृअनुप—भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

ज्वार के डीयूएस परीक्षण के लिए भाकृअनुप—भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान एक नोडल केन्द्र है और एमपीकेवी, राहुड़ी सह—नोडल केन्द्र है। इसमें डॉ. हरिप्रसन्ना, के./डॉ. अमासिद्धा, बी एवं सी. दीपिका, वैज्ञानिक समिलित हैं।

3.1.9.1 वर्ष 2017–18 के दौरान प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण संबंधी विवरण

फसलें	नई		वीसीके	कृषक किस्में	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष प्रविष्टि	द्वितीय वर्ष प्रविष्टियाँ			
खरीफ 2017	1	11	-	42*	07.09.2017
रबी 2017–18	-	2	-	7**	13.03.2018

(*सभी रबी प्रकार की हैं, इसलिए रबी 2017–18 के दौरान दोबारा रोपण किया गया)

(**दूसरे वर्ष के लिए परीक्षित)

लगभग सभी प्रत्याशी किस्मों में समग्र फसल वृद्धि तथा आकृतिमूलक विशेषताओं की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी रही है; कुछ प्रत्याशी किस्मों जैसे जीके 4060, जीके 4063, डीजे 2233, स्टार, एमएलएसएफआर 0300, एमएलएसएफआर 0179, एमएलआर 0210एमएलबी 0092 तथा एमएलबी 0052 में दावा किए गए गुणों की अवस्था तथा देखी गई अवस्था में थोड़ा अन्तर पाया गया है। मॉनीटरिंग कमेटी पायी गई स्थिति से सहमत है; किसानों की सभी किस्में रबी प्रकार के हैं और इनका परीक्षण आने वाली रबी ऋतु में किया जाना है।

रबी 2017–18 : सभी प्रविष्टियों में समग्र फसल वृद्धि तथा आकृतिमूलक विशेषताओं की अभिव्यक्ति और परीक्षण का प्रबंधन कार्य बहुत ही अच्छा रहा है; फसल अवधि के दौरान अत्यधिक ठण्डी स्थितियों के कारण कुछ प्रविष्टियों में अत्यधिक टिल्लरिंग देखी गई है। अब तक दर्ज की गई सूचनाओं में एसवाईएन—एसआर—डीजे 4062 किस्म में एक गुण को छोड़कर दोनों ही प्रत्याशी किस्मों में दावा किए गए गुणों में कोई अन्तर नहीं है; दुदानिया हरि और छोटे ज्वार में अंकुरण बहुत ही कम हुआ है जब कि भदेली ज्वार भुवन में यह शून्य रहा है; किसानों की कुछ किस्मों में ऑफ टाइप्स देखे गए जब कि कुछ किस्मों में ऑफ टाइप्स की संख्या काफी अधिक थी।

किसानों की कुछ किस्में आकृतिमूलक रूप से समान पाई गई जैसे ज्वार गनपत और विछुआ ज्वार सम्पत, मलागर और झलारी चाक, ज्वार की और ज्वार की महर्सा, ज्वार गाजर, ज्वार मेहताप और ज्वार संतलाल।

2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्में
2077ए, 2077बी, 2219ए, 2219बी, 27ए, 27बी, 296ए, 296बी, IMS 9ए, IMS 9बी, एकेएमएस 14ए, एकेएमएस 14बी, 7ए, 7बी, एकेएमएस 14ए, एकेआर 150, 104 ए, आरएस 585, एमएस 7ए, आरएस 627, सी 43, सीएस 3541, सीएसवी 12आर, सीएसवी 29आर, सीएसवी 7आर, सीएसवी 8आर, डीएसवी 5, एम 35-1, परभणी मोती (1411), फुले रोहिणी, फुले सुचित्रा, फुले उत्तरा, एसएसजी 593, आईसीएसबी 467, पंतचारी 6, डीजे 6514, बागदल पीली ज्वार, भोगल गोल ज्वार, बारिश ज्वार, कोदामुर्का जोला (कोदामुर्का बुंडुडेनी), अफजापुर लोकल, रामपुर लोकल, एसपीएसएसवी 30, आरएस 647, सीएसएच 14, सीएसएच 15, सीएसएच 23, आईसी 568477, आईएस 18541, आईएस 40107, आईएस 3920, आईएस 3828, आईएस 2806, आईएस 965, आईएस 1025, आईएस 1067, आईएस 11, आईएस 12, आईएस 37, आईएस 25040, आईएस 62, आईएस 3457, आईएस 3589, आईएस 22361, आईएस 67, आईएस 74, आईएस 1079, आईएस 158, आईएस 190, आईएस 60, आईएस 170, आईएस 206, आईएस 3076, आईएस 10284, आईएस 19303, आईएस 1481

3.1.9.2 अनुरक्षण/गुणचित्रण के अधीन किस्में : 76



रिपोर्ट वर्ष 2017–18 के दौरान, खरीफ और रबी ऋतु प्रत्येक में 2 परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। खरीफ ऋतु के दौरान ज्वार के कुल 12 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किया गया और ऋतु के दौरान 2 प्रत्याशी किस्मों तथा किसानों की 7 किस्मों को संबंधित संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षण किया गया। रबी ऋतु के दौरान पीपीवी एवं एफआरए से प्राप्त किसानों की 42 किस्मों को भी डीयूएस गुणचित्रण हेतु रोपित किया गया। एनफोर्सेंड सेलिंगं/नियंत्रित परागन के अंतर्गत रबी 2017–18 के दौरान 76 संदर्भ किस्मों (ओपीवी/पैतृक वंशक्रम/संकर/आईएस लाइन्स) का अनुरक्षण प्रजनन कार्य किया गया। ज्वार एवं

बाजरा के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु 07 सितम्बर, 2017 को डॉ. सी. एल. एल. गौड़ा, पूर्व उपमहानिदेशक, इक्रीसैट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। दिशानिर्देशों के संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया और डीयूएस विवरणों के लिए सचित्र उदाहरणों के साथ पीपीवी एवं एफआरए को प्रस्तुत किया गया।

3.1.9.3 केन्द्र से प्रकाशित साहित्य

- हरिप्रसन्ना के., पी. सुरेश, अमासिद्धा बी. एवं दीपिका सी। ज्वार में डीयूएस परीक्षण की स्थिति तथा दिशानिर्देशों की समीक्षा। परियोजना समन्वयक की रिपोर्ट में, वार्षिक ज्वार समूह की बैठक—2018, ज्वार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, भाकृअनुप—भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद 500030, भारत, पृ.सं. 28–35।
- वैकटेश भट बी., अरुणा सी., हरिप्रसन्ना के., अविनाश सिंगोडे, सूरगन्ना डी., अमासिद्धा बी., दीपिका सी. रघुनाथ कुलकर्णी एवं सुरेश पी। 2018। न्यूकिलयस एवं ब्रीडर बीज उत्पादन, मेघा सीड प्रोजेक्ट, विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, खरीफ 2017–18। प्रगति रिपोर्ट 2017–18। ज्वार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, 48 वां आम महासभा, आईआईएमआर, आईआईएमआर प्रकाशन सं. 1 / 2018–19, पृ.सं. 1–15।

(http://www.millets.res.in/aicsip17/reports/kh/9-NSP-BSP-MSP-DUS-IPR-PPV_FRA.pdf)

3.1.9.4. पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण—पत्र	विचाराधीन आवेदन
		विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
281	66	43	33	31	78	29

3.1.10 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने एमपीकेवी, राहुरी के अधिकार क्षेत्र में पुणे के कृषि महाविद्यालय परिसर में एक शाखा कार्यालय की स्थापना की। शाखा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिनांक 20.05.2017 को कृषि जैवविविधता को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय ने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पांच जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। नंदरबार जिले के दो स्थानों पर प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- प्रथम कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 08.03.2018 को चिटावी, तालुक नावापुर, जिला—नंदरबार में आयोजित किया गया और इसमें लगभग 190 किसानों ने भाग लिया।
- दूसरा कार्यक्रम दिनांक 09.03.2018 को वडगांव, तालुक शहादा, जिला—नंदरबार में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 139 किसानों ने भाग लिया।

प्रक्षेत्र तालाब में रेन फोर्स्ड एचडीपीई जीयो मेम्बरेन 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म लगाने का कार्य पूरा किया गया। तालाब का आमाप 80.60 मीटर लंबाई ग 44.50 मीटर चौड़ाई ग 7 मीटर गहराई है। यह कार्य पीपीवी एवं एफआरए से प्राप्त 5 लाख रुपयों के अनुदान सहायता से पूर्ण किया गया। डीयूएस केन्द्र की उल्लेखनीय प्रगति निम्नलिखित है:

3.1.10.1 वर्ष 2017–18 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

क्र. सं.	फसलें	नई		वीसीके		एफवी		निगरानी की
		प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	तारीख
1	ज्वार खरीफ रबी	01 -	11 02	- -	- -	- 42	- 07	07.10.2017 24.03.2018
2	बाजारा	23	10	04	-	04*	-	07.10.2017
3	चना	-	-	-	-	32	-	21.02.2018

3.1.10.2 निगरानी दल (ज्वार) का पर्यवेक्षण

- खरीफ ऋतु के दौरान परीक्षित किसानों की किस्में रबी अनुकूल पाई गई, अतः उनका परीक्षण रबी ऋतु में किया गया।
- खरीफ और रबी ऋतुओं के दौरान परीक्षित कुछ प्रत्याशी किस्मों में, दावा किए गए तथा देखे गए कुछ गुणों में हल्का सा अंतर पाया गया।
- रबी ऋतु के दौरान दुनिदिनिया हरी में बहुत ही कम अंकुरण देखा तथा और छोटे ज्वार एवं बधेली ज्वार भुवन (किसानों की किस्में) में कोई अंकुरण नहीं देखा गया।



3.1.10.3 निगरानी दल (बाजरा) का पर्यवेक्षण

- बाजरा के किसानों की तीन किस्में कसकरा, मुकी-पी तथा अकुम्बा ज्वार की किस्मों के रूप में पाया गया।
- कुछ प्रत्याशी किस्मों में दावा किए गए एवं देखे गए कुछ गुणों में हल्का सा अंतर पाया गया।
- आकृतिमूलक विशेषताओं जैसे, पुष्पगुच्छ का आकार से भ्रांति उत्पन्न होती है जिसे लाइव फोटोग्राफ से परिभाषित किया जाना चाहिए।

3.1.10.4 निगरानी दल (काबुली चना) का पर्यवेक्षण :

- अच्छे परीक्षण कार्य हेतु सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैक्टेसेस का पालन किया गया और खेत को खरपतवार मुक्त रखा गया।
- वाटी चना किस्म में काफी कम अंकुरण देखा गया।

गुणचित्रण के अधीन किस्में (किसानों की किस्में) : इस अवधि के दौरान ज्वार की 42 किस्मों, बाजरा की 01 किस्म तथा काबुली चना की 32 किस्मों का गुणचित्रण किया गया।

3.1.10.5 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन :

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लंबित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
अन्न फसलें	21	22	32	02	-	22	12
छोटे अनाज	-	2	03	-	-	-	03
दलहन	12	11	15	-	-	06	09
तिलहन	9	18	16	03	-	06	13
चारा	6	7	-	-	-	-	-
नगदी फसलें	12	10	11	05	-	06	10
सब्जी फसलें	28	15	07	03	-	02	08
फल	5	5	06	01	-	-	07
बागवानी फसलें	4	5	09	-	-	-	09
कुल	97	94	100	14	-	42	71

3.1.11 भाकृअनुप-केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

डीयूएस परीक्षण गतिविधि के प्रारंभ से ही सीआईसीआर, नागपुर कपास के लिए एक सह नोडल केन्द्र है।

वर्ष 2017–18 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण निगरानी दल ने पाया कि डीयूएस परीक्षण क्षेत्र का प्रबंधन उत्कृष्ट एवं



नई		वीसीके	ईडीवी / आईवी	तारीख
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
4	4	2	1 ईडीवी एवं 1 आईवी	26.10.2017

कपास किस्मों का प्रबंधन कर रहा है। पांच भिन्न परीक्षण किए गए जिनमें परीक्षण के प्रथम वर्ष में 4 जीनप्ररूप, दूसरे परीक्षण वर्ष में 4, वीसीके के अंतर्गत 2 और एसेंसिएली डिराइव वैरायटी और इनिशियल वैरायटी प्रत्येक के 1 और संदर्भ किस्मों के अंतर्गत 12 किस्मों का परीक्षण किया गया। उपर्युक्त जीनप्ररूपों के पौधे, फूल, बॉल, लिंट, तथा बीज के गुणों की सूचनाएं प्राप्त कर ली गईं और आंकड़ों का प्रलेखन किया जा रहा है। क्लेस्टोगामी तथा डबल पेटल्लॉइडे का प्रलेखन नई विशेषताओं के रूप में किया गया जिन्हें अगली ऋतु के दौरान उनके स्थायीत्व के अध्ययन हेतु चयन किया गया। निगरानी कार्य दिनांक 26.10.2017 को डॉ. फुंदन सिंह, पूर्व निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर की अध्यक्षता में तथा डॉ. श्रीनिवास देसाई, पंजीकार एवं पीपीवी एवं एफआरए के प्रतिनिधि के अधीन किया गया।

3.1.12 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, प्रादेशिक केन्द्र, भटिंडा

यह कपास के डीयूएस परीक्षण हेतु एक सह—नोडल केन्द्र है। निम्नलिखित किस्में परीक्षण के अधीन हैं :

- प्रत्याशी किस्म : एनीसएस.904 बीटीए आरसीएच 602 बीजी.प्प एसवीए.371ए एसवीए.145ए एसवीएजीएमएस.47ए केआर.111ए एसडब्ल्यूसीएच 4704 बीजी प्प बीआईओ 54510ए बीआईओ 6165.2 बीजी प्प
- संदर्भ किस्म : अबाधिता, एल 604, जेएलएच 168, एमसीयू 5, वीना, एकेए 7, ज्वाहर ताप्ति, जेके 4, पीकेवी रजत, बडनावार-1, जीएसएचवी112

डॉ. के. रतिनावल, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर प्रादेशिक केन्द्र, कोयम्बतूर की अध्यक्षता में निगरानी दल ने दिनांक 21.09.2017 को इस स्टेशन का दौरा किया। निगरानी दल के पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएं :

- परीक्षण स्थल का लेआउट और रखरखाव बहुत ही अच्छा पाया गया है। एसवीए 145 तथा ज्वाहर ताप्ती में कोई अंकुरण नहीं हुआ है, अतः पौध समिक्षण शून्य रही है।
- अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में फसलों की वृद्धि तथा आकृतिमूलक गुणों की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी रही है।
- डीयूएस परीक्षण दिशा—निर्देशों के अनुसार आंकड़े दर्ज किए गए।
- प्रयोगात्मक खेत की मृदा का स्तर : मृदा संरचना : बलुई दोमट; मृदा पीएच : 8.2; मृदा उर्वरता : नाइट्रोजन की कमी, फारफोरस मध्यम तथा उच्च पोटाशियम; औसत वार्षिक वर्षपात : 430 मि.मी।

3.1.13 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर

आईआईएचआर, बैंगलोर का सब्जी विज्ञान प्रभाग, डीयूएस परीक्षण के लिए एक नोडल केन्द्र है और अधिदेशित फसलें निम्नलिखित हैं : टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी और करेला, कुम्हड़ा, तरबूज, खरबूजा तथा खीरा।

डीयूएस परीक्षण का प्रमुख विवरण निम्नवत है :

फसलें	प्रत्याशी / नई किस्में		वीसीके	एफवी	संदर्भ किस्में	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां				
टमाटर	-	-	-	09	29	27.02.18
बैंगन	-	7	-	39	05	27.02.18
भिंडी	6	2	04	07	14	30.12.18
खीरा	-	-	-	01	11	-
करेला	12	-	-	23	08	अभी आयोजित की जानी है
लौकी	6	-	-	-	06	अभी आयोजित की जानी है
कुम्हड़ा	-	-	-	06	11	-

खरपतवार मुक्त है। गुणों की आकृतिमूलक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी रही है, परंतु ईडीवी एवं आईवी पूर्णतः आकृतिमूलक रूप से भिन्न हैं। केन्द्र 21

फसलवार विवरण निम्नलिखित है :

3.1.13.1 टमाटर : किसानों की 09 किस्मों और 29 संदर्भ किस्मों सहित टमाटर की कुल 38 किस्मों को वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिमूलक गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण हेतु उगाया गया। डीयूएस विशेषताओं के लिए सभी प्रविष्टियों का गुणचित्रण किया गया और डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ओ. पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसल प्रभाग, आईआईएचआर, बैंगलोर की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2018 को सफलतापूर्वक की गई। पांच बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया जिन्होंने अपनी प्रविष्टियों को डीयूएस परीक्षण हेतु पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण कराया।



3.1.13.2 बैंगन : अनुरक्षण प्रजनन हेतु बैंगन की संदर्भ किस्मों को उगा कर बीजों का गुणन किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण तथा आकृतिमूलक गुणचित्रण हेतु 7 नई/प्रत्याशी किस्मों (दूसरी ऋतु) तथा 39 किसानों की किस्मों तथा 30 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। सभी प्रत्याशी/वीसीके तथा किसानों की किस्मों का डीयूएस परीक्षण विवरणकों के अनुसार आकृतिमूलक गुणों के लिए गुणचित्रण किया गया। बैंगन में डीयूएस परीक्षण निगरानी बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 को सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ. ओ. पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसल प्रभाग, आईआईएचआर, बैंगलोर ने की। छह बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया जिन्होंने अपनी प्रविष्टियों को डीयूएस परीक्षण हेतु पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण कराया।



3.1.13.3 मिंडी : डीयूएस के 31 गुणों के लिए नये वर्ग की छह किस्मों, वीसीके की चार किस्मों, किसानों की सात किस्मों तथा 10 संदर्भ किस्मों का गुणचित्रण किया गया और डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ओ. पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसल प्रभाग, आईआईएचआर, बैंगलोर की अध्यक्षता में दिनांक 30 दिसंबर, 2017 को सफलतापूर्वक की गई। बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और दावों की जांच की।



3.1.13.4 खीरा : केवल एक किसान की किस्म, नामतः चिंगजिन थाबी प्राप्त हुई और इसमें 98 प्रतिशत बीज अंकुरण हुआ और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी 29 डीयूएस विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन एवं गुणचित्रण का कार्य रबी 2017 के दौरान किया गया।



3.1.13.5 करेला : वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 31 आकृतिमूलक गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण करने हेतु करेला की 12 किस्मों के साथ 8 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। सभी प्रविष्टियों का गुणचित्रण डीयूएस गुणों के लिए किया गया और फसल पुष्ण अवस्था में है। फलन प्रारंभ होने के पश्चात निगरानी कार्य किया जाएगा और परिणाम देखे जाएंगे।

3.1.13.6 लौकी : वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 31 आकृतिमूलक गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण करने हेतु लौकी की 6 किस्मों के साथ 6 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। सभी प्रविष्टियों का गुणचित्रण डीयूएस गुणों के लिए किया गया और फसल पुष्ण अवस्था में है। फलन प्रारंभ होने के पश्चात निगरानी कार्य किया जाएगा और परिणाम देखे जाएंगे। रबी ऋतु के दौरान किसानों की 23 किस्मों को उगाया गया जिनमें से दो प्रविष्टियों में अंकुरण नहीं हुआ है। एकरूपता की जांच के लिए सामुहिक गुणों के लिए किसानों की 21 किस्मों का गुणचित्रण किया गया। 21 किस्मों में से 12 किस्मों को फल के आकार और रंग के लिए अलग किया गया।

आवेदकों के प्रतिनिधियों ने फसल और डीयूएस निगरानी निष्पादन के प्रति संतोष व्यक्त किया और सुझाव दिया कि डीयूएस निरूपक हों जिसमें परिणामों को दर्ज किया जाए और स्केल के साथ विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए ताकि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए गए परिणामों में एकरूपता हो।

3.1.13.7 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

फसलें	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम एवं संख्या
टमाटर	28 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई -8, आईसीएआर-9 तथा एसएयू-11)
बैंगान	34 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई -7, आईसीएआर-19 तथा एसएयू-15)
भिंडी	19 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई -2, 17- अन्य (आईसीएआर + एसएयू)
खीरा	12 – अन्य (आईसीएआर + एसएयू)
कुमड़ा	11 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई – 1, 10 – अन्य (आईसीएआर + एसएयू)
लौकी	18 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई – 1, 17 – अन्य (आईसीएआर-6 + एसएयू-11)
करेला	16 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई – 1, 15 – अन्य (आईसीएआर-4 + एसएयू-11)

3.1.14 भाकृअनुप—काबुली चना पर एआईसीआरपी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

वर्ष 2017–18 के दौरान केन्द्र ने 32 किस्मों का परीक्षण किया। सूची निम्नवत है :

श्रेणी	वर्ष 2017–18 में डीयूएस परीक्षण किए गए किस्मों का मूल्य वर्ग (डिनोमिनेशन)
किसानों की किस्में	देशी राजेन्द्रा, छोटी गुलाबी, खाजिया धान, खुरारा देवरा, काला चना, कुसुम चना, खाजुआ, राम चना, झोखु खुरपुरा, हलुका, सफेद, खुरहार, वाटी चना, राज चना, मारू चना, राम चना बिछुआ चना, चना कन्हैया, चना सिपातिया रंग, चना कालिराम, चना मिनसी, चना डोंगरिया, मोहन टेंडनी चना, शिवपाल चना, सोमनाथ टेंडनी छोटा चना, गुलाबी जालेगांव, छोटा चना ब्रजभान, डीरु चना, वरापानी चना, उसारी चना, टीका चानी, पोटमी—सीएच

3.1.14.1 केन्द्र अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत निम्नलिखित 139 किस्मों का रखरखाव कर रहा है :

एकेजे 9303-12, एच 82-2, पीडीजी 03, एकेजीएस 1, एचसी-3, पीडीजी 04, अनुराधा, एचसी-5, फूले जी 0027, अन्नेगिरी 1, एचके 1, फूले जी 12, अवरोधी, एचके 2, पीकेवी 4, बीजी 1053, एचके 05-169, पूसा 1088, बीजी 1103,, आईसीसीवी 10, फूले विक्रम, पूसा 256, आईसीसीवी 2, पूसा 1105, बीजी 261, आईसीसीवी 37, पूसा 1108, बीजी 372, आईपीसीके 02-29, पूसा 209, बीजीडी 128, आईपीसीके 04-29, पूसा 240, बीजीडी 72, जाकी 9218, पूसा 244, बीजी 2085, जेजी 12, पूसा 267, बीजी 3043, जेजी 62, पूसा 329, बिदिशा, जेजी 63, पूसा 362, बिरसा चना 3, जेजी 74, पूसा 391, पूसा 408, जेजी 322, पूसा 547, पूसा 413, जेजी 412, राधे, सी 235, जेजी 06, राजास, चापफा, जेजी 11, आरएयू 52, सीएसजी 8962, जेजी 130, आरएसजी 2, सीएसजेडी 884, जेजी 14, आरएसजी 44, सीएसजे 140, जेजी 16, आरएसजी 807, सीएसजे 515, जेजी 218, आरएसजी 888, सीएसजेके 6, जेजी 315, आरएसजी 895, डाहोड़ येलो, जेजीजी 1, आरएसजी 896, डीसीपी 92-3, जेजीके 1, आरएसजी 902, दिग्विजय, जेजीके 3, आरएसजी 931, जीसीपी 101, जेजीके 5, आरएसजी 945, जीसीपी 105, के 850, आरएसजी 959, गुजरात जूनागढ़ ग्राम 3, केएके 2, आरएसजी 963, जीएल 769, केपीजी 59, आरएसजी 973, जीएलके 26155, फूले जी 0517, (कृपा), आरएसजी 974, जीएनजी 1292, केडब्ल्यूआर 108, आरएसजी 991, जीएनजी 146, एल 550, आरएसजीके 6, जीएनजी 1488, एल 552, आरवीजी 202, जीएनजी 1499, महामाया 1, आरवीजी 203, जीएनजी 1581, महामाया 2, राज विजय काबुली चना 101, जीएनजी 2144, एमएनके 1, सदा बहार, जीएनजी 1958, एनबीईजी 119, विहार, जीएनजी 1969, एनबीईजी 47, विकास, जीएनजी 469, पंत जी114, विराट, जीबीएम 2, पंत जी 186, विशाल, जीएनजी 469, पीबीजी 7, विश्वास, जीएनजी 663, प्रताप चना 1, विजय, जीपीएफ 2, पीबीजी 1, गूलक 1, पीबीजी 5
--

3.1.14.2 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

केन्द्र ने पौधा किस्म संरक्षण हेतु काबुली चना के 59 आवेदनों को प्रस्तुत किया जिनमें से 34 प्रमाण—पत्र जारी किए गए और 25 आवेदन लंबित हैं।

3.1.15 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

जेएनकेवीवी, जबलपुर में परियोजना शीर्षक : “पौधा किस्म संरक्षण कानून के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना” के अंतर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2004 को कार्यालय ज्ञापन सं. 1-3 / 2003 / एसडी—वी द्वारा डीयूएस परियोजना प्रारंभ की गई। केन्द्र के लिए निर्दिष्ट फसलें अलसी, मसूर तथा दाल मटर (फील्ड पी) हैं। परियोजना का परिचालन बीज प्रौद्योगिकी केन्द्र, पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर, जे. एन. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर — 482004 (मध्य प्रदेश) में किया जा रहा है। वर्ष के दौरान अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम :

- अलसी, मसूर और दाल मटर का अनुरक्षण प्रजनन तथा संदर्भ / नमूना किस्मों का गुणन

- पीपीवी एवं एफआरए के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस निरूपकों के लिए डाटाबेस की तैयारी और आईआईएनडीयूएस डाटाबेस का अद्यतन
- डीयूएस मौलिक सुविधाओं का रखरखाव

3.1.15.1 अलसी के लिए किए गए कार्य का विवरण

22 संदर्भ किस्मों में से 21 का रखरखाव जेएनकेवीवी, जबलपुर में किया गया है।

गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर अलसी की संदर्भ किस्में

गुण	संदर्भ किस्में
पुष्पण का समय	शारदा, शेखर एवं पावर्ती
दलपुंज का फूल आकार	शारदा, आर 552 तथा नीलम
फूल की आकृति	आर 552, सुरभी तथा मीरा
फूल का रंग	जे 23, गरिमा, पद्मिनी तथा गौरव
फूल का पुष्पदल विन्यास	शेखर, रश्मी तथा आर 552
फूल वैनैशनल रंग	सुरभी, शीला, जीवन तथा नीलम
पुंकेसर का रंग	गौरव तथा किरन
परागकोश का रंग	हिमालिनी, लक्ष्मी 27 तथा रश्मी
पादप वृद्धि प्रकृति	टी 397, सुब्रहा तथा गौरव
पादप ऊँचाई	जेएलएस 9, जे 23 तथा मीरा
बीजकोष का आकार	टी 397, शेखर तथा नीलम
बीजकोष स्फुटन	लक्ष्मी 27 तथा टी 397
बीज रंग	गौरव, सुरभी, स्वेता, नीलम तथा लक्ष्मी 27
बीज आकार	सुरभी, गरिमा तथा नीलम
बीज भार (1000 बीज/ग्रा.)	सुरभी, गरिमा तथा नीलम
तेल तत्व	एस 36, गरिमा तथ पद्मिनी

अलसी की संदर्भ किस्मों का रखरखाव

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	22	गरिमा, गौरव, हिमालिनी, जे 23, जीवन, जेएलएस 9, किरण, लक्ष्मी 27, मीरा, नीलम, पद्मिनी, पार्वती, आर 552, रश्मी, एस 36, शारदा, शीला, शेखर, सुब्रहा, सुरभी, स्वेता तथा टी 397
रखरखाव की गई	21	गरिमा, गौरव, हिमालिनी, जे 23, जेएलएस 9, किरण, लक्ष्मी 27, मीरा, नीलम, पद्मिनी, पार्वती, आर 552, रश्मी, एस 36, शारदा, शीला, शेखर, सुब्रहा, सुरभी, स्वेता तथा टी 397
रखरखाव न की गई	01	जीवन

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव किए गए अलसी की अन्य किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	7	दीपिका, इंदिरा अलसी 29, जवाहर 1, जे 17, जेएलटी 215, कार्तिक, एलसीपी 147

जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई अलसी की कृषक किस्में

पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग
Reg/2017/976	अरसी नौधिया	Reg/2017/667	अलसी प्रेम
Reg/2017/1169	चिकती बाबू	Reg/2017/697	अलसी जाले पांडरे
Reg/2017/1170	बेटल	Reg/2016/311	थीसी
Reg/2017/1182	राहली	Reg/2015/931	अमृत
Reg/2017/1193	सुल्हेड़ा खेला	Reg/2015/950	कुशवा
Reg/2017/1240	लैंकी यमुना	Reg/2015/981	कालजन
Reg/2017/1255	अलसी डॉगरिया अलट्रा	Reg/2016/860	अलिश
Reg/2017/1267	अलसी टखला	Reg/2016/492	गोविंद
Reg/2017/208	शेलवार अलसी	Reg/2016/998	बानुधिया—एलआई
Reg/2017/299	अलसी उत्तम	Reg/2016/1497	धाभ टिसी
Reg/2017/329	मुलापारा अलसी	Reg/2017/383	अलसी सरिता
Reg/2017/350	रुपजहीर अलसी	Reg/2017/606	कारकेली अलसी

रभी 2017–18 के दौरान 22 संदर्भ किस्मों, 7 अन्य किस्मों तथा किसानों की 24 किस्मों के बीजों को 10.11.2017 को बीज प्रजनन प्रक्षेत्र, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जेएनकेवीवी में 5 मीटर लंबी एवं 2 पंक्तियों के बीच 30 सें.मी. की दूरी रखते हुए 5 पंक्तियों में बोया गया, दो दोहरावों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के रखरखाव हेतु सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैविटसेस को अपनाया गया। अंकुरण और पौध समष्टि, विशिष्ट गुणों की उपयुक्त अभिव्यक्ति के साथ अनुकूल पाया गया। सामान्य वृद्धि हेतु पर्यावरणीय स्थितियां अनुकूल रही हैं।

3.1.15.2 मसूर के लिए किए गए कार्य का विवरण

सभी 16 संदर्भ किस्मों का रखरखाव जेएनकेवीवी, जबलपुर में किया गया है। गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर मसूर की संदर्भ किस्मों की सूची :

क्र. सं.	गुण	उदाहरण किस्में
1.	वनस्पति : हरे रंग की अधिकता	वीएल 1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3
2.	तना : एंथोसाइनिन कलर का	के 75, एनडीएल 1, पीएल 4, पीएल 234
3.	पुष्पण का समय	डीपीएल 15, डीपीएल 62, वीएल 4, वीएल 103
4.	पत्ती : रोमिलता	सुब्रीता, रंजन
5.	छोटी पत्ती : आकार	वीएल 1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, पीएल 5
6.	पौधा : वृद्धि की प्रकृति	डीपीएल 15, रंजन, डीपीएल 62
7.	फूल : मानक का रंग	पीएल 4, के 75
8.	पौधा : ऊंचाई	डीपीएल 15, डीपीएल 62
9.	फली : एंथोसाइनिन रंग	डीपीएल 15, डीपीएल 62, आशा
10.	बीज : आकार (1000 बीजों का भार)	पीएल 406, पीएल 234, डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 4, डीपलएल 62, पीएल 5
11.	बीज : आवरण का रंग	डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 4
12.	बीज : टेस्टा मॉट्टलिंग	पीएल 406, के 75
13.	कोटीलेडॉन : रंग	डीपीएल 15, डीपलएल 62

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव की गई मसूर की संदर्भ किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	16	आशा, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3, के 75, एनडीएल 1, पीएल 234, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 406, रंजन, सुब्रिता, वीएल 1, वीएल 4 एवं वीएल 103
रखरखाव की गई	16	आशा, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3, के 75, एनडीएल 1, पीएल 234, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 406, रंजन, सुब्रिता, वीएल 1, वीएल 4 एवं वीएल 103

जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई मसूर की कृषक किस्में

पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग
REG/2016/853	सूर	REG/2017/694	घेवरी मसूरी
REG/2016/2388	उषा 1	REG/2017/763	रोमटी मसूर
REG/2016/2389	तूरी 1	REG/2017/194	मामोक मसूर काली
REG/2017/210	सेवारी मसूर	REG/2017/956	मसूरी टेडुहा
REG/2017/231	काओल मसूर	REG/2017/1017	मार्प मसूर
REG/2017/243	मासरा सतानझिर	REG/2017/1706	मसूरसूरी लोकल भूरा (जीकेएसएस मसूर 1)
REG/2017/301	मसूरखांड	REG/2017/1707	मसूरसूरी लोकल काला (जीकेएसएस मसूर 2)
REG/2017/337	गोरेला मसूर	REG/2017/665	मसूर धानोली

रबी 2017–18 के दौरान 16 संदर्भ किस्मों, किसानों की 16 किस्मों के बीजों को 11.11.2017 को बीज प्रजनन प्रक्षेत्र, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जेएनकेवीवी में 5 मीटर लंबी एवं 2 पंक्तियों के बीच 30 सें.मी. की दूरी रखते हुए 5 पंक्तियों में बोया गया, दो दोहरावों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशा—निर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के रखरखाव हेतु सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैविटसेस को अपनाया गया। काओल मसूर को छोड़कर अंकुरण और पौध समस्ति, विशिष्ट गुणों की उपयुक्त अभिव्यक्ति के साथ अनुकूल पाया गया। सामान्य वृद्धि एवं गुणों की अभिव्यक्ति हेतु पर्यावरणीय स्थितियां अनुकूल रही हैं।

किसानों की मसूर किस्मों का पर्यवेक्षण

संदर्भ किस्मों के साथ किसानों की 16 किस्मों को 11.11.2017 को बोया गया। काओल मसूर के बीजों में अंकुरण नहीं हुआ। किसानों की शेष 15 किस्मों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशा—निर्देशों के अनुसार विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति को दर्ज करने हेतु अवलोकन किया गया।

गुणों की अभिव्यक्ति को दर्ज करने हेतु अवलोकन किया गया।

- एकरूपता : किसानों के सभी 15 किस्मों में ऑफ—टाइप्स की संख्या बहुत ही कम तथा समूहीकरण गुणों के आधार पर समस्तियों में एकरूपता पाई गई।
- विशिष्ट पर्यवेक्षण : संदर्भ किस्मों की भाँति काओल मसूर को छोड़कर किसानों की सभी किस्मों में अंकुरण सामान्य रहा।

3.1.15.3 दाल मटर में किए गए कार्य का विवरण

जेएनकेवीवी, जबलपुर में दाल मटर एवं सब्जी मटर के 16 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। जेनएनकेवीवी में डीयूएस विवरणक अभिव्यक्ति के आधार पर एक सूची उपलब्ध कराई जा रही है :

क्र. सं.	गुण	उदाहरण किस्में
1.	तना : एंथोसाइनिन कलरेशन	एचएफपी, रचना
2.	फोलिएज : रंग	रचना, एचयूपी2, एचयूडीपी15, एचएफपी8909, वीएल3, बी22
3	फोलिएज : वैक्सी ब्लूम	एचएफपी4, एचएफपी8909, कैपीएमआर 400
4	पत्ती : लीफलेट्स	एचयूडीपी15, एचएफपी, रचना, आईपीएफ 99–25
5	पत्ती : एक्सिल कलर	एचयूडीपी 15, रचना, बी22
6	स्टिप्पूल : रैबिट—इयर्ड स्टिप्पूल	डीडीआर 23, बी 22, रचना, एचयूडीपी 15
7	स्टिप्पूल : टाइप	रचना, डीएमआर 7
8	फूल : खिलना (दिन)	अकेल, एनडीवीपी 24, डीडीआर 23, यूडीपी 15, एचएफपी 8909

9	फूल : मानक पंखुड़ी रंग	एचयूडीपी 15, एचएफपी4, बोन्नेविल्ले, 22
10	फली संख्या /एक्रिसल	अर्का अजीत, एचडीपी 15, रचना
11.	फली : टेढ़ापन	रचना, केएफपी 103
12.	फली : बाहरी भाग का आकार	एचएफपी 4, रचना
13	फली : हरे रंग की गहनता	वीएल 3, एचएफपी 8909, डीएमआर 7, अर्केल, एचयूडीपी 15, आईपीएफडी 99–13
14	पौधा : ऊंचाई (से.मी.)	एचएफपी4, केपीएमआर 400, एचयूडीपी 15, एपी1, रचना, केएफपी 103
15	बीज : आकार	एचएफपी, रचना
16.	बीज : सतह	एचयूडीपी 15, रचना, अर्केल, एपी1
17	बीज : बीजपत्र रंग	एचयूडीपी 15, एचएफपी 4, एचएफपी 990
18	बीज : 1000 बीज भार (ग्रा.)	बी 22, रचना, जयंती
19.	बीज : बीजआवरण छोटेदार	एचयूडीपी 15, रचना
20	बीज की त्वचा	एचयूडीपी 15, रचना

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव की गई दाल मटर की संदर्भ किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	20	एपी1, अर्का अजीत, अर्केल, बी 22, बान्नेविल्ली, डीडीआर 23, डीएमआर 7, एचएफपी 4, एचएफपी 8909, एचएफपी 9907, एचयूडीपी 15, एचयूपी 2, आईपीएफ 99–25, आईपीएफडी 99–13, जयंती, केएफपी 103, केपीएमआर 400, एनडीवीपी 24, रचना, वीएल 3
रखरखाव की गई	14	अर्का अजीत, बी 22, अर्केल, आजाद पी 1, डीडीआर 23, एचएफपी 4, एचएफपी 8909, एचयूडीपी 15, एचयूपी 2, आईपीएफ 99–25, जयंती, केपीएमआर 400, रचना, वीएल 3
रखरखाव न की गई	06	बोन्नेविल्ली, एचएफपी 9907, एनडीवीपी 24, डीएमआर 7, आईपीएफडी 99–13, केएफपी 103

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव की गई दाल मटर की अन्य किस्में

अन्य किस्में	संख्या	नाम
कुल	14	वीआरपी 5, जेपी 180, वीआरपी 6, पूसा प्रगति, जीएस 10, ई 6, डीडीआर 27, एपी 31, एपी 4, एपी 3, एपी 2, वीआरपी 7, अगेता 6, जेपी 885

जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई दाल मटर की कषक किस्में

क्र. सं	पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग	क्र. सं	पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग
1.	Reg/2017/806	कालि बत्री संजय	2.	Reg/2017/920	बत्री कालि दानाछोटा

राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैविटसेस के अंतर्गत जेएनकेवीवी, जबलपुर में रबी 2017–18 के दौरान 14 संदर्भ किस्मों तथा 2 किसानों की किस्मों के बीजों को 11.11.2017 को 5 मीटर लंबी एवं 2 पंक्तियों के बीच 50 से.मी. की दूरी रखते हुए 5 पंक्तियों में बोया गया। अंकुरण और पौध समष्टि अनुकूलतम पाई गई। सामान्य वृद्धि एवं गुणों की अभिव्यक्ति हेतु पर्यावरणीय स्थितियां अनुकूल रही हैं।

दाल मटर की कृषक किस्मों का पर्यवेक्षण

राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति दर्ज करने हेतु संदर्भ किस्मों के साथ किसानों की दोनों किस्मों को बोया गया। किसानों की किस्मों को 11.11.2017 को बोया गया।

- एकरूपता : किसानों के दोनों किस्मों में ऑफ–टाइप्स की संख्या बहुत ही कम तथा समूहीकरण गुणों के आधार पर समशिटयों में एकरूपता पाई गई।
- विशिष्ट पर्यवेक्षण : किसानों की दोनों फील्ड पी किस्मों के बीजों की सतह कोमल पाई गई। तथापि, बीज का बड़ा आकार किसानों की किस्म काली बाटारीसंजय में पाया गया।

3.1.16 भाकृअनुप—विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा

आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा मक्का, राजमा और सोयाबीन फसलों के लिए एक सह—नोडल केन्द्र है। प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां निम्नवत हैं :

वर्ष	फसल का नाम	मूल्यांकित वंशक्रम/ किस्मो की संख्या	गुणों की संख्या
2005	मक्का	61 (20 जन्मजात, 11 संकर, 30 मिश्रित)	33
	सोयाबीन	78	20
2006	सोयाबीन	83	20
	मक्का	54 (30 जन्मजात, 14 संकर, 30 मिश्रित)	31
2007	सोयाबीन	11	20
	मक्का	119 (60 जन्मजात, 19 संकर, 40 मिश्रित)	31
2008	सोयाबीन	89	20
2009	सोयाबीन	90	20
	मक्का	43 (12 संकर, 10 मिश्रित, 21 जन्मजात)	30
2010	सोयाबीन	90 (बीज बहुगुणन)	-
	मक्का	42 (12 संकर, 9 मिश्रित तथा 21 जन्मजात)	30
2011	सोयाबीन	90 (बीज बहुगुणन)	
	मक्का	44 (14 संकर, 9 मिश्रित तथा 21 जन्मजात)	30
2012	मक्का	41 (14 संकर, 21 जन्मजात, 6 मिश्रित)	30
	सोयाबीन	91 (बीज बहुगुणन)	-
	राजमा	4 (2 किसान किस्में)	22
2013	मक्का	38 (17 जन्मजात, 15 संकर, 6 मिश्रित)	30
	सोयाबीन	91	रखरखाव
	राजमा	1	-
2014	मक्का	40 (8 जन्मजात, 12 संकर तथा 20 किसान किस्में)	30
	राजमा	3 (दो संदर्भ किस्मों के साथ एक किसान किस्म)	22
2015	मक्का	5 (तीन संदर्भ किस्मों के साथ 2 किसान किस्में)	31
	सोयाबीन	1 किसान किस्म	22
		23	रखरखाव
	राजमा	7 (तीन संदर्भ किस्मों के साथ 4 किसान किस्में)	22
		9	रखरखाव
2016	राजमा	4 (प्रत्याशी + 2 संदर्भ)	22
		11 संदर्भ किस्में	रखरखाव
	सोयाबीन	25 संदर्भ किस्में	रखरखाव
2017	राजमा	9 (6 प्रत्याशी + 3 संदर्भ)	22
	सोयाबीन	33 संदर्भ किस्में	रखरखाव
	राजमा	10 संदर्भ किस्में	रखरखाव

राजमा : किसानों की छह किस्मों नामतः, Reg/2016/1717, Reg/2013/2010, Reg/2016/907 (अनअंकुरित), Reg/2016/906 (अनअंकुरित), Reg/2016/985 एवं Reg/2016/905 के साथ तीन संदर्भ किस्मों नामतः, आईपीआर-98-5, आईपीआर-98-3-1 एवं आईपीआर-96-4 को ग्रो आउट परीक्षण हेतु उगाया गया और राजमा के डीयूएस परीक्षण हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार 22 डीयूएस गुणों का गुणचित्रण किया गया।

अनुरक्षण के अधीन संदर्भ किस्मों की संख्या

फसल प्रजातियां	किस्म का स्रोत	किस्मों का नाम
सोयाबीन	भाकृअनुप	12 (डीएस 228, डीएस 97-12, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 22, पूसा 24, पूसा 37, पूसा 40, एनआरसी 2, एनआरसी 7, एनआरसी 12, एनआरसी 37)
	स्वयं	7 (वीएलएस 1, वीएलएस 2, वीएलएस 21, वीएलएस 47, वीएलएस 59, वीएलएस 63, वीएलएस 65)
	अन्य	72 (एडीटी1, अलंकार, अंकु, बिरसा सोया 1, बराग, सीओ1, सीओ 3, सीओ सोया 2, दुर्गा, गुजरात सोया 1, गुजरात सोया 2, गौरव, हरा सोया, हार्डी, इम्प्रूब्ड पेलिकन, इंदिरा सोया 9, जेएस 2, जेएस 71-05, जेएस 75-46, जेएस 76-205, जेएस 79-81, जेएस 80-21, जेएस 90-41, जेएस 93-05, जेएस 95-60, जेएस 97-52, जेएस 335, केबी 79, केएचएसबी 2, कालीतूर, ली, एलएसबी 1, एमएसीएस 13, एमएसीएस 57, एमएसीएस 58, एमएसीएस 124, एमएसीएस 450, एमएयूएस 1, एमएयूएस 2, एमएयूएस 32, एमएयूएस 47, एमएयूएस 61, एमएयूएस 61-2, एमएयूएस 71, एमएयूएस 81, मोनेट्टा, पालम सोया, पीके 262, पीके 308, पीके 327, पीके 471, पीके 416, पीके 472, पीएस 564, पीएस 1024, पीएस 1029, पीएस 1042, पीएस 1092, पीएस 1241, पीएस 1347, पीएस 1368, पंजाब 1, आरएयूएस 5, शिलाजीत, शिवालिक, एसएल 96, एसएल 295, एसएल 525, एसएल 688, टीएमएस 38, टीएमएस 98, टाइप 49)
राजमा	भाकृअनुप	आईवीएफबी 1, अर्का अनूप, अर्का कोमल, सुरिधा एवं पीडीआर 14
	स्वयं	वीएल राजमा 63 एवं वीएल राजमा 125
	अन्य	एचयूआर 15, एचयूआर 137, एचयूआर 203 एवं एचयूआर 35



करने हुए थे। नगा। डॉ। इल। पाटा। त्रिवालाच्छादा। राजाशुभा। आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा ने सत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने प्ररेणात्मक उद्घाटन संबोधन में पौध आनुवांशिक संसाधनों के महत्व तथा इसके मूल्यांकन और संरक्षण में किसानों और कृषक समुदायों की भूमिका पर प्रकाश डाला और किसानों को अपनी पौध किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्लांट जीनोम संरक्षक पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में सभा को सूचित किया और किसानों से आग्रह किया कि वे आगे आकार इसके लिए आवेदन करें। डॉ। एन। चंद्रा, प्रभागाध्यक्ष (एसएसएस), आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा ने किसानों को उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख किसानों की किस्मों के पंजीकरण हेतु पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ। के। के। मिश्रा, प्रभागाध्यक्ष (सीपीएस), आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा ने भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा थीम व्याख्यान भी दिए गए। डॉ। एल। कांत द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 : एक सिंहवलोकन डॉ। आर। के। कुलबे द्वारा कृषि में भौगोलिक संकेतों तथा आईटीके का महत्व तथा भारत में कृषि से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कृषक अधिकारों की प्रासंगिकता विषयों पर व्याख्यान दिए गए। आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा के वैज्ञानिक तथा अन्य कार्मिकों के साथ अल्मोड़ा जिले के हवलबाग, गल्लीबसेरा, मुझोली तथा अना गांव तथा यू।एस। नगर जिले के जनकट के कुल एक सौ किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। संस्थान ने जारी गतिविधियों के व्यावहारिक प्रदर्शन हेतु किसानों के लिए संस्थान के म्यूजियम एवं प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र के दौरे की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में पारस्परिक चर्चा तथा फीडबैक सत्र का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम की समाप्ति समाप्त समारोह के साथ की गई।



केन्द्र ने वीएल मसूर 148 (एआईसीआरपी), वीएल मटर 61 (एसवीआरसी), वीएल सोया 89 (एआईसीआरपी), वीएल भट 202 (एसवीआरसी) किस्मों को जारी किया।

3.17 भाकृअनुप—केन्द्रीय पटसन और संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं सीएसआरएसजेएफ, बुद बुद बर्धवान

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र के लिए एक नई सफेद पटसन (कॉरकोरस कैप्सूलारिस) अर्थात् जेआरसीएम–2 और पांच नई टोस्सा पटसन (सी. ऑलिटोरियस) किस्म अर्थात् जेआरओएम–1, एनजे 7005, एनजे 7010, एनजे 7050 तथा एनजे 7055 का परीक्षण किया गया। निम्नलिखित संदर्भ किस्मों के लिए इन्हीं प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया:

क्र. सं.	प्रत्याशी किस्म का नाम	संदर्भ किस्म–1 का नाम	संदर्भ किस्म–2 का नाम
1	जेआरसीएम–2	जेआरसी 321	जेआरसी 212
2	जेआरओएम–1	जेआरओ 524	जेआरओ 8432
3	एनजे 7005	जेआरओ 204	जेआरओ 524
4	एनजे 7010	जेआरओ 8432	जेआरओ 204
5	एनजे 7055	जेआरओ 8432	जेआरओ 204
6	एनजे 7050	एस–19	जेआरओ 878

विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व का अवलोकन करने के लिए सीआरआईजेएफ, बैरकपुर (नोडल केन्द्र) और सीएसआरएसजेएफ, बुद बुद (सह–नोडल केन्द्र) में दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र के लिए सफेद पटसन किस्म जेआरसीएम–2 का परीक्षण किया गया। प्रत्याशी किस्म जेआरसीएम–2 के डंठल रंग (हल्के लाल रंग के पिग्मेंटेशन के साथ हरा) के संबंध में दोनों संदर्भ किस्मों (जेआरसी 321 और जेआरसी 212) से अलग पाई गई। दोनों केन्द्रों में किए गए अवलोकन एक समान थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्मों जेआरओ 524 और जेआरओ 8432 के लिए नई टोस्सा पटसन किस्म जेआरओएम–1 का परीक्षण दोनों केन्द्रों में किया गया। पत्ती के आकार (लेन्सिओलेट) की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म अलग पाई गई। दोनों केन्द्रों में एक जैसे अवलोकन दर्ज किए गए।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्मों जेआरओ 204 और जेआरओ 524 के लिए दोनों केन्द्रों में टोस्सा पटसन किस्म एनजे 7005 का परीक्षण किया गया। दावा किए गए किसी भी लक्षण (पत्ती के सिरे का रंग, वृत्त का रंग, अनुवर्ण का रंग और डंठल का रंग) की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म अलग नहीं थी। तथापि, बीज के रंग (स्टील ग्रे) की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म एनजे–7005 दोनों संदर्भ किस्मों जेआरओ 204 और जेआरओ 524 (काला बीज) से अलग पाई गई। दोनों केन्द्रों में एक जैसे अवलोकन देखे गए। पौधे की ऊँचाई की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म (ऊँची) केवल सीआरआईजेएफ में संदर्भ किस्मों (मध्यम) से अलग से पाई गई, किन्तु सीएसआरएसजेएफ में प्रत्याशी और संदर्भ किस्मों के पौधों की ऊँचाई एक समान (मध्यम) दर्ज की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्म जेआरओ 204 और जेआरओ 8432 के लिए दोनों केन्द्रों में टोस्सा पटसन किस्म एनजे 7010 का परीक्षण किया गया। एनजे 7010 में बीज का रंग संदर्भ किस्मों (काला रंग) से अलग (चॉकलेटी ब्राउन) पाया गया। तथापि, प्रत्याशी किस्म दावा किए गए अन्य लक्षणों (पत्ती का आकार और पुष्पण का समय) की दृष्टि से अलग नहीं थी। दोनों केन्द्रों से प्राप्त अवलोकन एक जैसे थे। पौधे की ऊँचाई की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म (ऊँची) केवल सीआरआईजेएफ में संदर्भ किस्मों (मध्यम) से अलग से पाई गई, किन्तु सीएसआरएसजेएफ में प्रत्याशी और संदर्भ किस्मों के पौधों की ऊँचाई एक समान (मध्यम) दर्ज की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्म जेआरओ 8432 और जेआरओ 204 के लिए दोनों केन्द्रों में अलग टोस्सा पटसन किस्म एनजे 7055 का परीक्षण किया गया। दावा किए गए अन्य लक्षणों अर्थात् पत्ती का आकार और पौधे की ऊँचाई की दृष्टि से दोनों केन्द्रों में प्रत्याशी किस्म अलग नहीं थी। तथापि, बीज के रंग की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म के बीज का रंग (स्टील ग्रे) संदर्भ किस्मों जेआरओ 8432 और जेआरओ 204 के बीज के रंग (काला रंग) से अलग पाया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में प्रत्याशी किस्म एनजे 7050 उगाई गई और संदर्भ किस्म एस—19 और जेआरओ 878 के लिए दोनों केन्द्रों में इसका परीक्षण किया गया था। चूंकि अनुप्रयोग में किसी भी संदर्भ किस्म का उल्लेख नहीं किया गया, अतः दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में पहले वर्ष के गुण चित्रण आंकड़ों के आधार पर संदर्भ किस्मों (एस—19 और जेआरओ 878) का चयन किया गया। तथापि, प्रत्याशी किस्म किसी भी लक्षण की दृष्टि से संदर्भ किस्मों से अलग नहीं थी।

डीयूएस परियोजना के अंतर्गत टोस्सा पटसन की 22 संदर्भ किस्मों अर्थात् जेआरओ 204, आईआरए, जेआरओ 632, जेआरओ 3690, जेआरओ 66, जेआरओ 524, जेआरओ 7835, जेआरओ 8432, एस—19, जेआरओ 128, जेआरओ 620, चिनसुरा ग्रीन, सूडान ग्रीन, टंगन्यिका, जेआरओ 2345, केओएम 62, टीजे 40, सीओ 58, जेआरओ 2407, तरुण और विधान रूप तथा सफदे पटसन की 18 किस्मों, अर्थात् जेआरसी 212, जेआरसी 80, जेआरसी 698, जेआरसी 7447, जेआरसी 4444, पद्मा, जेआरसी 321, मोनालिसा, यूपीसी 94, विधान पट—1, विधान पट 2, विधान पट 3, केसी 1, केटीसी 1, डी 154, जेआरसी 517, जेआरसी 532 और केजेरसी 7 का रखरखाव किया गया और इनका गुण चित्रण किया गया।

सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर (नोडल केन्द्र) में 04.08.2017 को तथा सीएसआरएसजेएएफ, बुद बुद (सह.नोडल केन्द्र) में 05.08.2017 को निगरानी की गई थी।

3.1.18 भाकृअनुप—भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

भाकृअनुप—भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तीन तिलहन फसलों अर्थात्, अरण्डी, सूरजमुखी और कुसुम के परीक्षण के लिए समन्वय केन्द्र है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान किए गए कार्य नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2017–18 के दौरान दो संदर्भ किस्मों हरिता और डीसीएस—107 के साथ खरीफ 2017 (17.07.2017) में किसानों की दो किस्मों (देहाती और देहाती—2) की बुवाई की गई और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 30 डीयूएस विशेषताओं के लिए आंकड़े दर्ज किए गए। हैदराबाद में किसानों की दोनों किस्में ऊंची, विलंब से फूल देने वाली, मुख्य डंठल पर अधिक संख्या में गांठों वाली शाखाविहीन प्रकार की थी।

मानक विवरण तैयार करने के लिए खरीफ 2017 में किसानों की दो किस्मों (मरगारी और बढ़िया अरण्डी) उगाया गया। किसानों की किस्म बढ़िया अरण्डी (पंजी / 2017 / 1153) में कम अंकुरण दिखा गया और पौधों की अंतिम पैदावार (4 पौधे) कम पाई गई, इसलिए नए बीज प्राप्त होने तक इस प्रविष्टि का और अधिक गुण चित्रण संभव नहीं है। किसानों की किस्म मरगारी के लिए कुल 30 डीयूएस गुण दर्ज किए गए।

रबी 2017–18 के दौरान, संदर्भ समूह में से 10 ए / बी वंशावलियों एवं 7 आर वंशावलियों को लेते हुए 17 पैतृक वंशक्रमों के लिए सूरजमुखी के दोहरे परीक्षण कराए गए ताकि पैतृक वंशक्रमों के कुछ विशेषकों की स्थिति के लिए संशोधित श्रेणी का पता लगाया जा सके क्योंकि दिशानिर्देशों के विद्यमान श्रेणी संकरों के लिए अधिक उपयुक्त है। विभिन्न विशेषकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण किस्मों के निर्धारण को दिशानिर्देशों में शामिल किया जाए और अतिरिक्त विशेषकों के गुणचित्रण को भी कार्यकलाप का हिस्सा बनाया जाए। दिनांक 27.11.2017 को विशेषकों की बुवाई की गई थी। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 32 विशेषकों के और उपोव दिशानिर्देशों के अनुसार 6 अतिरिक्त विशेषकों के आंकड़े दर्ज किए गए। केन्द्र ने 34 डीयूएस विशेषकों के लिए सूरजमुखी के 7 संकरों, 4 ए वंशक्रमों और 3 आर वंशक्रमों का डाटाबेस प्रस्तुत किया। अरण्डी (8), सूरजमुखी (10) और कुसुम (17) के संदर्भ किस्मों का रखरखाव एवं गुणन किया गया।

3.1.19 भाकृअनुप—तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर

वर्ष 2017–18 के दौरान, प्रजातियों में रूपांतरण या मिश्रण की दृष्टि से पहले वर्ष के गुणचित्रण के लिए किसानों की किस्में (30), दूसरे वर्ष के गुणचित्रण के लिए किसानों की किस्में (14), पहले वर्ष के गुणचित्रण के लिए नई किस्म (1) और दूसरे वर्ष के गुणचित्रण के लिए नई किस्म (1) की श्रेणियों के अंतर्गत कुल 46 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। प्रस्तावित प्रजातियों में रूपांतरण, दृश्य अवलोकनों के जरिए क्षेत्र में वास्तविक प्रजातियों तथा किस्म में से विभिन्न प्रजातियों के पौधों एवं किस्म में से उन्हीं प्रजातियों की अलग—अलग आकारिकी वाले पौधों के मिश्रण के प्रतिशत के निर्धारण की दृष्टि से किसानों की कुल 30 किस्मों (प्रथम वर्ष) की विशेषताएं दर्ज की गई। किसानों की 30 किस्मों में से, क्षेत्र में कुल 21 किस्मों की प्रजातियों में रूपांतरण और विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण देखा गया। उचित प्रजनन पद्धतियों के माध्यम से तिलहन ब्रासिका (ब्रासिका जुनासिया (24), ब्रासिका रेपा किस्म भूरी सरसों (02), ब्रासिका रेपा किस्म तोरिया (15), ब्रासिका रेपा किस्म पीली सरसों (12), ब्रासिका नैपस (07), ब्रासिका कैरिनाटा (05)) की अलग—अलग प्रजातियों की कुल 135 किस्मों का रखरखाव किया गया।

3.1.20 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (तोरिया एवं सरसों)

यह गेहूं तोरिया और सरसों में डीयूएस परीक्षण का एक सह-नोडल केन्द्र है। वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित किस्मों का परीक्षण किया गया :

फसलें	नई		वीसीके / आरवी	एफवी	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
सरसों	1	6	16	30	16 मार्च, 2018

डीयूएस परियोजना के नोडल अधिकारी, डीआरएमआर, भरतपुर, राजस्थान, डॉ. प्रिया मेधा ने 16.01.2018 को डीयूएस क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रत्येक प्रविश्टि के उत्कृष्ट निष्पादन के बारे में बताते हुए डीयूएस परीक्षण के उचित संचालन के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया। अनुरक्षण/गुणचित्रण के अधीन किस्मों की सूची संलग्न है :—

अधिदेशित फसल प्रजातियां	2017-18 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम एवं संख्या
सरसों	शून्य
गेहूं	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत 35 किस्मों का रखरखाव किया गया। प्रत्येक किस्म के बीजों का उचित रूप से भंडारण किया गया है।

संबंधित फसलों के परीक्षण दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुसार डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत सामग्री की उचित तरीके से जांच की गई। सरसों की कुछ कृशकों किस्मों में मिश्रण की जानकारी मिली थी। अतः आगे के अवलोकनों के लिए सही प्रकार के पौधों का पता लगा पाना अत्यंत कठिन था।

3.1.21 भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

आईआईवीआर, वाराणसी “पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के केन्द्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत डीयूएस केन्द्र चला रहा है (टमाटर, बैंगन, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, फ्रेंच बीन, लौकी, करेला, कद्दू और खीरा का डीयूएस परीक्षण)। संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है :



संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत 15 भिंडी, 34 बैंगन, 4 फूलगोभी, 9 पत्तागोभी, 20 टमाटर, 8 लौकी, 2 करेला, 15 खीरा और 12 कुम्हड़ा किस्मों का मूल्यांकन किया गया।

सब्जी फसलों का डीयूएस परीक्षण (2017-18)

किस्म का प्रकार	नई		वीसीके	एफवी	कुल	टिप्पणियां/निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
लौकी	-	-	1	7	8	09.05.2017
करेला	-	-	-	2	2	09.05.2017
खीरा	-	7	-	8	15	09.05.2017
कुम्हड़ा	-	-	-	12	12	09.05.2017
भिंडी	6	2	4	7	19	07.10.2017
बैंगन	-	7	-	51	58	06.01.2018
फूल गोभी	-	4	-	-	4	06.01.2018
पत्ता गोभी	2	7	-	-	9	07.02.2018
टमाटर	9	2	-	9	20	07.02.2018
कुल	17	29	5	96	147	

(ख) निगरानी दल की मुख्य टिप्पणियां

- **कुम्हड़ा** : भद्री किस्म को छोड़कर किसानों की किस्मों की श्रेणी में सभी किस्में एक समान नहीं थी।
- **लौकी** : एनबीबीएच-48 की पैदावार एक समान नहीं थी (फलक आकार में अंतर)
- **करेला** : मीठा करेला – यह प्रविष्टि लुपफा प्रजाति से है।
- **खीरा** : अमंग मैनकोई – यह प्रविष्टि मेलो समूह से है।
- **भिंडी** : जय भिंडी युवराज – फल के आकार, आकृति और पौधे के प्रकार में अंतर। घोर भिंडी और धारीदार भिंडी में कोई फल नहीं हैं।

(ग) अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में :

टमाटर, भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मटर, फ्रैंच बीन, लौकी, करेला, कुम्हड़ा, खीरा और परवल की संदर्भ किस्में विभिन्न आईसीएआर संस्थानों और एसएयू से एकत्रित की गई थीं। इन फसलों की सभी किस्मों को 3-3 प्रतिकृतियों के साथ क्रम रहित ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में बोया गया था और सिबिंग / सेल्फिंग के माध्यम से इनका रखरखाव किया जा रहा है। रखरखाव की गई इन फसलों की किस्मों की संख्या तथा उनकी आकारिकी के संबंध में देखी गई विशेषताओं का वर्णन इस तालिका में किया गया है :



फसलें	किस्मों की संख्या	संस्थानों / एसएयू आदि से प्राप्त बीज
टमाटर	95	23
फूल गोभी	05	01
पत्ता गोभी	04	01
बैंगन	77	18
सब्जी मटर	42	13
फ्रैंच बीन	27	11
भिंडी	42	13
खीरा	28	11
करेला	25	14
लौकी	31	15
कुम्ड़ा	23	11
कुल	399	

3.1.22 डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला

यह केन्द्र अरहर के लिए सह नोडल केन्द्र है। वर्ष 2017-18 के दौरान किसानों की किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत 92 किस्मों का परीक्षण / गुण चित्रण किया गया। किस्मों की सूची निम्नानुसार है :

किसानों की किस्में	राम अरहर, शारदा अरहर, माहिया आशा, माहिया राजेन्द्रा, माहिया धरमू, माहिया बसूरी, माहिया भौर, पुरानी तुअर महरून लाल पीलूखेडी, कटकियाउ अरहर, गणपत अरहर, अरहर चापा, इटकर तुअर, कोक रहर, बारामासी, तुअर असाडी, तुअर परासिया, अरहर लाली, तुअर होरिलाल, तुअर धूरन, तुअर किशोर, अरहर संत कथिया, अरहर अगेती श्रीघोट, तुअर खार, हरी तुअर, चैती नरेश, ग्रहण नरेश, बड़की गुरु, अरहर रीति, लाली धर्मेन्द्रा, मड़नी, पटका शत्रु, तुआल कोपी, तुवाल कायडी, तुअर सफेद, सरेखा तुअर, सोथा अरहर, सरल जैत तुअर, सांता तुअर, कमल तुअर, तुलासिया तुअर, तुअर उजार, गिया तुअर, खुही, सुरेश तुअर, इमरत तुअर, साज शांति
	तुअर, साज सुषमा तुअर, अरिवन्द साज तुअर, बारा अरहर मनकी, डुडेसिंह अरहर, सामल अरहर, पैकू अरहर, गजपाल अरहर, सफेद बारामासी अरहर अजय, लाल अरहर मनोहर, सुभाष तुअर, इंद्रा टेडनी तुअर, छोटी अरहर, श्यामा अरहर हरी, सफेद तुअर फूल, सफेद तुअर, तेहरा माहिया, खामतारा अरहर, मुलापारा अरहर, अघनी बड़ी सफेद जमुना, अंघानी छोटी सफेद जमुना, अंघानी लाल मझौली जमुना, माधी चितकबरी लाल बड़ी, एसकेएफ-ए1-शिवानी, माहिया अरहर, बैगनी पवन, माधी अरहर संतरा, कादिर अरहर, माधिया अमरु अरहर, देवतुअर कंचन, माहिया राम, देवतुअर काली अजय, पीली देव तुअर अजय, तुअर रघुवीर, चैटी-पीपी, चैतारी-एलओ, चैटिया, लाल पिजि, मागी राहदी, चात्रि, अघानु-1, चम्पै, मसूर राहर, मंगल 1, बकालसा, कल्याणी, सिंधु, अंघानी गुलाबी

अरहर की जांच डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी :

किस्मों की संख्या	:	92 (किसान किस्में) + 2 (संदर्भ किस्में)
पंक्तियों की संख्या	:	5
पंक्ति की लंबाई	:	5 मी.
अंतराल	:	90 x 20 से.मी.
पुनरावर्तियों की संख्या	:	4
प्लॉट का आकार	:	5 मी. x 3.6 मी.
बुवाई की तारीख	:	10.07.2017
कटाई की तारीख	:	किस्म की परिपक्वता के अनुसार

3.1.23 भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, प्रादेशिक स्टेशन, कैटराइन

आईएआरआई प्रादेशिक केन्द्र, कैटराइन पत्तागोभी और फूल गोभी में डीयूएस परीक्षण के प्रति जवाबदेह है। तथापि, वर्ष 2017–18 के दौरान, कोई भी किस्म परीक्षणाधीन नहीं है। केन्द्र ने कई किस्मों का अनुरक्षण / गुणचित्रण किया जिनकी सूची नीचे दी गई है :

अधिदेशित फसल प्रजातियां		2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम या संख्या
पत्ता गोभी		रेड रॉक मम्पोथ, पूसा दुम हैड, किन्नर रेड, पूसा कैबेज-1 (केजीएमआर-1), पूसा मुक्ता, गोल्डन एकड़, 83-1, केटीसीबीएच-81, 6ए, सी-121, एमआर-1, पूसा अगेती, प्राइड ऑफ इंडिया और प्राइड ऑफ एशिया
स्नोबॉल फूल गोभी		पूसा स्नोबॉल-1, पूसा स्नोबॉल के-1, पूसा स्नोबॉल के-25, पूसा हिमज्योति तथा स्नोबॉल-16

3.1.25 भाकृअनुप—केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर

आईसीएआर—सीआरटीएच पोम फलों (सेबीय) तथा गुठलीकार फलों की संदर्भ किस्मों के डीयूएस परीक्षण, गुणचित्रण और अनुरक्षण करने वाला नोडल केन्द्र है। इनके ब्यौरे निम्नवत हैं :

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाणपत्र	लंबित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
पत्ता गोभी	4	1	1	-	-	1	-
फूल गोभी	5	1	1	-	-	-	1

3.1.24 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तौर

टीएनएयू, कोयम्बत्तौर भी सूरजमुखी के लिए एक सह नोडल केन्द्र है। डीयूएस गुणचित्रण के लिए आईआईओआर, हैदराबाद से 17 संदर्भ किस्मों (प्रजनन वंशक्रम) एआरएम-234ए, सीएमएस-103ए, सीएमएस-17ए, सीएमएस-234ए, सीएमएस-71ए, सीएमएस-851ए, सीएमएस-10ए, सीएमएस-17बी, सीएमएस-234बी, सीएमएस-71बी, 6डी-1, एके1आर, पी61आर, आर-64एनबी, आरएचए-1-1, आरएचए-271 और आरएचए-272 के बीज लिए गए थे ताकि प्रत्येक स्थिति के लिए उपयुक्त उदाहरण किस्मों का निर्धारण करते हुए प्रजनन वंशक्रमों के गुणात्मक विशेषताओं की श्रेणी को मानक बनाया जा सके। पौधे एवं बीज के लक्षणों का अवलोकन कर इन्हें प्रलेखित किया गया।



3.1.25 भाकृअनुप—केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर

आईसीएआर—सीआईटीएच पोम फलों (सेबीय) तथा गुठलीदार फलों की संदर्भ किस्मों के डीयूएस परीक्षण, गुणचित्रण और अनुरक्षण करने वाला नोडल केन्द्र है। इनके ब्यौरे निम्नवत हैं :

3.1.25.1 संदर्भ एवं प्रत्याशी किस्मों का गुणचित्रण :

भाकृअनुप—केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर द्वारा प्रत्येक फसल के लिए तैयार किए गए डीयूएस विवरणकों के अनुसार आडू (31), आलूबुखारा (प्लम) (18), खूबानी (17), चेरी (10), सेब (50), नाशपाती (21), बादाम (28), अखरोट (27) और स्ट्राबेरी (65) जैसी शीतोष्ण बागवानी फसलों की कुल 267 संदर्भ किस्मों का गुणचित्रण किया गया। संदर्भ किस्मों का गुणचित्रण करते समय सभी गुणों (पुष्पण, पौधा, फलन इत्यादि) को ध्यान में रखा गया। विशेषताओं एवं अनिवार्य लक्षणों के स्थायित्व का पता लगाया गया। इसके अलावा, आकृतिमूलक लक्षणों, अर्थात् वृद्धि, सहन करने की



प्रवृत्ति, पर्णावली, फल और गिरी के लक्षणों के आधार पर अखरोट के 27 जीनप्ररूपों का विस्तृत निरूपण किया गया। जीनप्ररूप (अर्थात्) सीआईटीएच—डब्ल्यू—12 में उर्ध्व वृद्धि प्रवृत्ति, जबकि अधिकांश जीनप्ररूपों में अर्द्ध—उर्ध्व की प्रवृत्ति देखी गई थी। पत्तियों में तीन प्रकार के आकार दर्ज किए गए अर्थात् नैटो एलिफ्टि, एलिप्टिक और ब्रॉड एलिप्टिक। पत्ती के लक्षणों, अर्थात् अरोमिल, हल्के रोम और रोम के रूप में रोम आने के आधार पर अखरोट जीनप्ररूपों को श्रेणीकृत भी किया जा सकता है। फल परिपक्वन समूह के आधार पर जीनप्ररूपों को शीघ्र, मध्य और विलंब की श्रेणी में श्रेणीकृत किया गया। फल के आकार में काफी अधिक परिवर्तन देखा गया अर्थात् गोल, हृदयाकार, अण्डाकार, लंबा विश्मा चतुर्भुजाकार और वृत्ताकार। निरूपक में प्रत्येक जीनप्ररूप के लक्षण स्पष्ट रूप से बताए गए थे और इसी निरूपक के आधार पर सभी जीनप्ररूपों का निर्धारण किया जा सकता है या अलग—अलग समूह बनाया जा सकता है। पांच प्रत्याशी अखरोट किस्मों अर्थात् सीआईटीएच—डब्ल्यू—1, सीआईटीएच—डब्ल्यू—2, सीआईटीएच—डब्ल्यू—3, सीआईटीएच—डब्ल्यू—4 और सीआईटीएच—डब्ल्यू—5 का ऑन साइट डीयूएस परीक्षण किया गया और डीयूएस समीक्षा दल ने 24.11.2017 को इन किस्मों की जांच भी की थी। वर्ष 2017—18 के दौरान, सुरक्षा हेतु पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में किसानों के लगभग 66 नए आवेदन प्राप्त हुए थे।

3.1.26 भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे

अंगूरों के ऑन साइट डीयूएस परीक्षण के लिए श्री दीपल राय चौधरी (संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली), डॉ. एस. बी. गौरव (उपपंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, पुणे), डॉ. रोशनी आर. सामर्थ (वैज्ञानिक, भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र और नोडल अधिकारी, डीयूएस केन्द्र) का एक निगरानी ने 23—25 जनवरी, 2018 को अंगूर उगाने वाले बागानों (नानज, सोलापुर; निफड़, नासिक और जुन्तार, पुणे में) और भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र का दोरा किया। दौरे के दौरान अंगूरों की कुल 5 प्रत्याशी किस्मों की उपज की कठाई स्तर पर की जांच की। निगरानी दल ने प्रत्याशी किस्मों (मेडिका, नाना साहेब पर्फल बीजरहित, सरिता पर्फल बीजरहित, जय बीजरहित और सुधाकर बीजरहित) के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पत्ती, टहनी और बेरी के लक्षण संबंधी आंकड़ों का वैधीकरण किया। भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र में गुणवत्ता परीक्षण (टीएसएस, अम्लता, रस की मात्रा, द्राक्षारस प्राप्ति इत्यादि) के लिए गुच्छों के नमूने एकत्र किए गए। इसके साथ ही पीपीवी एवं एफआरए के प्रतिनिधियों ने संदर्भ किस्मों के डाटाबेस, डीयूएस निगरानी फॉर्मेट और डीयूएस परीक्षण परिणाम फॉर्मेट के विषय में केन्द्र के साथ चर्चा की और उनका मार्गदर्शन किया। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया था कि अंतिम प्रयोजन जैसे गुणों को संदर्भ किस्म के चयन के लिए सूचीबद्ध गुणों से तुलना की दृष्टि से शामिल किया जाए। 5 प्रत्याशी किस्मों की द्विवर्षीय ऑनसाइट डीयूएस परीक्षण की समेकित रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है।

पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में पंजीकरण के लिए द्वितीय वर्ष के ऑनसाइट डीयूएस परीक्षण हेतु प्रत्याशी किस्मों की सूची

क्र. सं.	तारीख	आवेदक का नाम	प्रत्याशी किस्म	स्थान एवं संपर्क सूत्र
1	23.01.2018	श्री दत्तात्रेय एन. काले	नाना साहेब पर्फल सीडलेस (REG/2015/128)	नानज, सोलापुर (09423306000)

2	23.01.2018	श्री दत्तात्रेय एन. काले	सरिता पर्सल सीडलेस (REG/2015/129)	ननज, सोलापुर
3	23.01.2018	श्री दत्तात्रेय एन. काले	न्यू सोनाका (REG/2015/127)	ननज, सोलापुर (परीक्षण के गुच्छे उपलब्ध नहीं थे, डीयूएस परीक्षण अगले वर्ष के लिए लंबित किया गया)
4	24.01.2018	श्री हरीभाऊ एम. वेयकर	जय सीडलेस (REG/2016/1378)	पोस्ट-गुंजालवाड़ी (आर्वी), जुन्नार, पुणे (09975596430)
5	24.01.2018	श्री सुधाकर केसरीसागर	सुधाकर सीडलेस (REG/2016/1768)	शिवाडी, डाकघर-उगांव, निफाड, नासिक (09881828967)
6	25.01.2018	भाकृअनुप-राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	मेदिका (5 REG/2015/810)	मंजरी फार्म, सोलापुर रोड, पुणे

3.1.27 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (तरबूज और खरबूजा)

संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण और पुनरुत्पादन

- ग्रीष्म 2017–18 के दौरान तरबूज में कुल 10 संदर्भ किस्मों तथा खरबूज में 12 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण एवं पुनरुत्पादन किया गया।

डीयूएस परीक्षण

- ग्रीष्म, 2017 के दौरान तरबूज की दो संदर्भ किस्मों के साथ 4 प्रविष्टियों तथा खरबूजा की तीन संदर्भ किस्मों के साथ तीन प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षण किया गया। समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत डॉ. सदाशिव ने 02 मई, 2017 को इस परीक्षण की निगरानी की थी। संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।



3.1.28 आईएफजीटीबी—आईसीएफआरआई, कोयमबत्तौर

मार्च, 2018 तक पूरे किए गए कार्य

- पहले से स्थापित किए गए जननद्रव्य बैंक का रखरखाव
- जननद्रव्य बैंक में पर्यवेक्षण
- डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना के लिए भूमि का चयन
- उदाहरण किस्मों का एकत्रीकरण, प्रवर्धन, डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना
- डीयूएस परीक्षण के लिए योजना तैयार करना
- क्लोन व डीयूएस कैरेक्टर्स मैट्रिक्स तैयार करना

3.1.28.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेष बची गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमा

गतिविधि	समय सीमा
पहले से स्थापित जननद्रव्य बैंकों का रखरखाव	निरंतर
तुवाराकुरुची, सालेम, कोयमबत्तौर और अरियालूर में स्थित जर्मद्रव्य बैंकों में पर्यवेक्षण	जनवरी–मार्च, 2019
उदाहरण किस्मों का एकत्रीकरण, प्रवर्धन, डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना	निरंतर
जननद्रव्य बैंक में डीयूएस लक्षणों का पर्यवेक्षण	प्रत्येक दूसरे माह में
क्लोन x डीयूएस कैरेक्टर्स मैट्रिक्स तैयार करना	मार्च, 2019

3.1.28.2 यूकिलप्टस, डीयूएस केन्द्र

डीयूएस लक्षण और कैरेक्टर्स मैट्रिक्स तैयार करने के लिए सालेम में स्थापित किए गए क्लोनल परीक्षण क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया। डीयूएस लक्षणों के लिए तीन वृक्ष ब्लॉकों में 20 प्रतिकृतियों में स्थापित लगभग 18 क्लोनों का मूल्यांकन किया गया। सालेम, तमिलनाडु में स्थापित किए गए क्लोनल समूहों में भी डीयूएस लक्षण दर्ज किए गए। जब कभी भी डीयूएस परीक्षण किया जाएगा उस समय तत्काल गुणन के लिए आईएफजीटीबी प्रवर्धन परिसर के स्वरस्थाने वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन गार्डन (वीएमजी) में यूकिलप्टस की संदर्भ किस्में को रोपित किया गया। वानिकी आनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयमबत्तौर द्वारा आईएफजीटीबी–ईसी6 के पंजीकरण के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। उपर्युक्त किस्म के पंजीकरण पर अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है।

3.1.28.3 कसौरिना डीयूएस केन्द्र

कसौरिना डीयूएस केन्द्र में इस महत्वपूर्ण वृक्ष फसल की नई किस्मों के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 100 से अधिक संदर्भ क्लोन समूह का रखरखाव किया जाता है। चूंकि डीयूएस परीक्षण के लिए अधिसूचित विभिन्न विवरणकों के लिए बारहमासी वृक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना पड़ता है, अतः डीयूएस केन्द्र में एकत्रित किए गए क्लोनों का निरंतर अध्ययन एवं लक्षणों को दर्ज किया जाता है। भिन्न भिन्न आयु अवस्थाओं में अभिव्यक्त विभिन्न लक्षणों के मूल्यांकन के उद्देश्य से, प्रत्येक वर्ष क्लोनों के नए पौधे लगाए जाते हैं ताकि डीयूएस केन्द्र में अलग–अलग आयु अवस्थाओं के पेड़ हों। केन्द्र में जमा किए गए लगभग 60 क्लोनों के लिए एक क्लोन डीयूएस कैरेक्टर मैट्रिक्स बनाया गया है और शेष



क्लोनों का मूल्यांकन कार्य जारी है। अभी तक पंजीकरण हेतु प्राधिकरण में 6 आवेदन भेजे गए हैं और प्राधिकरण द्वारा इस प्रक्रिया के लिए अनुमोदन जारी कर दिए जाने के बाद डीयूएस परीक्षण में उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में वृक्ष पहले ही लगा दिए गए हैं। यह केन्द्र किसानों स्टेकहोल्डरों जैसे किसान जो बागान के बड़े भाग को उगाते हैं और कागज उद्योगों जो कच्ची सामग्री के रूप में कसौरिना लकड़ी के मुख्य उपयोगकर्ता हैं तथा नई किस्मों के विकासकों के बीच किसीय संरक्षण तथा किसानों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करता है। पंजीकरण के लिए कसौरिना की नई किस्म (आईएफजीटीबी–सीजे–9) का ढाई वर्षीय पौधा भेजा गया (स्थान टिंडीवनम, तमिलनाडु) है।

3.1.29 भाकृअनुप–गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयमबत्तौर

उष्णकटिबंधीय गन्ना किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए भाकृअनुप.गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयमबत्तौर, तमिलनाडु नोडल केन्द्र के रूप में तथा आईसीएआर–एसबीआई अनुसंधान केन्द्र, अगाली (केरल) सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान दोनों केन्द्रों में किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं (i). खेत में क्लोनल प्रवर्धन के



माध्यम से गन्ने की संदर्भ किस्मों का रखरखाव, (ii). नई एवं किसानों की किस्मों का डीयूएस परीक्षण और (iii) आईएनडीयूएस डाटाबेस को अद्यतन करने हेतु संदर्भ किस्मों की डीयूएस विशेषताओं का वर्णन/सत्यापन।

अनुरक्षण प्रजनन : दोनों केन्द्रों में, 193 संदर्भ किस्मों के पौधे को पॉली बैग में उगाए गए और फिर उन्हें मुख्य खेत में प्रतिरोपित किया गया (मई, 2017); प्रत्येक किस्म के पौधे को 6 मीटर लंबाई के 2 कतारों (प्रति कतार 20 पौधे) रोपा गया था। रोगमुक्त अच्छी फसल उगाने के लिए सभी प्रकार की सावधानियां बरती गई थीं। संदर्भ किस्मों की डीयूएस विशेषताओं का सत्यापन और डाटाबेस का अद्यतनीकरण : वर्ष 2017–18 की ऋतु के दौरान सह नोडल केन्द्र (अगाली) में 193 संदर्भ किस्मों की डीयूएस विशेषताओं (27 लक्षण) का नए सिरे से गुणचित्रण/सत्यापन किया गया तथा डाटाबेस को आईएनडीयूएस डाटाबेस में अद्यतनीकरण के लिए पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के पास भेजा गया।

किसानों की किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण : डीयूएस परीक्षण के लिए किसानों की कुल 6 किस्मों, अर्थात् कुदरत का करिश्मा, देशी-1, देशी-2, मैतैई चू अंगौरबा, मैतैई चू अंगंगबा, कप्तान बस्ती प्राप्त हुई थीं। खराब अंकुरण और प्रतिस्थापन की वजह से वर्ष 2017–18 के मौसम में केवल 'कुदरत का करिश्मा' का ही डीयूएस परीक्षण कार्य पूरा हो पाया था। नोडल तथा सह नोडल केन्द्र में दर्ज किए गए इन किसानों की किस्मों से संबंधित आंकड़े प्राधिकरण के पास भेज दिए गए थे। प्रत्येक नोड में तीन कलियों की विद्यमानगी (जबकि अन्य संदर्भ किस्मों में प्रत्येक नोड में केवल एक कली है) के कारण किसान किस्म 'कुदरत का करिश्मा' अन्य संदर्भ किस्मों से अलग पायी गयी है।

3.1.30 भाकृअनुप—गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल

भाकृअनुप—गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल (हरियाणा) उप—उष्णकटिबंधीय गन्ना किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान, करनाल केन्द्र में उप—उष्णकटिबंधीय गन्नों की कुल 126 संदर्भ किस्मों को दो कतारों वाले भूखंडों में रोग मुक्त अवस्था में रखरखाव किया गया था। मार्च, 2018 के दौरान, कृषकों की तीन किस्मों अर्थात् सुगम कटारी, जीत कटारी और पूर्सा के सीड केन डीयूएस परीक्षण के लिए प्राप्त हुए थे। इन किस्मों के सीडलिंग्स को गुणन के लिए पॉलीबैग में रोपित किया गया था। बीजों के गुणन के पश्चात अगले वर्ष इन किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2017–18 के गन्ने के मौसम में चार संदर्भ किस्मों (सीओएस 94270, सीओएस 96258, सीओ पंत 96219, बीओ 130) के साथ किसानों की किस्म कप्तान बस्ती का डीयूएस परीक्षण किया गया था। आंकड़े पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में भेज दिए गए हैं। पर्यवेक्षण से सूचित हुआ है कि कप्तान बस्ती संदर्भ किस्मों से अलग है।

3.1.31. भाकृअनुप—भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

- गन्ना की संदर्भ किस्मों के समूह का रखरखाव :** पतझड़ के मौसम में गन्ना की 144 संदर्भ किस्मों को डीयूएस खेत में रखरखाव किया गया और 2017–18 में बसंत ऋतु के दौरान 154 संदर्भ किस्में रोपित की गई थी। इस संदर्भ समूह में सीवीआरसी में पहचान की गई, रिलीज तथा अधिसूचित की गई सभी किस्में, राज्यों से रिलीज की गई किस्में और गन्ने पर कार्य कर रहे विभिन्न अनुसंधान संगठनों के पास उपलब्ध एआईसीआरपी के उन्नत किसीय परीक्षणों से प्राप्त क्लोन सम्मिलित थे। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार, संदर्भ समूह में नए समावेशनों के लिए लक्षणों को दर्ज किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के फसल मौसम के दौरान रखरखाव के लिए संदर्भ समूह की नई फसलों को खेत में रोपित किया गया। अलग—अलग मौसम में पौधरोपण की वजह से प्राप्त होने वाले डीयूएस लक्षणों में अंतर को जानने के लिए संदर्भ समूह के पौधे बसंत और पतझड़ के मौसम में लगाए गए।
- डीयूएस परीक्षण प्रयोग :** मार्च, 2017 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किसानों की एक किस्म कप्तान बस्ती को संदर्भ समूह से लिए उसके सर्वाधिक समान 3 किस्मों (सीओएस 96258, सीओ 6425, सीओ पंत 96219 और बीओ 130) के साथ रोपित किया गया था। अनुशंसित पैकेज ऑफ प्राक्टीसेस का पालन किया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार अवलोकन दर्ज किए गए थे। दोनों केन्द्रों के आंकड़ों को संकलित कर यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
- नई प्रत्याशी किस्में :** गन्ने की दो किस्में सीओएन 05071 और सीओएन 07072 नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात से प्राप्त हुई थीं, तथापि ये क्लोन तथा केन्द्र उष्णकटिबंधी क्षेत्र में आते हैं। संबंधित केन्द्र को यह सलाह दी गई थी कि वे डीयूएस परीक्षण के लिए एसबीआई, कोयम्बतूर को इन किस्मों की पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति करें।

● कृषकों की किस्मों का परीक्षण

- **फ्यूसेन :** वर्ष के दौरान, अन्य कलोन फ्यूसेन प्राप्त हुआ था और पॉलीबैग में पौधे उगाए गए। प्राप्त 128 एकल कलमों में से मात्र 12 कलमों में अंकुरण हुआ। पॉलीबैग के पोधों को खेत में प्रतिरोपित किया गया। अधिकांश पौधे वृद्धि की मुख्य अवस्था के दौरान सूख गए। इस वर्ष भी इस कलोन का गुणन किया गया और खेत में इन्हें रोपित किया गया है।
- **कुदरत का करिश्मा :** एसबीआई, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल से मार्च, 2017 के दौरान यह कलोन प्राप्त हुआ। पॉलीबैग में उगाए गए पौधों का गुणन और मूल्यांकन के लिए खेतों में रोपित किया गया। इस कलोन के साथ परीक्षण के लिए कोई संदर्भ किस्म उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक नोड पर अधिक संख्या में कलियां हैं जबकि समस्त संदर्भ समूह में इस लक्षण का कोई कलोन नहीं उपलब्ध नहीं था।
- **कृषकों की अन्य किस्में :** इस केन्द्र को किसानों की श्रेणी के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए ए1, ए2, जीत, कटारी और सुगम कटारी, जीएनएस4 और जीएनएस-6 नामक कलोन प्राप्त हुए हैं। इन्हें गुणन हेतु खेत में रोपित किया गए हैं।

3.1.32 भाकृअनुप—केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

संक्षिप्त प्रगति निम्नवत है :

आलू का डीयूएस परीक्षण : पहले वर्ष के डीयूएस परीक्षण प्रयोग में, मैरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चार बाहरी किस्मों, डॉली, सैसी, इडोनी और नफिडा के साथ संदर्भ किस्मों, कुफरी फ्राइसोना, कुफरी अरूण और कुफरी पुखराज का सीपीआरएस, मोदीपुरम और सीपीआरएस, जालंधर में वनस्पतिक और कंदीय लक्षणों के लिए मूल्यांकन किया गया ताकि इन्हें विद्यमान (सामान्य ज्ञान की किस्में) श्रेणी के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो सके।


दूसरे वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत सीपीआरएस, मोदीपुरम और सीपीआरएस, जालंधर में रबी मौसम के दौरान संदर्भ किस्मों कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, लेडी रोसेटा, अटलांटिक, संताना और कुफरी चिपसोना-3 के साथ महिन्द्रा लिमिटेड की पांच बाहरी किस्मों फरीदा, आइवरी रूसेट, कोलंबा, नेविगेटर और हेराकली का वनस्पतिक और कंदीय लक्षणों के लिए जांच की गई ताकि नई किस्म के रूप में इनका पंजीकरण किया जा सके।

फरीदा, आइवरी रूसेट, कोलंबा, नेविगेटर और हेराकली के साथ संदर्भ किस्मों कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, लेडी रोसेटा, अटलांटिक, संताना और कुफरी चिपसोना-3 की ग्रीष्म फसलों में पुष्टीय विशेषताओं को दर्ज किया गया।

संदर्भ जननद्रव्य का अनुरक्षण : 213 वंशावलियों जैसे 51 सीपीआरआई किस्मों, 107 देशी किस्मों, 29 उपोव किस्मों, 18 बाहरी / विदेशी किस्मों और राज्यों की 8 किस्मों को शिमला में इन विट्रो परिस्थितियों के अंतर्गत रखरखाव किया गया था। सीपीआरएस, मोदीपुरम में, सीपीआरआई द्वारा रिलीज की गई आलू की 52 किस्में और 62 संदर्भ किस्मों को खेत की स्थितियों के अंतर्गत कंदीय रूप में रखरखाव किया गया था।



चित्र 1 : विभिन्न प्रत्याशी आलू किस्मों की पत्तियां



नफिदा

डॉली

साशी

इंडोनी

चित्र 2 : विभिन्न प्रत्याशी आलू किस्मों के अंकुर

3.1.33 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर

बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जागनगर, 361006 (गुजरात) अरंडी के डीयूएस परीक्षण हेतु एक सह नोडल केन्द्र है। वर्ष 2017–18 के दौरान दो किस्मों अर्थात मरगरी और बढ़िया अरण्डी के लक्षणों का वर्णन किया गया और दो संदर्भ किस्मों अर्थात डीसीएस–107, हरिता के विरुद्ध दो अन्य किस्मों अर्थात देहाती, देहाती–2 का परीक्षण किया गया था।

गुजरात सरकार, गुजरात राज्य द्वारा 06.09.2017 से 15.09.2017 तक आयोजित किए गए मां नर्मदा महोत्सव–2017 के दौरान सह नोडल अधिकारी डॉ. के. के. ढेढ़ी ने महोत्सव में भाग ले कर 07 सितंबर, 2017 को जाम वंथली और वरना गांवों (तहसील : जामनगर) के किसानों के लिए; 10 सितंबर, 2017 को जाम जोधपुर के किसानों के लिए तथा 15 सितंबर, 2017 को नंदूरी और गोदावरी गांवों (तहसील : लालपुर) के किसानों के लिए व्याख्यान दिए हैं। केन्द्र ने बाजारा की 12 किस्मों के लिए पौधों की सुरक्षा मांगने वाले आवेदन प्रस्तुत किए थे जिनके लिए पंजीकरण के प्रमाणपत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

3.1.34 सब्जी विज्ञान प्रभाग, भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

फूल गोभी में डीयूएस परीक्षण के लिए जवाबदेह है। वर्ष 2017–18 के दौरान आपूर्ति की गई 9 प्रविश्टियों में से, नई श्रेणी के अंतर्गत 7 प्रविष्टियों का दूसरे वर्ष का परीक्षण तथा 2 प्रविष्टियों का प्रथम वर्ष का परीक्षण किया गया था। डीयूएस लक्षणों के लिए कुल 9 प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया था।



3.1.35 भाकृअनुप–मूँगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़

वर्ष 2017 के खरीफ मौसम में नोडल (आईसीएआर–डीजीआर, जूनागढ़) और सह नोडल (यूएएस धारवाड़) दोनों केन्द्रों में 2 संदर्भ किस्मों के साथ तीन प्रतिकृतियों में पांच प्रत्याशी किस्मों : वेस्टर्न वरदान (REG/2010/339); लाल (REG/2016/296), बादाम एलओ (REG/2016/387), गोवर्धन जीएल (REG/2016/1181) और रामकृष्ण (REG/2016/715) की बुवाई की गई थी। जिन संदर्भ किस्मों का उपयोग किया गया था वे थे : स्पैनिश बंच (2), जीजी 2 और एसजी 84; वैलेंसियास (2) : कोपरगांव 3 और गंगापुरी; वर्जिनिया बंच (2) : जीजी 20 और बीएयू 13; वर्जिनिया रनर (2) : पंजाब 1 और सोमनाथ। सफल पैदावार उगाने के लिए अनुशंसित की गई सभी पद्धतियों का अनुपालन किया गया था। उपयुक्त वृद्धि अवस्था में गुणवत्ता के 13 तथा परिमाणात्मक के 5 विवरणों के पर्यवेक्षणों को दर्ज किया गया और आंकड़ों को प्रतिकृति–वार दर्ज किया गया। अगले खरीफ मौसम 2019 के दौरान आगे के परीक्षण के लिए बीज वृद्धि हेतु प्राप्त किसानों की छह किस्मों ज्ञुमकुल (REG/2017/1132), इंदूरी (REG/2017/1133), मनोहर मूँगफली (REG/2017/1134), बढ़ेलीफल्ली (REG/2017/1278), सौथाफल्ली (REG/2017/1285) तथा जीत बादाम (REG/2017/2310) का गुणन किया गया।

3.1.36 भाकृअनुप–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (आम), लखनऊ

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आम में डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। केन्द्र को कृषक किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत 25 किस्मों के डीयूएस परीक्षण / ऑनसाइट परीक्षण हेतु सूचना मिली थी। प्राधिकरण



अध्याय 3 : डीयूएस परीक्षण केन्द्र

3.1 डीयूएस (विशेषता, एकरूपता, स्थायित्व) परीक्षण केन्द्र

3.1.1 भाकृअनुप—भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में खरीफ, 2017 के दौरान चावल के 44 प्रत्याशी किस्मों के सातवें सेट का 70 संदर्भ किस्मों की तुलना में डीयूएस परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त दूसरे वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत 25 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 11 नई किस्मों, 12 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 9 सामान्य ज्ञान की किस्मों का मूल्यांकन किया गया।



वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण में 91 कृषक किस्मों का जोड़ी पंक्ति परीक्षण तथा 132 कृषक किस्मों का डीयूएस गुणचित्रण भी सम्मिलित किया गया। तदानुसार, डीयूएस दिशानिर्देश के अनुसार विवरणकों (डिस्क्रिप्टर्स) को दर्ज किया गया।

अनुरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईआरआर प्रक्षेत्र में सर्वाधिक 140 आरसीवी उगाए गए। इन आरसीवी का रखरखाव प्रोजेनी रो टेस्टिंग में उल्लेखित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों वाली एक निगरानी दल ने 02 नवम्बर, 2017 को इक्रीसैट परिसर स्थित आईआईआरआर के प्रक्षेत्र में डीयूएस परीक्षण भूखण्डों का दौरा किया।

- डॉ. एस. आर. धुआ, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर—एनआरआरआई — अध्यक्ष
- डॉ. टी. के. नागरल्ला, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए — प्राधिकरण की प्रतिनिधि
- डॉ. एल. वी. सुब्बा राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, पादप प्रजनन, आईसीएआर—आईआईआरआर—नोडल अधिकारी (डीयूएस)।



बेयर क्रॉप साइंसेस; अजीत सीड़स प्राइवेट लिमिटेड; त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड; पायनीर ओवरसीस कार्पोरेशन; नूजीवीडू सीड़स लिमिटेड; मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेस लिमिटेड तथा बायोसीड रिसर्च इंडिया के प्रतिनिधिगण इस मॉनीटरिंग के दौरान उपस्थित रहें थे।

परीक्षणों का सामान्य प्रवर्तन तथा फसल का ठहराव अच्छा रहा और चावल में डीयूएस परीक्षण, सुझाए गए तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार पाया गया। सभी प्रत्याशी किस्मों और संदर्भ किस्मों का फील्ड डाटा दर्ज किया गया और सख्योत्तर डाटा दर्ज करना बाकी है।

- सभी प्रयोगों का रखरखाव अच्छी तरह किया गया और सभी भूखण्डों में फसल का ठहराव भी अच्छा रहा है।
- कुछ मामलों में दावा की गई विशेषताएं निगरानी के दौरान पाई गई सूचनाओं (जैसे तने की लम्बाई, पत्ती ब्लेड की यौवनता तथा पैनीकल एक्सरेशन) से मेल नहीं खा रहीं थीं। इस प्रकार की सूचनाओं को डाटा शीट में दर्ज कर इन पर बीज कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर लिए गए।
- परीक्षण के दूसरे वर्ष की कुछ सामग्री निर्धारित क्षेत्र से दूर खेत में उगाया जा रहा था। यह सुझाव दिया गया कि उन परीक्षणों को भी निर्धारित क्षेत्र में व्यवस्थित करें।

टीम ने सुझाव दिया कि फसल की कटाई समय पर उनकी परिपक्वता के अनुसार करें और सख्योत्तर सूचनाओं से संबंधित डाटा दर्ज कर कार्य पूर्ण करें।

3.1.2 भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (क्षेत्रीय केन्द्र), करनाल

यह केन्द्र उत्तरी भारत में चावल के डीयूएस परीक्षण के लिए एक सह—नोडल केन्द्र है। खरीफ 2017 के दौरान 11 संदर्भ किस्मों के साथ 04 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। कृषकों के कुल 04 किस्मों (कृषक किस्में) का भी डीयूएस परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त खरीफ 2017 में 20 संदर्भ किस्मों का किस्मीय रखरखाव तथा 28 बासमती किस्मों की अनुरक्षण विशेषताओं का भी चित्रण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण किए गए किस्मों की संख्या

फसल	नई किस्में		कृषक किस्में	कुल	निगरानी की तिथि
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
चावल	02	02	04	08	25 अक्टूबर, 2017



डॉ. वी.के. पंडिता, अध्यक्ष,
आईएआरआई क्षेत्रीय केन्द्र,
करनाल के अधीन निगरानी

3.1.3 असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम

चावल में डीयूएस परीक्षण के लिए यह एक सह—नोडल केन्द्र है, विशेषकर पूर्वी/उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों के लिए।

3.1.3.1 प्रथम वर्ष का मूल्यांकन

वर्ष 2017 के दौरान प्राधिकरण से प्राप्त कृषकों के निम्नलिखित 12 चावल की किस्मों का खरीफ, 2017 में गुणचित्रण किया गया।

किस्मों की 30 दिन आयु वाले नवोद्भिद पौधों को 04 पंक्तियों वाले भूखण्डों में दोहराव के साथ 04.08.2017 को प्रतिरोपित किया गया। तथापि दो किस्मों (टे योह, चक्को योह) में अंकुरण नहीं हुआ है अतः उन्हें मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग
REG/2016/1943	खम्बा फोउ
REG/2017/1442	केशो फोउ
REG/2017/1443	कथाइ फोउ
REG/2017/1444	दार्सम फोउ
REG/2017/1445	राजेन और नेरगेन फोउ
REG/2016/566	यमनायक

पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग
REG/2016/1944	सानायांबी फोउ
REG/2014/1318	टाइ यूथ
REG/2014/1313	चक्को यूथ
REG/2016/564	वाम्शू
REG/2016/565	ताहन्यू
REG/2016/567	फुहा—थह

दिशानिर्देशों के अनुसार खेत एवं प्रयोगशाला में विभिन्न गुणों से संबंधित सूचनाओं को दर्ज किया गया।

दूसरे वर्ष का डीयूएस परीक्षण :

प्राधिकरण से वर्ष 2016 में प्राप्त कृषकों के 55 चावल किस्मों के एक अन्य सेट का जैसे नीचे उल्लेख किया गया है, 11 संदर्भ किस्मों के साथ खरीफ, 2017 के दौरान डीयूएस परीक्षण किया गया। एक माह आयु के नवोद्भिद पौधों को 4 पंक्तियों वाले भूखण्ड में प्रतिरोपित कर दिनांक 08.08.2017 को दो बार दोहराया गया।

दिशानिर्देशों के अनुसार खेत एवं कटाई उपरांत के विभिन्न गुणों से संबंधित सूचनाओं को दर्ज किया गया।



किस्में	डीयूएस केंद्र
सदा माला, शेषफल, शेषफल-1, शिआल भूमरा, सितालकूची-1, सितालकूची-2, सितालकूची-3, सितालकूची-5, सितालकूची-6, सूंगा बोरे, तारा पाकरी, तारा पाकरी सलेक्शन-1, तराइ रिसर्च सोसायटी-1, तराइ रिसर्च सोसायटी-4, तुलैपंजी—एडी, तुलशीभोग, उत्तर बंगा लोकल-1, उत्तर बंगा लोकल-2, उत्तर बंगा लोकल-3, उत्तर बंगा लोकल-4, उत्तर बंगा लोकल-5, उत्तर बंगा लोकल-8, उत्तर बंगा लोकल-9, उत्तर बंगा लोकल-13, उत्तर बंगा लोकल-18, उत्तर बंगा लोकल-19, लाल ध्यापा, लागी धन, मालशिरा	असम कृषि विश्वविद्यालय एवं एनआरआरआई—आईसीएआर
राजा साली, कागा मिमा, नासिंगकेट, पुराजोनी, मिकाटचु, मिमिटिम, जाहा सिमाइल, पाइचोंग, अर्निंगका, मिनिल, मालसिरा, वयिफिर, फाजु, आईडीएडब्ल्यू—1	असम कृषि विश्वविद्यालय, असम एवं आईसीएआर—एनईएच, नागालैंड
हौसिर, एएसओ, नापि फोउ, संग संगबा, सिपिबुह, मिकोरोरो—ए, फौरैल फौजाओ, नेपाड़े—ए, लांगफोउ चाखाओ, सराए नाप, काहुंगजा—ए, लोंगमझ	असम कृषि विश्वविद्यालय, असम एवं आईसीएआर—एनईएच, मणिपुर

अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

इनके अतिरिक्त खरीफ, 2017 के दौरान अनुरक्षण / गुणचित्रण हेतु 12 संदर्भ किस्में नामतः लचित, बहादुर, लुइत, गितेश, अघोनी, महसूरी, रंजित, मनोहरसाली, स्वर्णा, कटेकीजोहा, स्वर्णा तथा स्वर्णा सब 1 उगाया गया।

3.1.4 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयमबत्तौर

वर्ष 2017–18 के दौरान कृषकों के तीन किस्मों नामतः थोम्बे, बास जिनिया तथा रक्ताशाली का गुणचित्रण किया गया। डॉ. एल. वी. सुब्बा राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी (डीयूएस), आईआईआरआर, हैदराबाद ने जुलाई, 2017 निगरानी दौरे के तहत डीयूएस परीक्षण खेतों का दौरा किया और खेतों के रखरखाव की सराहना की।



इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 के दौरान आईआईआरआर से प्राप्त 22 चावल



किस्मों जैसे जगतियाल साम्बा (जेजीएल 3844), कुन्नारा सन्नालु (केएनएम 118), प्रथियुम्मा, सोमनाथ (डब्ल्यूजीएल 347), शीतल (डब्ल्यूजीएल 283), रामप्पा (डब्ल्यूजीएल 23985), सिद्धी (डब्ल्यूजीएल 44), जेजीएल 11118, केएनएम 110, गंगावती सोना, वीएल-धान—157, वीएल-धान—68, पंत बासमती—1, पंत बासमती—2, प्रताप सुगंधा—1, केएमपी—105, बलशमुथी, आरसी मनीफोउ—11, कैआरएच—4, एआरबी—6, सीएसआर—43 तथा आरसी मनीफोउ—12 का अनुरक्षण प्रजनन सह गुणचित्रण किया गया। इस संदर्भ में पादप तथा बीज के आकृतिमूलक गुणों का प्रलेखन किया गया और डाटा शीट तैयार किया गया।

3.1.5 भाकृअनुप—राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

केन्द्र की उल्लेखनीय प्रगति

- प्रथम वर्ष के परीक्षण :** डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष के परीक्षण हेतु 50 प्रत्याशी किस्मों तथा 50 संदर्भ किस्में प्राप्त हुईं। इस सेट को दिनांक 21.06.2017 को नर्सरी में बोया गया तत्पश्चात 21.07.2017 को निर्धारित खेत में प्रतिरोपित किया गया।
- दूसरे वर्ष के परीक्षण :** दूसरे वर्ष के डीयूएस परीक्षण हेतु 09 प्रत्याशी किस्मों के एक सेट के साथ 31 संदर्भ किस्में प्राप्त हुईं। इन किस्मों को दिनांक 19.06.2017 को नर्सरी में बोया गया तत्पश्चात 19.07.2017 को मानक डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार दो क्रम रहित भूखण्डों में प्रतिरोपित किया गया। डीयूएस परीक्षण से संबंधित सभी विशेषताओं को दर्ज किया गया।



- वीसीके के 09 तथा 18 संदर्भ किस्मों का एक सेट डीयूएस परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ। इस सेट को दिनांक 21.06.2017 को बोया गया तत्पश्चात 21.07.2017 को खेत में प्रतिरोपित किया गया।
- कृषकों के 97 किस्मों (किसानों के 125 किस्में, जिनमें से 28 का अंकुरण नहीं हुआ) के एक सेट को दिनांक 19.06.2017 को बोया गया और दिनांक 21.07.2017 को प्रतिरोपित किया गया।

खरीफ 2017 में डीयूएस परीक्षण के लिए उपरोक्त प्रयोग किया गया जिसके अनेक विशिष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रत्याशी एवं वीसीके के दावे किए गए समूहीकरण विशेषताएं प्रजनक द्वारा दावा की गई विशेषताओं से पूर्णतः मेल खाती हैं।

सभी आंकड़ों का आकृतिमूलक से जैवरसायनिक तक के विश्लेषण किए गए। इन आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत कर पीपीवी एवं एफआरए को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, दूसरे वर्ष में 09 प्रत्याशी किस्मों का एक अन्य सेट के साथ 31 संदर्भ किस्मों का परीक्षण किया गया। प्रथम वर्ष की तुलना में किसी भी विशेषता में कोई भिन्नता नहीं पायी गयी। मॉनीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार फसल का ठहराव अच्छा था। कुल 46 किस्मों में हरे रंग की नुकीली शीथ पायी गयी, जब कि जीके120, एनपी10026, एमआर8666, पीएन 5047 में रंगविहीन नुकीली शीथ हैं। तीन किस्मों जैसे आर834एफ, आरए403एफ, एमआर8666 में छिलका उतारा हुए धान्य जैसा हल्के भूरे रंग की नुकीली शीथ होती हैं। परीक्षित अधिकांश किस्मों में तने की लम्बाई मध्यम (111–130 से.मी.) स्तर की है। इन सभी किस्मों में से केवल 17 किस्मों में ही शूक विद्यमान हैं।

सीआर धान 404 में 1000 धान्य का अधिकतम भार पाया गया यानि 32.0 ग्रा। तीस (30) में धान्य की लम्बाई मध्यम (8.6–10.5 मि.मी.) पायी गयी जब कि 20 किस्मों में धान्य की कम (6.1–8.5 मि.मी.) लम्बाई देखी गयी। लगभग सभी किस्मों में प्रति पौध पुष्पगुच्छों की संख्या मध्यम स्तर (11–20) की रहीं। तीस (30) किस्में फेनॉल के प्रति सकारात्मक पाए गए। सहभागी धान में एमीलेज की उच्चतम प्रतिशत देखी गई और इसके बाद का स्थान एनपी 9862 का रहा है जिसमें एमीलेज 26.02 प्रतिशत दर्ज किया गया।

अद्धारह (18) संदर्भ किस्मों के विरुद्ध 9 वीसीके किस्मों का परीक्षण किया गया। इन किस्मों में हरे रंग की नुकीली शीथ विद्यमान है। सभी 9 किस्मों में से तने की अधिकतम लम्बाई (96.4 से.मी.) आर 849 किस्म में पायी गई और इसके बाद का स्थान आर915 (95.6 से.मी.) का रहा है। इन सभी किस्मों में से दो किस्मों आर 874 तथा आर 909 एफ में शूक पाए गए हैं। एक हजार (1000) धान्य का अधिकतम भार एमसी 13 (28 ग्रा) और डीआरएच 836 (26 ग्रा.) में दर्ज किया गया। धान्य की अधिकतम लम्बाई 10.31 मि.मी. आर 818 एफ में पायी गई और इसके बाद का स्थान क्रमशः एमसी 13 (9.48 मि.मी.), डीआरएच 836 (9.0 मि.मी.), आर 871 एफ (8.94 मि.मी.) तथा आर 909 एफ (8.93मि.मी.) का रहा है। आर 909 एफ तथा अक्षया किस्मों में प्रति पौध पुष्पगुच्छों की संख्या अधिक (> 20) पायी गयी है। एक किस्म आर 818 एफ में काफी लम्बे > 30 से.मी. पुष्पगुच्छ पाए गए हैं। किस्मों जैसे आर 871 एफ, आर 874 एफ, एमसी 13 तथा डीआरएच 836 में भी लम्बे (26–30 से.मी.) पुष्पगुच्छ पाए गए हैं। सात किस्में फेनॉल के प्रति सकारात्मक पायी गयी हैं। किस्मों जैसे डीआरएच 836, अक्षया तथा आर 871 एफ में एमीलेज का उच्च प्रतिशत क्रमशः 21.75, 21.15 तथा 20.77 देखी गयी। प्रत्याशी किस्मों तथा वीसीके की तुलना में उगाए गई संदर्भ किस्मों जिनमें दावे की गई विशेषताओं की पूर्ति होती हैं उन्हें जीन बैंक में संरक्षित किया गया है। उपयुक्त प्रारूप में डाटा को दर्ज कर प्राधिकरण को भेजा गया है। समस्त आकृतिमूलक एवं जैवरसायनिक डाटा को उपयुक्त रूप से दर्ज कर कम्प्यूटरीकृत किया गया।

कृषकों की 97 किस्मों के एक सेट का परीक्षण किया गया और समस्त डाटा का आकृतिमूलक से जैवरसायनिक स्तर तक विश्लेषण किया गया। बैंगनी रंग की नुकीली शीथ 13 किस्मों में, दो किस्मों में रंगविहीन नुकीली शीथ तथा शेष में हरे रंग की शीथ पाई गई। समस्त किस्मों में से 21 किस्मों में शूक पाए गए, 97 किस्मों में से 25 किस्मों में तने की अधिकतम लम्बाई 131–150 से.मी देखी गई और 13 किस्मों की तने की लम्बाई बहुत ही कम (ढ 91 से.मी.) पायी गयी। बैंगनी रंग की नुकीली शीथ गाली किस्मों में स्टिग्मा, नॉड, इन्टरनॉड हैं तथा सिरे का रंग बैंगनी रंग में है। चिंगरी बाबा, चिरीगुरी हाल्का, कोरया तथा सिमरी कोंटा किस्मों में लम्बे शूक (3–4 से.मी.) पाए गए हैं।

कृषकों के समस्त किस्मों में से बारून पीडी किस्म के 1000 धान्य का भार अधिकतम पाया गया। परमल पीआर तथा गोपाल 1 किस्मों में धान्य की लम्बाई अधिकतम क्रमशः 10.60 मि.मी. तथा 10.04 मि.मी. पायी गयी। इसी प्रकार, राधुनी पागल (5.88 मि.मी.) राधुनी पोगोल (5.49 मि.मी.) धान्य की लम्बाई न्यूनतम दर्ज की गई। आका (32), अस्कलमा पीडी 2 (21–23), बलाय (23–25), चिंगरी बाबा (25–27), कर्पूर सुन्या दाहर (20–22), करानी बीएल (20–22) और सीता गंगसैर (23–24) में तुलनात्मक रूप से प्रति पौध पुष्पगुच्छों की संख्या अधिक पायी गई। घोरा (28.27), डुगी गोरा (27.90), भंगानी बीएल (27.52), गंजाय जटा बाबा (26.92) तथा सीता बाला गोडा (27.90) किस्मों में एमीलेज की प्रतिशत अधिक पायी गई। किसानों की किस्मों की इस सूची में केवल 6 किस्में ही सगंधीय हैं।

खरीफ 2017 में डीयूएस परीक्षण का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	किस्म	किस्मों की सं.	प्लॉट नं.	बुवाई की तारीख	रोपण की तारीख
1.	प्रत्याशी (द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण)	09	N ₁ e (Rep-I & II)	21/06/2017	19/07/2017
	संदर्भ	31			
2.	किसानों की किस्म	97	N ₁ d (Rep-I & II)	19/06/2017	19/07/2017
3.	प्रत्याशी (प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण)	50	N ₁ c (Rep - I)	21/06/2017	21/07/2017
	संदर्भ	50			
4.	प्रत्याशी (प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण)	50	N ₁ b (Rep - II)	21/06/2017	21/07/2017
	संदर्भ	50			
5.	वीसीके	09	N ₁ a (Rep- I & II)	21/06/2017	21/07/2017
	संदर्भ	18			
6.	पुष्पगुच्छ संतति	27	N1a, N1b, N1c	19/06/2017	21/07/2017

एनआरआरआई—राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को कृषक अधिकार पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि—जैवविविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें तीन राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा झारंखंड से 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. टी. महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप; श्री एस. के. पटटनायक, सचिव, डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू; अध्यक्ष, पीपीवी एण्ड एफआरए तथा विकास आयुक्त, ओडिशा सरकार उपस्थित हो कर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा जिससे इसकी काफी सराहना हुई।


3.1.6 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रथम वर्ष में चावल के 402 किस्मों को परीक्षण के लिए रखा गया जिनमें से 8 किस्मों में अंकुरण नहीं हुआ है। वे किस्में इस प्रकार हैं—(पंजी/2017/625) लोनागी रामसिया, (पंजी/2017/721) इरपाची धान, (पंजी/2017/754) करधाना सरोज, (पंजी/2017/1148) सुरेश लाल धान, (पंजी/2017/1156) बनपुर धान, (पंजी/2017/1167) सेट भादायनु, (पंजी/2017/1229) भौंरी ब्रजेश तथा (पंजी/2017/1230) लोंगी सेवक।



3.1.6 कृषकों की किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए भूखण्ड का तकनीकी विवरण

- जोड़ी पंक्तियों के एक सेट के दो पंक्तियों के बीच की दूरी : 30 से.मी.
- एक जोड़ी पंक्तियों के एक सेट और दूसरे सेट के बीच की दूरी : 45 से.मी.
- एक पंक्ति में दो टीलों के बीच की दूरी : 20 से.मी.
- पौध समशिट : 20 टीलें/पंक्ति
- किसानों की प्रत्येक किस्म को जोड़ी पंक्तियों के दो सेटों में रोपित किया और प्रत्येक सेट को दो बार दोहराया गया अर्थात प्रत्येक किस्म के 4 सेट यानि 160 टीलें।
- डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक दोहराव में क्रम रहित रूप से चुने गए 10 पौधों से संबंधित डाटा दर्ज किया जाएगा।
- ग्रो—आउट—टेस्ट के दौरान किसानों की विशिष्ट किस्मों की पहचान की गई जैसे पंजी/2017/288 तथा पंजी/2017/289 (वन्य प्रकार के), कुछ किस्में उच्च उपज वाले हैं जैसे पंजी/2017/580, पंजी/2017/186, पंजी/2017/351, पंजी/2017/180, पंजी/2017/887, पंजी/2017/267, पंजी/2017/836, पंजी/2017/442, पंजी/2017/831, पंजी/2017/653।



3.1.7 भाकृअनुप—भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल

फसलवार प्रगति इस प्रकार है :

3.1.7.1 ब्रेड व्हीट (चपाती गेहूं)

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल गेहूं एवं जौ के डीयूएस परीक्षण के लिए एक नोडल केन्द्र है। पीपीवी एवं एफआरए के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण हेतु गेहूं एवं जौ को बोया गया। वर्ष 2017–18 की फसल अवधि के दौरान, गेहूं के 10 प्रत्याशी किस्मों {गेहूं (ब्लू), रंगीन गेहूं (ब्लू–2), रंगीन गेहूं (ब्लू–3), रंगीन गेहूं (बिंगनी), रंगीन गेहूं (ब्लाक), एनएबीआईएमजी 10', एनएबीआईएमजी 11', एनएबीआईएमजी 12', एचडीसीएसडब्ल्यू 16, एचडीसीएसडब्ल्यू 18} तथा नए वर्ग (परीक्षण के दूसरे वर्ष) के अंतर्गत किसानों की 3 किस्मों (मोहित गोल्ड, सोनाली—केएडब्ल्यू तथा गोहोम) का डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत 29 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध तीन प्रतिकृतियों के साथ परीक्षण किया गया।



परिशुद्धिकरण हेतु ग्रो—आउट टेस्ट के लिए कृषकों की 67 किस्मों (परीक्षण के प्रथम वर्ष) को उगाया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सूचनाओं को एकत्रित किया गया और संकलन कार्य जारी है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान अनुरक्षण प्रजनन / गुणचित्रण की प्रगति निम्नानुसार है—

गेहूं	
नया प्रथम वर्ष	एनएबीआई एमजी 10*, एनएबीआई एमजी 11*, एनएबीआई एमजी 12*
नया द्वितीय वर्ष	एचडीसीएसडब्ल्यू 16, एचडीसीएसडब्ल्यू 18, रंगीन गेहूं (नीला), रंगीन गेहूं (नीला–2), रंगीन गेहूं (नीला–3), रंगीन गेहूं (बिंगनी), रंगीन गेहूं (काला)
वीसीके	शून्य
किसानों की किस्में (गुणचित्रण / शुद्धिकरण)	वंशी मुकेश, गेहूं गुलजार, बादाम, त्रिपति लाली, एसकेएफ—सीएन 5, मंडी, एसकेएफ—डब्ल्यूए 2022, एसकेएफ—डब्ल्यूए 462 (वामन), एसकेएफ—डब्ल्यूए 6058, गेहूं सरबती पीली, ब्रिटा सुजीत, बेटाइया, सफेशी नागेन्द्रा, सफेदाजोखु, गोरखनाथ नं. 1, आजाद, पटेल—10, गुहुम, एसकेएफ—डब्ल्यूए 6051, पालक, शेतायी, गेहूं सीताबाई, शरबती राजपाल, सुकलाल गेहूं, गेहूं सिपातिया, सेहवा पीली गेहूं मुकेश, सरबती कालूराम, खारिया, बारका, पंच हीरा, चुर्का सफेदी गुरु, स्मृति, महाराजपुरा गेहूं सोनालिका, गेहूं पासी, हेमा, चपातिया, सककूह, चातक, सेहरा, श्रीमन गेहूं, नंदराम गेहूं, मंगला 1, गजब, मंगला रामजी, सेहरिया, श्याम, मंगला अजय, गेहूं लाल मुंडिया (जीकेएसएस गेहूं–1), गेहूं सफेद मुंडिया (जीकेएसएस गेहूं–1), गेहूं झुनसिया (जीकेएसएस गेहूं–3), सरबती फूल सिओरी, गेहूं चंद्रभान, काथिया मुक्ता, एसकेएफ—डब्ल्यूडी—7003, अमरी गेहूं नीम्हा काथिया संकर, बिलास, शोडा, सूरजमणी, उलोचना
कृषकों की किस्में (डीयूएस परीक्षण)	मोहित गोल्ड, सोनालिका—केएडब्ल्यू, गोहोम, लाम्हरवान गेहूं काथिया देसी गेहूं

3.1.7.2 जौ



वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षणों के अंतर्गत किसानों के कुल 17 जौ किस्मों का परीक्षण किया गया। किसान की किस्म भगत जौ–1 (ग्रो–आउट टेस्ट के लिए) तथा गुणचित्रण एवं समूहीकरण विशेषताओं के लिए किसानों की 16 किस्मों को उगाया गया। डीयूएस की 32 विशेषताओं के वैधीकरण के लिए 99 संदर्भ किस्मों को भी उगाया गया।

डॉ. एस.एम.एस. तोमर, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, अनुवांशिकी प्रभाग, आईएआरआई की अध्यक्षता में डॉ. टी. के. नागरला, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, डॉ. अरुण गुप्ता, नोडल अधिकारी (डीयूएस गेहूं) तथा सह–नोडल अधिकारी डॉ. चरण सिंह, आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल का एक दल ने दिनांक 04.04.2018 को आईआईडब्ल्यूबीआर में डीयूएस गेहूं की निगरानी की।

पीपीवी एवं एफआरए के दिशानिर्देशों के अनुसार भूखण्डों को व्यवस्थित किया गया। प्रत्याशी किस्मों तथा संदर्भ किस्मों को तुलनात्मकता के लिए बगल बगल में उगाया गया। 432 संदर्भ किस्मों के साथ साथ 119 उदाहरण किस्मों को आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल में रखरखाव किया जा रहा है। डीयूएस परीक्षणों का समग्र निष्पादन अच्छा रहा है। फसल साप्ट डौ अवस्था में पायी गई और डीयूएस परीक्षणों में अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में मॉनीटरिंग के दौरान दावा की गई सभी विशिष्टताएं पाई गईं। किसानों की किस्मों में अत्यधिक मिक्चर देखा गया।

3.1.7.3 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

फसलें	वर्ष 2017–18 में रखरखाव प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम एवं संख्या
गेहूं	रिलीज की गई किस्में (ऐस्टिवुम) रिलीज की गई किस्में (झूरम एवं डिकोकम) रिलीज की गई किस्में (1965 से पूर्व) उदाहरण किस्में
जौ	संदर्भ एवं उदाहरण किस्में
	— 264 — 36 — 58 — 119 — 99

3.1.8 भाकृअनुप–भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

मक्का की संदर्भ किस्मों, अंतःप्रजनन वाले वंशक्रमों तथा मक्का संकरों (एकल संकरण, त्रिकोणीय संकरण आदि) के बीज उत्पादन का रखरखाव जिन्हें डीयूएस परीक्षण में उपयोग किया जा रहा है, के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी तथा वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य पौधों/समर्शिटयों की संख्या के उपयोग से सेल्फिंग के माध्यम से रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रजनन समूह या संस्थान जो जीनप्ररूपों को विकसित किया है, वह आनुवांशिक अखण्डता तथा निर्धारित समय अवधि तक जीनप्ररूपों के रखरखाव के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। अतः एआईसीआरपी केन्द्रों/अनुसंधान संस्थानों

विवरण	परीक्षण के अंतर्गत नई प्रविष्टियां				वीसीके (एक वर्षीय परीक्षण)	
	स्वाभाविक वंशावलियां		संकर		स्वाभाविक वंशावलियां	संकर
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
सार्वजनिक	-	-	3	3	-	-
व्यक्तिगत	22	25	18 [16+2]	25 [21+4]	2	3 [2+1]
किसानों की	-	-	-	-	-	-
उप–योग	22	25	21 [19+2]	28 [24+4]	2	3 [2+1]
योग	47		49 [43+6]		5 [4+1]	

जिन्होंने अंतःप्रजनन वाले वंशक्रमों और/या किस्मों (ओपीवी/संकर) को जारी किए हैं, उन्हें संदर्भ प्रविष्टियों के रखरखाव का दायित्व दिया गया है।

वर्तमान ऋतु के अंत में सभी संबंधित व्यक्तियों या अनुसंधान संस्थानों या एआईसीआरपी केन्द्रों से अनुरोध किया गया है कि संदर्भ किस्मों का पर्याप्त परिमाण में बीजों का उत्पादन करें और डीयूएस परीक्षण में उपयोग की जा रही सभी संदर्भ प्रविष्टियों के प्रजनक बीजों को प्रस्तुत करें।

3.1.9 भाकृअनुप—भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

ज्वार के डीयूएस परीक्षण के लिए भाकृअनुप—भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान एक नोडल केन्द्र है और एमपीकेवी, राहुड़ी सह—नोडल केन्द्र है। इसमें डॉ. हरिप्रसन्ना, के./डॉ. अमासिद्धा, बी एवं सी. दीपिका, वैज्ञानिक समिलित हैं।

3.1.9.1 वर्ष 2017–18 के दौरान प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण संबंधी विवरण

फसलें	नई		वीसीके	कृषक किस्में	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष प्रविष्टि	द्वितीय वर्ष प्रविष्टियाँ			
खरीफ 2017	1	11	-	42*	07.09.2017
रबी 2017–18	-	2	-	7**	13.03.2018

(*सभी रबी प्रकार की हैं, इसलिए रबी 2017–18 के दौरान दोबारा रोपण किया गया)

(**दूसरे वर्ष के लिए परीक्षित)

लगभग सभी प्रत्याशी किस्मों में समग्र फसल वृद्धि तथा आकृतिमूलक विशेषताओं की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी रही है; कुछ प्रत्याशी किस्मों जैसे जीके 4060, जीके 4063, डीजे 2233, स्टार, एमएलएसएफआर 0300, एमएलएसएफआर 0179, एमएलआर 0210एमएलबी 0092 तथा एमएलबी 0052 में दावा किए गए गुणों की अवस्था तथा देखी गई अवस्था में थोड़ा अन्तर पाया गया है। मॉनीटरिंग कमेटी पायी गई स्थिति से सहमत है; किसानों की सभी किस्में रबी प्रकार के हैं और इनका परीक्षण आने वाली रबी ऋतु में किया जाना है।

रबी 2017–18 : सभी प्रविष्टियों में समग्र फसल वृद्धि तथा आकृतिमूलक विशेषताओं की अभिव्यक्ति और परीक्षण का प्रबंधन कार्य बहुत ही अच्छा रहा है; फसल अवधि के दौरान अत्यधिक ठण्डी स्थितियों के कारण कुछ प्रविष्टियों में अत्यधिक टिल्लरिंग देखी गई है। अब तक दर्ज की गई सूचनाओं में एसवाईएन—एसआर—डीजे 4062 किस्म में एक गुण को छोड़कर दोनों ही प्रत्याशी किस्मों में दावा किए गए गुणों में कोई अन्तर नहीं है; दुदानिया हरि और छोटे ज्वार में अंकुरण बहुत ही कम हुआ है जब कि भदेली ज्वार भुवन में यह शून्य रहा है; किसानों की कुछ किस्मों में ऑफ टाइप्स देखे गए जब कि कुछ किस्मों में ऑफ टाइप्स की संख्या काफी अधिक थी।

किसानों की कुछ किस्में आकृतिमूलक रूप से समान पाई गई जैसे ज्वार गनपत और विछुआ ज्वार सम्पत, मलागर और झलारी चाक, ज्वार की और ज्वार की महर्सा, ज्वार गाजर, ज्वार मेहताप और ज्वार संतलाल।

2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्में
2077ए, 2077बी, 2219ए, 2219बी, 27ए, 27बी, 296ए, 296बी, IMS 9ए, IMS 9बी, एकेएमएस 14ए, एकेएमएस 14बी, 7ए, 7बी, एकेएमएस 14ए, एकेआर 150, 104 ए, आरएस 585, एमएस 7ए, आरएस 627, सी 43, सीएस 3541, सीएसवी 12आर, सीएसवी 29आर, सीएसवी 7आर, सीएसवी 8आर, डीएसवी 5, एम 35-1, परभणी मोती (1411), फुले रोहिणी, फुले सुचित्रा, फुले उत्तरा, एसएसजी 593, आईसीएसबी 467, पंतचारी 6, डीजे 6514, बागदल पीली ज्वार, भोगल गोल ज्वार, बारिश ज्वार, कोदामुर्का जोला (कोदामुर्का बुंडुडेनी), अफजापुर लोकल, रामपुर लोकल, एसपीएसएसवी 30, आरएस 647, सीएसएच 14, सीएसएच 15, सीएसएच 23, आईसी 568477, आईएस 18541, आईएस 40107, आईएस 3920, आईएस 3828, आईएस 2806, आईएस 965, आईएस 1025, आईएस 1067, आईएस 11, आईएस 12, आईएस 37, आईएस 25040, आईएस 62, आईएस 3457, आईएस 3589, आईएस 22361, आईएस 67, आईएस 74, आईएस 1079, आईएस 158, आईएस 190, आईएस 60, आईएस 170, आईएस 206, आईएस 3076, आईएस 10284, आईएस 19303, आईएस 1481

3.1.9.2 अनुरक्षण/गुणचित्रण के अधीन किस्में : 76



रिपोर्ट वर्ष 2017–18 के दौरान, खरीफ और रबी ऋतु प्रत्येक में 2 परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। खरीफ ऋतु के दौरान ज्वार के कुल 12 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस गुणों के लिए परीक्षण किया गया और ऋतु के दौरान 2 प्रत्याशी किस्मों तथा किसानों की 7 किस्मों को संबंधित संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षण किया गया। रबी ऋतु के दौरान पीपीवी एवं एफआरए से प्राप्त किसानों की 42 किस्मों को भी डीयूएस गुणचित्रण हेतु रोपित किया गया। एनफोर्सेंड सेलिंगं/नियंत्रित परागन के अंतर्गत रबी 2017–18 के दौरान 76 संदर्भ किस्मों (ओपीवी/पैतृक वंशक्रम/संकर/आईएस लाइन्स) का अनुरक्षण प्रजनन कार्य किया गया। ज्वार एवं

बाजरा के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु 07 सितम्बर, 2017 को डॉ. सी. एल. एल. गौड़ा, पूर्व उपमहानिदेशक, इक्रीसैट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। दिशानिर्देशों के संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया और डीयूएस विवरणों के लिए सचित्र उदाहरणों के साथ पीपीवी एवं एफआरए को प्रस्तुत किया गया।

3.1.9.3 केन्द्र से प्रकाशित साहित्य

- हरिप्रसन्ना के., पी. सुरेश, अमासिद्धा बी. एवं दीपिका सी। ज्वार में डीयूएस परीक्षण की स्थिति तथा दिशानिर्देशों की समीक्षा। परियोजना समन्वयक की रिपोर्ट में, वार्षिक ज्वार समूह की बैठक—2018, ज्वार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, भाकृअनुप—भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद 500030, भारत, पृ.सं. 28–35।
- वैकटेश भट बी., अरुणा सी., हरिप्रसन्ना के., अविनाश सिंगोडे, सूरगन्ना डी., अमासिद्धा बी., दीपिका सी. रघुनाथ कुलकर्णी एवं सुरेश पी। 2018। न्यूकिलयस एवं ब्रीडर बीज उत्पादन, मेघा सीड प्रोजेक्ट, विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, खरीफ 2017–18। प्रगति रिपोर्ट 2017–18। ज्वार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, 48 वां आम महासभा, आईआईएमआर, आईआईएमआर प्रकाशन सं. 1 / 2018–19, पृ.सं. 1–15।

(http://www.millets.res.in/aicsip17/reports/kh/9-NSP-BSP-MSP-DUS-IPR-PPV_FRA.pdf)

3.1.9.4. पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण—पत्र	विचाराधीन आवेदन
		विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
281	66	43	33	31	78	29

3.1.10 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने एमपीकेवी, राहुरी के अधिकार क्षेत्र में पुणे के कृषि महाविद्यालय परिसर में एक शाखा कार्यालय की स्थापना की। शाखा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिनांक 20.05.2017 को कृषि जैवविविधता को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय ने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पांच जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। नंदरबार जिले के दो स्थानों पर प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- प्रथम कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 08.03.2018 को चिटावी, तालुक नावापुर, जिला—नंदरबार में आयोजित किया गया और इसमें लगभग 190 किसानों ने भाग लिया।
- दूसरा कार्यक्रम दिनांक 09.03.2018 को वडगांव, तालुक शहादा, जिला—नंदरबार में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 139 किसानों ने भाग लिया।

प्रक्षेत्र तालाब में रेन फोर्स्ड एचडीपीई जीयो मेम्बरेन 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म लगाने का कार्य पूरा किया गया। तालाब का आमाप 80.60 मीटर लंबाई ग 44.50 मीटर चौड़ाई ग 7 मीटर गहराई है। यह कार्य पीपीवी एवं एफआरए से प्राप्त 5 लाख रुपयों के अनुदान सहायता से पूर्ण किया गया। डीयूएस केन्द्र की उल्लेखनीय प्रगति निम्नलिखित है:

3.1.10.1 वर्ष 2017–18 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

क्र. सं.	फसलें	नई		वीसीके		एफवी		निगरानी की
		प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	तारीख
1	ज्वार खरीफ रबी	01 -	11 02	- -	- -	- 42	- 07	07.10.2017 24.03.2018
2	बाजारा	23	10	04	-	04*	-	07.10.2017
3	चना	-	-	-	-	32	-	21.02.2018

3.1.10.2 निगरानी दल (ज्वार) का पर्यवेक्षण

- खरीफ ऋतु के दौरान परीक्षित किसानों की किस्में रबी अनुकूल पाई गई, अतः उनका परीक्षण रबी ऋतु में किया गया।
- खरीफ और रबी ऋतुओं के दौरान परीक्षित कुछ प्रत्याशी किस्मों में, दावा किए गए तथा देखे गए कुछ गुणों में हल्का सा अंतर पाया गया।
- रबी ऋतु के दौरान दुनिदिनिया हरी में बहुत ही कम अंकुरण देखा तथा और छोटे ज्वार एवं बधेली ज्वार भुवन (किसानों की किस्में) में कोई अंकुरण नहीं देखा गया।



3.1.10.3 निगरानी दल (बाजरा) का पर्यवेक्षण

- बाजरा के किसानों की तीन किस्में कसकरा, मुकी-पी तथा अकुम्बा ज्वार की किस्मों के रूप में पाया गया।
- कुछ प्रत्याशी किस्मों में दावा किए गए एवं देखे गए कुछ गुणों में हल्का सा अंतर पाया गया।
- आकृतिमूलक विशेषताओं जैसे, पुष्पगुच्छ का आकार से भ्रांति उत्पन्न होती है जिसे लाइव फोटोग्राफ से परिभाषित किया जाना चाहिए।

3.1.10.4 निगरानी दल (काबुली चना) का पर्यवेक्षण :

- अच्छे परीक्षण कार्य हेतु सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैक्टेसेस का पालन किया गया और खेत को खरपतवार मुक्त रखा गया।
- वाटी चना किस्म में काफी कम अंकुरण देखा गया।

गुणचित्रण के अधीन किस्में (किसानों की किस्में) : इस अवधि के दौरान ज्वार की 42 किस्मों, बाजरा की 01 किस्म तथा काबुली चना की 32 किस्मों का गुणचित्रण किया गया।

3.1.10.5 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन :

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण-पत्र	लंबित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
अन्न फसलें	21	22	32	02	-	22	12
छोटे अनाज	-	2	03	-	-	-	03
दलहन	12	11	15	-	-	06	09
तिलहन	9	18	16	03	-	06	13
चारा	6	7	-	-	-	-	-
नगदी फसलें	12	10	11	05	-	06	10
सब्जी फसलें	28	15	07	03	-	02	08
फल	5	5	06	01	-	-	07
बागवानी फसलें	4	5	09	-	-	-	09
कुल	97	94	100	14	-	42	71

3.1.11 भाकृअनुप-केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

डीयूएस परीक्षण गतिविधि के प्रारंभ से ही सीआईसीआर, नागपुर कपास के लिए एक सह नोडल केन्द्र है।

वर्ष 2017–18 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण निगरानी दल ने पाया कि डीयूएस परीक्षण क्षेत्र का प्रबंधन उत्कृष्ट एवं



नई		वीसीके	ईडीवी / आईवी	तारीख
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
4	4	2	1 ईडीवी एवं 1 आईवी	26.10.2017

कपास किस्मों का प्रबंधन कर रहा है। पांच भिन्न परीक्षण किए गए जिनमें परीक्षण के प्रथम वर्ष में 4 जीनप्ररूप, दूसरे परीक्षण वर्ष में 4, वीसीके के अंतर्गत 2 और एसेंसिएली डिराइव वैरायटी और इनिशियल वैरायटी प्रत्येक के 1 और संदर्भ किस्मों के अंतर्गत 12 किस्मों का परीक्षण किया गया। उपर्युक्त जीनप्ररूपों के पौधे, फूल, बॉल, लिंट, तथा बीज के गुणों की सूचनाएं प्राप्त कर ली गईं और आंकड़ों का प्रलेखन किया जा रहा है। क्लेस्टोगामी तथा डबल पेटल्लॉइडे का प्रलेखन नई विशेषताओं के रूप में किया गया जिन्हें अगली ऋतु के दौरान उनके स्थायीत्व के अध्ययन हेतु चयन किया गया। निगरानी कार्य दिनांक 26.10.2017 को डॉ. फुंदन सिंह, पूर्व निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर की अध्यक्षता में तथा डॉ. श्रीनिवास देसाई, पंजीकार एवं पीपीवी एवं एफआरए के प्रतिनिधि के अधीन किया गया।

3.1.12 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, प्रादेशिक केन्द्र, भटिंडा

यह कपास के डीयूएस परीक्षण हेतु एक सह—नोडल केन्द्र है। निम्नलिखित किस्में परीक्षण के अधीन हैं :

- प्रत्याशी किस्म : एनीसएस.904 बीटीए आरसीएच 602 बीजी.प्प्र एसवीए.371ए एसवीए.145ए एसवीएजीएमएस.47ए केआर.111ए एसडब्ल्यूसीएच 4704 बीजी प्प्र बीआईओ 54510ए बीआईओ 6165.2 बीजी प्प
- संदर्भ किस्म : अबाधिता, एल 604, जेएलएच 168, एमसीयू 5, वीना, एकेए 7, ज्वाहर ताप्ति, जेके 4, पीकेवी रजत, बडनावार—1, जीएसएचवी112

डॉ. के. रतिनावल, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर प्रादेशिक केन्द्र, कोयम्बतूर की अध्यक्षता में निगरानी दल ने दिनांक 21.09.2017 को इस स्टेशन का दौरा किया। निगरानी दल के पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएं :

- परीक्षण स्थल का लेआउट और रखरखाव बहुत ही अच्छा पाया गया है। एसवीए 145 तथा ज्वाहर ताप्ती में कोई अंकुरण नहीं हुआ है, अतः पौध समिक्षण शून्य रही है।
- अधिकांश प्रत्याशी किस्मों में फसलों की वृद्धि तथा आकृतिमूलक गुणों की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी रही है।
- डीयूएस परीक्षण दिशा—निर्देशों के अनुसार आंकड़े दर्ज किए गए।
- प्रयोगात्मक खेत की मृदा का स्तर : मृदा संरचना : बलुई दोमट; मृदा पीएच : 8.2; मृदा उर्वरता : नाइट्रोजन की कमी, फारफोरस मध्यम तथा उच्च पोटाशियम; औसत वार्षिक वर्षपात : 430 मि.मी।

3.1.13 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर

आईआईएचआर, बैंगलोर का सब्जी विज्ञान प्रभाग, डीयूएस परीक्षण के लिए एक नोडल केन्द्र है और अधिदेशित फसलें निम्नलिखित हैं : टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी और करेला, कुम्हड़ा, तरबूज, खरबूजा तथा खीरा।

डीयूएस परीक्षण का प्रमुख विवरण निम्नवत है :

फसलें	प्रत्याशी / नई किस्में		वीसीके	एफवी	संदर्भ किस्में	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां				
टमाटर	-	-	-	09	29	27.02.18
बैंगन	-	7	-	39	05	27.02.18
भिंडी	6	2	04	07	14	30.12.18
खीरा	-	-	-	01	11	-
करेला	12	-	-	23	08	अभी आयोजित की जानी है
लौकी	6	-	-	-	06	अभी आयोजित की जानी है
कुम्हड़ा	-	-	-	06	11	-

खरपतवार मुक्त है। गुणों की आकृतिमूलक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी रही है, परंतु ईडीवी एवं आईवी पूर्णतः आकृतिमूलक रूप से भिन्न हैं। केन्द्र 21

फसलवार विवरण निम्नलिखित है :

3.1.13.1 टमाटर : किसानों की 09 किस्मों और 29 संदर्भ किस्मों सहित टमाटर की कुल 38 किस्मों को वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 47 आकृतिमूलक गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण हेतु उगाया गया। डीयूएस विशेषताओं के लिए सभी प्रविष्टियों का गुणचित्रण किया गया और डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ओ. पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसल प्रभाग, आईआईएचआर, बैंगलोर की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2018 को सफलतापूर्वक की गई। पांच बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया जिन्होंने अपनी प्रविष्टियों को डीयूएस परीक्षण हेतु पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण कराया।



3.1.13.2 बैंगन : अनुरक्षण प्रजनन हेतु बैंगन की संदर्भ किस्मों को उगा कर बीजों का गुणन किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण तथा आकृतिमूलक गुणचित्रण हेतु 7 नई/प्रत्याशी किस्मों (दूसरी ऋतु) तथा 39 किसानों की किस्मों तथा 30 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। सभी प्रत्याशी/वीसीके तथा किसानों की किस्मों का डीयूएस परीक्षण विवरणकों के अनुसार आकृतिमूलक गुणों के लिए गुणचित्रण किया गया। बैंगन में डीयूएस परीक्षण निगरानी बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 को सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ. ओ. पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसल प्रभाग, आईआईएचआर, बैंगलोर ने की। छह बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया जिन्होंने अपनी प्रविष्टियों को डीयूएस परीक्षण हेतु पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण कराया।



3.1.13.3 मिंडी : डीयूएस के 31 गुणों के लिए नये वर्ग की छह किस्मों, वीसीके की चार किस्मों, किसानों की सात किस्मों तथा 10 संदर्भ किस्मों का गुणचित्रण किया गया और डीयूएस प्रविष्टियों की निगरानी डॉ. ओ. पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी फसल प्रभाग, आईआईएचआर, बैंगलोर की अध्यक्षता में दिनांक 30 दिसंबर, 2017 को सफलतापूर्वक की गई। बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और दावों की जांच की।



3.1.13.4 खीरा : केवल एक किसान की किस्म, नामतः चिंगजिन थाबी प्राप्त हुई और इसमें 98 प्रतिशत बीज अंकुरण हुआ और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी 29 डीयूएस विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन एवं गुणचित्रण का कार्य रबी 2017 के दौरान किया गया।



3.1.13.5 करेला : वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 31 आकृतिमूलक गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण करने हेतु करेला की 12 किस्मों के साथ 8 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। सभी प्रविष्टियों का गुणचित्रण डीयूएस गुणों के लिए किया गया और फसल पुष्ण अवस्था में है। फलन प्रारंभ होने के पश्चात निगरानी कार्य किया जाएगा और परिणाम देखे जाएंगे।

3.1.13.6 लौकी : वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 31 आकृतिमूलक गुणों के लिए डीयूएस परीक्षण करने हेतु लौकी की 6 किस्मों के साथ 6 संदर्भ किस्मों को उगाया गया। सभी प्रविष्टियों का गुणचित्रण डीयूएस गुणों के लिए किया गया और फसल पुष्ण अवस्था में है। फलन प्रारंभ होने के पश्चात निगरानी कार्य किया जाएगा और परिणाम देखे जाएंगे। रबी ऋतु के दौरान किसानों की 23 किस्मों को उगाया गया जिनमें से दो प्रविष्टियों में अंकुरण नहीं हुआ है। एकरूपता की जांच के लिए सामुहिक गुणों के लिए किसानों की 21 किस्मों का गुणचित्रण किया गया। 21 किस्मों में से 12 किस्मों को फल के आकार और रंग के लिए अलग किया गया।

आवेदकों के प्रतिनिधियों ने फसल और डीयूएस निगरानी निष्पादन के प्रति संतोष व्यक्त किया और सुझाव दिया कि डीयूएस निरूपक हों जिसमें परिणामों को दर्ज किया जाए और स्केल के साथ विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए ताकि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए गए परिणामों में एकरूपता हो।

3.1.13.7 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

फसलें	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम एवं संख्या
टमाटर	28 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई -8, आईसीएआर-9 तथा एसएयू-11)
बैंगान	34 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई -7, आईसीएआर-19 तथा एसएयू-15)
भिंडी	19 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई -2, 17- अन्य (आईसीएआर + एसएयू)
खीरा	12 – अन्य (आईसीएआर + एसएयू)
कुमड़ा	11 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई – 1, 10 – अन्य (आईसीएआर + एसएयू)
लौकी	18 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई – 1, 17 – अन्य (आईसीएआर-6 + एसएयू-11)
करेला	16 (स्वयं द्वारा रिलीज की गई – 1, 15 – अन्य (आईसीएआर-4 + एसएयू-11)

3.1.14 भाकृअनुप—काबुली चना पर एआईसीआरपी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

वर्ष 2017–18 के दौरान केन्द्र ने 32 किस्मों का परीक्षण किया। सूची निम्नवत है :

श्रेणी	वर्ष 2017–18 में डीयूएस परीक्षण किए गए किस्मों का मूल्य वर्ग (डिनोमिनेशन)
किसानों की किस्में	देशी राजेन्द्रा, छोटी गुलाबी, खाजिया धान, खुरारा देवरा, काला चना, कुसुम चना, खाजुआ, राम चना, झोखु खुरपुरा, हलुका, सफेद, खुरहार, वाटी चना, राज चना, मारू चना, राम चना बिछुआ चना, चना कन्हैया, चना सिपातिया रंग, चना कालिराम, चना मिनसी, चना डोंगरिया, मोहन टेंडनी चना, शिवपाल चना, सोमनाथ टेंडनी छोटा चना, गुलाबी जालेगांव, छोटा चना ब्रजभान, डीरु चना, वरापानी चना, उसारी चना, टीका चानी, पोटमी—सीएच

3.1.14.1 केन्द्र अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत निम्नलिखित 139 किस्मों का रखरखाव कर रहा है :

एकेजे 9303-12, एच 82-2, पीडीजी 03, एकेजीएस 1, एचसी-3, पीडीजी 04, अनुराधा, एचसी-5, फूले जी 0027, अन्नेगिरी 1, एचके 1, फूले जी 12, अवरोधी, एचके 2, पीकेवी 4, बीजी 1053, एचके 05-169, पूसा 1088, बीजी 1103,, आईसीसीवी 10, फूले विक्रम, पूसा 256, आईसीसीवी 2, पूसा 1105, बीजी 261, आईसीसीवी 37, पूसा 1108, बीजी 372, आईपीसीके 02-29, पूसा 209, बीजीडी 128, आईपीसीके 04-29, पूसा 240, बीजीडी 72, जाकी 9218, पूसा 244, बीजी 2085, जेजी 12, पूसा 267, बीजी 3043, जेजी 62, पूसा 329, बिदिशा, जेजी 63, पूसा 362, बिरसा चना 3, जेजी 74, पूसा 391, पूसा 408, जेजी 322, पूसा 547, पूसा 413, जेजी 412, राधे, सी 235, जेजी 06, राजास, चापफा, जेजी 11, आरएयू 52, सीएसजी 8962, जेजी 130, आरएसजी 2, सीएसजेडी 884, जेजी 14, आरएसजी 44, सीएसजे 140, जेजी 16, आरएसजी 807, सीएसजे 515, जेजी 218, आरएसजी 888, सीएसजेके 6, जेजी 315, आरएसजी 895, डाहोड़ येलो, जेजीजी 1, आरएसजी 896, डीसीपी 92-3, जेजीके 1, आरएसजी 902, दिग्विजय, जेजीके 3, आरएसजी 931, जीसीपी 101, जेजीके 5, आरएसजी 945, जीसीपी 105, के 850, आरएसजी 959, गुजरात जूनागढ़ ग्राम 3, केएके 2, आरएसजी 963, जीएल 769, केपीजी 59, आरएसजी 973, जीएलके 26155, फूले जी 0517, (कृपा), आरएसजी 974, जीएनजी 1292, केडब्ल्यूआर 108, आरएसजी 991, जीएनजी 146, एल 550, आरएसजीके 6, जीएनजी 1488, एल 552, आरवीजी 202, जीएनजी 1499, महामाया 1, आरवीजी 203, जीएनजी 1581, महामाया 2, राज विजय काबुली चना 101, जीएनजी 2144, एमएनके 1, सदा बहार, जीएनजी 1958, एनबीईजी 119, विहार, जीएनजी 1969, एनबीईजी 47, विकास, जीएनजी 469, पंत जी114, विराट, जीबीएम 2, पंत जी 186, विशाल, जीएनजी 469, पीबीजी 7, विश्वास, जीएनजी 663, प्रताप चना 1, विजय, जीपीएफ 2, पीबीजी 1, गूलक 1, पीबीजी 5
--

3.1.14.2 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

केन्द्र ने पौधा किस्म संरक्षण हेतु काबुली चना के 59 आवेदनों को प्रस्तुत किया जिनमें से 34 प्रमाण—पत्र जारी किए गए और 25 आवेदन लंबित हैं।

3.1.15 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

जेएनकेवीवी, जबलपुर में परियोजना शीर्षक : “पौधा किस्म संरक्षण कानून के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना” के अंतर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2004 को कार्यालय ज्ञापन सं. 1-3 / 2003 / एसडी—वी द्वारा डीयूएस परियोजना प्रारंभ की गई। केन्द्र के लिए निर्दिष्ट फसलें अलसी, मसूर तथा दाल मटर (फील्ड पी) हैं। परियोजना का परिचालन बीज प्रौद्योगिकी केन्द्र, पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर, जे. एन. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर — 482004 (मध्य प्रदेश) में किया जा रहा है। वर्ष के दौरान अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम :

- अलसी, मसूर और दाल मटर का अनुरक्षण प्रजनन तथा संदर्भ / नमूना किस्मों का गुणन

- पीपीवी एवं एफआरए के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस निरूपकों के लिए डाटाबेस की तैयारी और आईआईएनडीयूएस डाटाबेस का अद्यतन
- डीयूएस मौलिक सुविधाओं का रखरखाव

3.1.15.1 अलसी के लिए किए गए कार्य का विवरण

22 संदर्भ किस्मों में से 21 का रखरखाव जेएनकेवीवी, जबलपुर में किया गया है।

गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर अलसी की संदर्भ किस्में

गुण	संदर्भ किस्में
पुष्पण का समय	शारदा, शेखर एवं पावर्ती
दलपुंज का फूल आकार	शारदा, आर 552 तथा नीलम
फूल की आकृति	आर 552, सुरभी तथा मीरा
फूल का रंग	जे 23, गरिमा, पद्मिनी तथा गौरव
फूल का पुष्पदल विन्यास	शेखर, रश्मी तथा आर 552
फूल वैनैशनल रंग	सुरभी, शीला, जीवन तथा नीलम
पुंकेसर का रंग	गौरव तथा किरन
परागकोश का रंग	हिमालिनी, लक्ष्मी 27 तथा रश्मी
पादप वृद्धि प्रकृति	टी 397, सुब्रहा तथा गौरव
पादप ऊँचाई	जेएलएस 9, जे 23 तथा मीरा
बीजकोष का आकार	टी 397, शेखर तथा नीलम
बीजकोष स्फुटन	लक्ष्मी 27 तथा टी 397
बीज रंग	गौरव, सुरभी, स्वेता, नीलम तथा लक्ष्मी 27
बीज आकार	सुरभी, गरिमा तथा नीलम
बीज भार (1000 बीज/ग्रा.)	सुरभी, गरिमा तथा नीलम
तेल तत्व	एस 36, गरिमा तथ पद्मिनी

अलसी की संदर्भ किस्मों का रखरखाव

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	22	गरिमा, गौरव, हिमालिनी, जे 23, जीवन, जेएलएस 9, किरण, लक्ष्मी 27, मीरा, नीलम, पद्मिनी, पार्वती, आर 552, रश्मी, एस 36, शारदा, शीला, शेखर, सुब्रहा, सुरभी, स्वेता तथा टी 397
रखरखाव की गई	21	गरिमा, गौरव, हिमालिनी, जे 23, जेएलएस 9, किरण, लक्ष्मी 27, मीरा, नीलम, पद्मिनी, पार्वती, आर 552, रश्मी, एस 36, शारदा, शीला, शेखर, सुब्रहा, सुरभी, स्वेता तथा टी 397
रखरखाव न की गई	01	जीवन

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव किए गए अलसी की अन्य किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	7	दीपिका, इंदिरा अलसी 29, जवाहर 1, जे 17, जेएलटी 215, कार्तिक, एलसीपी 147

जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई अलसी की कृषक किस्में

पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग
Reg/2017/976	अरसी नौधिया	Reg/2017/667	अलसी प्रेम
Reg/2017/1169	चिकती बाबू	Reg/2017/697	अलसी जाले पांडरे
Reg/2017/1170	बेटल	Reg/2016/311	थीसी
Reg/2017/1182	राहली	Reg/2015/931	अमृत
Reg/2017/1193	सुल्हेड़ा खेला	Reg/2015/950	कुशवा
Reg/2017/1240	लैंकी यमुना	Reg/2015/981	कालजन
Reg/2017/1255	अलसी डॉगरिया अलट्रा	Reg/2016/860	अलिश
Reg/2017/1267	अलसी टखला	Reg/2016/492	गोविंद
Reg/2017/208	शेलवार अलसी	Reg/2016/998	बानुधिया—एलआई
Reg/2017/299	अलसी उत्तम	Reg/2016/1497	धाभ टिसी
Reg/2017/329	मुलापारा अलसी	Reg/2017/383	अलसी सरिता
Reg/2017/350	रुपजहीर अलसी	Reg/2017/606	कारकेली अलसी

रभी 2017–18 के दौरान 22 संदर्भ किस्मों, 7 अन्य किस्मों तथा किसानों की 24 किस्मों के बीजों को 10.11.2017 को बीज प्रजनन प्रक्षेत्र, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जेएनकेवीवी में 5 मीटर लंबी एवं 2 पंक्तियों के बीच 30 सें.मी. की दूरी रखते हुए 5 पंक्तियों में बोया गया, दो दोहरावों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के रखरखाव हेतु सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैविटसेस को अपनाया गया। अंकुरण और पौध समष्टि, विशिष्ट गुणों की उपयुक्त अभिव्यक्ति के साथ अनुकूल पाया गया। सामान्य वृद्धि हेतु पर्यावरणीय स्थितियां अनुकूल रही हैं।

3.1.15.2 मसूर के लिए किए गए कार्य का विवरण

सभी 16 संदर्भ किस्मों का रखरखाव जेएनकेवीवी, जबलपुर में किया गया है। गुणों की अभिव्यक्ति के आधार पर मसूर की संदर्भ किस्मों की सूची :

क्र. सं.	गुण	उदाहरण किस्में
1.	वनस्पति : हरे रंग की अधिकता	वीएल 1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3
2.	तना : एंथोसाइनिन कलर का	के 75, एनडीएल 1, पीएल 4, पीएल 234
3.	पुष्पण का समय	डीपीएल 15, डीपीएल 62, वीएल 4, वीएल 103
4.	पत्ती : रोमिलता	सुब्रीता, रंजन
5.	छोटी पत्ती : आकार	वीएल 1, वीएल 103, डीपीएल 15, डीपीएल 62, पीएल 5
6.	पौधा : वृद्धि की प्रकृति	डीपीएल 15, रंजन, डीपीएल 62
7.	फूल : मानक का रंग	पीएल 4, के 75
8.	पौधा : ऊंचाई	डीपीएल 15, डीपीएल 62
9.	फली : एंथोसाइनिन रंग	डीपीएल 15, डीपीएल 62, आशा
10.	बीज : आकार (1000 बीजों का भार)	पीएल 406, पीएल 234, डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 4, डीपलएल 62, पीएल 5
11.	बीज : आवरण का रंग	डीपीएल 15, के 75, वीएल 1, वीएल 4
12.	बीज : टेस्टा मॉट्टलिंग	पीएल 406, के 75
13.	कोटीलेडॉन : रंग	डीपीएल 15, डीपलएल 62

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव की गई मसूर की संदर्भ किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	16	आशा, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3, के 75, एनडीएल 1, पीएल 234, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 406, रंजन, सुब्रिता, वीएल 1, वीएल 4 एवं वीएल 103
रखरखाव की गई	16	आशा, डीपीएल 15, डीपीएल 62, जेएल 1, जेएल 3, के 75, एनडीएल 1, पीएल 234, पीएल 4, पीएल 5, पीएल 406, रंजन, सुब्रिता, वीएल 1, वीएल 4 एवं वीएल 103

जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई मसूर की कृषक किस्में

पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग
REG/2016/853	सूर	REG/2017/694	घेवरी मसूरी
REG/2016/2388	उषा 1	REG/2017/763	रोमटी मसूर
REG/2016/2389	तूरी 1	REG/2017/194	मामोक मसूर काली
REG/2017/210	सेवारी मसूर	REG/2017/956	मसूरी टेडुहा
REG/2017/231	काओल मसूर	REG/2017/1017	मार्प मसूर
REG/2017/243	मासरा सतानझिर	REG/2017/1706	मसूरसूरी लोकल भूरा (जीकेएसएस मसूर 1)
REG/2017/301	मसूरखांड	REG/2017/1707	मसूरसूरी लोकल काला (जीकेएसएस मसूर 2)
REG/2017/337	गोरेला मसूर	REG/2017/665	मसूर धानोली

रबी 2017–18 के दौरान 16 संदर्भ किस्मों, किसानों की 16 किस्मों के बीजों को 11.11.2017 को बीज प्रजनन प्रक्षेत्र, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जेएनकेवीवी में 5 मीटर लंबी एवं 2 पंक्तियों के बीच 30 सें.मी. की दूरी रखते हुए 5 पंक्तियों में बोया गया, दो दोहरावों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशा—निर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के रखरखाव हेतु सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैविटसेस को अपनाया गया। काओल मसूर को छोड़कर अंकुरण और पौध समस्ति, विशिष्ट गुणों की उपयुक्त अभिव्यक्ति के साथ अनुकूल पाया गया। सामान्य वृद्धि एवं गुणों की अभिव्यक्ति हेतु पर्यावरणीय स्थितियां अनुकूल रही हैं।

किसानों की मसूर किस्मों का पर्यवेक्षण

संदर्भ किस्मों के साथ किसानों की 16 किस्मों को 11.11.2017 को बोया गया। काओल मसूर के बीजों में अंकुरण नहीं हुआ। किसानों की शेष 15 किस्मों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशा—निर्देशों के अनुसार विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति को दर्ज करने हेतु अवलोकन किया गया।

गुणों की अभिव्यक्ति को दर्ज करने हेतु अवलोकन किया गया।

- एकरूपता : किसानों के सभी 15 किस्मों में ऑफ—टाइप्स की संख्या बहुत ही कम तथा समूहीकरण गुणों के आधार पर समस्तियों में एकरूपता पाई गई।
- विशिष्ट पर्यवेक्षण : संदर्भ किस्मों की भाँति काओल मसूर को छोड़कर किसानों की सभी किस्मों में अंकुरण सामान्य रहा।

3.1.15.3 दाल मटर में किए गए कार्य का विवरण

जेएनकेवीवी, जबलपुर में दाल मटर एवं सब्जी मटर के 16 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। जेनएनकेवीवी में डीयूएस विवरणक अभिव्यक्ति के आधार पर एक सूची उपलब्ध कराई जा रही है :

क्र. सं.	गुण	उदाहरण किस्में
1.	तना : एंथोसाइनिन कलरेशन	एचएफपी, रचना
2.	फोलिएज : रंग	रचना, एचयूपी2, एचयूडीपी15, एचएफपी8909, वीएल3, बी22
3	फोलिएज : वैक्सी ब्लूम	एचएफपी4, एचएफपी8909, कैपीएमआर 400
4	पत्ती : लीफलेट्स	एचयूडीपी15, एचएफपी, रचना, आईपीएफ 99–25
5	पत्ती : एक्सिल कलर	एचयूडीपी 15, रचना, बी22
6	स्टिप्पूल : रैबिट—इयर्ड स्टिप्पूल	डीडीआर 23, बी 22, रचना, एचयूडीपी 15
7	स्टिप्पूल : टाइप	रचना, डीएमआर 7
8	फूल : खिलना (दिन)	अकेल, एनडीवीपी 24, डीडीआर 23, यूडीपी 15, एचएफपी 8909

9	फूल : मानक पंखुड़ी रंग	एचयूडीपी 15, एचएफपी4, बोन्नेविल्ले, 22
10	फली संख्या /एक्रिसल	अर्का अजीत, एचडीपी 15, रचना
11.	फली : टेढ़ापन	रचना, केएफपी 103
12.	फली : बाहरी भाग का आकार	एचएफपी 4, रचना
13	फली : हरे रंग की गहनता	वीएल 3, एचएफपी 8909, डीएमआर 7, अर्केल, एचयूडीपी 15, आईपीएफडी 99–13
14	पौधा : ऊंचाई (से.मी.)	एचएफपी4, केपीएमआर 400, एचयूडीपी 15, एपी1, रचना, केएफपी 103
15	बीज : आकार	एचएफपी, रचना
16.	बीज : सतह	एचयूडीपी 15, रचना, अर्केल, एपी1
17	बीज : बीजपत्र रंग	एचयूडीपी 15, एचएफपी 4, एचएफपी 990
18	बीज : 1000 बीज भार (ग्रा.)	बी 22, रचना, जयंती
19.	बीज : बीजआवरण छोटेदार	एचयूडीपी 15, रचना
20	बीज की त्वचा	एचयूडीपी 15, रचना

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव की गई दाल मटर की संदर्भ किस्में

संदर्भ किस्में	संख्या	नाम
कुल	20	एपी1, अर्का अजीत, अर्केल, बी 22, बान्नेविल्ली, डीडीआर 23, डीएमआर 7, एचएफपी 4, एचएफपी 8909, एचएफपी 9907, एचयूडीपी 15, एचयूपी 2, आईपीएफ 99–25, आईपीएफडी 99–13, जयंती, केएफपी 103, केपीएमआर 400, एनडीवीपी 24, रचना, वीएल 3
रखरखाव की गई	14	अर्का अजीत, बी 22, अर्केल, आजाद पी 1, डीडीआर 23, एचएफपी 4, एचएफपी 8909, एचयूडीपी 15, एचयूपी 2, आईपीएफ 99–25, जयंती, केपीएमआर 400, रचना, वीएल 3
रखरखाव न की गई	06	बोन्नेविल्ली, एचएफपी 9907, एनडीवीपी 24, डीएमआर 7, आईपीएफडी 99–13, केएफपी 103

जेएनकेवीवी, जबलपुर में रखरखाव की गई दाल मटर की अन्य किस्में

अन्य किस्में	संख्या	नाम
कुल	14	वीआरपी 5, जेपी 180, वीआरपी 6, पूसा प्रगति, जीएस 10, ई 6, डीडीआर 27, एपी 31, एपी 4, एपी 3, एपी 2, वीआरपी 7, अगेता 6, जेपी 885

जेएनकेवीवी, जबलपुर में बोई गई दाल मटर की कषक किस्में

क्र. सं	पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग	क्र. सं	पंजीकरण सं.	मूल्यवर्ग
1.	Reg/2017/806	कालि बत्री संजय	2.	Reg/2017/920	बत्री कालि दानाछोटा

राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सिफारिश किए गए पैकेज ऑफ प्रैविटसेस के अंतर्गत जेएनकेवीवी, जबलपुर में रबी 2017–18 के दौरान 14 संदर्भ किस्मों तथा 2 किसानों की किस्मों के बीजों को 11.11.2017 को 5 मीटर लंबी एवं 2 पंक्तियों के बीच 50 से.मी. की दूरी रखते हुए 5 पंक्तियों में बोया गया। अंकुरण और पौध समष्टि अनुकूलतम पाई गई। सामान्य वृद्धि एवं गुणों की अभिव्यक्ति हेतु पर्यावरणीय स्थितियां अनुकूल रही हैं।

दाल मटर की कृषक किस्मों का पर्यवेक्षण

राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति दर्ज करने हेतु संदर्भ किस्मों के साथ किसानों की दोनों किस्मों को बोया गया। किसानों की किस्मों को 11.11.2017 को बोया गया।

- एकरूपता : किसानों के दोनों किस्मों में ऑफ–टाइप्स की संख्या बहुत ही कम तथा समूहीकरण गुणों के आधार पर समशिटयों में एकरूपता पाई गई।
- विशिष्ट पर्यवेक्षण : किसानों की दोनों फील्ड पी किस्मों के बीजों की सतह कोमल पाई गई। तथापि, बीज का बड़ा आकार किसानों की किस्म काली बाटारीसंजय में पाया गया।

3.1.16 भाकृअनुप—विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा

आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा मक्का, राजमा और सोयाबीन फसलों के लिए एक सह—नोडल केन्द्र है। प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां निम्नवत हैं :

वर्ष	फसल का नाम	मूल्यांकित वंशक्रम/ किस्मो की संख्या	गुणों की संख्या
2005	मक्का	61 (20 जन्मजात, 11 संकर, 30 मिश्रित)	33
	सोयाबीन	78	20
2006	सोयाबीन	83	20
	मक्का	54 (30 जन्मजात, 14 संकर, 30 मिश्रित)	31
2007	सोयाबीन	11	20
	मक्का	119 (60 जन्मजात, 19 संकर, 40 मिश्रित)	31
2008	सोयाबीन	89	20
2009	सोयाबीन	90	20
	मक्का	43 (12 संकर, 10 मिश्रित, 21 जन्मजात)	30
2010	सोयाबीन	90 (बीज बहुगुणन)	-
	मक्का	42 (12 संकर, 9 मिश्रित तथा 21 जन्मजात)	30
2011	सोयाबीन	90 (बीज बहुगुणन)	
	मक्का	44 (14 संकर, 9 मिश्रित तथा 21 जन्मजात)	30
2012	मक्का	41 (14 संकर, 21 जन्मजात, 6 मिश्रित)	30
	सोयाबीन	91 (बीज बहुगुणन)	-
	राजमा	4 (2 किसान किस्में)	22
2013	मक्का	38 (17 जन्मजात, 15 संकर, 6 मिश्रित)	30
	सोयाबीन	91	रखरखाव
	राजमा	1	-
2014	मक्का	40 (8 जन्मजात, 12 संकर तथा 20 किसान किस्में)	30
	राजमा	3 (दो संदर्भ किस्मों के साथ एक किसान किस्म)	22
2015	मक्का	5 (तीन संदर्भ किस्मों के साथ 2 किसान किस्में)	31
	सोयाबीन	1 किसान किस्म	22
		23	रखरखाव
	राजमा	7 (तीन संदर्भ किस्मों के साथ 4 किसान किस्में)	22
		9	रखरखाव
2016	राजमा	4 (प्रत्याशी + 2 संदर्भ)	22
		11 संदर्भ किस्में	रखरखाव
	सोयाबीन	25 संदर्भ किस्में	रखरखाव
2017	राजमा	9 (6 प्रत्याशी + 3 संदर्भ)	22
	सोयाबीन	33 संदर्भ किस्में	रखरखाव
	राजमा	10 संदर्भ किस्में	रखरखाव

राजमा : किसानों की छह किस्मों नामतः, Reg/2016/1717, Reg/2013/2010, Reg/2016/907 (अनअंकुरित), Reg/2016/906 (अनअंकुरित), Reg/2016/985 एवं Reg/2016/905 के साथ तीन संदर्भ किस्मों नामतः, आईपीआर-98-5, आईपीआर-98-3-1 एवं आईपीआर-96-4 को ग्रो आउट परीक्षण हेतु उगाया गया और राजमा के डीयूएस परीक्षण हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार 22 डीयूएस गुणों का गुणचित्रण किया गया।

अनुरक्षण के अधीन संदर्भ किस्मों की संख्या

फसल प्रजातियां	किस्म का स्रोत	किस्मों का नाम
सोयाबीन	भाकृअनुप	12 (डीएस 228, डीएस 97-12, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 22, पूसा 24, पूसा 37, पूसा 40, एनआरसी 2, एनआरसी 7, एनआरसी 12, एनआरसी 37)
	स्वयं	7 (वीएलएस 1, वीएलएस 2, वीएलएस 21, वीएलएस 47, वीएलएस 59, वीएलएस 63, वीएलएस 65)
	अन्य	72 (एडीटी1, अलंकार, अंकु, बिरसा सोया 1, बराग, सीओ1, सीओ 3, सीओ सोया 2, दुर्गा, गुजरात सोया 1, गुजरात सोया 2, गौरव, हरा सोया, हार्डी, इम्प्रूब्ड पेलिकन, इंदिरा सोया 9, जेएस 2, जेएस 71-05, जेएस 75-46, जेएस 76-205, जेएस 79-81, जेएस 80-21, जेएस 90-41, जेएस 93-05, जेएस 95-60, जेएस 97-52, जेएस 335, केबी 79, केएचएसबी 2, कालीतूर, ली, एलएसबी 1, एमएसीएस 13, एमएसीएस 57, एमएसीएस 58, एमएसीएस 124, एमएसीएस 450, एमएयूएस 1, एमएयूएस 2, एमएयूएस 32, एमएयूएस 47, एमएयूएस 61, एमएयूएस 61-2, एमएयूएस 71, एमएयूएस 81, मोनेट्टा, पालम सोया, पीके 262, पीके 308, पीके 327, पीके 471, पीके 416, पीके 472, पीएस 564, पीएस 1024, पीएस 1029, पीएस 1042, पीएस 1092, पीएस 1241, पीएस 1347, पीएस 1368, पंजाब 1, आरएयूएस 5, शिलाजीत, शिवालिक, एसएल 96, एसएल 295, एसएल 525, एसएल 688, टीएमएस 38, टीएमएस 98, टाइप 49)
राजमा	भाकृअनुप	आईवीएफबी 1, अर्का अनूप, अर्का कोमल, सुरिधा एवं पीडीआर 14
	स्वयं	वीएल राजमा 63 एवं वीएल राजमा 125
	अन्य	एचयूआर 15, एचयूआर 137, एचयूआर 203 एवं एचयूआर 35



करने हुए थे। नगा। डॉ। इल। पाटा। त्रिवालाच्छादा। राजाशुभा। आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा ने सत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने प्ररेणात्मक उद्घाटन संबोधन में पौध आनुवांशिक संसाधनों के महत्व तथा इसके मूल्यांकन और संरक्षण में किसानों और कृषक समुदायों की भूमिका पर प्रकाश डाला और किसानों को अपनी पौध किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्लांट जीनोम संरक्षक पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में सभा को सूचित किया और किसानों से आग्रह किया कि वे आगे आकार इसके लिए आवेदन करें। डॉ। एन। चंद्रा, प्रभागाध्यक्ष (एसएसएस), आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा ने किसानों को उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख किसानों की किस्मों के पंजीकरण हेतु पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ। के। के। मिश्रा, प्रभागाध्यक्ष (सीपीएस), आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा ने भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा थीम व्याख्यान भी दिए गए। डॉ। एल। कांत द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 : एक सिंहवलोकन डॉ। आर। के। कुलबे द्वारा कृषि में भौगोलिक संकेतों तथा आईटीके का महत्व तथा भारत में कृषि से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कृषक अधिकारों की प्रासंगिकता विषयों पर व्याख्यान दिए गए। आईसीएआर—वीपीकेएएस, अल्मोड़ा के वैज्ञानिक तथा अन्य कार्मिकों के साथ अल्मोड़ा जिले के हवलबाग, गल्लीबसेरा, मुझोली तथा अना गांव तथा यू।एस। नगर जिले के जनकट के कुल एक सौ किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। संस्थान ने जारी गतिविधियों के व्यावहारिक प्रदर्शन हेतु किसानों के लिए संस्थान के म्यूजियम एवं प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र के दौरे की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में पारस्परिक चर्चा तथा फीडबैक सत्र का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम की समाप्ति समाप्त समारोह के साथ की गई।



केन्द्र ने वीएल मसूर 148 (एआईसीआरपी), वीएल मटर 61 (एसवीआरसी), वीएल सोया 89 (एआईसीआरपी), वीएल भट 202 (एसवीआरसी) किस्मों को जारी किया।

3.17 भाकृअनुप—केन्द्रीय पटसन और संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं सीएसआरएसजेएफ, बुद बुद बर्धवान

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र के लिए एक नई सफेद पटसन (कॉरकोरस कैप्सूलारिस) अर्थात् जेआरसीएम–2 और पांच नई टोस्सा पटसन (सी. ऑलिटोरियस) किस्म अर्थात् जेआरओएम–1, एनजे 7005, एनजे 7010, एनजे 7050 तथा एनजे 7055 का परीक्षण किया गया। निम्नलिखित संदर्भ किस्मों के लिए इन्हीं प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया:

क्र. सं.	प्रत्याशी किस्म का नाम	संदर्भ किस्म–1 का नाम	संदर्भ किस्म–2 का नाम
1	जेआरसीएम–2	जेआरसी 321	जेआरसी 212
2	जेआरओएम–1	जेआरओ 524	जेआरओ 8432
3	एनजे 7005	जेआरओ 204	जेआरओ 524
4	एनजे 7010	जेआरओ 8432	जेआरओ 204
5	एनजे 7055	जेआरओ 8432	जेआरओ 204
6	एनजे 7050	एस–19	जेआरओ 878

विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व का अवलोकन करने के लिए सीआरआईजेएफ, बैरकपुर (नोडल केन्द्र) और सीएसआरएसजेएफ, बुद बुद (सह–नोडल केन्द्र) में दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र के लिए सफेद पटसन किस्म जेआरसीएम–2 का परीक्षण किया गया। प्रत्याशी किस्म जेआरसीएम–2 के डंठल रंग (हल्के लाल रंग के पिग्मेंटेशन के साथ हरा) के संबंध में दोनों संदर्भ किस्मों (जेआरसी 321 और जेआरसी 212) से अलग पाई गई। दोनों केन्द्रों में किए गए अवलोकन एक समान थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्मों जेआरओ 524 और जेआरओ 8432 के लिए नई टोस्सा पटसन किस्म जेआरओएम–1 का परीक्षण दोनों केन्द्रों में किया गया। पत्ती के आकार (लेन्सिओलेट) की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म अलग पाई गई। दोनों केन्द्रों में एक जैसे अवलोकन दर्ज किए गए।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्मों जेआरओ 204 और जेआरओ 524 के लिए दोनों केन्द्रों में टोस्सा पटसन किस्म एनजे 7005 का परीक्षण किया गया। दावा किए गए किसी भी लक्षण (पत्ती के सिरे का रंग, वृत्त का रंग, अनुवर्ण का रंग और डंठल का रंग) की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म अलग नहीं थी। तथापि, बीज के रंग (स्टील ग्रे) की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म एनजे–7005 दोनों संदर्भ किस्मों जेआरओ 204 और जेआरओ 524 (काला बीज) से अलग पाई गई। दोनों केन्द्रों में एक जैसे अवलोकन देखे गए। पौधे की ऊँचाई की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म (ऊँची) केवल सीआरआईजेएफ में संदर्भ किस्मों (मध्यम) से अलग से पाई गई, किन्तु सीएसआरएसजेएफ में प्रत्याशी और संदर्भ किस्मों के पौधों की ऊँचाई एक समान (मध्यम) दर्ज की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्म जेआरओ 204 और जेआरओ 8432 के लिए दोनों केन्द्रों में टोस्सा पटसन किस्म एनजे 7010 का परीक्षण किया गया। एनजे 7010 में बीज का रंग संदर्भ किस्मों (काला रंग) से अलग (चॉकलेटी ब्राउन) पाया गया। तथापि, प्रत्याशी किस्म दावा किए गए अन्य लक्षणों (पत्ती का आकार और पुष्पण का समय) की दृष्टि से अलग नहीं थी। दोनों केन्द्रों से प्राप्त अवलोकन एक जैसे थे। पौधे की ऊँचाई की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म (ऊँची) केवल सीआरआईजेएफ में संदर्भ किस्मों (मध्यम) से अलग से पाई गई, किन्तु सीएसआरएसजेएफ में प्रत्याशी और संदर्भ किस्मों के पौधों की ऊँचाई एक समान (मध्यम) दर्ज की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में संदर्भ किस्म जेआरओ 8432 और जेआरओ 204 के लिए दोनों केन्द्रों में अलग टोस्सा पटसन किस्म एनजे 7055 का परीक्षण किया गया। दावा किए गए अन्य लक्षणों अर्थात् पत्ती का आकार और पौधे की ऊँचाई की दृष्टि से दोनों केन्द्रों में प्रत्याशी किस्म अलग नहीं थी। तथापि, बीज के रंग की दृष्टि से प्रत्याशी किस्म के बीज का रंग (स्टील ग्रे) संदर्भ किस्मों जेआरओ 8432 और जेआरओ 204 के बीज के रंग (काला रंग) से अलग पाया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में प्रत्याशी किस्म एनजे 7050 उगाई गई और संदर्भ किस्म एस—19 और जेआरओ 878 के लिए दोनों केन्द्रों में इसका परीक्षण किया गया था। चूंकि अनुप्रयोग में किसी भी संदर्भ किस्म का उल्लेख नहीं किया गया, अतः दूसरे वर्ष के वृद्धि चक्र में पहले वर्ष के गुण चित्रण आंकड़ों के आधार पर संदर्भ किस्मों (एस—19 और जेआरओ 878) का चयन किया गया। तथापि, प्रत्याशी किस्म किसी भी लक्षण की दृष्टि से संदर्भ किस्मों से अलग नहीं थी।

डीयूएस परियोजना के अंतर्गत टोस्सा पटसन की 22 संदर्भ किस्मों अर्थात् जेआरओ 204, आईआरए, जेआरओ 632, जेआरओ 3690, जेआरओ 66, जेआरओ 524, जेआरओ 7835, जेआरओ 8432, एस—19, जेआरओ 128, जेआरओ 620, चिनसुरा ग्रीन, सूडान ग्रीन, टंगन्यिका, जेआरओ 2345, केओएम 62, टीजे 40, सीओ 58, जेआरओ 2407, तरुण और विधान रूप तथा सफदे पटसन की 18 किस्मों, अर्थात् जेआरसी 212, जेआरसी 80, जेआरसी 698, जेआरसी 7447, जेआरसी 4444, पद्मा, जेआरसी 321, मोनालिसा, यूपीसी 94, विधान पट—1, विधान पट 2, विधान पट 3, केसी 1, केटीसी 1, डी 154, जेआरसी 517, जेआरसी 532 और केजेरसी 7 का रखरखाव किया गया और इनका गुण चित्रण किया गया।

सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर (नोडल केन्द्र) में 04.08.2017 को तथा सीएसआरएसजेएएफ, बुद बुद (सह.नोडल केन्द्र) में 05.08.2017 को निगरानी की गई थी।

3.1.18 भाकृअनुप—भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

भाकृअनुप—भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तीन तिलहन फसलों अर्थात्, अरण्डी, सूरजमुखी और कुसुम के परीक्षण के लिए समन्वय केन्द्र है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान किए गए कार्य नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2017–18 के दौरान दो संदर्भ किस्मों हरिता और डीसीएस—107 के साथ खरीफ 2017 (17.07.2017) में किसानों की दो किस्मों (देहाती और देहाती—2) की बुवाई की गई और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 30 डीयूएस विशेषताओं के लिए आंकड़े दर्ज किए गए। हैदराबाद में किसानों की दोनों किस्में ऊंची, विलंब से फूल देने वाली, मुख्य डंठल पर अधिक संख्या में गांठों वाली शाखाविहीन प्रकार की थी।

मानक विवरण तैयार करने के लिए खरीफ 2017 में किसानों की दो किस्मों (मरगारी और बढ़िया अरण्डी) उगाया गया। किसानों की किस्म बढ़िया अरण्डी (पंजी / 2017 / 1153) में कम अंकुरण दिखा गया और पौधों की अंतिम पैदावार (4 पौधे) कम पाई गई, इसलिए नए बीज प्राप्त होने तक इस प्रविष्टि का और अधिक गुण चित्रण संभव नहीं है। किसानों की किस्म मरगारी के लिए कुल 30 डीयूएस गुण दर्ज किए गए।

रबी 2017–18 के दौरान, संदर्भ समूह में से 10 ए / बी वंशावलियों एवं 7 आर वंशावलियों को लेते हुए 17 पैतृक वंशक्रमों के लिए सूरजमुखी के दोहरे परीक्षण कराए गए ताकि पैतृक वंशक्रमों के कुछ विशेषकों की स्थिति के लिए संशोधित श्रेणी का पता लगाया जा सके क्योंकि दिशानिर्देशों के विद्यमान श्रेणी संकरों के लिए अधिक उपयुक्त है। विभिन्न विशेषकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण किस्मों के निर्धारण को दिशानिर्देशों में शामिल किया जाए और अतिरिक्त विशेषकों के गुणचित्रण को भी कार्यकलाप का हिस्सा बनाया जाए। दिनांक 27.11.2017 को विशेषकों की बुवाई की गई थी। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 32 विशेषकों के और उपोव दिशानिर्देशों के अनुसार 6 अतिरिक्त विशेषकों के आंकड़े दर्ज किए गए। केन्द्र ने 34 डीयूएस विशेषकों के लिए सूरजमुखी के 7 संकरों, 4 ए वंशक्रमों और 3 आर वंशक्रमों का डाटाबेस प्रस्तुत किया। अरण्डी (8), सूरजमुखी (10) और कुसुम (17) के संदर्भ किस्मों का रखरखाव एवं गुणन किया गया।

3.1.19 भाकृअनुप—तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर

वर्ष 2017–18 के दौरान, प्रजातियों में रूपांतरण या मिश्रण की दृष्टि से पहले वर्ष के गुणचित्रण के लिए किसानों की किस्में (30), दूसरे वर्ष के गुणचित्रण के लिए किसानों की किस्में (14), पहले वर्ष के गुणचित्रण के लिए नई किस्म (1) और दूसरे वर्ष के गुणचित्रण के लिए नई किस्म (1) की श्रेणियों के अंतर्गत कुल 46 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। प्रस्तावित प्रजातियों में रूपांतरण, दृश्य अवलोकनों के जरिए क्षेत्र में वास्तविक प्रजातियों तथा किस्म में से विभिन्न प्रजातियों के पौधों एवं किस्म में से उन्हीं प्रजातियों की अलग—अलग आकारिकी वाले पौधों के मिश्रण के प्रतिशत के निर्धारण की दृष्टि से किसानों की कुल 30 किस्मों (प्रथम वर्ष) की विशेषताएं दर्ज की गई। किसानों की 30 किस्मों में से, क्षेत्र में कुल 21 किस्मों की प्रजातियों में रूपांतरण और विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण देखा गया। उचित प्रजनन पद्धतियों के माध्यम से तिलहन ब्रासिका (ब्रासिका जुनासिया (24), ब्रासिका रेपा किस्म भूरी सरसों (02), ब्रासिका रेपा किस्म तोरिया (15), ब्रासिका रेपा किस्म पीली सरसों (12), ब्रासिका नैपस (07), ब्रासिका कैरिनाटा (05)) की अलग—अलग प्रजातियों की कुल 135 किस्मों का रखरखाव किया गया।

3.1.20 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (तोरिया एवं सरसों)

यह गेहूं तोरिया और सरसों में डीयूएस परीक्षण का एक सह-नोडल केन्द्र है। वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित किस्मों का परीक्षण किया गया :

फसलें	नई		वीसीके / आरवी	एफवी	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
सरसों	1	6	16	30	16 मार्च, 2018

डीयूएस परियोजना के नोडल अधिकारी, डीआरएमआर, भरतपुर, राजस्थान, डॉ. प्रिया मेधा ने 16.01.2018 को डीयूएस क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रत्येक प्रविश्टि के उत्कृष्ट निष्पादन के बारे में बताते हुए डीयूएस परीक्षण के उचित संचालन के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया। अनुरक्षण/गुणचित्रण के अधीन किस्मों की सूची संलग्न है :—

अधिदेशित फसल प्रजातियां	2017-18 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम एवं संख्या
सरसों	शून्य
गेहूं	अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत 35 किस्मों का रखरखाव किया गया। प्रत्येक किस्म के बीजों का उचित रूप से भंडारण किया गया है।

संबंधित फसलों के परीक्षण दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुसार डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत सामग्री की उचित तरीके से जांच की गई। सरसों की कुछ कृशकों किस्मों में मिश्रण की जानकारी मिली थी। अतः आगे के अवलोकनों के लिए सही प्रकार के पौधों का पता लगा पाना अत्यंत कठिन था।

3.1.21 भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

आईआईवीआर, वाराणसी “पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के केन्द्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत डीयूएस केन्द्र चला रहा है (टमाटर, बैंगन, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, फ्रेंच बीन, लौकी, करेला, कद्दू और खीरा का डीयूएस परीक्षण)। संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है :



संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत 15 भिंडी, 34 बैंगन, 4 फूलगोभी, 9 पत्तागोभी, 20 टमाटर, 8 लौकी, 2 करेला, 15 खीरा और 12 कुम्हड़ा किस्मों का मूल्यांकन किया गया।

सब्जी फसलों का डीयूएस परीक्षण (2017-18)

किस्म का प्रकार	नई		वीसीके	एफवी	कुल	टिप्पणियां/निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
लौकी	-	-	1	7	8	09.05.2017
करेला	-	-	-	2	2	09.05.2017
खीरा	-	7	-	8	15	09.05.2017
कुम्हड़ा	-	-	-	12	12	09.05.2017
भिंडी	6	2	4	7	19	07.10.2017
बैंगन	-	7	-	51	58	06.01.2018
फूल गोभी	-	4	-	-	4	06.01.2018
पत्ता गोभी	2	7	-	-	9	07.02.2018
टमाटर	9	2	-	9	20	07.02.2018
कुल	17	29	5	96	147	

(ख) निगरानी दल की मुख्य टिप्पणियां

- **कुम्हड़ा** : भद्री किस्म को छोड़कर किसानों की किस्मों की श्रेणी में सभी किस्में एक समान नहीं थी।
- **लौकी** : एनबीबीएच-48 की पैदावार एक समान नहीं थी (फलक आकार में अंतर)
- **करेला** : मीठा करेला – यह प्रविष्टि लुपफा प्रजाति से है।
- **खीरा** : अमंग मैनकोई – यह प्रविष्टि मेलो समूह से है।
- **भिंडी** : जय भिंडी युवराज – फल के आकार, आकृति और पौधे के प्रकार में अंतर। घोर भिंडी और धारीदार भिंडी में कोई फल नहीं हैं।

(ग) अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में :

टमाटर, भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मटर, फ्रैंच बीन, लौकी, करेला, कुम्हड़ा, खीरा और परवल की संदर्भ किस्में विभिन्न आईसीएआर संस्थानों और एसएयू से एकत्रित की गई थीं। इन फसलों की सभी किस्मों को 3-3 प्रतिकृतियों के साथ क्रम रहित ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में बोया गया था और सिबिंग / सेल्फिंग के माध्यम से इनका रखरखाव किया जा रहा है। रखरखाव की गई इन फसलों की किस्मों की संख्या तथा उनकी आकारिकी के संबंध में देखी गई विशेषताओं का वर्णन इस तालिका में किया गया है :



फसलें	किस्मों की संख्या	संस्थानों / एसएयू आदि से प्राप्त बीज
टमाटर	95	23
फूल गोभी	05	01
पत्ता गोभी	04	01
बैंगन	77	18
सब्जी मटर	42	13
फ्रैंच बीन	27	11
भिंडी	42	13
खीरा	28	11
करेला	25	14
लौकी	31	15
कुम्ड़ा	23	11
कुल	399	

3.1.22 डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला

यह केन्द्र अरहर के लिए सह नोडल केन्द्र है। वर्ष 2017-18 के दौरान किसानों की किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत 92 किस्मों का परीक्षण / गुण चित्रण किया गया। किस्मों की सूची निम्नानुसार है :

किसानों की किस्में	राम अरहर, शारदा अरहर, माहिया आशा, माहिया राजेन्द्रा, माहिया धरमू, माहिया बसूरी, माहिया भौर, पुरानी तुअर महरून लाल पीलूखेडी, कटकियाउ अरहर, गणपत अरहर, अरहर चापा, इटकर तुअर, कोक रहर, बारामासी, तुअर असाडी, तुअर परासिया, अरहर लाली, तुअर होरिलाल, तुअर धूरन, तुअर किशोर, अरहर संत कथिया, अरहर अगेती श्रीघोट, तुअर खार, हरी तुअर, चैती नरेश, ग्रहण नरेश, बड़की गुरु, अरहर रीति, लाली धर्मेन्द्रा, मड़नी, पटका शत्रु, तुआल कोपी, तुवाल कायडी, तुअर सफेद, सरेखा तुअर, सोथा अरहर, सरल जैत तुअर, सांता तुअर, कमल तुअर, तुलासिया तुअर, तुअर उजार, गिया तुअर, खुही, सुरेश तुअर, इमरत तुअर, साज शांति
	तुअर, साज सुषमा तुअर, अरिवन्द साज तुअर, बारा अरहर मनकी, डुडेसिंह अरहर, सामल अरहर, पैकू अरहर, गजपाल अरहर, सफेद बारामासी अरहर अजय, लाल अरहर मनोहर, सुभाष तुअर, इंद्रा टेडनी तुअर, छोटी अरहर, श्यामा अरहर हरी, सफेद तुअर फूल, सफेद तुअर, तेहरा माहिया, खामतारा अरहर, मुलापारा अरहर, अघनी बड़ी सफेद जमुना, अंघानी छोटी सफेद जमुना, अंघानी लाल मझौली जमुना, माधी चितकबरी लाल बड़ी, एसकेएफ-ए1-शिवानी, माहिया अरहर, बैगनी पवन, माधी अरहर संतरा, कादिर अरहर, माधिया अमरु अरहर, देवतुअर कंचन, माहिया राम, देवतुअर काली अजय, पीली देव तुअर अजय, तुअर रघुवीर, चैटी-पीपी, चैतारी-एलओ, चैटिया, लाल पिजि, मागी राहदी, चात्रि, अघानु-1, चम्पै, मसूर राहर, मंगल 1, बकालसा, कल्याणी, सिंधु, अंघानी गुलाबी

अरहर की जांच डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी :

किस्मों की संख्या	:	92 (किसान किस्में) + 2 (संदर्भ किस्में)
पंक्तियों की संख्या	:	5
पंक्ति की लंबाई	:	5 मी.
अंतराल	:	90 x 20 से.मी.
पुनरावर्तियों की संख्या	:	4
प्लॉट का आकार	:	5 मी. x 3.6 मी.
बुवाई की तारीख	:	10.07.2017
कटाई की तारीख	:	किस्म की परिपक्वता के अनुसार

3.1.23 भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, प्रादेशिक स्टेशन, कैटराइन

आईएआरआई प्रादेशिक केन्द्र, कैटराइन पत्तागोभी और फूल गोभी में डीयूएस परीक्षण के प्रति जवाबदेह है। तथापि, वर्ष 2017–18 के दौरान, कोई भी किस्म परीक्षणाधीन नहीं है। केन्द्र ने कई किस्मों का अनुरक्षण / गुणचित्रण किया जिनकी सूची नीचे दी गई है :

अधिदेशित फसल प्रजातियाँ	2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों के नाम या संख्या
पत्ता गोभी	रेड रॉक मम्पोथ, पूसा दुम हैड, किन्नर रेड, पूसा कैबेज-1 (केजीएमआर-1), पूसा मुक्ता, गोल्डन एकड़, 83-1, केटीसीबीएच-81, 6ए, सी-121, एमआर-1, पूसा अगेती, प्राइड ऑफ इंडिया और प्राइड ऑफ एशिया
स्नोबॉल फूल गोभी	पूसा स्नोबॉल-1, पूसा स्नोबॉल के-1, पूसा स्नोबॉल के-25, पूसा हिमज्योति तथा स्नोबॉल-16

3.1.25 भाकृअनुप—केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर

आईसीएआर—सीआरटीएच पोम फलों (सेबीय) तथा गुठलीकार फलों की संदर्भ किस्मों के डीयूएस परीक्षण, गुणचित्रण और अनुरक्षण करने वाला नोडल केन्द्र है। इनके ब्यौरे निम्नवत हैं :

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाणपत्र	लंबित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
पत्ता गोभी	4	1	1	-	-	1	-
फूल गोभी	5	1	1	-	-	-	1

3.1.24 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तौर

टीएनएयू, कोयम्बत्तौर भी सूरजमुखी के लिए एक सह नोडल केन्द्र है। डीयूएस गुणचित्रण के लिए आईआईओआर, हैदराबाद से 17 संदर्भ किस्मों (प्रजनन वंशक्रम) एआरएम-234ए, सीएमएस-103ए, सीएमएस-17ए, सीएमएस-234ए, सीएमएस-71ए, सीएमएस-851ए, सीएमएस-10ए, सीएमएस-17बी, सीएमएस-234बी, सीएमएस-71बी, 6डी-1, एके1आर, पी61आर, आर-64एनबी, आरएचए-1-1, आरएचए-271 और आरएचए-272 के बीज लिए गए थे ताकि प्रत्येक स्थिति के लिए उपयुक्त उदाहरण किस्मों का निर्धारण करते हुए प्रजनन वंशक्रमों के गुणात्मक विशेषताओं की श्रेणी को मानक बनाया जा सके। पौधे एवं बीज के लक्षणों का अवलोकन कर इन्हें प्रलेखित किया गया।



3.1.25 भाकृअनुप—केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर

आईसीएआर—सीआईटीएच पोम फलों (सेबीय) तथा गुठलीदार फलों की संदर्भ किस्मों के डीयूएस परीक्षण, गुणचित्रण और अनुरक्षण करने वाला नोडल केन्द्र है। इनके ब्यौरे निम्नवत हैं :

3.1.25.1 संदर्भ एवं प्रत्याशी किस्मों का गुणचित्रण :

भाकृअनुप—केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर द्वारा प्रत्येक फसल के लिए तैयार किए गए डीयूएस विवरणकों के अनुसार आडू (31), आलूबुखारा (प्लम) (18), खूबानी (17), चेरी (10), सेब (50), नाशपाती (21), बादाम (28), अखरोट (27) और स्ट्राबेरी (65) जैसी शीतोष्ण बागवानी फसलों की कुल 267 संदर्भ किस्मों का गुणचित्रण किया गया। संदर्भ किस्मों का गुणचित्रण करते समय सभी गुणों (पुष्पण, पौधा, फलन इत्यादि) को ध्यान में रखा गया। विशेषताओं एवं अनिवार्य लक्षणों के स्थायित्व का पता लगाया गया। इसके अलावा, आकृतिमूलक लक्षणों, अर्थात् वृद्धि, सहन करने की



प्रवृत्ति, पर्णावली, फल और गिरी के लक्षणों के आधार पर अखरोट के 27 जीनप्ररूपों का विस्तृत निरूपण किया गया। जीनप्ररूप (अर्थात्) सीआईटीएच—डब्ल्यू—12 में उर्ध्व वृद्धि प्रवृत्ति, जबकि अधिकांश जीनप्ररूपों में अर्द्ध—उर्ध्व की प्रवृत्ति देखी गई थी। पत्तियों में तीन प्रकार के आकार दर्ज किए गए अर्थात् नैटो एलिफ्टि, एलिप्टिक और ब्रॉड एलिप्टिक। पत्ती के लक्षणों, अर्थात् अरोमिल, हल्के रोम और रोम के रूप में रोम आने के आधार पर अखरोट जीनप्ररूपों को श्रेणीकृत भी किया जा सकता है। फल परिपक्वन समूह के आधार पर जीनप्ररूपों को शीघ्र, मध्य और विलंब की श्रेणी में श्रेणीकृत किया गया। फल के आकार में काफी अधिक परिवर्तन देखा गया अर्थात् गोल, हृदयाकार, अण्डाकार, लंबा विश्मा चतुर्भुजाकार और वृत्ताकार। निरूपक में प्रत्येक जीनप्ररूप के लक्षण स्पष्ट रूप से बताए गए थे और इसी निरूपक के आधार पर सभी जीनप्ररूपों का निर्धारण किया जा सकता है या अलग—अलग समूह बनाया जा सकता है। पांच प्रत्याशी अखरोट किस्मों अर्थात् सीआईटीएच—डब्ल्यू—1, सीआईटीएच—डब्ल्यू—2, सीआईटीएच—डब्ल्यू—3, सीआईटीएच—डब्ल्यू—4 और सीआईटीएच—डब्ल्यू—5 का ऑन साइट डीयूएस परीक्षण किया गया और डीयूएस समीक्षा दल ने 24.11.2017 को इन किस्मों की जांच भी की थी। वर्ष 2017—18 के दौरान, सुरक्षा हेतु पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में किसानों के लगभग 66 नए आवेदन प्राप्त हुए थे।

3.1.26 भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे

अंगूरों के ऑन साइट डीयूएस परीक्षण के लिए श्री दीपल राय चौधरी (संयुक्त पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली), डॉ. एस. बी. गौरव (उपपंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, पुणे), डॉ. रोशनी आर. सामर्थ (वैज्ञानिक, भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र और नोडल अधिकारी, डीयूएस केन्द्र) का एक निगरानी ने 23—25 जनवरी, 2018 को अंगूर उगाने वाले बागानों (नानज, सोलापुर; निफड़, नासिक और जुन्तार, पुणे में) और भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र का दोरा किया। दौरे के दौरान अंगूरों की कुल 5 प्रत्याशी किस्मों की उपज की कठाई स्तर पर की जांच की। निगरानी दल ने प्रत्याशी किस्मों (मेडिका, नाना साहेब पर्फल बीजरहित, सरिता पर्फल बीजरहित, जय बीजरहित और सुधाकर बीजरहित) के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पत्ती, टहनी और बेरी के लक्षण संबंधी आंकड़ों का वैधीकरण किया। भाकृअनुप—राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र में गुणवत्ता परीक्षण (टीएसएस, अम्लता, रस की मात्रा, द्राक्षारस प्राप्ति इत्यादि) के लिए गुच्छों के नमूने एकत्र किए गए। इसके साथ ही पीपीवी एवं एफआरए के प्रतिनिधियों ने संदर्भ किस्मों के डाटाबेस, डीयूएस निगरानी फॉर्मेट और डीयूएस परीक्षण परिणाम फॉर्मेट के विषय में केन्द्र के साथ चर्चा की और उनका मार्गदर्शन किया। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया था कि अंतिम प्रयोजन जैसे गुणों को संदर्भ किस्म के चयन के लिए सूचीबद्ध गुणों से तुलना की दृष्टि से शामिल किया जाए। 5 प्रत्याशी किस्मों की द्विवर्षीय ऑनसाइट डीयूएस परीक्षण की समेकित रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है।

पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में पंजीकरण के लिए द्वितीय वर्ष के ऑनसाइट डीयूएस परीक्षण हेतु प्रत्याशी किस्मों की सूची

क्र. सं.	तारीख	आवेदक का नाम	प्रत्याशी किस्म	स्थान एवं संपर्क सूत्र
1	23.01.2018	श्री दत्तात्रेय एन. काले	नाना साहेब पर्फल सीडलेस (REG/2015/128)	नानज, सोलापुर (09423306000)

2	23.01.2018	श्री दत्तात्रेय एन. काले	सरिता पर्सल सीडलेस (REG/2015/129)	ननज, सोलापुर
3	23.01.2018	श्री दत्तात्रेय एन. काले	न्यू सोनाका (REG/2015/127)	ननज, सोलापुर (परीक्षण के गुच्छे उपलब्ध नहीं थे, डीयूएस परीक्षण अगले वर्ष के लिए लंबित किया गया)
4	24.01.2018	श्री हरीभाऊ एम. वेयकर	जय सीडलेस (REG/2016/1378)	पोस्ट-गुंजालवाड़ी (आर्वी), जुन्नार, पुणे (09975596430)
5	24.01.2018	श्री सुधाकर केसरीसागर	सुधाकर सीडलेस (REG/2016/1768)	शिवाडी, डाकघर-उगांव, निफाड, नासिक (09881828967)
6	25.01.2018	भाकृअनुप-राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	मेदिका (5 REG/2015/810)	मंजरी फार्म, सोलापुर रोड, पुणे

3.1.27 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (तरबूज और खरबूजा)

संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण और पुनरुत्पादन

- ग्रीष्म 2017–18 के दौरान तरबूज में कुल 10 संदर्भ किस्मों तथा खरबूज में 12 संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण एवं पुनरुत्पादन किया गया।

डीयूएस परीक्षण

- ग्रीष्म, 2017 के दौरान तरबूज की दो संदर्भ किस्मों के साथ 4 प्रविष्टियों तथा खरबूजा की तीन संदर्भ किस्मों के साथ तीन प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षण किया गया। समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत डॉ. सदाशिव ने 02 मई, 2017 को इस परीक्षण की निगरानी की थी। संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।



3.1.28 आईएफजीटीबी—आईसीएफआरआई, कोयमबत्तौर

मार्च, 2018 तक पूरे किए गए कार्य

- पहले से स्थापित किए गए जननद्रव्य बैंक का रखरखाव
- जननद्रव्य बैंक में पर्यवेक्षण
- डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना के लिए भूमि का चयन
- उदाहरण किस्मों का एकत्रीकरण, प्रवर्धन, डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना
- डीयूएस परीक्षण के लिए योजना तैयार करना
- क्लोन व डीयूएस कैरेक्टर्स मैट्रिक्स तैयार करना

3.1.28.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेष बची गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमा

गतिविधि	समय सीमा
पहले से स्थापित जननद्रव्य बैंकों का रखरखाव	निरंतर
तुवाराकुरुची, सालेम, कोयमबत्तौर और अरियालूर में स्थित जर्मद्रव्य बैंकों में पर्यवेक्षण	जनवरी–मार्च, 2019
उदाहरण किस्मों का एकत्रीकरण, प्रवर्धन, डीयूएस केन्द्र में जननद्रव्य बैंक की स्थापना	निरंतर
जननद्रव्य बैंक में डीयूएस लक्षणों का पर्यवेक्षण	प्रत्येक दूसरे माह में
क्लोन x डीयूएस कैरेक्टर्स मैट्रिक्स तैयार करना	मार्च, 2019

3.1.28.2 यूकिलप्टस, डीयूएस केन्द्र

डीयूएस लक्षण और कैरेक्टर्स मैट्रिक्स तैयार करने के लिए सालेम में स्थापित किए गए क्लोनल परीक्षण क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया। डीयूएस लक्षणों के लिए तीन वृक्ष ब्लॉकों में 20 प्रतिकृतियों में स्थापित लगभग 18 क्लोनों का मूल्यांकन किया गया। सालेम, तमिलनाडु में स्थापित किए गए क्लोनल समूहों में भी डीयूएस लक्षण दर्ज किए गए। जब कभी भी डीयूएस परीक्षण किया जाएगा उस समय तत्काल गुणन के लिए आईएफजीटीबी प्रवर्धन परिसर के स्वरस्थाने वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन गार्डन (वीएमजी) में यूकिलप्टस की संदर्भ किस्में को रोपित किया गया। वानिकी आनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयमबत्तौर द्वारा आईएफजीटीबी–ईसी6 के पंजीकरण के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। उपर्युक्त किस्म के पंजीकरण पर अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है।

3.1.28.3 कसौरिना डीयूएस केन्द्र

कसौरिना डीयूएस केन्द्र में इस महत्वपूर्ण वृक्ष फसल की नई किस्मों के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 100 से अधिक संदर्भ क्लोन समूह का रखरखाव किया जाता है। चूंकि डीयूएस परीक्षण के लिए अधिसूचित विभिन्न विवरणकों के लिए बारहमासी वृक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना पड़ता है, अतः डीयूएस केन्द्र में एकत्रित किए गए क्लोनों का निरंतर अध्ययन एवं लक्षणों को दर्ज किया जाता है। भिन्न भिन्न आयु अवस्थाओं में अभिव्यक्त विभिन्न लक्षणों के मूल्यांकन के उद्देश्य से, प्रत्येक वर्ष क्लोनों के नए पौधे लगाए जाते हैं ताकि डीयूएस केन्द्र में अलग–अलग आयु अवस्थाओं के पेड़ हों। केन्द्र में जमा किए गए लगभग 60 क्लोनों के लिए एक क्लोन डीयूएस कैरेक्टर मैट्रिक्स बनाया गया है और शेष



क्लोनों का मूल्यांकन कार्य जारी है। अभी तक पंजीकरण हेतु प्राधिकरण में 6 आवेदन भेजे गए हैं और प्राधिकरण द्वारा इस प्रक्रिया के लिए अनुमोदन जारी कर दिए जाने के बाद डीयूएस परीक्षण में उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में वृक्ष पहले ही लगा दिए गए हैं। यह केन्द्र किसानों स्टेकहोल्डरों जैसे किसान जो बागान के बड़े भाग को उगाते हैं और कागज उद्योगों जो कच्ची सामग्री के रूप में कसौरिना लकड़ी के मुख्य उपयोगकर्ता हैं तथा नई किस्मों के विकासकों के बीच किसीय संरक्षण तथा किसानों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करता है। पंजीकरण के लिए कसौरिना की नई किस्म (आईएफजीटीबी–सीजे–9) का ढाई वर्षीय पौधा भेजा गया (स्थान टिंडीवनम, तमिलनाडु) है।

3.1.29 भाकृअनुप–गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयमबत्तौर

उष्णकटिबंधीय गन्ना किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए भाकृअनुप.गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयमबत्तौर, तमिलनाडु नोडल केन्द्र के रूप में तथा आईसीएआर–एसबीआई अनुसंधान केन्द्र, अगाली (केरल) सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान दोनों केन्द्रों में किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं (i). खेत में क्लोनल प्रवर्धन के



माध्यम से गन्ने की संदर्भ किस्मों का रखरखाव, (ii). नई एवं किसानों की किस्मों का डीयूएस परीक्षण और (iii) आईएनडीयूएस डाटाबेस को अद्यतन करने हेतु संदर्भ किस्मों की डीयूएस विशेषताओं का वर्णन/सत्यापन।

अनुरक्षण प्रजनन : दोनों केन्द्रों में, 193 संदर्भ किस्मों के पौधे को पॉली बैग में उगाए गए और फिर उन्हें मुख्य खेत में प्रतिरोपित किया गया (मई, 2017); प्रत्येक किस्म के पौधे को 6 मीटर लंबाई के 2 कतारों (प्रति कतार 20 पौधे) रोपा गया था। रोगमुक्त अच्छी फसल उगाने के लिए सभी प्रकार की सावधानियां बरती गई थीं। संदर्भ किस्मों की डीयूएस विशेषताओं का सत्यापन और डाटाबेस का अद्यतनीकरण : वर्ष 2017–18 की ऋतु के दौरान सह नोडल केन्द्र (अगाली) में 193 संदर्भ किस्मों की डीयूएस विशेषताओं (27 लक्षण) का नए सिरे से गुणचित्रण/सत्यापन किया गया तथा डाटाबेस को आईएनडीयूएस डाटाबेस में अद्यतनीकरण के लिए पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के पास भेजा गया।

किसानों की किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण : डीयूएस परीक्षण के लिए किसानों की कुल 6 किस्मों, अर्थात् कुदरत का करिश्मा, देशी-1, देशी-2, मैतैई चू अंगौरबा, मैतैई चू अंगंगबा, कप्तान बस्ती प्राप्त हुई थीं। खराब अंकुरण और प्रतिस्थापन की वजह से वर्ष 2017–18 के मौसम में केवल 'कुदरत का करिश्मा' का ही डीयूएस परीक्षण कार्य पूरा हो पाया था। नोडल तथा सह नोडल केन्द्र में दर्ज किए गए इन किसानों की किस्मों से संबंधित आंकड़े प्राधिकरण के पास भेज दिए गए थे। प्रत्येक नोड में तीन कलियों की विद्यमानगी (जबकि अन्य संदर्भ किस्मों में प्रत्येक नोड में केवल एक कली है) के कारण किसान किस्म 'कुदरत का करिश्मा' अन्य संदर्भ किस्मों से अलग पायी गयी है।

3.1.30 भाकृअनुप—गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल

भाकृअनुप—गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल (हरियाणा) उप—उष्णकटिबंधीय गन्ना किस्मों के डीयूएस परीक्षण के लिए सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान, करनाल केन्द्र में उप—उष्णकटिबंधीय गन्नों की कुल 126 संदर्भ किस्मों को दो कतारों वाले भूखंडों में रोग मुक्त अवस्था में रखरखाव किया गया था। मार्च, 2018 के दौरान, कृषकों की तीन किस्मों अर्थात् सुगम कटारी, जीत कटारी और पूर्सा के सीड केन डीयूएस परीक्षण के लिए प्राप्त हुए थे। इन किस्मों के सीडलिंग्स को गुणन के लिए पॉलीबैग में रोपित किया गया था। बीजों के गुणन के पश्चात अगले वर्ष इन किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2017–18 के गन्ने के मौसम में चार संदर्भ किस्मों (सीओएस 94270, सीओएस 96258, सीओ पंत 96219, बीओ 130) के साथ किसानों की किस्म कप्तान बस्ती का डीयूएस परीक्षण किया गया था। आंकड़े पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में भेज दिए गए हैं। पर्यवेक्षण से सूचित हुआ है कि कप्तान बस्ती संदर्भ किस्मों से अलग है।

3.1.31. भाकृअनुप—भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

- गन्ना की संदर्भ किस्मों के समूह का रखरखाव :** पतझड़ के मौसम में गन्ना की 144 संदर्भ किस्मों को डीयूएस खेत में रखरखाव किया गया और 2017–18 में बसंत ऋतु के दौरान 154 संदर्भ किस्में रोपित की गई थी। इस संदर्भ समूह में सीवीआरसी में पहचान की गई, रिलीज तथा अधिसूचित की गई सभी किस्में, राज्यों से रिलीज की गई किस्में और गन्ने पर कार्य कर रहे विभिन्न अनुसंधान संगठनों के पास उपलब्ध एआईसीआरपी के उन्नत किसीय परीक्षणों से प्राप्त क्लोन सम्मिलित थे। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार, संदर्भ समूह में नए समावेशनों के लिए लक्षणों को दर्ज किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के फसल मौसम के दौरान रखरखाव के लिए संदर्भ समूह की नई फसलों को खेत में रोपित किया गया। अलग—अलग मौसम में पौधरोपण की वजह से प्राप्त होने वाले डीयूएस लक्षणों में अंतर को जानने के लिए संदर्भ समूह के पौधे बसंत और पतझड़ के मौसम में लगाए गए।
- डीयूएस परीक्षण प्रयोग :** मार्च, 2017 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किसानों की एक किस्म कप्तान बस्ती को संदर्भ समूह से लिए उसके सर्वाधिक समान 3 किस्मों (सीओएस 96258, सीओ 6425, सीओ पंत 96219 और बीओ 130) के साथ रोपित किया गया था। अनुशंसित पैकेज ऑफ प्राक्टीसेस का पालन किया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार अवलोकन दर्ज किए गए थे। दोनों केन्द्रों के आंकड़ों को संकलित कर यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
- नई प्रत्याशी किस्में :** गन्ने की दो किस्में सीओएन 05071 और सीओएन 07072 नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात से प्राप्त हुई थीं, तथापि ये क्लोन तथा केन्द्र उष्णकटिबंधी क्षेत्र में आते हैं। संबंधित केन्द्र को यह सलाह दी गई थी कि वे डीयूएस परीक्षण के लिए एसबीआई, कोयम्बतूर को इन किस्मों की पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति करें।

● कृषकों की किस्मों का परीक्षण

- **फ्यूसेन** : वर्ष के दौरान, अन्य कलोन फ्यूसेन प्राप्त हुआ था और पॉलीबैग में पौधे उगाए गए। प्राप्त 128 एकल कलमों में से मात्र 12 कलमों में अंकुरण हुआ। पॉलीबैग के पोधों को खेत में प्रतिरोपित किया गया। अधिकांश पौधे वृद्धि की मुख्य अवस्था के दौरान सूख गए। इस वर्ष भी इस कलोन का गुणन किया गया और खेत में इन्हें रोपित किया गया है।
- **कुदरत का करिश्मा** : एसबीआई, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल से मार्च, 2017 के दौरान यह कलोन प्राप्त हुआ। पॉलीबैग में उगाए गए पौधों का गुणन और मूल्यांकन के लिए खेतों में रोपित किया गया। इस कलोन के साथ परीक्षण के लिए कोई संदर्भ किस्म उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक नोड पर अधिक संख्या में कलियां हैं जबकि समस्त संदर्भ समूह में इस लक्षण का कोई कलोन नहीं उपलब्ध नहीं था।
- **कृषकों की अन्य किस्में** : इस केन्द्र को किसानों की श्रेणी के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए ए1, ए2, जीत, कटारी और सुगम कटारी, जीएनएस4 और जीएनएस-6 नामक कलोन प्राप्त हुए हैं। इन्हें गुणन हेतु खेत में रोपित किया गए हैं।

3.1.32 भाकृअनुप—केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

संक्षिप्त प्रगति निम्नवत है :

आलू का डीयूएस परीक्षण : पहले वर्ष के डीयूएस परीक्षण प्रयोग में, मैरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चार बाहरी किस्मों, डॉली, सैसी, इडोनी और नफिडा के साथ संदर्भ किस्मों, कुफरी फ्राइसोना, कुफरी अरूण और कुफरी पुखराज का सीपीआरएस, मोदीपुरम और सीपीआरएस, जालंधर में वनस्पतिक और कंदीय लक्षणों के लिए मूल्यांकन किया गया ताकि इन्हें विद्यमान (सामान्य ज्ञान की किस्में) श्रेणी के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो सके।


दूसरे वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत सीपीआरएस, मोदीपुरम और सीपीआरएस, जालंधर में रबी मौसम के दौरान संदर्भ किस्मों कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, लेडी रोसेटा, अटलांटिक, संताना और कुफरी चिपसोना-3 के साथ महिन्द्रा लिमिटेड की पांच बाहरी किस्मों फरीदा, आइवरी रूसेट, कोलंबा, नेविगेटर और हेराकली का वनस्पतिक और कंदीय लक्षणों के लिए जांच की गई ताकि नई किस्म के रूप में इनका पंजीकरण किया जा सके।

फरीदा, आइवरी रूसेट, कोलंबा, नेविगेटर और हेराकली के साथ संदर्भ किस्मों कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, लेडी रोसेटा, अटलांटिक, संताना और कुफरी चिपसोना-3 की ग्रीष्म फसलों में पुष्पीय विशेषताओं को दर्ज किया गया।

संदर्भ जननद्रव्य का अनुरक्षण : 213 वंशावलियों जैसे 51 सीपीआरआई किस्मों, 107 देशी किस्मों, 29 उपोव किस्मों, 18 बाहरी / विदेशी किस्मों और राज्यों की 8 किस्मों को शिमला में इन विट्रो परिस्थितियों के अंतर्गत रखरखाव किया गया था। सीपीआरएस, मोदीपुरम में, सीपीआरआई द्वारा रिलीज की गई आलू की 52 किस्में और 62 संदर्भ किस्मों को खेत की स्थितियों के अंतर्गत कंदीय रूप में रखरखाव किया गया था।



चित्र 1 : विभिन्न प्रत्याशी आलू किस्मों की पत्तियां



नफिदा

डॉली

साशी

इंडोनी

चित्र 2 : विभिन्न प्रत्याशी आलू किस्मों के अंकुर

3.1.33 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर

बाजरा अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जागनगर, 361006 (गुजरात) अरंडी के डीयूएस परीक्षण हेतु एक सह नोडल केन्द्र है। वर्ष 2017–18 के दौरान दो किस्मों अर्थात मरगरी और बढ़िया अरण्डी के लक्षणों का वर्णन किया गया और दो संदर्भ किस्मों अर्थात डीसीएस–107, हरिता के विरुद्ध दो अन्य किस्मों अर्थात देहाती, देहाती–2 का परीक्षण किया गया था।

गुजरात सरकार, गुजरात राज्य द्वारा 06.09.2017 से 15.09.2017 तक आयोजित किए गए मां नर्मदा महोत्सव–2017 के दौरान सह नोडल अधिकारी डॉ. के. के. ढेढ़ी ने महोत्सव में भाग ले कर 07 सितंबर, 2017 को जाम वंथली और वरना गांवों (तहसील : जामनगर) के किसानों के लिए; 10 सितंबर, 2017 को जाम जोधपुर के किसानों के लिए तथा 15 सितंबर, 2017 को नंदूरी और गोदावरी गांवों (तहसील : लालपुर) के किसानों के लिए व्याख्यान दिए हैं। केन्द्र ने बाजारा की 12 किस्मों के लिए पौधों की सुरक्षा मांगने वाले आवेदन प्रस्तुत किए थे जिनके लिए पंजीकरण के प्रमाणपत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

3.1.34 सब्जी विज्ञान प्रभाग, भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

फूल गोभी में डीयूएस परीक्षण के लिए जवाबदेह है। वर्ष 2017–18 के दौरान आपूर्ति की गई 9 प्रविश्टियों में से, नई श्रेणी के अंतर्गत 7 प्रविष्टियों का दूसरे वर्ष का परीक्षण तथा 2 प्रविष्टियों का प्रथम वर्ष का परीक्षण किया गया था। डीयूएस लक्षणों के लिए कुल 9 प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया था।



3.1.35 भाकृअनुप–मूँगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़

वर्ष 2017 के खरीफ मौसम में नोडल (आईसीएआर–डीजीआर, जूनागढ़) और सह नोडल (यूएएस धारवाड़) दोनों केन्द्रों में 2 संदर्भ किस्मों के साथ तीन प्रतिकृतियों में पांच प्रत्याशी किस्मों : वेस्टर्न वरदान (REG/2010/339); लाल (REG/2016/296), बादाम एलओ (REG/2016/387), गोवर्धन जीएल (REG/2016/1181) और रामकृष्ण (REG/2016/715) की बुवाई की गई थी। जिन संदर्भ किस्मों का उपयोग किया गया था वे थे : स्पैनिश बंच (2), जीजी 2 और एसजी 84; वैलेंसियास (2) : कोपरगांव 3 और गंगापुरी; वर्जिनिया बंच (2) : जीजी 20 और बीएयू 13; वर्जिनिया रनर (2) : पंजाब 1 और सोमनाथ। सफल पैदावार उगाने के लिए अनुशंसित की गई सभी पद्धतियों का अनुपालन किया गया था। उपयुक्त वृद्धि अवस्था में गुणवत्ता के 13 तथा परिमाणात्मक के 5 विवरणों के पर्यवेक्षणों को दर्ज किया गया और आंकड़ों को प्रतिकृति–वार दर्ज किया गया। अगले खरीफ मौसम 2019 के दौरान आगे के परीक्षण के लिए बीज वृद्धि हेतु प्राप्त किसानों की छह किस्मों ज्ञुमकुल (REG/2017/1132), इंदूरी (REG/2017/1133), मनोहर मूँगफली (REG/2017/1134), बढ़ेलीफल्ली (REG/2017/1278), सौथाफल्ली (REG/2017/1285) तथा जीत बादाम (REG/2017/2310) का गुणन किया गया।

3.1.36 भाकृअनुप–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (आम), लखनऊ

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आम में डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। केन्द्र को कृषक किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत 25 किस्मों के डीयूएस परीक्षण / ऑनसाइट परीक्षण हेतु सूचना मिली थी। प्राधिकरण





को 48 पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कृषक किस्मों की पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता की गई थी। मातृ वृक्षों और फील्ड जीन बैंकों में क्लोनल रूप से प्रवर्धित पौधों के आंकड़ों को एकत्र करके किसानों की 25 किस्मों के ऑनसाइट परीक्षण कार्य को जारी रखा गया। कृषक किस्मों (200 से अधिक) को फील्ड जीन बैंकों में संरक्षित किया गया था। मलीहाबाद क्षेत्र की विद्यमान किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुति के लिए किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लखनऊ और मालदा में आम के विषय में आयोजित विविधता मेले के दौरान दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। किसानों को पंजीकरण फार्म प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया गया था और इस बात की आशा की जाती है कि जागरूकता कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप आय के संबंध में किसानों की 50 किस्मों के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। फील्ड जीन बैंक में 100 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया था।

3.1.37 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर

आईसीएआर—आईआईएचआर, बैंगलोर रिथत डीयूएस भूखंड में कुल 30 जननद्रव्यों का रखरखाव किया जा रहा है। अभिरक्षक किसानों से प्राप्त हुई 15 किस्में पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकृत की गई हैं। हाल ही में एक अभिरक्षक किसान श्रीमान मोहम्मद घनी से प्राप्त 18 किस्मों का गणन कर डीयूएस भूखंड, आईआईएचआर में रोपित किया गया। रिपोर्ट अवधि के दौरान, पुष्पण लक्षण अर्थात् पुष्पण का समय, पुष्पवृत्त की लम्बाई, पुष्पवृत्त का व्यास, पुष्पवृत्त का अनुपात और उभयलिंगी प्रतिशतता को दर्ज किया गया। 23 किस्मों के उभयलिंगी पुष्पों की प्रतिशतता को दर्ज किया गया जिनमें से किस्म इरफान में सबसे अधिक प्रतिष्ठतता (30.73 प्रतिशत) दर्ज की गई। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आकृतिमूलक और गुणात्मक लक्षणों को भी दर्ज किया गया। डीयूएस भूखंड से एकत्रित किए गए फलों की विशेषताओं लिए आम की 9 किस्मों का विश्लेषण किया गया। फलों का भार 67.92 ग्राम से लेकर 798.46 ग्राम के बीच और किस्म किंग फॉन में फलों का सबसे अधिक भार (798.46 ग्राम) दर्ज किया गया, जबकि किस्म दादाभाई पसंद में सबसे कम भार (67.92 ग्राम) दर्ज हुआ। कुल घुलनशील ठोस (टीएसएस) 12.4 से 20.32° ब्रिक्स के बीच पाया गया। किस्म किंग फॉन में सबसे अधिक टीएसएस (20.32° ब्रिक्स) और किस्म ताजमहल में सबसे कम टीएसएस (12.4° ब्रिक्स) दर्ज किया गया। किस्म किंग फॉन में गूदे का सबसे अधिक प्रतिशत (76.60 प्रतिशत), किस्म दादाभाई पसंद में गूदे का सबसे कम प्रतिशत (44.80 प्रतिशत) दर्ज हुई। किस्मों में अनुमाप्य अम्लता में भी काफी अंतर पाया गया और यह 0.064 प्रतिशत से 0.192 प्रतिशत के बीच रही है। रॉयवॉल में सबसे अधिक अम्लता (%), जबकि मंजेब पसंद में सबसे कम अम्लता दर्ज की गई।



Field view- DUS Testing Centre, BHR

तालिका : आम की किस्मों के फलों के लक्षण

किस्म	फल भार (ग्रा.)	फल लंबाई (से.मी.)	फल चौड़ाई (से.मी.)	फल की मोटाई (से.मी.)	टीएसएस (°ब्रिक्स)	छिलका भार (ग्रा.)	छिलका मोटाई (से.मी.)	गुरली भार (ग्रा.)	अम्लीयता (%)	गूदा (%)	
किंग फॉन	798.46	19.24	8.9	8.36	20.32	126.4	2	0.2	59.7	0.128	76.6
ताजमहल	159.74	7.32	6.7	5.82	12.4	24.34		0.1	32.26	0.128	64.56
इमाम	72.24	4.86	15.59	4.76	13.64	11.78		0.1	12.16	0.192	66.8
मंजेब पसंद	162.98	6.94	6.38	6.16	16.44	34.8		0.1	22.36	0.064	64.92
इरफान	83.92	5.26	5.78	4.54	18.16	20.36		0.1	21.34	0.064	50.3
मंग मारी	234.5	7.5	7.55	6.8	19.65	35.9		0.1	31.75	0.192	71.15
लाल बादाम	120.68	6.92	5.64	5	12.98	22.9		0.1	20.4	0.128	64.05
दादाभाई पसंद	67.92	5.66	4.58	4.26	15.14	16.48		0.2	20.98	0.128	44.80
रॉयवॉल	225.53	8.53	6.87	5.97	17.43	34.63		0.10	35.17	0.192	69.05

3.1.38 भाकृअनुप—प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे

प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे प्याज की 55 रबी और 11 खरीफ किस्मों तथा लहसुन की 24 किस्मों का रखरखाव कर रहा है। इन किस्मों में से लंबे समय तक टिके रहने वाली प्याज और लहसुन की किस्मों का रखरखाव सीआईटीएच, श्रीनगर में किया जा रहा है; बहुगुणित प्रकार की प्याज किस्मों का रखरखाव ठीएनएयू कोयम्बतूर में किया जा रहा है और शेष बची किस्मों का रखरखाव डीओजीआर, राजगुरुनगर और आईएआरआई, नई दिल्ली में किया जा रहा है। विगत में रबी प्याज किस्मों के संचित किए गए कंदों और हाल ही में खरीफ प्याज किस्मों से एकत्रित किए गए कंदों को आगे चलकर बीज उत्पादन एवं रखरखाव की दृष्टि से कड़े वियोजन के तहत नाइलॉन केजों में दिसंबर, 2017 में रोपित किया गया था। प्याज की किस्मों का रखरखाव खरीफ और रबी मौसमों के दौरान दिए गए अधिदेशों के अनुसार जबकि लहसुन किस्मों का रखरखाव रबी मौसम के दौरान दिए गए अधिदेशों के अनुसार किया जा रहा है। प्याज की तीन किस्मों (भीमा किरण, भीमा रेड और भीमा राज) तथा लहसुन की एक किस्म (भीमा ओमकार) के संरक्षण के लिए उन्हें पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में वर्तमान श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है जबकि प्याज के 7 किस्मों अर्थात् भीमा डार्क रेड, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, भीमा शुभ्रा, भीमा सुपर, भीमा सफेद और भीमा लाइट रेड; तथा लहसुन की एक किस्म भीमा पर्फल का पंजीकरण / डीयूएस परीक्षण पीपीवी एवं एफआरए द्वारा किया जा रहा है।

3.1.38.1 खरीफ प्याज किस्मों का डीयूएस गुणचित्रण (2017–18)

खरीफ प्याज की 11 किस्मों अर्थात् एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, बी-780, भीमाराज, भीमा रेड, भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, भीमा सुपर, भीमा डार्क रेड, भीमा सफेद और एन-53 के बीजों की बुवाई 29 जून 2017 को की गई और इन्हें 1 x 6 मी. के भूखंड आकार में सतह से उठी हुई क्यारियों में 3 प्रतिकृतियों के साथ प्रतिरोपित किया गया। नवंबर, 2017 में फसलों की कटाई की गई और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पर्यवेक्षणों को दर्ज किया गया। कटाई के पश्चात प्राप्त कंदों को बीज उत्पादन के लिए दिसंबर, 2017 के दौरान रोपित किया गया।

3.1.38.2 रबी प्याज किस्मों का डीयूएस गुणचित्रण (2017–18)

रबी प्याज की 47 किस्मों अर्थात् एग्रीफाउंड व्हाइट, एग्रीफाउंड लाइट रेड, अर्का बिंदु, अर्का निकेतन, अर्का पीतांबर, अर्का प्रगति, भीमा किरण, भीमा राज, भीमा रेड, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, भीमा लाइट रेड, भीमा सफेद, अर्ली ग्रेनो, जीडब्ल्यूओ-1, जीडब्ल्यूओ-2, जीडब्ल्यूओ-3, जीजेआरओ-11, हिसार-2, कल्याणपुर रेड राउंड, एन-2-4-1, एनएचआरडीएफ रेड (एल-28), एनएचआरडीएफ रेड-2 (एल7355), एनएचआरडीएफ रेड-3 (एल-625), एनएचआरडीएफ रेड-4, एनएचआरडीएफ फरसुगी (एल-819), पीकेवी व्हाइट, फूले सफेद, फूले सामर्थ, फूले स्वर्णा, फुरसुंगी लोकल, पीलीपत्ती जूनागढ़, पंजाब नरोया, पूसा माधवी, पूसा रेड, पूसा रिद्धि, पूसा व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट राउंड, पीआर-6, आरओ-01, आरओ-252, आरओ-59, तेलगी लोकल, उदयपुर-102 और सुखसागर के बीजों को किसानों की 2 किस्मों अर्थात् देशी- O (Reg/2015/1437) और डुंगरी फुली (Reg/2017/1769) के बीजों के साथ 30 अक्तूबर, 2017 को बोया गया तथा 2 x 3 मी. आकार के भूखंड में 3 प्रतिकृतियों में 03 जनवरी, 2018 को प्रतिरोपित किया गया था। अप्रैल-मई, 2018 माह में फसलों की कटाई की गई और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पर्यवेक्षणों को दर्ज किया गया।

3.1.38.3 लहसुन किस्मों का डीयूएस गुणचित्रण (2017.18)

लहसुन की 27 किस्मों, अर्थात् भीमा ओमकार, भीमा पर्फल, सीआईटीएच-जी-1, जी-1, जी-41, जी-50, जी-282, जी-323, जी-386, जीजी-2, जीजी-3, जीजी-4, जी-189, जी-384, जी-2016-05, जी-2016-06, जी-2016-07, गोदावरी, ऊंटी लोकल, फूले बासवंत, पीसी-17, पीसी-18, रानी वेन्नूर लोकल, सिकिकम लोकल और सिलकुई लोकल को किसानों की तीन किस्मों अर्थात् किरण उरांव (Reg/2016/339)] निधि लाकड़ा (Reg/2016/365) और जीत उरांव (Reg/2016/2317) के साथ 3 प्रतिकृतियों में 3 x 2 मी. आकार के भूखंड में 05 नवंबर, 2017 को रोपित किया गया। मार्च, 2018 माह में फसलों की कटाई की गई और सभी पर्यवेक्षणों को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार दर्ज कर लिया गया।

3.1.38.4 डीयूएस परीक्षण के अधीन किस्में

इस वर्ष के दौरान किसानों की दो प्याज किस्मों अर्थात् देशी-O (Reg/2015/1437) और डुंगरी फुली (Reg/2017/1769) का किसानों की तीन लहसुन किस्मों अर्थात् किरण उरांव (Reg/2016/339) निधि लाकड़ा (Reg/2016/365) और जीत उरांव (Reg/2016/339) का उनके पंजीकरण के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया।

3.1.38.5 दाखिल / पंजीकृत किस्में

प्याज की तीन किस्मों (भीमा किरण, भीमा रेड और भीमा राज) और लहसुन की एक किस्म (भीमा ओमकार) को उनके संरक्षण की दृष्टि से पीपीवी एवं एफआरए में विद्यमान श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया जबकि पीपीवी एवं एफआरए द्वारा प्याज की 6 किस्मों अर्थात्, भीमा रेड, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, भीमा शुभ्रा, भीमा सुपर और भीमा लाइट रेड तथा लहसुन की एक किस्म अर्थात् भीमा पर्पल का पंजीकरण / डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है।

फसल	किस्म	आवेदन संख्या	पंजीकरण संख्या
प्याज (एलियुम स्पेप एल.)	भीमा राज (बी-780-5-2-2)	ई2 एसी3 14 1300 दिनांक 01.07.2014	262 of 2015 दिनांक 19.10.2015
	भीमा किरण (डीओजीआर-597)	ई1 एसी8 15 2014 दिनांक 19.11.2015	341 of 2016 दिनांक 22.10. 2016
	भीमा रेड (बी-780-5-3-1)	ई2 एसी9 15 2015 दिनांक 26.11.2015	342 of 2016 दिनांक 22.10.2016
लहसुन (एलियुम सतिवुम एल.)	भीमा ओमकार (एसी- 200)	ई2 एएस4 16 681 दिनांक 06.06.2016	427 of 2016 दिनांक 29.12.2016

प्याज तथा लहसुन की पंजीकृत किस्मों के चित्र



भीमा किरण

भीमा रेड

भीमा राज

भीमा ओमकार

3.1.38.6 प्याज और लहसुन के डीयूएस परीक्षणों की निगरानी

डॉ. उमेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, निगरानी समिति ने डॉ. आर. डी गौतम, डॉ. पी. महाजन, डॉ. एस. जे. गवांडे और ए. जे. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) / नोडल अधिकारी (डीयूएस) के साथ आईसीएआर—डीओजीआर में चल रहे प्याज और लहसुन के डीयूएस परीक्षणों की निगरानी की और 22 मार्च, 2018 को डॉ. मेजर सिंह, निदेशक, आईसीएआर—डीओजीआर के साथ समीक्षा बैठक की। डॉ. मेजर सिंह ने अध्यक्ष को आईसीएआर—डीओजीआर के कार्यकलापों के बारे में बताया और डीओजीआर के वैज्ञानिकों के साथ उनकी वार्ता कराई। डॉ. ए. जे. गुप्ता ने डीयूएस परियोजना के अंतर्गत प्याज और लहसुन किस्मों के रखरखाव का निरूपण किया। उन्होंने डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत प्याज की दो कृषक किस्मों सहित मूल्यांकन / रखरखाव के लिए रोपित 47 प्याज किस्मों के बारे में भी बताया। लहसुन के मामले में, किसानों की तीन किस्मों सहित 27 किस्मों को रखरखाव के तहत रोपित किया गया। डॉ. उमेश श्रीवास्तव, आईसीएआर—डीओजीआर, राजगुरुनगर में प्रयोगशाला की साफ—सफाई और उन्नत रूप, भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रभावित थे। वे प्याज और लहसुन पर किए गए डीयूएस प्रयोगों से भी प्रभावित थे जो कि डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार अच्छे ढंग से किए गए थे। पहली निगरानी डॉ. वी. महाजन, डॉ. एस. जे. गवांडे और डॉ. ए. जे. गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) / नोडल अधिकारी (डीयूएस) द्वारा 05 मार्च, 2018 को की गई थी।





डीयूएस परियोजना के अंतर्गत प्याज और लहसुन किस्मों का रखरखाव

3.1.39 भाकृअनुप—भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर

आईसीएआर—आईआईएसआर, इंदौर सोयाबीन के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है और यूएएस, धारवाड़ और वीपीकेएस, अल्मोड़ा सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। निम्नलिखित सूची के अनुसार 19 किस्मों का परीक्षण / गुणचित्रण किया जा रहा है :

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	ईडीवी एवं आईवी	कुल	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
सोयाबीन	-	3 (निजी)	-	13	-	16	डॉ. संजय गुप्ता; पीएस एवं आई/सी फसल सुधार विभाग, आईआईएसआर, इंदौर

केन्द्र ने वर्ष 2017–18 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र/अन्य स्रोतों/अधिसूचित किस्मों की 119 किस्मों का रखरखाव भी किया।

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या	जारी किए गए प्रमाणपत्र		
				विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके
सोयाबीन	5	2	2	-	-	2

2018–19 की योजना

- (i). किसानों की 13 किस्मों का डीयूएस परीक्षण
- (ii). रिलीज की गई अधिसूचित किस्मों का रखरखाव
- (iii). एआईसीआरपी सोयाबीन केन्द्रों द्वारा रिलीज की गई अधिसूचित सोयाबीन किस्मों की पौध किस्म संरक्षण के लिए भेजे गए आवेदन को दाखिल करना।

3.1.40 केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर

सीएसआरटीआई, मैसूर शहतूत के लिए नोडल डीयूएस केन्द्र होने के कारण विविध जननद्रव्यों (264 जीनप्ररूपों) की सूची के साथ—साथ शहतूत की 45 किस्मों का एक संदर्भ समूह रखे हुए हैं। शहतूत डीयूएस विवरणकों को सफलतापूर्वक मानक बनाया जाता है। शहतूत के आईएनडीयूएस डाटाबेस को अद्यतन बनाने का काम पूरा हो चुका है। डीयूएस केन्द्र में संदर्भ जीनप्ररूपों की स्थापना उन्नत अवस्था में है। शहतूत की नई/विद्यमान किस्मों के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है।



अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत मलबेरी संदर्भ संग्रह की सूची

संदर्भ किस्में	मैसूर लोकर, कनवा—2, आरएफएस—135, आरएफएस—175, एआर—11, एस—1635, एस—13, एस—34, काजिलि, एमआर—2, एस—146
नमूना किस्में	एक्स—106, आसियौके, बादोधी, बारबट फार्म, बिलिदेवालय, बड़स फूट, चाइना—34, क्रीपिंग सीपी × वी1 (पी5), क्रीपिंग मलबेरी, डूमर नाली, फ्रेंच, गजपतिपुर—2, हरमुट्टी, के2 × बीसी (पी11), काजली, कनवा—2, करनजतोली—1, कोकुसो, कोसेन, लामिया बे, लाजुरासो, एम. लाइविगाटा (संकर), एम. मल्टीकॉलिस, मलिका लोकल, मिजुसावा, मोरेती (सेरिंग), फिलिपींस, पंजाब लोकल, रेलवे क्वार्टर, रांची—5, सारावती टी एस्टेट, सुरत, उरगाम—1

3.1.41 भाकृअनुप—परियोजना समन्वयन इकाई (तिल और नाइजर), जबलपुर

- दो वर्षीय परीक्षण के लिए प्राप्त हुई किसानों की 35 किस्मों का गुणचित्रण किया गया और इनका मूल्यांकन 2018—19 के दौरान किया जाएगा।
- 35 किस्मों में से 2 किस्में एक समान नहीं थी क्योंकि उनके बीज के छिलकों के रंग 2—3 रंगों का (सफेद, गहरा भूरा और काला) मिश्रण था।
- किसानों की एक किस्म (Reg/2016/861) तिलारा में अंकुरण नहीं हुआ था।
- शेष बची अन्य सभी किस्में तीनों ही प्रतिकृतियों में एक समान थीं।
- किसानों की दो किस्में अर्थात Reg/2017/494 तथा Reg 2017/532 डिटर्मिनेट प्रकार की पाई गई हैं।
- किसानों की किस्मों : Reg/2017/497, Reg/2017/496, Reg/2017/494 और Reg/2017/532 में समय से पूर्व परिपक्वन देखा गया।
- Reg/2017/309 तथा Reg/2016/1004 किस्में मल्टी कैप्सूलर हैं।



3.1.42 भाकृअनुप—केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर

वर्ष 2017—18 के दौरान हुई प्रगति संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार है :

उद्देश्य

- नोनी की विभिन्न कृषिजोपजातियों/प्रजातियों की डीयूएस परीक्षण क्रियाविधि का उपयोग भारत में किसी भी कृषिजोपजाति और किस्मों के पंजीकरण हेतु जांच के रूप में किया जाएगा।
- जैव रासायनिक मानदंड संबंधी जानकारी से लोगों को नोनी के प्रति और अधिक संवदेनशील बनाएगा और इससे इसके वाणिज्यिक उपयोग में मदद मिलेगी।
- द्वियों में नोनी उगाने वालों के लिए वैज्ञानिक बैकअप।
- यह जानकारी आगे के अनुवांशिक सुधार कार्यक्रमों में वांछित जीनप्ररूप चुनने में भी मदद करती है।

लक्षित उपलब्धियां (अप्रैल 2017—मार्च, 2018)

उपलब्धि	प्रगति
नोनी पौधरोपण के लिए किए गए इंटरकल्वरल कार्य	2 हेक्टेयर में नोनी बगानों में वनवर्धन अर्थात छंटाई, मिट्टी भराई और जैविक अवशिष्टों से मल्विंग के कार्य किए गए।
नोनी किस्म के डीयूएस गुणचित्रण तैयार करना	नोनी की 4 किस्मों का डीयूएस गुणचित्रण तैयार किया गया।
नर्सरी तैयार करना, नवोदयित पौधों का प्रतिरोपण	नोनी की 4 किस्मों (सीएआरआई संपदा, सीएआरआई रक्षक, सीएआरआई समृद्धि और सीएआरआई संजीवनी) के पौधों को नर्सरी की क्यारियों से हटाकर पॉलीबैग में प्रतिरोपित किया गया।
नोनी संदर्भ किस्मों से संबंधित डाटाबेस	नोनी की 4 संदर्भ किस्मों के लिए डाटाबेस तैयार किया गया
उपज आकलन	आठ वर्ष पुराने नोनी बगानों की उपज का पर्यवेक्षण किया गया

मुख्य उपलब्धियां (अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018)

- समय पर इंटरकल्वरल कार्य अर्थात मिट्टी की भराई, मल्टिंग, एफवाईएम एवं उर्वरक का उपयोग तथा छंटाई की व्यवस्था करते हुए दो खेतों में नोनी पौधरोपण का वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव किया गया था।
- डीयूएस गुणवित्रण तथा नोनी संदर्भ किस्मों के डाटाबेस तैयार किया गया।
- संस्थान द्वारा रिलीज की गई नोनी की चार किस्मों अर्थात सीएआरआई संपदा, सीएआरआई रक्षक, सीएआरआई समृद्धि और सीएआरआई संजीवनी से प्राप्त फलों को खेत से एकत्रित किया गया और पौध तैयार करने के लिए फलों से बीज निकाले गए।
- रिपोर्ट अवधि के दौरान 15000 पौध तैयार किए गए हैं और ये पौध इसी मौसम में स्टेकहोल्डरों में वितरित किए जाएंगे।

अप्रैल 2017 से मार्च, 2018 तक की विस्तृत रिपोर्ट

रिपोर्ट अवधि (2017–18) के दौरान, संस्थान द्वारा रिलीज की गई नोनी की 4 किस्मों अर्थात सीएआरआई संपदा, सीएआरआई संजीवनी, सीएआरआई समृद्धि और सीएआरआई रक्षक का रखरखाव मान वनवर्धन पद्धतियों का अनुपालन करते हुए किया गया है। चारों किस्मों में डीयूएस के लक्षण अर्थात छाल का रंग, शाखन की पद्धति, क्राउन का आकार, पत्ती का आकार, पत्ती की आकृति, प्रति वृक्ष फलों की संख्या, फल का रंग, फल का स्वाद, फल की आकृति, फल का आकार, प्रति फल बीजों की संख्या और बीजों के आकार को दर्ज किया गया। आकंड़ों का विश्लेषण किया गया और विस्तृत डीयूएस रिपोर्ट तैयार की गई।

विश्लेषण से यह पता चला कि रखरखाव की गई 4 किस्मों में से सीआईआरआई समृद्धि में फलों की सबसे अधिक पैदावार अर्थात प्रति वृक्ष 32 कि.ग्रा. दर्ज की गई, उसके बाद सीआईएआरआई, संपदा (प्रति वृक्ष 30 कि.ग्रा.), सीआईएआरआई संजीवनी (प्रति वृक्ष 27 कि.ग्रा.) की पैदावार दर्ज की गई तथा सबसे कम पैदावार सीआईआरआई रक्षक (प्रति वृक्ष 13 कि.ग्रा) में दर्ज की गई। पौधों में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए, मातृ ब्लॉक में रखरखाव किए गए प्लस वृक्षों से 15000 सर्वोत्कृष्ट पौधे तैयार किए गए और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। सीमावर्ती पौधरोपण के रूप में सीआईएआरआई संपदा में वृद्धि और पैदावार की संभावना का अध्ययन करने के लिए इस किस्म के 70 पौधों को सभी ब्लॉक में रोपित किया गया। इसके अलावा, नोनी की दो नई वंशावलियों को आफ्रा खाड़ी और ग्रेट निकोबार के गलथिया वन क्षेत्र से एकत्रित किया गया और आगे के मूल्यांकन के लिए इन्हें सीआईएआरआई जननद्रव्य ब्लॉक में संरक्षित रखा गया। वर्ष के दौरान नोनी के पौधों में सूत्रकृमियों के संक्रमण का पता चला और इनके नमूनों को सूत्रकृमियों की पहचान के लिए भेजा गया ताकि आगे चलकर नियंत्रण उपायों के बारे में सुझाव दिया जा सके।



3.1.43 भाकअनुप—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, (अमरुद), लखनऊ

अमरुद में विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व की जांच करने के लिए फील्ड जीन बैंक में उपलब्ध अमरुद की किस्मों (25) के डीयूएस गुणवित्रण को दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रखा गया। फील्ड जीन बैंक में संदर्भ किस्मों (100) को अनुशंसित की गई सभी संवर्धन प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए रखरखाव किया गया। वर्ष 2017–18 में मुरझान के कारण मर चुके अमरुद वंशक्रमों के स्थान पर पुनः पौध लगाने और खाली जगह को भरने का कार्य किया गया। आकंड़ों को एकत्रित करते हुए किसानों की दो किस्मों के ऑनसाइट डीयूएस परीक्षण को जारी रखा गया और फील्ड जीन बैंकों के लिए किस्मों का क्लोन रूप में प्रवर्धन किया गया। ऐसे क्षेत्रों, जहाँ अमरुद की कृषक किस्में विद्यमान हैं और पंजीयन तथा इसकी प्रक्रिया के महत्व को बताने के लिए इसके पंजीकरण की जरूरत है, वहां दो जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंजीकरण से किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंच सकता है इसके बारे में भी उन्हें बताया गया।

3.1.44 आईसीएआर—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (जास्मिन)

रखरखाव / गुणचित्रण के अंतर्गत किसमें :

फसल / प्रजातियां	अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों की संख्या
जास्मिनम औरीक्यूलेटम	6
जे. सेमबैक	23
जे. मल्टीप्लोरम	3
जे. ग्रेंडीप्लोरम	3

3.1.45 भाकृअनुप—भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालिकट

आईसीएआर—आईआईएसआर, कालीकट मसाला फसल प्रजातियों के किस्मगत रखरखाव, प्रजनन और डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। डीयूएस परीक्षण के लिए अधिदेशित फसल प्रजातियां हैं : पाइपर नाइग्रम एल., इलिटैरिया कार्डिमोमम मैटोन, जिंजीबार ऑफिसिनेल रौस्क., करक्यूमा लैंगा एल। वर्ष 2017–18 के दौरान, जिन प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है, उनका व्यौरा निम्नानुसार है:

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	टिप्पणि
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
काली मिर्च (पाइपर नाइग्रम एल.)	-	-	-	4	प्राथमिक ऑन—साइट पर्यवेक्षण किया गया
छोटी इलायची (इलिटैरिया कार्डिमोमम मैटोन)	-	-	-	5	प्राथमिक ऑन—साइट पर्यवेक्षण किया गया
अदरक (जिंजीबार ऑफिसिनेल रौस्क.)	-	-	3	3	6 किस्मों का डीयूएस लक्षण वर्णन डाटा दर्ज किया गया
हल्दी (करक्यूमा लैंगा एल.)	-	-	4	7	11 किस्मों का डीयूएस लक्षण वर्णन डाटा दर्ज किया गया

रिपोर्ट अवधि के दौरान काली मिर्च की 4 और छोटी इलायची की 5 किस्मों के ऑनसाइट परीक्षण का प्राथमिक पर्यवेक्षण किया गया। अदरक की 6 और हल्दी की 11 किस्मों के डीयूएस परीक्षण का कार्य पूरा किया गया। काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक और हल्दी की उदाहरण किस्मों के रखरखाव का कार्य अलग—अलग केन्द्रों में किया गया। ‘पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के उपबंधों’ के विषय में 19 जनवरी, 2018 को आईसीएआर—आईआईएसआर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जायफल में कृषक किस्मों के पंजीकरण के दो आवेदन केंद्र के माध्यम से पीपीवी एवं एफआरए को भेजे गए हैं।

3.1.45.1 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किसमें

अधिसूचित फसल प्रजातियां	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों की संख्या
काली मिर्च (पाइपर नाइग्रम एल.)	18
छोटी इलायची (इलिटैरिया कार्डिमोमम मैटोन)	14
अदरक (जिंजीबार ऑफिसिनेल रौस्क.)	27
हल्दी (करक्यूमा लैंगा एल.)	34

इस संस्थान में 19 जनवरी, 2018 को “पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के उपबंधों” के बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डॉ. एम. आनंदराज, पूर्व निदेशक, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। 100 से अधिक किसानों ने अपनी—अपनी किस्मों का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. बी. शशि कुमार, अध्यक्ष, फसल सुधार और जैवप्रौद्योगिकी (आईआईएसआर), डॉ. जॉनसन जॉर्ज के. (आईआईएसआर), डॉ. सुमा, टी. आर. (एमएसएसआरएफ—वायनाड केन्द्र), डॉ. के. शमसुद्दीन (सीटीसीआरआई) और डॉ. एम. एन. शीला (सीटीसीआरआई) ने अलग—अलग सत्रों का संचालन किया।

3.1.45.2 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

फसलें	वर्ष 1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	वर्ष 1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या 4				जारी किए गए प्रमाणपत्र	लंबित आवेदन	लंबित होने का कारण	
			ईएनवी	नई	वीसीके	किसान				
काली मिर्च (पाइपर नाइग्रम एल.)	शून्य	शून्य	-	-	4	8	किसान-4	वीसीके- किसान-5	वर्तमान स्थिति निम्नवत है	
ऑन साइट लक्षण वर्णन पूरा किया गया : वीसीके- (वीसीके-4), प्राथमिक पर्यवेक्षण पूरा किया गया:, किसान (एफवी)-4 (1 अस्वीकृत)										
छोटी इलायची (झिलिटैरिया कार्डमोम मैटोन)	शून्य	2	2	-	1	12	विद्यमान - 1 किसान-5	विद्यमान / वीसीके-2, किसान-7	वर्तमान स्थिति निम्नवत है	
ऑन साइट लक्षण वर्णन पूरा किया गया : विद्यमान/वीसीके-(2), प्राथमिक पर्यवेक्षण पूरा किया गया : किसान-5 (पर्यवेक्षण किया जाना है—एफवी (1)										
अदरक (जिंजीबार ऑफिसिनेल रौस्क.)	शून्य	शून्य	-	-	3	72	शून्य	वीसीके-3 किसान-72	वर्तमान स्थिति निम्नवत है	
डीयूएस परीक्षण समाप्त (मापित मान के लिए सुझाए गए संशोधनों के आधार पर) : विद्यमान/वीसीके -(3), किसान (एफवी)-2, डीयूएस परीक्षण 2018–19 के लिए एफवी-(3) चयन एवं गुणन के अंतर्गत: एफवी (4), प्राप्त किए जाने वाले प्रकंद - ताजा (57) / पुनः एकत्रित (6)										
हल्दी (करक्यूमा लैंगा एल.)	शून्य	1 (2018 के दौरान अधिसूचित) वीसीके के अंतर्गत भी आवेदन किया गया		1	4	155	शून्य	वीसीके-4 नई-1 किसान-155	वर्तमान स्थिति निम्नवत है	
डीयूएस परीक्षण समाप्त: विद्यमान/वीसीके -(4), किसान (एफवी)-7, डीयूएस परीक्षण 2018–19 के लिए, नई (1), एफवी-(8) चयन एवं गुणन के अंतर्गत: एफवी (3), प्राप्त किए जाने वाले प्रकंद - फ्रैश (136) / पुनः एकत्रित (9)										

3.1.46 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (राष्ट्रीय गुलाब संग्रहालय), बैंगलोर

प्रक्षेत्र संग्रहालय में कुल 320 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। किस्मों की विश्वसनीयता का पता लगाने और किस्मों में से अतिरिक्त किस्मों, जो कि अलग—अलग नामों से शामिल की गई हैं, को हटाने का कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय गुलाब संग्रहालय के अंतर्गत आईआईएचआर ने वेब पर डिजिटल रिपोजिटरी की छवियों और आंकड़ों को पुनः प्राप्त करने के योग्य डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया है।

यह डिजिटल रिपोजिटरी आईआईएचआर के कम्प्यूटर वैज्ञानिकों की सहायता से गुलाबों की चुनिंदा श्रेणियों के लिए प्रयोग के तौर पर तैयार की गई। इस प्रकार की रिपोजिटरी वैश्विक मंच पर किस्मों की विश्वसनीयता की जांच के लिए उपयोगी होगी।

ROSE CHARACTERISATION DATABASE



ROSE CHARACTERISATION DATABASE

No.	Character	Criteria	Value
1	Plant Growth form	Shrub	Standard colour
2	Plant Growth habit	Semi-upright	Upright
3	Flower colour intensity (maximum)	Very strong (100)	Very strong (100)
4	Young shoot indumentum (soft hairs) (0 to long)	Short	None
5	Young shoot: frequency of indumentum (none)	Very weak	Very weak
6	Spine: number of spines (including very small punctiform processes)	Any	Absent
7	Prickles: Prickles (none up to 10)	None	None
8	Flower: flower or rose bud	Ara	Ara
9	Leaf: leaf	Any	Any
10	Leaf: intensity of green colour in upper side at the start of leaf flowering	Any	Any

3.1.46.1 ऐसे किस्मों का व्यौरा जिन्हें रंग समूहों के आधार पर वेब आधारित डिजिटल रिपोजिटरी के लिए चुना गया

25 : फूल : रंग समूह	गुलाबों की श्रेणी		
	सुगंधित	कट फ्लॉवर	स्प्रे रोज़
सफेद या सफेद जैसा -1		2	
सफेद मिश्रित -2			
हरा -3			
पीला -4	2	2	2
पीला मिश्रित (इसमें वे किस्में शामिल हैं जिनमें प्राथमिक रंग पीला है परंतु गुलाबी—लाल रंग की कुछ छटा विद्यमान होती है) -5		1	
नारंगी -6	2	2	4
नारंगी मिश्रित (इसमें वे किस्में शामिल हैं जिनमें प्राथमिक रंग नारंगी है या नारंगी के साथ कुछ रंग भी हैं) -7	1		1
गुलाबी -8	9	1	3
गुलाबी मिश्रित -9			1
लाल -10	11	5	6
लाल मिश्रित -12		1	
लाल बैंगनी -13	1		
बैंगनी -14			
वायलट मिश्रित -15			
भूरा मिश्रित -16			
बहुरंगी -17			
गुलाबी मिश्रित (इन किस्मों में प्राथमिक रंग गुलाबी होता है परंतु साथ में पीला, नारंगी आदि अन्य रंग भी विद्यमान होते हैं) -18			
चमकीला गुलाबी (प्राथमिक लैवेंडर और पर्पल रंग वाली किस्में) -19			
एप्रीकॉट ब्लैंड (वे किस्में सम्मिलित हैं जो मूलतः खूबानी है परन्तु अन्यतः दर्शाते हैं) -20			
कुल	26	14	17

3.1.46.2 ऐसे किस्मों का व्यौरा जिन्हें फूलों के व्यास के आधार पर वेब आधारित डिजिटल रिपोजिटरी के लिए चुना गया

26 = फूल व्यास	सुगंधित	कट फ्लॉवर	स्प्रे
छोटा -1	3		16
मध्यम-3	11	3	1

बड़ा-5	12	11	-
कुल	26	14	17

3.1.46.3 ऐसे किस्मों का ब्यौरा जिन्हें पाश्वर पुष्पण के आधार पर वेब आधारित डिजिटल रिपोजिटरी के लिए चुना गया

फूल टहनी : फूल का पाश्वर	सुगंधित	कट फलाँवर	स्प्रे
अनुपस्थित-1	4	14	-
उपस्थित-9	22		17
कुल	26	14	17

3.1.47 भाकृअनुप—केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

वर्ष 2017 के ग्रीष्म मौसम के दौरान आईसीएआर—सीआईएएच, बीकानेर में तरबूज की 4 और खरबूजा की 03 सामान्य ज्ञान की किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। तरबूज की 9 और खरबूजा की 12 संदर्भ किस्मों का भी रखरखाव किया गया।

3.1.47.1 तरबूज की किस्म जिनका डीयूएस परीक्षण (सभी वीसीकी श्रेणी) : एनडब्ल्यूएमएच-455 (Reg/2016/1702); एनडब्ल्यूएमएच-945 (Reg/2016/1701); एनडब्ल्यूएमएच-975 (Reg/2016/1700); एनडब्ल्यूएमएच-354 (Reg/2016/1703)

3.1.47.2 खरबूजा की किस्म जिनका डीयूएस परीक्षण (सभी वीसीकी श्रेणी) : एनएमएमएच—225 (Reg/2016/1697) एनएमएमएच—24 (Reg/2016/1699); एनएमएमएच—203 (Reg/2016/1698)

3.1.47.3 वर्ष 2017–18 के दौरान अनुरक्षित किस्में

फसलें	अनुरक्षित किस्में
तरबूज {सिट्रूल्स लानाटुस (थंब.) मंस्फ.}	चार्लेस्टन ग्रे, असाही यामाटो, अर्का माणिक, सुगर बेबी, दुर्गापुर लाल, दुर्गापुर केसर, एएचडब्ल्यू—19, एएचडब्ल्यू—65 तथा थार मानक
खरबूजा (कुकुमिस मेलो एल.)	अर्का जीत, अर्का राजहंस, एचएचवाई—3, एमएचवाई—5, आरएम—43, आरएम—50, दुर्गापुर मधु, काशी मधु, पूसा मधुरस, जीएमएम—3, पंजाब सुनेहरी एवं हरा मधु

3.1.47.4 डीयूएस परीक्षण की निगरानी



3.1.48 भाकृअनुप—केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयमबत्तौर

भाकृअनुप—केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयमबत्तौर—641003, कपास में डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है और केन्द्र की अधिदेशित फसलें हैं : त्रिगुणित कपास, द्विगुणित कपास।

3.1.48.1 वर्ष 2015–16 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण, यदि कोई हो

फसलें	नई		वीसीके	एफवी	ईडीवी	आईवी	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां					
त्रिगुणित कपास	2	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	27.11.2017
द्विगुणित कपास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-

3.1.48.2 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में :

फसलें	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन रखरखाव की गई किस्मों के नाम या संख्या
चर्तुगुणित कपास – जी. हिस्टर्टम	अबाधिता, जी कॉट. 12, जी. कॉट. 16, एल 604, एमसीयू 11, एमसीयू 3, एमसीयू 8, एमसीयू 9, नरसिंहा, एनएच 452, पीकेवी रजत, प्रतिमा, रेबा बी 50, आरएमपीबीएस 155, सुमन, एसीपी 71, अमेरिकन नेकारिलेस, अंजली, एआरबीएच 813, बदनावर, बीकानेरी नरमा, सीए 116, सीएसएच 19, देवराज, डीएचवाई286–1, ईसी344034, एफ 1378, एफ 320, एफ 505, एफ 846, जी कॉट. 20, जी कॉट 22, जी कॉट 18, जी कॉट 10, जी. कॉट 100, जीएलसी 02–4–4, जीएसएचवाई 112, गुजरात 67, एच 1157, एच 974, एच 1098, एच 1117, एच 1220, एच 1236, एचएस 6, जे 34, जेसीसी 1, जेके 35, जेके 4, जेएलएच 168, कंचना, कोसी 3, खंडवा 2, खंडवा 3, लक्ष्मी, एचएच 2108, एलएच 900, एलआरए 5166, एमसीयू 5, एसीयू 10, एमसीयू 12, एमसीयू 13, एमसीयू 5 वीटी, एमडीएच 89, एनसीएच 11, एनएच 545, एनएच 615, पीजी 6, पीआरएस 74, पूसा 8–6, आरएजेडीएच 9, आरएचसी 003, आरएस 2013, आरएस 875, साहना, एसएच 2379, शिवनंदी, सुमंगल, सुप्रिया, सुरभी, एसपीपीआर 5, टी7, टीसीएच 1716, वीसी 21, विक्रम, एचएलएस 329, बीएन रेड, एलएचएच5, वागडकल्याण, एफ1054, कोसी 2, सीपीडी 423, एचएच 2076, फुले 492, एच 1226, कोसी 3, ईसी–344025, एफ 1861, आरएजेएचएच 769, एलएच 113
चर्तुगुणित कपास – जी. बाबर्डिंस	आरएचसी 001, सुजाता, सुविन, टीसीबी 2089, पी 4, एसबीवाईएफ–425
द्विगुणित कपास – जी. अवॉरियम	जेके 5, एके 235, डीएलएसए 17, केआर 111, एनएसीएच 12, घूमड, पीए 402, वीना, जेएलए 794, डीएस 5, एलडी 327, जी. कॉट. 17, जीएके 423, जी. कॉट 15
द्विगुणित कपास – जी हर्बेसियम	डीडीएचसी 11, जी कॉट. 23, जी. कॉट. 25

3.1.48.3 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्में	2001 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्में	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाण पत्र	लंबित आवेदन	लंबित होने का कारण
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके			
13	3	3	3	1	-	3	1	प्रक्रियाधीन

3.1.49 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (कार्नेशन) बैंगलोर

अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में :

फसल / प्रजातियां	अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों की संख्या
कारनेशन	74

वर्ष 2018–19 के लिए योजना

- अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत कार्नेशन के 74 जीनप्ररूपों का रखरखाव एवं गुणचित्रण।
- पीपीवी एवं एफआरए में एक कार्नेशन किस्म का पंजीकरण

3.1.50 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (रजनीगंधा) बैंगलोर

अधिवेशित फसल : रजनीगंधा (पोलिएंथेस द्यूबरोजा एल.)

फसल / प्रजाति	2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों की संख्या
पोलिएंथेस द्यूबरोजा एल.	19

पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण के लिए अर्का प्रजवाल का आवेदन दाखिल किया गया।

2018–19 के लिए योजना

1. अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत रजनीगंधा के 19 जीन प्ररूप के साथ 8 प्रजनन वंशक्रमों का अनुरक्षण एवं गुणचित्रण
2. पीपीवी एवं एफआरए में 1 रजनीगंधा किस्म का पंजीकरण

3.1.51 भाकृअनुप—परियोजना समन्वयक (बाजरा), मंडौर, जोधपुर

खरीफ 2017 के दौरान पीपीवी एवं एफआरए द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण किया गया। आईसीएआर—एआईसीआरपी (बाजरा), मंडौर, जोधपुर और एमपीकेवी, राहुरी में 15 संदर्भ/उदाहरण किस्मों के साथ—साथ दूसरे वर्ष के लिए 10 प्रत्याशी किस्मों, पहले वर्ष के लिए 27 प्रत्याशी किस्मों और किसानों की 4 किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया, खंड 1, फरवरी—मार्च, 2007 में पीपीवी एवं एफआरए द्वारा अधिसूचित किए गए सामान्य एवं विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित 26 लक्षणों के विषय में प्रत्याशी एवं संदर्भ किस्मों पर किए गए अवलोकनों को दर्ज किया गया।

3.1.51.1 वर्ष 2017–18 के दौरान डीयूएस परीक्षण के अधीन किस्मों की सूची

क्र. सं.	किस्म का नाम	क्र. सं.	किस्म का नाम		किस्म का नाम	क्र. सं.	किस्म का नाम
1	मरुतेज	8	बीआईओ एमएम 368 जेड	5	एसवाईएन—पीएम—डीजीबीआई—1450—10	22	एम44आर
2	पीपी56	9	बीआईओ ईएम 189 जेड	6	12 केएम 11	23	एम162एफ
3	पीएसपी66	10	एम 138 आर	17	एसवाईएन—पीएम—मिलकोन (फॉरेज)	24	86एम74
4	जीके1199	11	86 एम 38	18	एसवाईएन—पीएम—डीजी बीबी 8960 (फॉरेज पर्ल मिलेट)	25	एसवाईएन—पीएम—डी बीबी 239
5	बीआईओ 13	12	एम 297 एफ	9	एम 172 आर	26	86एम16
6	बीआईओ एलएम 460 जेड	13	बीआईओ 366	20	बीआईओ 451	27	एलजी 73.03
7	एलजी 73.02	14	एसवाईएन—पीएम—पोषण	21	एसवाईएन—पीएम—डीजीबीआई 1453—20		

3.1.51.2 नई श्रेणी के अंतर्गत दूसरे वर्ष का परीक्षण

क्र. सं.	किस्म का नाम						
1.	जीके1185	4	जीके1186	7	जीके1189	10	जीके1178
2.	जीके1183	5	जीके1201	8	जीके1207	11	जीके180
3.	जीके1155	6	जीके1111	9			

3.1.51.3 किसानों की किस्में

क्र. सं.	किस्म का नाम	टिप्पणी
1.	कसकारा	ज्वार प्रकार का पाया गया
2.	मुकी—पी	
3.	अकुम्बा	
4.	बिछुआ बाजरा	-



डॉ. ओ. पी. यादव, निदेशक, सीएजेडआरआई, जोधपुर की अगुवाई में निगरानी दल ने 20.09.2017 को आईसीएआर—एआईसीआरपी (बाजरा), मंडौर में डीयूएस प्रयोगों को देखा तथा पाया कि प्रयोग काफी अच्छी तरह किए जा रहे हैं। निगरानी दल द्वारा सुझाए गए सभी बदलावों को संबंधित प्रविष्टि निगरानी प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट किया गया है।

3.1.51.4 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

अधिकारी देशित फसल प्रजातियाँ	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों का नाम या संख्या
बाजरा	56

बाजरा के डीयूएस दिशानिर्देशों की समीक्षा में संशोधनों को आईसीएआर—आईआईएमआर, हैदराबाद में 07 सितंबर, 2017 को प्रस्तुत किए गए थे और इन पर चर्चा की गई थी। संशोधित दिशानिर्देशों का अंतिम संशोधित प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है। जोधपुर में 19 सितंबर, 2017 को प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

3.1.51.5 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

फसलें	केन्द्र द्वारा 1966 से अधिसूचित किस्मों की संख्या	केन्द्र द्वारा 1999 से अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाणपत्र	लंबित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके		
बाजरा	228	127	80	187	68	116	219

3.1.51.6 अनुरक्षित संदर्भ / उदाहरण किस्में

क्र. सं.	संदर्भ / नमूना किस्में
1	81 बी
2	841 बी
3	842 बी।
4	843-22 बी
5	आईसीएमबी 88004
6	आईसीएमबी 92333
7	आईसीएमबी 92777
8	आईसीएमबी 93333
9	आईसीएमबी 94555
10	आईसीएमबी 94111
11	आईसीएमबी 95222
12	आईसीएमबी 97111
13	आईसीएमबी 97444
14	आईसीएमबी 02333
15	आईसीएमबी 04999

क्र. सं.	संदर्भ / नमूना किस्में
16	आरएचआरबी 1बी
17	आरएचआरबी 5बी
18	आरएचआरबी 13बी
19	जे 2340
20	जे 2454
21	जे 2467
22	आईसीएमआर 356
23	एच 77/833-2-202
24	जी 73-107
25	एच 77/29-2
26	एच 77/833-2
27	एच 90/4-5
28	एचबीएल 11
29	आरएचआरबीआई 1314
30	आरआईबी 3135-18

क्र. सं.	संदर्भ / नमूना किस्में
31	आरआईबी 494
32	आरआईबी 335/74
33	पीआईबी 686
34	एमआईआर 525-2
35	आरएचबी 177
36	जीएचबी 538
37	जीएचबी 719
38	पीबी 106
39	आरएचबी 173
40	एमपीएमएच 17
41	आरएचबी 121
42	जीएचबी 558
43	जीएचबी 744
44	जीएचबी 732
45	आईसीएमएच 356

46	एचएचबी 67 उन्नत
47	जीएचबी 197
48	जीएचबी 223
49	प्रताप

50	नंदी 61
51	86एम64
52	कावेरी सुपर बोस
53	86एम86

54	एमपी 7792
55	जेकेबीएच 26
56	प्रोएग्रो 9444

3.1.52 भाकृअनुप—केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम

भाकृअनुप—केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, कसावा और शकरकंद जैसी अधिदेशित फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस केन्द्र है। कसावा (30) और शकरकंद (40) की संदर्भ किस्मों के जीन बैंक को इस परियोजना के अंतर्गत संरक्षित किया जा रहा है। कसावा और शकरकंद दोनों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मानकीकरण किया गया। कसावा के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में 30 लक्षणों को शामिल किया गया जिनमें से 6 गुणों अर्थात् अग्रस्थ पत्तियों की यौवनता, मध्यवर्ती पत्ती पिण्डक का बड़ा आकार, पर्णवृत्त का रंग और परिपक्व तने का रंग : बाह्य, कंद के छिलकों का रंग और कंद के गूदे के रंग को समूहबद्ध लक्षणों के रूप में चुना गया। शकरकंद के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में 6 समूहबद्ध लक्षणों अर्थात् पौधे में वृद्धि की प्रवृत्ति, लताओं की वर्णकता, परिपक्व पत्ती का आकार, कंद का आकार, कंद के छिलके का मुख्य रंग और कंद के गूदे का रंग सहित 25 लक्षणों को शामिल किया गया।

3.1.52.1 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में :

अधिदेशित फसल प्रजातियां	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों का नाम या संख्या
मनिहॉट एस्क्यूलोंटा क्रांज (कसावा)	रिलीज की गई 24 किस्में और 22 प्रजनन वंशक्रम/लैंडरेसस तथा संदर्भ किस्में
इपोमोइया बैटेट्स (शकरकंद)	रिलीज की गई 40 किस्में और संदर्भ किस्मों के रूप में 10 लैंडरेसस

कसावा और शकरकंद की रिलीज की गई / किसानों की किस्मों का पंजीकरण वर्ष 208–19 के दौरान किया जाएगा।

3.1.53 भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (मिर्च, सब्जी मिर्च और पैपरिका), बैंगलोर

भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में मिर्च, सब्जी मिर्च और पैपरिका का डीयूएस परीक्षण किया जा रहा है। 22 संदर्भ किस्मों के साथ साथ 99 कैप्सिकम एन्स्म एल. वंशक्रमों का 55 डीयूएस गुणों के लिए मूल्यांकन किया गया। इस अवधि के दौरान संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। बीज उद्योग के विशेषज्ञों के साथ—साथ बाह्य विशेषज्ञों ने भी फसल की निगरानी की थी।

नई	वीसीके	एफवी	निगरानी की तारीख
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां		
17	47	30	20.07.17 21.07.17 17.11.17

3.1.53.1 ऐसी किस्मों की संख्या जिनका अनुरक्षण प्रजनन किया गया :

रखरखाव/गुणचित्रण के अधीन किस्म :	वर्ष 2017–18 में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन किस्मों का नाम या संख्या
अधिदेशित फसल प्रजातियां कैप्सिकम एन्स्म एल.	22

3.1.53.2 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदनों की संख्या

फसलें	केन्द्र द्वारा 1966 से अधिसूचित किस्मों की संख्या	केन्द्र द्वारा 1999 से अधिसूचित किस्मों की संख्या	दाखिल आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाणपत्र
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके	
कैप्सिकम एन्स्म एल.	7	4	4	4	-	4

3.1.54 भाकृअनुप—राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर

आईसीएआर—एनआरसीएसएस, अजमेर “डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने तथा प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय सुविधाओं, औषधीय, संगंधीय एवं बीज मसाला फसलों के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण” के संबंध में एक परियोजना चला रहा है। डीयूएस परीक्षण प्रयोग का विवरण निम्नवत हैं :

	धनिया		मेथी	
	प्रत्याशी	संदर्भ	प्रत्याशी	संदर्भ
प्रत्याशी किस्मों की संख्या	11	25	7	18
पंक्ति से पंक्ति की दूरी (से.मी.)	50	50	50	50
पौधे से पौधे की दूरी (से.मी.)	25	25	25	25
डीयूएस केन्द्र	एनआरसीएसएस, अजमेर एवं डीएमएपीआर, आणंद			
टिप्पणियां	धनिया बीज के रखरखाव के लिए प्रत्येक प्लॉट को केज से ढका गया।	-----		
प्रत्याशी किस्म मूल्यवर्ग	समन्दर, गया प्रसाद, धनिया बाराती, अमर धाना, बाडकवा गुरु, महकू खुशबू संगी, बिरान, हरिन, धनिया साहब	पूर्वा, कुडकी, कालमेघ, जटनी, रमियाराम, मेथीओलिग्राम, यादव (अअंकुरित)		



3.1.55 भाकृअनुप—राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची



यह केले के डीयूएस परीक्षण का नोडल केन्द्र है जिसने केले के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार किया था। संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है :


- 38 संदर्भ वंशावलियों (वारसर परीक्षित) को फरवरी, 2018 में एनआरसीबी खेत में रोपित किया गया था।
- किसानों किस्मों के पंजीकरण विषय पर तीन अलग—अलग स्थानों, अर्थात आइनपुर, टंडलवाड़ी और बलवाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसका लाभ लगभग 250 किसानों को मिला।
- तमिलनाडु के दक्षिणी भाग से किसानों की 10 किस्मों का पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए हैं।



कमल विकास एक कृषक किस्म है जिसे एक किसान श्री महाजन विकास दत्तात्रेय, आइनपुर, जलगांव जिला, महाराष्ट्र द्वारा विद्यमान सीधी ग्राण्ड नैने से प्रजनन किया गया है और जिसे वैध तरीके से अधिगृहित किया गया है। किस्म की वृद्धि एवं उपज को दर्ज किया गया और यह अन्य कैरेंडिश किस्मों, विशेषकर ग्राण्ड नैने से अलग पाई गई।

3.1.56 भाकृअनुप—केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

भाकृअनुप—केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीचवाल, बीकानेर, राजस्थान भारतीय जुजुबे (बेर) के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केंद्र है। रिपोर्ट अवधि के दौरान, 14 जीनप्ररूपों (आईसीएआर—सीआईएएच, बीकानेर में रखरखाव किए गए) का डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार गुणचित्रण किया गया ताकि आईएनडीयूएस में समावेशन के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकें। इसी प्रकार, राष्ट्रीय डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेखों के अनुसार बेर के लिए भारतीय जुजुबे (बेर) की संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। इन संदर्भ किस्मों के रूपात्मक लक्षणों को भी दर्ज किया गया ताकि निर्धारित लक्षणों में विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व की पुष्टि की जा सके।



केंद्र ने विभिन्न संस्थानों से बेर की लगभग 25 किस्मों/लैडरेसों अर्थात् बनारसी कटक, बनारसी पेंडी, छुआरा, छुआरा बाबल, धरकी नं.1, गोला, गुलरवासी, इलायची, जोगिया, कैथली, काला गोला, काठफल, किसमिस, लाखन, मेहरून, मुंडिया, नरमा, रेशमी, सफेदा रोहतक, सफेदा सलेक्शन, सनूर-5, सेओ, तिकड़ी, उमरान, जेडजी-3 को एकत्र किया। बेर के अनुरक्षण प्रजजन के अंतर्गत रखी गई किस्मों की सूची निम्नानुसार है:

बेर की किस्मों के पर्णसमूह की विशेषताएं :

क्र. सं.	किस्में	वानस्पतिक						
		पत्ती सिरा की प्रकृति	पत्ती मूल की प्रकृति	पत्ती की लंबाई (से.मी.)	पत्ती की चौड़ाई (से.मी.)	पत्ती की वक्रता	पत्ती का आकार	पत्ती की निचली सतह पर यवणता घनत्व
1	छुआरा	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	7.57	7.61	विद्यमान	अंडाकार	घने रोयेदार
2	गोला	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	8.12	7.82	विद्यमान	अंडाकार	घने रोयेदार
3	इलायची	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	6.83	6.53	विद्यमान	अंडाकार	कम रोयेदार
4	जोगिया	एक्यूट	चौड़ी	7.58	7.57	गैर विद्यमान	हृदयाकार	कम रोयेदार
5	मेहरून	एक्यूट	चौड़ी	5.91	5.36	गैर विद्यमान	हृदयाकार	घने रोयेदार
6	उमरान	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	9.13	7.81	विद्यमान	अंडाकार	कम रोयेदार
7	छुआरा बाबल	एक्यूट	चौड़ी	8.56	8.41	विद्यमान	हृदयाकार	कम रोयेदार
8	बनारसी कारका	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	9.87	6.71	विद्यमान	अंडाकार	कम रोयेदार
9	बनारसी पवंडी	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	8.11	6.76	विद्यमान	अंडाकार	घने रोयेदार
10	धरकी नं. 1	एक्यूट	चौड़ी	6.23	5.19	गैर विद्यमान	ऑवेट	घने रोयेदार
11	गूलरवासी	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	8.84	6.27	विद्यमान	अंडाकार	कम रोयेदार
12	कैथली	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	10.21	7.57	विद्यमान	हृदयाकार	घने रोयेदार
13	काला गोला	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	6.03	6.51	गैर विद्यमान	हृदयाकार	घने रोयेदार
14	काठ फल	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	9.17	7.88	विद्यमान	हृदयाकार	घने रोयेदार
15	किसमिस	चौड़ी	एक्यूट	8.89	5.63	गैर विद्यमान	ऑब्वेट	घने रोयेदार
16	लाखन	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	7.72	8.09	गैर विद्यमान	अंडाकार	कम रोयेदार
17	मुंडिया	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	9.96	7.84	विद्यमान	अंडाकार	घने रोयेदार
18	नरमा	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	8.68	7.35	विद्यमान	अंडाकार	कम रोयेदार
19	रेशमी	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	8.92	6.49	विद्यमान	अंडाकार	कम रोयेदार
20	सफेदा रोहतक	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	5.31	4.77	गैर विद्यमान	ऑवेट	घने रोयेदार
21	सफेदा सलेक्शन	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	8.67	5.96	गैर विद्यमान	अंडाकार	घने रोयेदार

22	सनूर-5	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	6.88	5.75	गैर विद्यमान	हृदयाकार	कम रोयेदार
23	सेओ	एक्यूट	चौड़ी	7.56	6.92	गैर विद्यमान	हृदयाकार	घने रोयेदार
24	टिकड़ी	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	7.23	5.94	गैर विद्यमान	हृदयाकार	कोमल
25	जेड्जी-3	ऑब्ट्यूस	चौड़ी	6.47	6.42	गैर विद्यमान	अण्डाकार	कम रोयेदार

3.1.57 भाकृअनुप—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ

सीआईएसएच, लखनऊ जामुन में संदर्भ किस्मों के रखरखाव और डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केंद्र है। संक्षिप्त कार्य प्रगति निम्नानुसार है:

पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण के लिए गोंडा, उ.प्र. के एक कृषक किस्म का निर्धारण किया गया। फलन अवधि 2018 के दौरान फल प्राप्त होने के पश्चात, किसान द्वारा पंजीकरण फॉर्म प्रस्तुत किया जाएगा।

3.1.57.1 विभिन्न वंशावलियों / किस्मों के गुणात्मक लक्षणों का मूल्यांकन

हर वर्ष प्रत्येक लक्षण के रूपात्मक आंकड़ों को दर्ज किया जा रहा है। कुल 40 वंशावली / किस्में एकत्र की गई और इन्हें आईसीएआर—सीआईएसएच, लखनऊ के फील्ड जीन बैंक में प्रतिस्थापित किया गया। 40 वंशावलियों का आकृति—रासायनिक लक्षणों के लिए और 10 वंशावलियों का निम्नलिखित लक्षणों के लिए गुणचित्रण किया गया:

- **वृद्धि प्रवृत्ति :**

वंशावलियों को दो समूहों में समूहबद्ध किया गया था। 2 वंशावलियों में अच्छे प्रसार की प्रवृत्ति देखी गई। जबकि 8 वंशावलियों में प्रसार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई।

- **वृक्ष पर्णावली :**

दृश्य पर्यवेक्षण में भिन्न भिन्न वंशावलियों को दो समूह में बांटा गया तथा सभी 10 वंशावलियों में घनी पर्णावली देखी गई।

- **पत्ती के गुण :**

क) परिपक्व पत्ती का रंग : नौ किस्मों में हरा रंग देखा गया जबकि एक किस्म में गहरा हरा रंग पाया गया।

ख) पत्ती का शिरा : सभी 10 वंशावलियों / किस्मों में पत्तियों का शिरा नुकीला है।

ग) नई प्रफल्लित पत्तियों का रंग : विभिन्न वंशावलियों में नई पत्तियों के रंग के आधार पर वंशावलियों को 2 समूहों में समूहबद्ध किया गया। 4 वंशावलियों में नई पत्तियां हल्का गुलाबी भूरा रंग देखे गए जबकि 6 वंशावलियों में नई पत्तियां का रंग हल्का हरा भूरा है।



घ) पत्ती का निचला भाग : अलग—अलग जामुन वंशावलियों / किस्मों में से 2 वंशावलियों में पत्ती का निचला भाग एक्यूट किस्म का पाया गया जबकि एक वंशावली में यह गोलाकार था।

- **पुष्पण के लक्षण :** चुनिंदा वंशावलियों के पुष्पण लक्षणों का मूल्यांकन किया गया और फूल खिलने के प्रारम्भ एवं पूरी तरह फूल खिलने की समयावधि के आधार पर पुष्पण के प्रारम्भ के लिए विभिन्न वंशावलियों को दो समूहों में समूहबद्ध किया गया अर्थात् शीघ्र (फरवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह में) और विलंब (मार्च का पहला सप्ताह)। जहां पूर्ण पुष्पण का संबंध है, इसमें भी वंशावलियों को शीघ्र (अप्रैल का दूसरा सप्ताह), मध्यम (अप्रैल का तीसरा और चौथा सप्ताह) और विलंब (मई का पहला और दूसरा सप्ताह) के रूप में समूहबद्ध किया गया।
- **फलों के गुण :** विभिन्न वंशावलियों / किस्मों में फलों के आकार में काफी अधिक अंतर देखे गए। विभिन्न वंशावलियों / किस्मों के फलों के आकार के अनुसार इन्हें 3 समूहों में समूहबद्ध किया गया।
- **परिपक्व फलों का आकार :** 5 वंशावलियों में फलों का आकार आयताकार, 2 वंशावलियों में अण्डाकार और 3 वंशावलियों में गोलाकार पाया गया था।



अण्डाकार

गोलाकार

आयताकार

- परिपक्व फल का सिरा :** अलग—अलग वंशावलियों/किस्मों में फलों का सिरा फूला हआ और दबा हुआ देखा गया। 8 वंशावलियों में फलों के शीर्ष फूले हुए जबकि 2 वंशावलियों में फलों के शीर्ष दबे हुए नजर आए।



फूला हुआ

दबा हुआ

- परिपक्व फल में वृत्त :** विभिन्न वंशावलियों/किस्मों में फलों के मूल में लगे वृत्त फूले हुए, दबे हुए और निष्पल आकार में देखे गए हैं। फलों के मूल में लगा वृत्त 3 वंशावलियों में फूला हुआ, 2 वंशावलियों में निष्पल आकार का और 5 वंशावलियों में दबे हुए आकार का दर्ज किया गया।
- फल का रंग :** फल के रंग पर किए गए पर्यवेक्षणों के आधार पर वंशावलियों को तीन समूहों में समूहबद्ध किया गया। फलों का रंग 5 वंशावलियों में बैंगनी काला तथा 3 वंशावलियों में बैंगनी लाल दर्ज किया गया जबकि 2 वंशावलियों गहरी बैंगनी रंग पाया गया।
- फल के गुदे का रंग :** सभी 10 वंशावलियों में परिपक्व फल के गुदे का रंग क्रीमी सफेद पाया गया।

3.1.58 आईसीएआर—एमयूएलएलएआरपी—भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

अधिदेशित फसल : मूँगबीन, उड़दबीन, मसूर, राजमा और मटर

3.1.58.1 वर्ष 2017–18 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
मूँग	13	-	-	13
उड़द	52	-	-	52
मसूर	17	-	-	17
दाल मटर	46	-	-	46
राजमा	6	-	-	6

मूँगबीन, उड़दबीन, मटर, मसूर और राजमा संबंधी रिपोर्ट (2017–18)

- खरीफ मौसम (2017) में, मूँग की 67 किस्मों और उड़द की 41 किस्मों का रखरखाव किया गया। रबी मौसम (2017–18) में, मटर की 61 किस्मों, मसूर की 39 किस्मों और राजमा की 14 किस्मों का रखरखाव किया गया।
- इन किस्मों के रखरखाव के लिए, प्रत्येक किस्म के 10–10 एकल पौधों का चयन किया गया और इनकी अलग—अलग कटाई की गई।

- खरीफ मौसम (2017) में, संदर्भ किस्मों के साथ—साथ मूँग की 13 कृषक किस्मों और उड़द की 52 कृषक किस्मों का परीक्षण किया गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े दर्ज किए गए। रबी मौसम (2017–18) में, संदर्भ किस्मों के साथ—साथ मटर की 46 कृषक किस्मों, मसूर की 17 कृषक किस्मों और राजमा की 6 कृषक किस्मों का परीक्षण किया गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े दर्ज किए गए।
- कृषक किस्में अर्थात् मूँग में किसलई मूँग और किसलई मूँग—1 तथा उड़द में बाढ़ी अर्रा, हार उड़द, राम उड़द, करण उड़द, उड़द गया प्रसाद, काई उड़द, बृजमान, प्रताप, मनकली उड़द, उड़द अर्चना, देवकी उड़द, उड़धा कोपे, उड़द सतबाढ़ी पुष्पण पूर्व अवस्था में एमवाईएमवी के प्रकोप से काफी अधिक संक्रमित पाए गए। पौधों की वृद्धि की सभी अवस्थाओं में उचित जानकारी न होने के कारण से आंकड़े दर्ज नहीं किए जा सके।

- खरीफ मौसम (2017) में, उड़दबीन की दो किस्में (उदय, यूडीडब्ल्यूआई) और रबी मौसम में राजमा कृषक किस्म (रेशमा, राज) अंकुरित नहीं हुई थीं तथा उड़द की तीन किस्में (मूरा, सुकुमार और मुकुंद) काफी विलंब से पुष्पण होने वाली किस्में थीं। इसलिए पुष्पण से लेकर परिपक्वता तक की सभी अवस्थाओं में उचित जानकारी न मिल पाने के कारण आंकड़े दर्ज नहीं हो सके थे।
- उड़द में प्रत्याशी किस्म ओड़द को मूंगबीन किस्म के पौधे से मिलता—जुलता पाया गया।
- रबी मौसम (2017–18) में, निम्नलिखित मटर की किसान किस्मों अर्थात् काली छोटी, नंद छोटी काली कोमल, छोटी काली झेटू, काली छोटी राजेन्द्र, सफेद बत्री गुंडा, गोल बटूआ टेढुआ, विंदर छोटी बत्री, धान बत्रा, बत्री महेन्द्र, अटरु मटर, कंचनसा मटर, बत्री काली दाना छोटा में बीन सही नहीं थे।
- मटर में जो एक प्रविष्टि मटर देवरहा प्राप्त हुई थी वह वास्तव में लैथिरस प्रविष्टि थी।

निगरानी दल की मुख्य टिप्पणियां

3.1.58.2 अनुरक्षण प्रजनन 2017–18 के अधीन किस्में :

क्र. सं.	फसल प्रजातियां	किस्मों के नाम
1.	मूंग [विग्ना रेडियाटा (एल.) विल्सजेक]	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या : 67 जेएम 721, टीएआरएम 1, पंत एम-5, एसएमएल-32, ओयूएस 11-5, पीयूएसए बैशाखी, एमएल-818, एलजीजी-407, जीएम-3, टीएआरएम-2, पंत-एम-2, जीएम-4, बीएम-2002-1, पूसा 9072, एमएल131, गंगा-8, पूसा-9531, बीपीएमआर-145, बीएमबीएन-1, आईपीएम-2-3, बीएम-2003-2, एमएच-2-15, पंत-एम-5, सीओ-6, टीएमबी-37, एमएल-613, बीएम-4, एलजीजी-450, एमएल-267, आईपीएम-2-14, पूसा—विशाल, एमएल-5, एचयूएम-1, टीएआरएम-18, एसएमएल-134, एनडीएम-1, पूसारत्न, एसएमएल-668, बीएम-2003-1, पीडीएम-139, ओबीजीजी-52, सुजाता, शालिमारम-1, केएम-2, आशा, प्रताप, आरएमजी-62, आरएमजी-344, आरएमजी-268, आईपीएम-99-125, एचयूएम-12, पूसा-0672, पीकेवीएकेएम-4, पंत एम-1, एमएच-96-1, पैरी मूंग, एमयूएम-2, सोना मूंग, बीडीएन-2, पीडीएम-54, पीएस-16, धौली, टी-44, एकेएम 8803, सीओ-4, गंगा-1, एचयूएम-6.
2.	उड़द [विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर]	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या : 41 टीएयू-1, वामबन-7, टीबीजी-104, एलबीजी-685, पंत-यू-30, बाराबंकी लोकल, पंत-यू-19, एलबीजी-709, एनडीयू-1, आईपीयू-2-43, केयूजी-479, एलबीजी-645, एलबीजी-787, एनयूएल7, शेखर-3, एलबीजी-752, टीपीयू-4, टीयू-96-2, एलबीजी-623, आईपीयू-94-1, बीडीयू-1, पंत-यू-40, एलबीजी-20, माश-1-1, पंत-यू-31, टीबीजी-123, इंदिरा, नवीन, शेखर-1, केयू-96-7, आजाद-2, हिम-माश-1, शेखर-2, यूजी-338, आजाद-1, माश-144, जीयू-1, सरला, डब्ल्यूबीयू-108, पीडीयू-1, टी-9
3.	मसूर (लेंस कुलिनारिस)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या : 39 डीपीएल-62, डीपीएल-15, आईपीएल-81 एवं आईपीएल-315, आईपीएल-406, एनडीएल-1, पीएल-4, पीएल-5, पीएल-24, पीएल-63, पीएल-234, पीएल-406, पीएल-639, पीएल-77-12, एल-4076, एलएल-56, एलएल-147, एलएल-699, एल-4147, एलएच-84-8, वीएल-4, वीएल-103, वीएल-126, वीएल-507, डब्ल्यूबीएल-77, जेएल-1, जेएल-3, के-75, केएलएस-218, एचयूएल-57, आशा, रंजन, सुब्रिता, बाराभिया लोकल (रस्ट सेस.), एस.एसआई. एस.आईपीएल-316, पीएल-7, पीएल-8

4.	मटर (पाईसम स्टार्टअप)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या 61 अर्केल, आजाद पी-1, आजाद पी-2, आजाद पी-3, आजाद पी-4, आजाद पी-5, आजाद पी 31, अगेता-6, डीडीआर-23, डीडीआर-27, वीआरपी-3, वीआरपी-5, वीआरपी-6, वीआरपी-7, वीआरपी-22, केपीएमआर-9, डीडीआर-44, एचयूडीपी-15, एचएफपी-4, एचएफपी-529, एचएफपी-8909, आईपीएफडी-99-13, आईपीएफडी-110, आईपीएफडी-6-3, जयंती, केपीएमआर-144-1, केपीएमआर-400, केपीएमआर-522, आईपीएफपी-48, पीजी-3, पंत पी-14, स्वाती, वीएल-3, एचएफपी 715, पंत 25, आरएफपीजी 79, इंदिरा मटर 1, बी-22, डीएमआर-7, एचयूपी-2, आईएम-9101, आईपीएफ-99-2, आईपीएफ-4-9, आईपीएफ-5-19, आईपीएफ-4-26, जेएम-6, जेपी-885, केएफपी-103, पंत पी-5, रचना, टीआरसीपी-8, वीएल-1, वीएल-42, वीएल-45, वीएल-46, पंत पी 42, एचएफपी-9426, एचएफपी-9907बी, आईएम9102, पंत पी74, एसकेएनपी 04-9
5.	राजमा (फेसियोलस वलगारिस)	संदर्भ किस्मों की कुल संख्या : 14 एचयूआर-15, अर्का कोमल, पीडीआर-14, आईपीआर-98-5, श्रीधा, अर्का अनूप, आईपीआर 98-3-1, एचयूआर-137, आईवीएफबी-1, एचयूआर-203, अर्का बोल्ड, एचपीआर-35, गुजरात राजमा, अंबर

3.1.58.3 पीपीवी एंव एफआरए में दाखिल आवेदन (केवल 57 अधिसूचित फसल प्रजातियों के लिए लागू अन्य कॉलम 2 और 3 में फाईल करें, यदि लागू हो)

फसलें	केन्द्र द्वारा 1966 से अधिसूचित किस्मों की संख्या	केन्द्र द्वारा 1999 से अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या			जारी किए गए प्रमाणपत्र	लंबित आवेदन	लंबित रखने के कारण
			विद्यमान अधिसूचित	नई	वीसीके			
मूँग बीन	120	41	33	2	-	18	17	
उड्ढ बीन	82	29	14	2	-	8	8	
मसूर	43	17	12	1	-	6	7	
राजमा	6	3	4	1	-	2	3	
मटर	44	25	18	3	-	10	11	
लेथीरस	3	2	-	-	-	-	-	

वर्ष 2018–19 के लिए योजना

- (i) प्रत्याशी किस्म का मूल्यांकन
- (ii) संदर्भ किस्म का रखरखाव

3.1.59 दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र, भारतीय चाय बोर्ड, कार्सियोंग

खेत का विकास :

- (क) **डीटीआर एवं डीसी** : डीयूएस केंद्र के भूखंडों का रखरखाव किया गया, समय-समय पर सस्य क्रियाएं की गई, खेत में निकट के क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका की अवांछित शाखाओं को काटने और हटाने का कार्य किया गया।
- (ख) **सीपीएस जिंग** : चाय की किस्मों की विशिष्टता, स्थायित्व और एकरूपता की जांच करने के लिए सीपीएस जिंग का चयन किया गया तथा यहां भी खेतों का रखरखाव एवं जरूरत के अनुसार सस्य क्रियाएं की गईं।

नमूनों का एकत्रीकरण एवं प्रेसिंग :

- (क) **डीटीआर एवं डीसी** : टीआरए से रिलीज किए गए 4 अलग-अलग क्लोनों अर्थात् पी-1258, सीपी-1, टी-135 और 185-9 / 3 / 76 को खेत में चुनिंदा स्थानों से एकत्र किया गया, लक्षणों को नोट किया गया तथा आकारिकी विश्लेषण, संरक्षण एवं परामर्श हेतु नमूनों को प्रेस किया गया।

ख) सीपीएस जिंग :— आईआरए द्वारा रिलीज किए गए निम्नलिखित विभिन्न क्लोनों अर्थात् सीपी-1, पी-1258, बीएस-9/3/74, टी-135 को खेत से चुनिंदा स्थलों पर रिकॉडिंग करने के साथ एकत्र किया गया और बाद के आकारिकी विश्लेषण, सरक्षण और परामर्श के लिए इन्हें प्रेस किया गया।

आकारिकी विश्लेषण और परिरक्षण :—

एकत्र किए गए चायपत्ती नमूनों का आकारिकी रूप से स्थिर लक्षणों के लिए अध्ययन किया गया और अनुशासा किए गए डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार इनका वर्णन किया गया। तैयार किए गए नमूने तब तक पूरी तरह सूख चुके थे और अंत में नमूने की किस्म को दर्शाते हुए एक वनस्पति संग्रहालय तैयार किया गया।

एकत्रीकरण—प्रेसिंग और डिजिटलीकरण—विवरण—प्रदर्शक वनस्पति संग्रहालय



डीटीआर एवं डीसी	सीपीएस जिंग
पी-128	सीपी-1
सीपी - आई	पी-1258

डीटीआर एवं डीसी	सीपीएस जिंग
टी-135	बीएस-9/3/76
बीएस-9/3/76	टी-135



दार्जिलिंग के लिए टीआरए द्वारा रिलीज किए गए क्लोन

वंशावली	क्लोन का नाम	वंशावली	क्लोन का नाम
पी – 312	फूबसेरिंग– 312	पी – 1258	फूबसेरिंग– 1258
बी – 157	बन्नोकबर्न– 157	टीटीवी – 1	टीस्टा वैल्ली– 1
टी – 145	टुकदाह – 145	एसकेएम – 1	सिविकम – 1
एवी – 2	अंबरी वलई – 2	सीपी – 1	चिरेड्यू प्रभात– 1
टी – 253	टुकदाह – 253	टी – 78	टुकदाह – 78
टी – 246	टुकदाह– 246	टी – 135	टुकदाह – 135

बी – 777	बन्नोकबर्न – 777		टी – 383	टुकदाह – 383
आरआर – 4/5	रुंगली – रुंगलोइट – 4/5		आरआर – 17/144	रुंगली – रुंगलोइट – 17/144
बी – 668	बन्नोकबर्न– 668		बीएस – 17/1A/76	बालासन – 17/1A/76
एल – 12	लिंगिया – 12		बीएस – 9/3/76	बालासन– 9/3/76
पी – 1404	फूबसेरिंग – 1404		बीटी-15/263	बादामतम – 15/263
के – 1/1	कोप्पि – 1/1		टीएचबीओ – 3	थूर्बो – 3
एचवी – 39	हैपी वेल्ली – 39		टीएचबीओ – 9	थूर्बो – 9
बी/5/63	सुन्दरम			

3.1.60 भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर

आईसीएआर—आईएआरआई, क्षेत्रीय केंद्र इंदौर गेहूं डीयूएस परीक्षण के लिए डीयूएस केंद्र है। पीपीवी एवं पीआरए के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार गेहूं द्रायलों की बुआई की गई। फसल मौसम 2017–18 में, डीडीएस परीक्षण के लिए पहले डीयूएस ट्रॉयल में 29 संदर्भ किस्मों के लिए 10 प्रत्याशी किस्मों (रंगीन गेहूं (नीला)), रंगीन गेहूं (नीला 2), रंगीन गेहूं (नीला 3), रंगीन गेहूं (पर्पल), रंगीन गेहूं (काला) एनएबीआई एमजी 10, एनएबीआई एमजी–11, एनएबीआई एमजी–12, एचडीसीएसडब्ल्यू 16, एचडीसीएसडब्ल्यू 18 और नई श्रेणी के अंतर्गत 3 किसान किस्मों (मोहित गोल्ड, सोनाली—केएडब्ल्यू और गोहोम) का तीन प्रतिकृतियों में परीक्षण किया गया, कृषकों की 58 किस्मों (परीक्षण का पहला वर्ष) शुद्धिकरण हेतु ग्रो—आउट परीक्षण के लिए उगाई गई थीं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनसुर अवलोकन एकत्र किए गए थे और संकलन का कार्य जारी है।

सूचित वर्ष के दौरान अनुरक्षण प्रजनन / गुणचित्रण में हुई प्रगति निम्नानुसार है :

फसलें	किस्में
गेहूं (प्रथम परीक्षण)	
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां (3)	नाबी एमजी 10*, नाबी एमजी 11*, नाबी एमजी 12*
द्वितीय वर्ष (7)	एचडीसीएसडब्ल्यू 16, एचडीसीएसडब्ल्यू 18, रंगीन गेहूं (नीला), रंगीन गेहूं (नीला–2), रंगीन गेहूं (नीला–3), रंगीन गेहूं (बैंगनी), रंगीन गेहूं (काला)
किसान किस्में (3)	मोहित गोल्ड, सोनालिका—केएडब्ल्यू और गोहोम
किसानों की किस्में (मूल्यांकन के लिए) : 58	वंशी, मुकेश, गेहूं गुजरात, बादाम, तृप्ति लाली, एसकेएफ–सीएन 5, मुंडी, एसकेएफ–डब्ल्यूए 2022, एसकेएफ–डब्ल्यूए 462 (वामन), एसकेएफ–डब्ल्यूए 6058, गेहूं सरबती पीली, ब्रिटटा सुजीत, वेटाइया, साफेशी नागेन्द्र, सफेदा जोखू, गोरखनाथ नं.–1, आजाद, पटेल–10, गुहम, एसकेएफ–डब्ल्यूए 6051, पालक, शेरिया, गेहूं सीताबाई कालूराम, खारिया, बार्का, पांच हीरा, चुर्का, सृति, महराजपुर गेहूं सोनालिका, गेहूं पासी, हेमा, चपातिया, साक्खू चातक, सेहरा, श्रीमन गेहूं, नंदराम गेहूं, मंगला 1, गजब, मंगला रामजी, सेहरिया श्याम, मंगला अजय, गेहूं लाल मुंडिया (जीकेएसएस गेहूं–1), गेहूं सफेद मुंडिया (जीकेएसएस गेहूं–2), गेहूं झुनसिया (जीकेएसएस गेहूं–3), सरबती फूल सिओरी, गेहूं चन्द्रभान, काथिया मुक्ता, बिलासे, शोडा, सूरजमणी, उलोलचना



डीयूएस खेत में निगरानी दल



कृषक किस्मों में देखे गए मिश्रण

निगरानी दल की मुख्य टिप्पणियाँ : कुल मिलाकर, डीयूएस परीक्षणों के नतीजे काफी अच्छे थे। फसल सॉफ्ट डफ स्तर में थी और डीयूएस परीक्षणों की अधिकांश प्रत्याशी किस्मों ने निगरानी के समय दावा किए गए लक्षणों को दर्शाया था। कृषक किस्मों में काफी अधिक मिश्रण देखे गए थे।

फसल	वर्ष 2017–18 में संपोषण प्रजनन के अंतर्गत रखी गई किस्मों की संख्या नाम
गेहूं	रिलीज की गई किस्में एस्ट्रिवम –80 रिलीज की गई किस्में दुरम एवं डिकोकम –50

आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम, प्रकाशन और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां, यदि कोई हैं : देवास जिले में 02.02.2018 को आयोजित जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को पीपीवी एवं एफआरए के बारे में तथा कृषकों की गेहूं किस्मों के पंजीयन के बारे में जानकारी दी गई थी। हमारे अनुसंधान केंद्र में आने वाले किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है।

पीपीवी एवं एफआरए के पास भेजे गए आवेदन (अधिसूचित की गई केवल 102 फसल प्रजातियों के लिए लागू। अन्य आदि लागू हो तो कोलम 2 और 3 में फाइल करें) : लागू नहीं

वर्ष 2018–19 के लिए योजना :

- 2017–18 के डीयूएस आंकड़ों का संकलन
- गेहूं किस्मों का डीयूएस परीक्षण
- गेहूं किस्मों के संदर्भ समूह का संपोषण, हाल ही में रिलीज की गई गेहूं किस्मों के बीज का प्राप्तण

3.1.61 भाकृअनुप—केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़, करेल

11 संदर्भ किस्मों में फल और वृत्तों के रंग को छोड़कर, डीयूएस निरूपक गुणों से संबंधित आंकड़ों को दर्ज किया गया और डीयूएस डाटाबेस तैयार करने के लिए इसे एक्सेल में प्रविष्ट किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2013 के दौरान खेतों में रोपित 11 रिलीज की गई/वर्तमान नारियल किस्मों का अवलोकन वानस्पतिक, पुनरुत्पादन एवं फल घटक लक्षणों और निरूपक लक्षणों एवं डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के परिमार्जन में मदद करने के लिए किया गया था। तदनुसार पुनर्वर्गीकरण के लिए कुछ निरूपक लक्षणों अर्थात् पौधे के कॉलर का घेरा, एक वर्ष में तैयार पत्तों की सं., पर्णक की





लंबाई, पर्णक की चौड़ाई का सुझाव दिया जाता है। डब्ल्यूसीडी, सीओडी, कल्परक्षा, केरा संकरा में 4 मी. x 4 मी. की दूरी की तुलना में 6 मी. x 6 मी. की दूरी पर पुष्पण का उच्च प्रतिशत दर्ज किया गया था, जो कि 50% से अधिक था। चौधाट ऑरेंज ड्वार्फ में पौधरोपण के समय से पूर्व 25 महीने में और उसके बाद चंद्र संकरा में 26 महीने में पुष्पण दर्ज किया गया था। निष्कर आंकड़ों के विश्लेषण से आगमनों और दूरी के बीच काफी अधिक अंतर दिखा था। ताड़ की ऊचाई, वृत को लबाई, पत्तों धारण करने वाले हिस्से की लंबाई 4 मी. x 4 मी. की नजदीकी दूरी पर अपेक्षाकृत अधिक थी जबकि 6मी. x 6 मी. की दूरी पर्णक की अपेक्षाकृत अधिक लंबाई, पर्णक की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई और अधिक मात्रा में पत्ती की उत्पत्ति देखी गई थी। रोपित की गई किस्मों में से कल्प मित्र में ताड़ की अधिक ऊचाई, पर्णक की अधिक लंबाई, और पत्ती धारण करने वाले हिस्से की अधिक लंबाई पाई गई थी जबकि कल्पधेनु में पर्णक की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक थी।

पौध वृद्धिलक्षणों को दर्ज करने और डीयूएस परीक्षण जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ पौध उगाने के लिए संदर्भ/टिलीज की गई/ वर्तमान किस्मों की 20 बीज गिरी (चौधाट ऑरेंज ड्वार्फ, वेस्ट कोस्ट टॉल, चौधाट ग्रीन ड्वार्फ, मलायन येलो ड्वार्फ, मलायन येलो ड्वार्फ, मलायन ऑरेंज ड्वार्फ, गंगा बोदम ग्रीन ड्वार्फ, कल्परक्षा, कल्प घेनू, कल्प प्रतिभा, कल्प मित्र, चंद्र कल्प, केरा चंद्रा, कल्पतरु, कल्परक्षा) को पोली बैग में बोया गया था।

फिलहाल केन्द्र में डीयूएस परीक्षण के लिए कोई किस्म नहीं है। ऑन.साइट डीयूए परीक्षण ट्रायलों के पीपीयू एवं एफआरए से एक आवेदन प्राप्त हुआ है और अभ्यर्थी किस्मे के निरूपक गुणों के बारे में पीपीयू एवं एफआरए से और अधिक आंकड़े मांगे गए हैं। डीयूएस परीक्षण आंकड़ों को दर्ज करने के लिए अपेक्षित जानकारी और पौध अभी प्राप्त होने हैं।

3.1.62. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

कुल प्रविष्टियां :

क्र. सं.	नई	वीसीके	ईडीवी एवं आईवी	संदर्भ किस्में
द्वितीय वर्ष के परीक्षण	09	लागू नहीं	लागू नहीं	11

सीसीएस एचएयू, हिसार के लिए डीयूएस जांच 2017–18

प्रत्याशी किस्में	एनसीएस -904 बीटी, आरसीएच 602 बीजी-II, एसवीए-371, एसवीए-145, एसवीएजीएमएस-47, केआर-111, बीआईओ 54510, बीआईओ 6165-2 बीजी II, एसडब्ल्यूसीएच 4704 बीजी II
संदर्भ किस्में	अबाधिता, एल-604, जेएलएच 168, एमसीयू 5, एकेए-7, वीना, जवाहर ताप्ति, पीकेवी-रजत, जेकै 4, बदनावर, जीएसएचवी 112



दिनांक 20.09.2017 को डीयूएस जांच 2017–18 की निगरानी

क्रम रहित ब्लॉक डिजाइन (आरबीडी) में तीन प्रतिकृतियों के साथ सभी 20 प्रतियोगियों की बुआई की गई थी और निम्नलिखित मानदण्डों के संबंध में अवलोकन दर्ज किए गए थे : हाइपोकोटाइल वर्णकता, पत्ती का रंग, पत्ती पर रोम, पत्ती की विद्यमानगी, लीफ गौसीपॉल ग्लैण्ड, लीफनैक्टेटिस, पर्णवृत्त वर्णकता, पत्ती का आकार, पौधे के तने पर रोम, पौधे के तने की वर्णकता, पौधे की ऊचाई, पौधे में वृद्धि की प्रवृत्ति, ब्रैक्ट टाइप, पुष्पण का समय, पंखड़ी का रंग, पंखड़ी पर धब्बा, पुष्प में वर्तिकाग्र, फिलामेंट में दूसरा रंग, पराग का रंग, मेल स्टर्लिंगी, बीजकोश धारण की प्रवृत्ति, बीजकोश का रंग, बीजकोश का आकार, शीर्ष पर बीजकोश का उद्भव, बीजकोश की सतह, बीजकोश का खुलना, सीड कॉटन / बीजकोश का वजन, बीज पर रुंआ, रुंए का रंग, बीज इंडेक्स, जिनिंग का प्रतिशत रेशे का रंग, लंबाई, मजबूती, बारीकी, एकरूपता तथा रेशे में परिपक्वता।

परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम : कपास अनुभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेरिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने किसानों, छात्रों, सार्वजनिक एवं निजी बीज कंपनियों के कार्मिकों



और विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के लिए 30.01.2018 और 15.02.2018 को पौध किस्म की सुरक्षा तथा कृषक अधिकार अधिनियम (पीपीवी एवं एफआरए), 2001 के बारे में दो एकदिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। इनमें से से प्रत्येक प्रशिक्षणों में 60 भागीदारों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथिगण डॉ. के. एस. एस. सिवाच, निदेशक, अनुसंधान निदेशालय, सीसीएसएचएयू हिसार और डॉ. के. एस. सांगवान, कपास अनुभाग प्रमुख ने पीपीवी एवं एफआर अधिनियम

2001, इसके उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त भाषण दिया। विभाग के दूसरे संकाय ने भी भागीदारों की जानकारी बढ़ाने के लिए विविध पहलुओं (पीपीवी एवं एफआरए, 2001 के अंतर्गत पौध किस्मों के पंजीयन का महत्व, डीयूएस परीक्षण का आयोजन, कपास में डीयूएस लक्षणों की रिकॉर्डिंग एवं संदर्भ किस्मों का संपोषण, नई पौध किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रियाविधि, अनिवार्य रूप से प्राप्त की गई किस्में (ईडीयू) और वर्तमान किस्में और उनका महत्व, किस्मों का निर्धारण : आण्विक एवं जैव.रासायनिक तकनीकी इत्यादि) के विषय में व्याख्यान दिया। भागीदारों के लिए आधुनिक बीज भंडारों और डीयूएस परीक्षण क्षेत्र को देखने की भी व्यवस्था की गई।

3.1.63. भाकृअनुप—केन्द्रीय नींबूवर्गीय अनुसंधान संस्थान, नागपुर

केन्द्र एसिड लाइम, मंदारिन, स्वीट ऑरेंज के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र चला रहा है। इस संस्थान में मंदारिन, एसिड लाइम और स्वीट ऑरेंज की संदर्भ किस्मों का संपोषण किया जाता है। पीपीवी एवं एफआरए में पंजीयन के लिए विभिन्न निंबू वंशीय किस्मों के ऑन—साइट परीक्षण की प्रक्रिया पिछले वर्ष शुरू की गई थी।

मंदारिन, एसिड लाइम और स्वीट ऑरेंज समूह से कुल 3 निंबू—वर्ग का ऑन साइट डीयूएस परीक्षण के लिए लिया गया था।

निंबू वर्गीय 3 नई किस्मों के पंजीकरण (एनआरसीसी जागपुर मंदारिन बीजरहित—एनआरसीसी एसिड लाइम—7 और एनआरसीसी एसिड लाइम—8) के लिए दूसरे वर्ष के लिए ऑन.साइट डीयूएस परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया था। सभी किस्मों के डीयूएस लक्षणों को दर्ज किया गया था और विशेषज्ञों द्वारा उन्हें मान्य ठहराया गया था। डीयूएस लक्षणों के अनुसार सभी किस्मों का गुणचित्रण किया गया था।

3.1.64. भाकृअनुप—भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर

यह पपीता और शरीफा के लिए डीयूएस केन्द्र चल रहा है।

संक्षिप्त उद्देश्य :

1. संदर्भ / नमूना किस्मों का संपोषण और डिजिटलीकृत डाटाबेस
2. पपीता और शरीफा उपजातीय संपदा का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना
3. फसल किस्मों का पंजीकरण और प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण

मुख्य उपलब्धियाँ :

पपीता : 15 संदर्भ / नमूना किस्मों को भाकृअनुप-आईआईएचआर के खेत में और बीजों के माध्यम से भी रखरखाव किया जा रहा है।



शरीफा : भाकृअनुप-आईआईएचआर में फील्ड जीन बैंक में 10 संदर्भ नमूना किस्मों का संपोषण किया गया है।

डीएसयू परीक्षण : शरीफा की किस्म एनएमके-1 के ऑन साइट परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है और अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। फसल एक्सोकार्प का रंग अलग है जो कि पीला हरे (आरएचसी- 1448) रंग का है जबकि संदर्भ किस्म बालानगर (आरएचएस-143) का रंग हरा है। एनएमके-1 में स्वतः फलन के साथ बड़े आकार के फल भी लगते हैं।

3.1.65. भाकृअनुप—केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर

यह केन्द्र कचालू की 22 संदर्भ किस्मों और जिमीकंद की 18 संदर्भ किस्मों का उपजातीय जीन बैंक चला रहा है।

कचालू : कचालू के मामले में, 51 प्राथमिक लक्षणों का उपयोग समूह बनाने के लिए किया गया। मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- I. पौधे में वृद्धि की प्रवृत्ति (ऊंचाई, विकास की प्रवृत्ति)
- ii. पत्ती का प्रकार (पत्ती के शीर्ष का आकार, स्थिति, पर्णफलन की चौड़ाई)
- iii. वृत्त का प्रकार (रंग, पत्र दल संधि पर घुमाव, पर्णवृत्त संधि का रंग)
- iv. घनकंद के गुण (आकार, उपरी सतह, छिलके का रंग, रेशेपन का अनुपात, शाखन, गौण घनकंदों की संख्या, गुदे का रंग, छोटे घनकंदों की संख्या)

विशिष्ट स्टोलोनिफेरस और बड़े दलदली अरबी के अलावा, दासीन और इड्डोई प्रमुख किस्में हैं।



जिमीकंद : जिमीकंद के मामले में, 41 प्राथमिक लक्षणों का उपयोग समूह बनाने के लिए किया गया है। मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- i. पौधे में वृद्धि की प्रवृत्ति (ऊंचाई, पौधे की किस्म)
- ii. पत्ती का प्रकार (पत्तियों / प्राक्षों की कुल संख्या, पर्णक का आकार, पर्णक का रंग, पर्णक की शिराओं का रंग, पत्ती में चिकनापन)
- iii. पर्णवृत्त / नाल का प्रकार (धब्बों का आकार, धब्बों का फैलाव, प्राक्षों का रंग, प्राक्ष की पद्धति, घनकंदों का आकार)
- iv. घनकंद के गुण (आकार, घनकंद सिलवटों की संख्या, ब्राह्यचर्म का रंग, गुदे का रंग, छिलके की बनावट, मुख्य कली के सहपत्र का रंग, घनकंद / छोटे घनकंदों का आकार)



3.1.66 डॉ. बाबासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, रतनागिरी

यह केन्द्र प्रजनन कार्यक्रम के लिए जायफल की 10 संदर्भ किस्मों का रखरखाव कर रहा है और प्राधिकरण में जायफल की कुल 20 कृषक किस्मों को पंजीकरण के लिए भेजा गया है।

वर्ष 2018.19 के लिए योजना :

- क्षेत्र में नई जीनो टाइपों का निरीक्षण करके उनके लक्षण बताना।
- कॉकण क्षेत्र में हाल ही में रिलीज की गई जायफल की किस्मों को एकत्र करना और उनके लक्षण बताना।
- कॉकण क्षेत्र के कृषकों की किस्मों को पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकृत करवाना।
- डाटाबेस तैयार करना और परियोजना के अंतर्गत प्राप्त जानकारी का प्रसारण।
- कृषकों की किस्मों का संपोषण



केलसी ताल—दपोली और खनौली ताप.सिंधु दुर्ग में फलावरण विहीन जायफल बीज पाए गए



खनौली, ताल—सिंधुदुर्ग में मेस कवर युक्त युग्म जायफल बीज पाए गए



केलसी ताल—दपोली में मेस कवर युक्त युग्म जायफल बीज



मुरुदजंजीरा, अलीबाग में किसानों के खेतों में जायफल वृक्षों का निरीक्षण

3.1.67. सब्जी विज्ञान प्रभाग, भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका)

भाकृअनुप—आईएआरआई, नई दिल्ली देश के उत्तरी क्षेत्र में मिर्च, शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च के परीक्षण के लिए सह नोडल केन्द्र हैं। यह केन्द्र 45 संदर्भ किस्मों का संपोषण करना है पत्तियों के गंभीर रूप से सिकुड़ जाने की वजह से, जो खरीफ मौसम में सामान्य बात है, भाकृअनुप—आईएआरआई के ग्रीष्म मौसम में मूल्यांकन परीक्षण करना शुरू किया है। केन्द्र ने वर्ष 2017–18 के ग्रीष्मकालीन मौसम में निजी कंपनियों से प्राप्त 47 प्रतियोगियों का मूल्यांकन किया जिनमें संदर्भ किस्मों के साथ—साथ 14 नए प्रतियोगियों और 33 वीसीके को शामिल किया गया था। खरीफ 2017–18 में केन्द्र ने दूसरे वर्ष के लिए 47 नए प्रतियोगियों और संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन किया। यह परीक्षण खरीफ मौसम में किया गया था क्योंकि पहले वर्ष का मूल्यांकन खरीफ 2016 में किया गया था।

फसलें	नई		वीसीके	एफवी
	प्रथम	द्वितीय		
मिर्च, शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च	14	47	33	-

- ग्रीष्म कालीन परीक्षण में प्रतियोगी पंजी./2015/1694, पंजी./2016/77, पंजी./2016/80 और पंजी./2016/82 में अंकुरण नहीं हुआ था और खरीफ परीक्षण में एक प्रतियोगी पंजी./2015/2099 में अंकुरण नहीं हुआ था।
- पंजी./2015/2103 में सामान्यतः तिकोने फल प्राप्त हुए थे जो कि छोटे और चौड़े थे। पंजी./2015/2014 के फल शिमला मिर्च किस्म के थे किंतु प्रतियोगी मिर्च श्रेणी से थे पौधे की किस्म मिर्च से सबसे अधिक मिलती—जुलती थी।

3.2 फील्ड जीन बैंक

3.2.1 डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, प्रादेशिक बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्टेशन, मशोबरा, शिमला

केन्द्र ने आरएचआरटीएस शिमला के निकट मशोबरा में शीतोष्ण फलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना की।

3.2.1.1 संक्षिप्त उद्देश्य

- एकत्रित किस्मों तथा शीतोष्ण फलों – सेब, नाशपाती तथा मीठी चेरी के अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉकों का रखरखाव।
- डीयूएस दृष्टिकोण से किस्मों का आकृतिमूलक गुणचित्रण।
- किसानों की प्रमुख किस्मों का संकलन।

3.2.1.2 वर्ष 2017–18 के दौरान एकत्रित किस्मों का विवरण : सेब किस्म संकलन ब्लॉक में बीटा फ्रूट नर्सरी, इटली की चार नई किस्में, नामतः बुकेये गाला, मोदी तथा रैड कैप वेलटोडे को जोड़ा गया। वर्ष के दौरान किस्म संकलन ब्लॉक में पीयर, कार्मेन, कॉनकोर्ड तथा अबेट फेटल को बीटा फ्रूट नर्सरी, इटली से जोड़ा गया।



3.2.1.3 फील्ड जीन बैंक की स्थापना से अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन फसलें

क्र. सं.	फसल	रखरखाव के अधीन किस्मों के नाम
1.	सेब–258 किस्में	एएएस/जीपी/बीएसपी/04, एएएस/जीपी/बीएसपी/09, एएएस/जीपी/बीएसपी/13, ऐस स्पूर, एडमस, अकबर, अम्बरेड, अंबरी, अंबरॉयल, अंबस्टार्किंग, अमेरिकन अप्रियोज, अमेरिकन जॉली फ्लावर, एंटीनोविका, अयुवियल अर्ली फ्यूजी, अयुरोरा, एजटेक, ब्यूटी ऑफ बाथ, बेलरिना, बेनोनी, बॉयकन, ब्राइबन, ब्राइट–एन–अर्ली, ब्रूकफील्ड गाला, बुकिनघूम, बल्टर्स ग्राइवे, काम्सपुर, चानपूरा सलेक्शन, चौबातिया अनुपम, चेक अंबरी, को फ्यूजी, कमर्शियल, कूप–13, कूपर–4, क्रिम्सन गाला, देवेनसायर क्वारेंडेन, डोरसेट गोल्डन, अर्ली शानबरी, ईसी 239451, ईसी 349914, ईसी 539446, ईसी 539449, ईसी 539450, ईसी 539451, ईसी 539457, ईसी 83683, एम्पायर, फ्यूजी, फ्यूजी किकू फ्यूजी राकू गाला मिट्चेल्ला, गाला मस्ट, गैलेक्सी, गाले गाला, जीजर गोल्ड, ग्लोस्टर, गिबसन गोल्डन, गोल्ड रश, गोल्डन रेंडर्स, गोल्डन स्मूथी, ग्रनी स्लीव्स, हार्डमन, हार्डिंसपुर, हनी क्रिस्प, हनी गोल्ड, हनी स्वीट, इम्पूल्ड रेड डिलिसियस, इंडो, जय डार्लिंग, जोना मैक, जोनारेड, जेरोमाइन, जोनिका, कानोइल सिनैप, किंग्स ऑफ पिपिंस, लाल अंबरी, लाल कार्डिनल, लैक्सटन्स फॉर्च्यून, लैक्सटन्स स्पूर्ब, लोडी अर्ली गोल्डन, लॉर्ड लाम्बोरने, मायन, मैकिन्टोश, मिल्लर्स स्टुर्डी स्पूर, नीमा अर्लियस्ट, मरिरि रेड, नीर अर्ली स्टेथिंग, ऑरेगन स्पूर, ऑरेगन स्पूर कनाडा, ऑरेगन स्पूर II, पार्कडाले, पिंक लेडी, पिपिन लिटोवस्काई, प्रिमा, प्रिस्सेल्ला, रेड फ्री, रेड ग्रावेनस्टाइन, रेड रॉयल, रेड स्पूर, रेड वेलॉक्स, रेडलुम गाला, रेसी सीआर, सिच ए रेड, रोज मारी, रॉयल गाला, रूबिजॉन, सांसा, स्कारलेट गाला, स्कारलेट स्पूर II, स्कोलोमिथ, सेनाटोर, शालिमार– I, शालिमार– II, शिरीन, सिल्वर स्पूर, स्टार्क कार्डिनल, स्टार्क अर्लियस्ट, स्टार्क अर्ली ब्लैज, स्टार्क समर गोल्ड, स्टार्करिमिसन गोल्ड, समर किवन, समर रेड, सन फ्यूजी, सुनहेरी, सूपर चीफ, टालिसारे, टॉप रेड, वर्सिफील्ड, विस्टा बेल्ला, वैल्थी, वैलस्पूर, विंटर कमर्शियल जिलेटी क्रिम्सन, टिडेमैन्स लेट ऑरेंज, वेरेड, येलो डिलिसियस
2.	नाशपाती–40 किस्में	स्मार्ट, हायर्वर्ड, लुइस बॉन ऑफ जेरी, सेवरेंटा, ग्राउड ड्रॉयूर्ड, जीपिसे हॉपिसे कॉपिसेइ, डॉइन्ने डु बुस्साक, पीआई264649, क्लैप्स फैवरिट, फ्लैमिश ब्यूटी, रेड बार्टलेट्ट, विरॉड एंगिल्स, मैनिंग एलिजाबेथ, जार्गोनेल्ले, जेंटल ब्लैंस, ए बेर्गमेट, बेर्लोटसा, किंग्स पीयर, विल्डर अर्ली, मैरीलैंड, लैकोटे, हूड, डॉइन्ने डु कॉमिक, पैखेम्स ट्रियूम्फ, वॉर्डन सिकल, कॉनकोर्ड, कॉन्फ्रेंस, टेलर्स गोल्ड, मून ग्लो, सेंट्या ब्रास्काया, कैफेर, अलोजवीड हार्डी, लुप्सी, बेयूरी हार्डी, विकर ऑफ विंकफील्ड, बादशाह, बुर गिफर्ड, विलियम पीयर, मोनार्क, डेवॉय, पीआई 282935

3	चेरी—46 किसमें	बैडफॉर्ड प्रोलिफिक, बिगार्यू नेपालियन (डबल), बिगार्यू नॉइर ग्रोस्सा (मिश्री), बिंग, ब्लैक हर्ट, बैर्डबोर्न ब्लैक, सेलिसोर, सीआईटीएच-1, सीआईटीएच-3, सीआईटीएच-12, सीआईटीएच-13, सीआईटीएच-14, सीआईटीएच-15, सीआईटीएच-16, सीआईटीएच-4, सीआईटीएच-5, सीआईटीएच-8, डेस्ना, ड्यूरोन डे विग्नोला, ड्यूरोन नेरो—I, ड्यूरोन नेरो—II, ड्यूरोन नेरो—III, अर्ली रिवर, फोया ट्राविडा, गौचेर, जर्मसडोफर, गुइग्ने नॉयर हैटिव (मखमली ग्लासा), गुइग्ने पर्पी प्रिसेस (अवल नं.), लाम्बर्ट, लैपिन्स, मर्चेंट, मेर्टन ग्लोरी, मोरा डे केजाना, नॉयर डे गुबेन, रैनर, रेड हर्ट, राउंडेल हर्ट, साम, सेनाका, स्टेल्ला, सनब्रस्ट, स्वीट हर्ट, तिरुम्प डोमिनी, वैन, वेगा, व्हाइट हर्ट
अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक के अधीन सेब किसमों का फल लक्षण वर्णन		
4	सेब—61 किसमें	ऐस स्पूर, अन्ना, ब्राइट—एन—अर्ली, ब्रूकफील्ड गाला, कार्पेन्डू बियानको, कोइ रेड फ्यूजी, क्राइटेरियन, डेवोनसायर क्वारेंडेन, डोरसेट गोल्डन, अर्ली रेड बर्ड, अर्ली रेड वन, एलिसन्स ऑरेंट, गाले गाला, गिबसन गोल्डन, ग्लोस्टर, गोल्ड स्पूर, गोल्डन डिलिसियस, ग्रेन्नी रिमथ, हार्डिंगमन जेम्स ग्रीवे, लल्ला डिलिसियस, लॉड लाम्बोर्न, लैक्सटन्स सूपर्ब, लिबर्टी, मैकिन्टोस, मोलिएस डिलिसियस, मटसू, ऑरेगन स्पूर-II, पर्कर्स डाले, रेड बारोन, रेड चीफ, रेड फ्यूजी, रेड ग्रावेंस्टाइन, रेड गोल्डन, रेड स्पूर, रीयल मेकॉय, रस पिपिन, सिल्वर स्पूर, स्कार्लेट गाला, स्कार्लेट स्पूर-I, स्कार्लेट स्पूर-II, स्कार्लेट स्पूर, स्काइलाइन सुप्रीम डिलिसियस, स्पार्टन, स्टार्क अर्लीयस्ट, स्टार्करिम्सन, स्टार्क स्पूर गोल्डन, सूपर चीफ, टॉप रेड, टेलिमैन्स अर्ली वोरकेस्टर, वान्से डिलिसियस, वैत्थी, वैत्थी डबल रेड, वेल स्पूर, विंटर कर्मशियल, विंटर बनाना, विल्सन्स रेड जून, वेल स्पूर, वॉरेस्टर पियरमेन, येलो न्यूटन, यॉर्क—ए—रेड

वानस्पतिक प्राचलों (एक वर्ष की टहनी : मोटाई, एक वर्ष की टहनी : अंतरगांठ की लंबाई, एक वर्ष की टहनी : लिटिसेल की संख्या, एक वर्ष की टहनी : धूप की ओर का रंग, एक वर्ष की टहनी : टहनी की यवणता, लीफ ब्लेड : लंबाई, लीफ ब्लेड : चौड़ाई, लीफ ब्लेड : लंबाई / चौड़ाई का अनुपात) के लिए सेब की किसमों का गुणचित्रण किया गया।

सेब के अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक में, वर्ष 2017 के दौरान फल लगने वाले किसमों के फूलों के गुणों (बैलून अवस्था में फूल का रंग तथा पंखुड़ियों की अवस्था) तथा फलों के गुण (फल का भार, फल का आकार (लंबाई एवं व्यास) लंबाई / व्यास का अनुपात, बीज के खोल का आमाप, सैपल की लंबाई, लैंटिसेल की संख्या, डंडी की लंबाई, डंडी की मोटाई, डंडी की गहराई, डंडी छिद्र की चौड़ाई, खोल छिद्र की गहराई, गूदे का गठीलापन तथा गूदे का रंग) का गुणचित्रण किया गया।

पीयर एवं चेरी में वानस्पतिक प्राचलों (पेड़ : ओजस, पेड़ : शाखन, पेड़ : प्रवृत्ति, एक वर्ष की टहनी; वृद्धि, एक वर्ष की टहनी : अंतरगांठ की लंबाई) का डाटा दर्ज किया गया तथा चेरी के लिए (पेड़ : ओजस, पेड़ : शाखन, पेड़ : प्रवृत्ति, एक वर्ष की टहनी : लंबाई तथा एक वर्ष की टहनी : मोटाई) डाटा दर्ज किया गया।



3.2.1.4 आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम, प्रकाशन तथा अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां

उपोव प्रणाली के अनुसार सेब की किसमों के डीयूएस परीक्षण के सिद्धांत विषय पर दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीज क्षेत्र परियोजना में इंडो जर्मन द्विपक्षीय सहयोग तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण



प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से 06—07 जून, 2017 के दौरान प्रादेशिक बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्टेशन, मशोबरा, शिमला में किया गया। इस कार्यशाला में डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली; डॉ. इरिक स्कुलते, बीएसए; डॉ. एच. सी. शर्मा, कुलपति, यूएचएफ, नौनी तथा डॉ. सुषमा भारद्वाज, एसोसिएट डायरेक्टर, आरएचआर एवं टीएस, मशोबरा उपरिथित थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे भारत के फल विशेषज्ञों द्वारा दिशानिर्देश एवं विशेषताओं के उपयोग, उपोव के अनुसार सेब के विवरणकों एवं संदर्भों के संकलन, पीपीवी एवं एफआरए, डीयूएस परीक्षण पद्धतियां तथा भारत में ऑन साइट टेस्टिंग पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान फील्ड जीन बैंक का दौरा

किया गया जहां डाटा रिकॉर्डिंग एवं प्रस्तुतीकरण का व्यवहारिक निरूपण किया गया। 07 जून, 2017 को स्टॉक्स फैमिली प्लांटेशन, “हार्मोनी हॉल ऑचडर्स” का दौरा किया गया। बागान के प्रबंधक ने बागान के कुल क्षेत्रफल, रोपित विभिन्न किस्मों, सस्यक्रियाओं तथा प्रबंधन पद्धतियों, तुड़ाई और तुड़ाई पश्चात हैंडलिंग आदि के संदर्भ में बताया। कैनोपी प्रबंधन, रुट स्टॉक, उर्वरक प्रबंधन आदि पर चर्चाएं की गईं।

3.2.2 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची

यह केन्द्र “पूर्वी भारतीय परितंत्र के लिए स्व स्थाने संकलन के अंतर्गत फल के पेड़ों तथा औषधीय पादप किस्मों के लिए लाइव रिपोजिट्री का रखरखाव” नामक फील्ड जीन बैंक परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। फील्ड जीन बैंक में आम के 43 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।

सिट्रस के अंतर्गत एनआरसी, नागपुर से एसिड लाइम, मौसंबी तथा नागपुर मंडारिन और आईसीएआर—बारापानी, शिलोंग से खासी मंडारिन प्राप्त किया गया।

3.2.2.1 संक्षिप्त उद्देश्य :

- प्रादेशिक रूप से महत्वपूर्ण फलीय फसलों, आम, आंवला, अमरुद, नींबूवर्गीय, कटहल तथा केला (पूर्वी क्षेत्र) के लिए पंजीकृत/कृषक किस्मों तथा विवरणों का विकास/परिशुद्धिकरण लाइव रिपोजिटरी की स्थापना और रखरखाव।
- आकृतिमूलक गुणचित्रण के लिए डीयूएस के माध्यम से पूर्वी भारत के किसानों की किस्मों का मूल्यांकन एवं पूर्वी क्षेत्र में किसानों की पंजीकृत किस्मों का रखरखाव



3.2.2.2 वर्ष 2017–18 के दौरान संकलित किस्मों का विवरण

क्र. सं.	फसल प्रजा.	किस्म का नाम	किस्म का प्रकार	पंजी विवरण, आवेदक का नाम एवं स्रोत
1.	आम	सनबर्ग (सिनझॉली)	किसानों की किस्म	Reg/2014/685, बैशाखी देवी, गांव कुच्छु डाकघर—हुंदरू, जिला—रांची
2.	केला (पौधों की संख्या 5)	पथारिकेला		Reg/2015/275, राजेश कुमार शाह, गांव—गारके, डाकघर—कोलौहनम, जिला—कैमूर (बिहार)
3.	केला (पौधों की संख्या 3)	सारोडगा केला		Reg/2015/322, लोकनाथ सिंह, गांव—सारोडगा, डाकघर—अधौरा, जिला—कैमूर (बिहार)
4.	मेथोल मिंट	पुदीना बारहमासी		Reg/2015/311, त्रिपुरी सिंह, गांव—भाषी, डाकघर—उमापुर, जिला — कैमूर (बिहार)

पीपीवी एवं एफआरए क्षेत्रीय केन्द्र, रांची (2018–19) से प्राप्त किसानों की किस्म

क्र. सं.	फसल	पावती संख्या	फसल/मूल्यवर्ग
1	आम	REG/2015/1089	आम/अली सुरजापुरी
2.	आम	REG/2016/1571	आम/जयंती
3	अंगूर	REG/2015/1098	अंगूर/वन्य अंगूर बेल

3.2.2.3 फील्ड जीन बैंक की स्थापना से रखरखाव/गुणचित्रण के अधीन किस्में

केन्द्र में पूर्वी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक महत्व के आम की 42 किस्मों तथा नींबूवर्ग की 6 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।

3.2.3 डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापौली, महाराष्ट्र

विश्वविद्यालय फलों, रोपण फसलों तथा पेड़ों की प्रजातियों का लाइब्रेरी रिपोजिटरी के माध्यम से विवरणकों का संकलन, रखरखाव, मूल्यांकन तथा विकास नामक परियोजना पर कार्य कर रहा है।

अधिदेशित फसलें : आम, नींबूवर्गीय, हल्दी, केला, काली मिर्च, इलायची, कटहल, जायफल तथा किसानों की किस्में।



3.2.3.1 अनुरक्षण / गुणचित्रण के अधीन किस्में

क्र. सं.	फसल	रखरखाव के अंतर्गत किस्में / इकोटाइप्स की सं.
1.	आम	36
2.	हल्दी	13 इकोटाइप्स
		31 किस्में
3.	इलायची	5
4.	नींबूवर्गीय	4 प्रजातियां
5.	कचाई नींबू	1
6.	काली मिर्च	6
7.	केला	30 + 8
8.	जायफल	1 किस्म (3 पौधे)
9.	कटहल	2 किस्म (14 पौधे)
10.	किसानों की किस्में	160



3.2.3.2 फील्ड जीन बैंक में संग्रहीत एवं संरक्षित सामग्री

क्र. सं.	प्रजातियों के नाम	संग्रहीत जननद्रव्य की संख्या	स्रोत
1.	आम	20 किस्में	आरएफआरएस आम अनुसंधान स्टेशन वेंगुरला, बागवानी विभाग, दापोला, सीईएस वाकवाली, श्री भूषण पदमाकर नाबर, मठ, वेंगुरले
2.	आम (विल्लैकोलंबन)	280 पौधे	सीईएस, वाकवाली
3	केला	30 किस्में	एनआरसी, तमिलनाडु
4	नींबूवर्ग	3 किस्में	राष्ट्रीय नींबूवर्गीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर
5	इलायची	9 किस्में	इलायची अनुसंधान संस्थान अप्पानगाला एवं भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मेलादुमपारा
6	हल्दी	38 किस्में	डॉ. अशोक चिवाटे, कृषि अनुसंधान स्टेशन डिग्रास सांगली, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान फार्म, पेरुवन्नामुझी, श्री संजय जाधव, बालापुर, महाराष्ट्र
7	अदरक	4 किस्में	डॉ. अशोक चिवाटे, कोरेगांव, महाराष्ट्र, कृषि अनुसंधान स्टेशन डिग्रास सांगली, श्री श्रीपाद डिग्रामाने, सांगली एवं श्री संतोष डारेकर, बोरगांव, सतारा
8	काली मिर्च	15 किस्में	काली मिर्च अनुसंधान स्टेशन, पन्नीयूर एवं भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान फार्म, पेरुवन्नामुझी

3.2.3.3 फील्ड जीन बैंक में प्राप्त एवं संरक्षित सामग्री

क्र. सं.	प्रजातियों के नाम	संग्रहीत जननद्रव्य की संख्या	स्रोत
1.	केला	8 किस्में	श्री विजयन, अध्यक्ष, चेंगालीकोडन बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन इरुमापर्टी, त्रिसूर, केरल

2.	काची लेमन	10 पौधे	मणिपुर केन्द्र, इम्फाल
3.	कटहल	2 किसमें	पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में आवेदित
4.	मिर्च	15 ग्रा.	कन्द्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गोवा
5.	हल्दी	2 किसमें	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना
6.	रोपण सामग्री	160 पौधे	आईपीआर सेल, केरल कृषि विश्वविद्यालय, केरल
7.	रतालू	5 किसमें	शाजी. एन. एम. अराट्टूथारा वायानाड, केरल

3.2.3.4 पंजीकरण हेतु नामित किस्मों का फील्ड जीन बैंक में रखरखाव

क्र. सं.	प्रजातियों के नाम	मूल्यवर्ग	स्रोत
1.	चावल	सारावत	श्री परशुराम रामजी लांबे, वडी जैतपुर, खेड, रत्नागिरी
2.	चावल	टिचिन	श्री बालकृष्ण कानू दौल, दापोली, रत्नागिरी
3.	चावल	वडा कोलाम	श्री संजय प्रभाकर समेल, पनवेल, रायगढ़
4.	चावल	थोम्बे	श्री दत्ताराम तुकाराम येलामकर, दापोली, रत्नागिरी
5.	नारियल	कोंकण भाटेझ नारियल संकर-1	प्रादेशिक नारियल अनुसंधान स्टेशन, भाटेझ, रत्नागिरी

3.2.3.5 पीपीवी एवं एफआरए में दाखिल आवेदन

फसलें	1966 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	1999 से केन्द्र द्वारा अधिसूचित किस्मों की संख्या	भरे गए आवेदनों की संख्या				जारी किए गए प्रमाणपत्र	लंबित आवेदन
			विद्यमान अधिसूचित	नई	किसान किसमें	वीसीके		
भिंडी	-	-	-	-	1	-	-	1
चावल (वडाकोलाम)	-	-	-	-	1	-	-	1
चावल (सारावत)	-	-	-	-	1	-	-	1
चावल (टिचिन)	-	-	-	-	1	-	-	1
चावल (थोम्बे)	-	-	-	-	1	-	-	1

3.2.4 राष्ट्रीय जीन बैंक, एनबीपीजीआर ओल्ड कैंपस, नई दिल्ली

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा, नई दिल्ली के पुराने परिसर में स्थापित किया गया था। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण मध्यम अवधि के भंडारण के अंतर्गत सुरक्षित संरक्षण के लिए किराए की इस व्यवस्था का प्रबंधन कर रहा है। मध्यम अवधि की इस सुविधा का परिचालन की निगरानी एनबीपीजीआर के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। मध्यम अवधि भंडारण का तापमान $+ 40^{\circ}$ से तथा सापेक्षिक नमी 35 प्रतिशत में समायोजित किया गया। मध्यम अवधि के भंडारण मॉड्यूल तथा डीयूएस परीक्षण रिपोजिटरी की सापेक्षिक नमी तथा तापमान इलैक्ट्रिशियन द्वारा प्रतिदिन दर्ज किया जाता है और कोई बड़ी समस्या हो तो एनबीपीजीआर के तकनीकी कार्मिकां के संज्ञान में लाया जाता है। डीयूएस परीक्षण नमूनों की पैकेजिंग, सीलिंग तथा प्रोसेसिंग हेतु प्राधिकरण के कार्मिकां को तकनीकी सहायता समय—समय पर दी जाती है। मध्यम अवधि भंडारण के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के अनुमोदित बीजों तथा डीयूएस परीक्षण / ग्रो आउट टेस्ट के लिए किस्मों के बीज नमूनों को भंडारित किया जाता है। किसी भी स्व स्थाने जननद्रव्य बैंक की तुलना में अधिदेशित गतिविधियां जैसे मध्यम अवधि के अंतर्गत भंडारण, सीड हैंडलिंग, रिपैकेजिंग, डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में प्रक्षेत्र परीक्षण हेतु प्रेषण, बीज गुणवत्ता प्राचलों का मूल्यांकन तथा अन्य विधिक आवश्यकताओं का पालन जैसी अधिदेशित गतिविधियां उल्लेखनीय रूप से भिन्न हैं। पंजीकृत किस्मों के भंडारित बीजों को विवाद निपटान, कम्पलसरी लाइसेंसिंग तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य सभी पहलुओं के निपटान में भी उपयोग किया जा सकता है।

3.2.4.1 पंजीकृत किस्मों एवं डीयूएस रिपोजिटरी के बीजों का मध्यम अवधि भंडारण

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित 3335 किस्मों के बीज नमूनों को बीज भंडारण के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सीड कंबिनेट में रखा जा रहा है। इन्हें नियंत्रित जलवायुवीय परिस्थितियों के अंतर्गत 40° से. तापमान तथा $22 + 5\%$ सापेक्षिक नमी के अंतर्गत रखा जाता है ताकि लंबी अवधि तक इनकी व्यवहार्यता बनी रहे। पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों को संरक्षण अवधि तक भंडारित किया जाता है और निर्धारित समय अंतराल पर इनकी व्यवहार्यता की जांच फसल विशिष्ट मानकों एवं आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। डीयूएस टेस्ट रिपोजिटरी में विभिन्न श्रेणियों की किस्मों के कुल 6563 बीज नमूनों को भंडारित किया गया है।

3.2.4.2 डीयूएस परीक्षण के अधीन किस्मों के बीजों का अल्पावधि भंडारण

मध्यम अवधि भंडारण एवं डीयूएस रिपोजिटरी के अंतर्गत राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों की प्रगति

क्र. सं.	फसलें	डीयूएस टेस्ट रिपोजिटरी (एसटीएस)					मध्यम अवधि के लिए भंडारण					सकल योग (क+ख)	
		(डीयूएस परीक्षण के लिए प्रत्याशी किस्में)					(4°से.)						
		बीज प्राप्ति (क)					जारी किए गए प्रमाणपत्र (ख)						
		नई	वीसीके + ईडीवी	किसान	विद्यमान अधिसूचित	कुल (क)	नई	वीसीके + ईडीवी	किसान	विद्यमान अधिसूचित	कुल (ख)		
1	चपाती गेहूं	20	7	99	12	138	25	5	12	135	177	315	
2	बैंगन	111	91	74	4	280	5	21		11	37	317	
3	बंद गोभी	17	1			18				1	1	19	
4	अरंडी	5	3	5		13	2	1		5	8	21	
5	फूल गोभी	37	11	12	1	61	1			3	4	65	
6	काबूल चना			59	1	60	2		2	46	50	110	
7	कपास	387	188 156	1	11	743	74	126+1	1	79	281	1024	
8	फ्रैंच बीन			4		4						4	
9	मटर	3	2	69	2	76				27	27	103	
10	हरा चना	4	1	42	2	49		1	2	30	33	82	
11	मुँगफली	3		18		21				34	34	55	
12	पटसन	8	1	4		13	6			11	17	30	
13	मसूर			52		52				12	12	64	
14	अलसी			45	2	47				5	5	52	
15	मक्का	248	38	220	7	514	95	48	6	74	222	736	
16	सरसों	12	8	55	2	77	3	12	6	51	72	149	
17	भिंडी	65	38	16	2	121	8	12		15	35	156	
18	प्याज	3	11	5	1	20				8	8	28	
19	बाजरा	131	25	16	6	178	43	30		49	122	300	
20	अरहर	13	2	158	3	176	8	2	7	20	37	213	
21	तोरिया			18	1	19			5	13	18	37	
22	चावल	269	32+2	2184	35	2522	89	46	1474	179	1788	4310	
23	कुसुम	1		1	2	4				6	6	10	
24	तिल			58	3	61			1	8	9	70	

25	ज्वार	56	8	57	2	123	57	36	4	37	134	257
26	सोयाबीन	3		21	4	28	2	1		29	32	60
27	सूरजमुखी	63	7			70	28	17		10	55	125
28	टमाटर	104	78+3	17	7	209	11	17		10	38	247
29	उड्ड	1	1	100	2	104			1	19	20	124
30	राजमा			20		20		2		8	10	30
31	धनिया	1		26		27						27
32	करेला	12	19	11		42						42
33	कुमङ्गा			26		26				3	3	29
34	लौकी	7	8	40		55				4	4	59
35	खीरा	7	15	14		36				2	2	38
36	जौ	3	5	25	3	36		1		14	15	51
37	मेथी			9		9						9
38	तरबूज	4	6			10						10
39	खरबूजा	4				4				2	2	6
40	रागी			29	5	34				5	5	39
41	मङ्गुआ			21		21				1	1	22
42	मिर्च	89	96	14	6	205				7	7	212
43	तुरश्च	1		18		19				1	1	20
44	सब्जी चौलाई			3		3				1	1	4
45	स्पाइनक बीट										1	1
46	लीटल मिलेट			75		75				1	1	76
47	ईसबगोल			1		1						1
48	बार्नयार्ड मिलेट			35		35						35
49	शरीफा			1		1						1
50	अनाज चौलाई			1		1						1
51	कोदो मिलेट			95		95						95
52	कुल्थी			1		1						1
53	गँदा			3		3						3
54	पपीता			1		1						1
55	पेरिल्ला			1		1						1
56	स्पाइडर फ्लावर (सेलोम विस्कोसा)			1		1						1
	कुल	169 2	863	3881	126	656 2	45 9	379	1521	976	333 5	9897

3.2.4.3 पंजीकृत किस्मों की व्यवहार्यता एवं नमी की मात्रा की निगरानी

पीपीवी एवं एफआरए के जीन बैंक में भंडारित 599 पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों को अनाज एवं फलियों के लिए 5 वर्षों के बाद तथा तिलहनों के लिए तीन वर्षों के बाद परीक्षण किया गया।

फसलें	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निगरानी की गई किस्मों की संख्या	अंकुरण स्तर	नमी का स्तर
चावल	146	0-100	5.39-16.52
ज्वार	18	30-100	6.55-13.63
मक्का	63	0-100	5.33-13.86
चपाती गेहूं	34	84-100	6.21-11.03
बाजरा	45	18-100	7.47-12. 99
काबूली चना	15	94-100	8.31-14.08
अरहर	5	58-100	9.99-12.42
उड्ड	01	96	10.78
मूँग	01	86	10.35
कपास	84	30-100	4.71-12.28
पटसन	04	66-94	9.32-13.16
फूल गोभी	02	52-100	9.83-10.25
बैंगन	01	76	10.06
अरंडी	06	78-98	4.92-5.96
अलसी	03	58-100	6.76-7.53
तिल	02	0-98	5.25-6.26
तोरिया	04	100-100	5.73-6.91
सूरजमुखी	62	18-100	4.43-11.12
सोयाबीन	15	74-98	6.5-11.12
कुसुम	06	70-100	6.31-7.90
मंगफली	28	20-100	5.04-8.51
भारतीय सरसों	54	8-100	4.89 8.45

3.2.4.4 बीज मानक

क्र.सं.	फसल	अधिसूचना की तारीख	बीज आवश्यकता	अंकुरण %	नमी %	परिशुद्धता %	अस्थायी मौसम – डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने का माह	बीज पैकेट का निर्धारित आकार (मि.मी.)
1	चावल (ओराइज़ा सेटाइव एल.)	1/11/06	3000	1500	80	11.12 %	98	खरीफ : मार्च- अप्रैल 230x300
2	चपाती गेहूं (ट्रीटिक्स ऐस्टीवम एल.)		3000	1500	95	8-9%	98	रबी अगस्त 230x300
3	मक्का (जी मेज एल.)		3000	1500	80(इनब्रेड / ऐसरीएच) 90(कि. / डीसीएच))	8-10%	98	खरीफ-मार्च-अप्रैल रबी-अगस्त 230x300
4	ज्वार (सोरगम बाइकलर) (एल.) मोइच		3000	1500	80(इनब्रेड / ऐसरीएच) 90(कि. / डीसीएच))	10-12%	98	खरीफ-मार्च रबी-अगस्त 230x300
5	बाजरा (ऐनिसिटम र्लाउकम) (एल. आर.बीआर)		1000	500	80 (इनब्रेड/ ऐसरीएच) 90 (कि. / डीसीएच))	10-12%	98	खरीफ मार्च 165x220

6	चना (साइर्सर अराइटिनम एल.)	2000 (देशी) 3000 (काबुली)	लागू नहीं	80	8-9%	98	खरीफी अगस्त	230x300
7	मूंग (विग्ना रेडियाटा) (एल.) विल्वजेके	1000	लागू नहीं	80	8-9%	98	खरीफी-मार्च	230x300
8	उड़द (विग्ना मुंगो) (एल.) हेप्पर	1000	लागू नहीं	80	8-9%	98	खरीफी-मार्च	165x220
9	मटर (पाईसम सेटाईवम) एल.)	2000	लागू नहीं	80	8-9%	98	खरीफी अगस्त	230x300
10	राजमा (फासेओलस वलगोरिस एल.)	3000	लागू नहीं	80	8-9%	98	जून-जुलाई	230x300
11	मसूर (लैंस क्यूलिनोरिस मेडिक)	1000	लागू नहीं	80	8-9%	98	खरीफी अगस्त	230x300
12	अरहर (क्रोजेनस कजान एल.) मिलस्प.)	2000	1500	80	8-9%	98	खरीफी-मार्च	230x300
13	कपास (गोसीषीयम हिरस्टम एल.)	2000	1000	75	10	98	खरीफी-उत्तरी-फरवरी प्रायद्वीपीय-दक्षिण मई	230x300
14	कपास (जी. बारबेडेनस एल.)	2000	1000	75	10	98	खरीफी-उत्तरी-फरवरी प्रायद्वीपीय-दक्षिण मई	
15	कपास (जी. अरबोरियम एल.)	1500	750	75	10	98		
16	कपास (जी. हर्बेसियम एल.)	1500	750	75	10	98		
17	पटसन (कोरकोरस कौमुलारिस एल.)	1000	500	85	9	97	जनवरी की शुरुआत में खरीफ से पहले	165x220
18	पटसन (कोरकोरस ओलिटोरियम एल.)	1000	500	85	9	97	जनवरी की शुरुआत में खरीफ से पहले	
19	गन्ना (सेक्रेम एल.)	31/12/07	400 एकल कली सेट					
20	अदरक (जिंजिबर औफिसाइनल रोस्क)		5000 ग्रा (स्वच्छ एवं संपूर्ण प्रकंद प्रत्येक का भार 25-30 ग्रा, 150 प्रकंद)					
21	हल्दी (कुरुकुम्मा लॉग एल.)		6 कि.ग्रा. (स्वच्छ एवं संपूर्ण ताजे 35-40% नमी की मात्रा)					
22	भारतीय सरसों (ब्रासिका जूनसिया एल. सीजर्न एंड कॉस)	500	250					
23	करन राई (ब्रासिका करिनाटा ए ब्रौन)	500	250					
24	तोरिया-सरसों (ब्रासिका राधा एल.)	500	250	85	8	98	अगस्त-सितंबर	165x100
25	गोभी सरसों (ब्रासिका नापस एल.)	500	250					

26	मूंगफली (अराचिस हार्डपोजिया एल.)	30/04/10	3000 (स्पेनिश एवं वेलेसिया) 8000 (कर्टेन) विरगिनी, गुच्छे एवं रन्नर प्रकार का	1500 4000	80	9	98	खरीफ : मई—जून रबी : अगस्त—सितंबर	300x450
27	सोयाबीन (ग्लाइसिन मैक्स (एल.) मेरिल)		3000	---	70	9	98	अप्रैल—मई	230x300
28	सूरजमुखी (हेलिएथस अनुस एल.)		3000	2000	70	9	98	जुलाई—अगस्त	230x300
29	कुसुम (कारथामस टिक्टोरियस एल.)		3000	1500	80	9	98	जून—जुलाई	230x300
30	अरंडी (सिकिनस कोम्फ्युनिस एल.)		6000	2500	70	10	98	अप्रैल—मई	300x450
31	तिल (सेसामस इंडिकम एल.)		500	250	80	9	97	अप्रैल—मई	165x100
32	अलसी (लिनस यूसिटाटिससिम एल.)		500	250	85	9	98	जुलाई—अगस्त	165x100
33	काती भिरच (णाडपर निगरम एल.)		जड़युक्त कतरने 40						
34	छोटी इलायची (इलेटारिया कारभामोम मातोने)		50 अंकुर						
35	टमाटर (लाइकोपर्सीकोन लाइकोपर्सिकम (एल.) कार्सटेन एक्स. फारव.)		15 खुले क्षेत्र 8 ग्रीन हाउस	वही	85	8	98	अप्रैल—मई	165x100
36	बैंगन (सोलानम मेलोनजिना एल.)		15 खुले	15 खुले	85	8	98	अप्रैल—मई	165x100
37	भिंडी (अबैलमोस्क्स स्कूलेंट्स) (एल.) मोइचा.)		200	.					
38	फूलगोभी (ब्रासिका ओलेरासिया एल.वार. बोट्राइटिस)		15	15	*	*	*	अप्रैल—मई	165x100
39	गोभी (ब्रासिका ओलेरासिया एल.वार.कैपिटाटा)		15	15	*	*	*	अप्रैल—मई	165x100
40	आलू (सोलानम टूबरोसम एल.)		300 पूर्ण रूप से परिपक्व कंद (कंद का आकार 3.5 से 5.0 से.मी. के बीच)						
41	प्याज (एलियम सिपा एल.)	02/12/10	100 1200 बल्बलेट (मल्टीप्ला इर) 50 बल्ब (एमएस लाइन्स)	50	70	*	*	संबंधित बुवाइ के मौसम के अनुसार	
42	लहसुन (एलियम स्टाइर्वम एल.)		2000 वयाबल क्लोव	--	*	*	*	अगत -सितं बर	-
43	गुलाब (रोजा एसपीपी) (आर. दामारेना)		9 कलम बनाए गए/ कलमयुक्त पौधे						
44	क्राइस्टेमम (क्राइस्टेमम एसपीपी)		मदर प्लॉट से लिए गए 100 दो गांठ वाले टर्मीनल जड़युक्त कतरन						
45	आम (मैंजीफेरा इंडिका एल.)		14 ग्राप्ट प्लॉट	-					
46	झुरम गेहूं (ट्रीटिकम झुरम डेस्फ.)		3000	1500	95	8-9%	98	गेहूं के समान	230x300

47	डिकोकम गेहूं (ट्रीटिक्ट डिकोकम एल.)	18/08/11	3000	1500	95	8-9%	98	गेहूं के समान	230x300
48	अन्य ट्रीटिकम प्रजातियां		3000	1500	95	8-9%	98	गेहूं के समान	230x300
49	इसबागोल (प्लांटेगो ओवाटा फोरस्क)		250	.	95	8-9%	98		
50	मेन्थोल पुदिना (मेन्था अर्वेन्सिस एल.)		5 कि.ग्रा. अंकुर (10-15 से.मी. लम्बे)						
51	दमस्क रोज (रोजा भासासेना मिल)		100 कतरने						
52	सदाबहार (कैथेरेंथस रोजस एल.)		10 ग्र.						
53	ब्रह्मी (ब्राकोपा मोनियरी एल. पेनल)	27/03/12	500 कतरने (स्वच्छ और स्वस्थ वनस्पति भागों 10-15 सेमी. लंबा)						
54	नारियल (कोकोस न्यूसिफेरा एल.)		मानक गमला मिश्रण वाले पॉलीबैग में उगाए गए एक वर्ष आयु के नवोदयित पौधे संख्या में 30						
55	ऑर्किड (समाविडियम एसडब्ल्यू)		20 पौधे (प्रत्येक केन्द्र के लिए 10) कम से कम दो सूड़ों-बल्बों तथा एक बैकबल्ब के साथ। आयु 3-4 वर्ष						
56	ऑर्किड (देन्द्रोवियम एसडब्ल्यू)	27/03/12	कम से कम 20 कलियों वाले 20 पौधे (प्रत्येक केन्द्र के लिए 10)। आयु 2-3 वर्ष						
57	ऑर्किड (वंदा जोनेस एक्स आर. बीआर)		20 पौधे, आयु 2-3 वर्ष						
58	अनार (पुनिका ग्रानाटम एल.)	15/04/14	10 प्रोपाग्युलेस (प्रजनक), एक वर्ष आयु के, एयर लेयरिंग या जड़युक्त तना कतरनों से उगाए गए (एक ही वृक्ष से गुणित) या प्रत्येक रसान के लिए ऊतक सर्वधिन से उगाए गए पौधे						
59	ऑर्किड (क्रेटलया लिंडले)		कम से कम 2 टहनी के साथ दो या तीन वर्ष पुराने 20 पौधे						
60	ऑर्किड (फैलोनोसिस ब्लूम)		पुष्पण योग्य 20 पौधे						
61	कसुरिना (कैमुरीना इक्वीसेटीफॉलिया एल.)		50 जड़युक्त कतरने (कम से कम 3 माह आयु वाले), कॉलर से एपीकल टिप लम्बाई न्यूनतम 20 से.मी. तथा पूर्ण रूप से विकसित जड़ प्रणाली						
62	कसुरिना (कैमुरीना जुधुहनियाना मिक्र.)		300 ग्रा. या 1500 की सं.	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
63	करेला (मोमोरडिका चरेनटिया एल.)		250 ग्रा. या 1500 की सं.	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
64	लौकी (लैग्नेरिया साइसेरेया (मोल) रैट्न्डल)	15/04/14	50 ग्रा. या 1500 की सं.	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
65	खीरा (क्यूक्यूमिस सेटिवस एल.)		200 ग्रा. या 1500 की सं.	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
66	कददू (कुकुरबिटा मॉर्स्केटा डच. एक्स पोयर)	15/04/14	1500	1000	95	8	98	अगस्त- सितं बर	230x300
67	जौ (होर्डेयम वल्नोरे एल.)		250	.	80	8- 9%	98	अगस्त- सितं बर	165x100
68	धनिया (कारिंड्रम सेटिवम एल.)		250	.	80	8- 9%	98	अगस्त- सितं बर	165x100
69	मेथी(ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेएक्म एल.)		250	.	80	8- 9%	98	अगस्त- सितं बर	165x100
70	बादाम (प्रूनस डलसिस (मिल.) डी.ए. वेब)		10 कलम लगाए गए या कलमयुक्त पौधे						
71	सेब (मेलस जोमेरिटिका बॉम्ब)		6 कलम लगाए गए और कलमयुक्त पौधे						

72	नाशपाती (पागरेस कम्पनिस एल.)		6 कलम लगाए गए और कलमयुक्त पौधे
73	खुबानी (प्रूनस अर्मेनियाका एल.)		10 कलम लगाए गए और कलमयुक्त पौधे
74	चेरी (प्रूनस एवियम एल.)		
75	अखरोट (जुगलांस रेगिया एल.)		
76	अंगूर (विटिस प्रजाति)		प्रत्येक स्थान के लिए (एक वर्ष पुराने) कलम लगाए गए 12 पौधे
77	भारतीय जुजुबे (बेर) (जिजिफस मौरियाना लैम्फ)		प्रत्येक डीयूएस सेंटर के लिए 7 पौधे (न्यूनतम 3 माह आयु वाले)
78	यूकलिप्टस (यूकलिप्टस क्रेमलुलनसिस देहन्दे)		कम से कम 6 माह की आयु के 60 जड़युक्त पौधे (पौधे 250 सीसी के रुट ट्रेनर में होने चाहिए)
79	यूकलिप्टस (यूकलिप्टस टेरेटिकोर्निस एसप्प)		
80	चाय (कैमेलिया सिनेसिस एल.)	16/10/2014	
81	चाय (कैमेलिया सिनेसिस एल.)		75 पौधे (15–18 इच लंबे), युवा पौधे अपनी स्वयं की जड़ के साथ
82	चाय (ची, एसेमिका लासियोकैलिक्स)		
83	अम्लीय चूना (सिट्रस औरेटिफोलिया स्क्रीगल)		
84	मंडारिन (सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लाका)		प्रत्येक डीयूएस सेंटर के लिए 10 पौधे। आयु 6 माह के ऊपर होनी चाहिए।
85	मौसमी (सिट्रस सिनेसिस (एल.) ओरचेक		
86	बोगनविलिया (बोगनविलिया बोकसियिसिया क्रोमाक्स)एक्स जस		10 अच्छी जड़ वाले और खापित पौधे
87	फेला (न्यूसा प्रजाति)		प्रत्येक स्थान में एक सबमिशन में 40 समान ऊतक सर्वोर्धित पौधे
88	आॉकिंड (ओसिडियम एसडब्ल्यू)		कम से कम 2 सूडो-बल्ब / शूट वाले 2–3 वर्ष आयु के 20 पौधे
89	भांग (कन्ना एल.)	21/01/2015	20 तरुण पौधे या 20 परिषक व प्रकंद
90	रेलेडियोलस (रलाइडियोलस एल.)		30 घनकंद (4–4.5 से.मी. व्यास वाले)
91	खरबूजा (क्यूक्यूमिस मैल्ड एल.)		खुले क्षेत्र में खेती के लिए 100 ग्रा., 20 जड़युक्त पौधों पर खुले क्षेत्र में खेती के लिए 150 ग्रा. बीज
92	तरबूज (सिटुलस लानाटस (थुन्ब) मैस्फ		
93	चमेली (जैसमिनम औरिकुलेटम एल.)		
94	रजनीगंधा (फॉलिएथेस द्यूबरेज एल.)		2 से.मी. से अधिक के 75 बल्ब (अधिकतम चौड़ाइ 'पर व्यास), भार 25–30 ग्रा.
95	पपीता (कैरिका पपाया एल.)	02/07/15	गइनोडियो सियस किस्मों के लिए 20 ग्रा तथा दोनों ऋद्धुओं में गइनोडियो सियस किस्मों के लिए 40 ग्रा.

96	चीन एस्टर (कैलिस्टेफस चाइनैसिस (एल) नीस)	2 ग्रा. प्रत्येक पैकेट में	-	60	6. 9%	98		
97	आङ्गू (पूनस पर्सिका एल. बाच)	10 कलम लगाए गए और कलमयुक्त पौधे						
98	जापानी बेर (पूनस सेलिसिना एल.)	11 कलम लगाए गए और कलमयुक्त पौधे						
99	स्ट्रावेरी (फ्रैगेरिया एक्स एन्नासन डच.)	120 रन्नर या प्लांट प्रोपुग्युलेस या नवोदभिद पौधे (4-5 पत्तियों की अवस्था में सुदृढ़ किए गए ऊतक सर्वोर्धम पौधे)						
100	मिर्च, शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च (कैप्सीकम अन्तुम एल.)	खुले परागन के लिए 15 ग्रा. तथा संकर एवं पैतृक वशिक्रमों के लिए 10 ग्रा.	-	85	8	98		
101	कुट्टू (एल्ट्रसीन कोराकाना (इल) गार्टन.)	250 ग्रा. एवं 10 पुष्प-गुच्छ	-					
102	कंगनी (सेटारिया इटालिक)	250 ग्रा. एवं 10 पुष्प-गुच्छ	-					
103	सब्जी चौलाई(एमरेंथस ट्राईक्लर एल.)	150 ग्रा. (केवल एक प्रस्तुति में)		80	<8 %	98		
104	तुरई (लुफका एक्यूटेंगुला (एल.) रोकसब.)	250 ग्रा. एवं 1500 बीज (केवल एक प्रस्तुति में)		80	<8 %	98		
105	पालक बीट (बीटा वल्नोरिस किरम बैंगलोंसिस रॉकसब)	250 ग्रा. (केवल एक प्रस्तुति में)		80	<8 %	98		
106	गुलनार (डिआनथस कैरियोफाइलस एल.)	जड़ वाली 150 कतरन						
107	ऑर्किड (ऐफियोपेडिलम किटज)	प्रत्येक केंद्रों के लिए 10 पौधे						
108	नौनी (मोरिंडा सिस्ट्रिफोलिया एल.)	प्रत्येक स्थान के लिए 10 कलम लगाए गए और कलमयुक्त पौधे						
109	बेल (एड्स्ले मार्मलॉस) (एल.) कोरिया)	प्रत्येक केंद्रों के लिए 5 पौधे						
110	जामुन/ काले बेर (सिजिजियम क्यूमिनी)(एल.) स्टीलस	प्रत्येक स्थान के लिए 7 कलम						
111	जायफल (माइसिटिका फ्रैंगरास हॉट)	प्रत्येक स्थान के लिए लगाए गए पौधे और 10 कलम।						
112	चमेली/ मोगरा (जेर्सीनम सेन्सेक एल.)	प्रत्येक स्थान के लिए 20 जड़युक्त पौधे						
113	शरीफा / सीताफल (एन्नोना स्क्वेमोसा एल.)	8 कलम						

114	कालमेघ एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा (वर्म.एफ.) वाल. एक्स नीस		30 ग्रा.		95%	8-9%	98		
115	नीम (एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस.)	12/05/ज ड17	60 से.मी. ऊचाई वाले 40 क्लोनल जड़युक्त पौधे						
116	करंजी (पोंगामिया पिन्नाटा) (एल.) पियरे.		60 से.मी. ऊचाई वाले 40 क्लोनल जड़युक्त पौधे						
117	भारतीय करौदा (एम्बिलिका ओफिसिनलिस गेट्टर्न.)		03-04 माह पुराने पौधे						
118	पान (पाइपर बीटल एल.)		25 से.मी. के 3 माह आयु वाले जड़युक्त कतरन टर्मीनल शूट						
119	मैदा (टैगेटस उपप्रजातियां)		10 ग्रा वाल	10 ग्रा. बीज					
120	अमरुद (सिशियम गुआजावा एल.)		प्रत्येक स्थान के लिए 10 कलम/वातायन						
121	लिची (लिची चिनेनसिस सोन.)		प्रत्येक स्थान के लिए 7 वातायन						
122	देवदार (सेंड्रस डियोडारा (रोक्व.) जी.डोन		5 पेड़						
123	चीड़ पाइन (पिनस रोक्सबुर्झी) सारगेट		5 पेड़						
124	शहतूत (मोरस उपप्रजातियां)		50 तना कतरन						
125	चमेली (जैस्मीनम मल्टीफ्लोरम एल.)		6 माह आयु वाले पूर्ण जड़युक्त 20 पौधे						
126	बकवीट (फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटम)		500 ग्राम	80%		98%			
127	बकवीट (फैगोपाइरम टैटारिकम)		500 ग्राम	80%		98%			
128	अनाज अमर्श (एमरेथस हाइपोकार्न्डीकस)		50 ग्राम	80%		98%			
129	अनाज अमर्श (एमरेथस क्रूएन्टस)		50 ग्राम	80%		98%			
130	अनाज अमरंथ (ए कॉउटस)		50 ग्राम	80%		98%			
131	अनाज अमरंथ (एमरेथस इडुलिस)		50 ग्राम	80%		98%			
132	फावा बीन (विकिया फावा एल. वार. मैजर हार्ज)		150 ग्राम	70%	9% त क	98%			
133	हाथी पैर रतानु (अमारफोफेलस पियानीफोलियस)		प्रत्येक 200-400 ग्राम की 36 कंद						
134	टारं (कोलोकासिया इस्कूलेंटा वार. इस्कूलेंटा, कोलोकासिया इस्कूलेटा वार. एटोक्वारम कोलोकासिया इस्कूलेंटा वार स्टोलोनीफरम)		प्रत्येक 30-40 ग्राम की 36 कंद						

135	बड़ दलदली कचालू (क्राइस्टोस्पर्मा चमिशनइस/ सी. मेरठुसी)											
136	जटरोफा (जटरोफा कर्कस एल.)											
137	बानर्यार्ड बाजरा (इक्वीनोकलोआ फ्रॅंटटासीए) (रीवर.) लिंक)											
138	कोदो मिलेट (पास्यालम रक्कीर्बिंकुलेटम एल.)											
139	तिलिल मिलेट (ऐनीकम सुमाट्रेस रोथ. एक्स. रॉमर और स्कूलेट्स)											
140	प्रोसो मिलेट (ऐनीकम मैलियासियम एल.)											
141	काजू (एनाकार्डियम ओक्सीडेंटल एल.)	23/10/2017										
142	सुपारी (एरिका केटिक्स एल.)											
143	चिरोंजी (बुकानेनिया लेंजन सप्रेंज)	09/01/2018										
144	झमली (टैमरिंड सइंडिका एल.)											
145	शाकरकंद (इपोमोइया बटाटासी) (एल.) लाम.											
146	कसावा (मानीहोटेसकूलेंटा क्रैंपेंज)											
147	पोपलर (पॉपुलस डेल्टोइडस एल.)											

3.3. डीयूए केन्द्रों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक और परियोजनाएं

जनवरी 15-17, 2018 के दौरान भाकृअनुप-आईआईएसआर, लखनऊ में 12वीं डीयूएस समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। लगभग 80-100 वैज्ञानिकों / नोडल / सह-नोडल अधिकारियों, अनुसंधान विद्वानों, निजी बीज उद्योग के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। तकनीकी कार्यक्रम को 9 सत्रों में बांटा गया था और एक सत्र प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। सत्र-वार सिफारिशें नीचे दी गई हैं:-

प्रथम दिन : 15 जनवरी, 2018

- ❖ प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कृषकों से प्राप्त बीज रोगमुक्त हो और डीयूएस केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में व्यवहार्य बीज भेजे जाएं।
- ❖ सभी केन्द्र पहले मौसम में एक सीमित परीक्षण भूखंड में कृषकों की किस्मों के बारे में बताएंगे और पहले मौसम के आंकड़ों से निर्धारित की गई संदर्भ किस्मों से दूसरे मौसम में डीयूएस परीक्षण करेंगे।
- ❖ जब तक कि किसी प्रबल किस्म का निर्धारण नहीं कर लिया जाता तब तक कृषकों की किस्मों में उपजातीय / प्रजातीय स्तर के मिश्रण को अलग रखा जाएगा तथापि, कोई चयन नहीं किया जाएगा।

- ❖ सोयाबीन में पूर्वोत्तर से कृषक किस्मों का उनके तापीय-संवेदनशीलता की वजह से पूर्वोत्तर एआईसीआरपी केन्द्र में परीक्षण किया जाएगा, उप-उष्टकटिबंधी स्थितियों में लक्षणों की समुचित अभिव्यक्ति संभव नहीं है।
- ❖ प्राधिकरण यूएस, धारवाड़ में लैथाइरस परियोजना में हुई प्रगति की समीक्षा करेगा क्योंकि यह सामान्य रूप से लैथाइरस उगाने वाला क्षेत्र नहीं है।
- ❖ मक्के में विद्यमान दिशानिर्देशों को संशोधित किए जाने की जरूत है और कार्य शुरू करने के लिए टीएफ का गठन किया जाएगा।
- ❖ केन्द्र हमेशा आरएचएस रंगीन चार्ट का इस्तेमाल करेगा। रंग के लक्षणों को दर्ज करने के लिए चार्ट में संख्या अंकित करेगा।

दूसरे दिन : 16 जनवरी, 2018

- ❖ कपास के मामले में, या तो बायोऐसे या एलिसा ही जीन अभिव्यक्ति की पुष्टि कर सकता है, डीयूएस परीक्षण फीस टिलीज किए जा सकते हैं, डीयूएस दिशानिर्देशों में संशोधित किया जा सकता है।
- ❖ प्राधिकारण डीयूएस प्रक्रियाविधि में निपुण उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ में निगरानी दल का गठन करेगा।
- ❖ अलग-अलग डीयूएस केन्द्रों में संपोषण प्रजनन के अंतर्गत रखी गई किस्मों के डाटाबेस प्राधिकरण को भेजे जाएंगे।
- ❖ गन्ने में कृषकों की अनेक किस्में ऑफिसिनेरम प्रजाति से हैं और उनका दक्षिण भारतीय स्थितियों में परीक्षण किया जा सकता है क्योंकि आईआईएसआर, लखनऊ केन्द्र (उप-उष्टकटिबंधी स्थिति) में उपयुक्त संदर्भ किस्में उपलब्ध नहीं हैं।
- ❖ प्राधिकरण ऑन साइट डीयूएस परीक्षण की कार्यपद्धति और कामकाजी दिशानिर्देश की समीक्षा करने के लिए टीएफ का गठन कर सकता है।
- ❖ कटहल के मामले में यह सुझाव दिया जाता है कि एचएआरपी/एनबीपीजीआर, रांची की मदद से डीयूएस दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए और पूर्वी क्षेत्र के लिए सीआईएसएच मालदा केन्द्र का निर्धारण किया जा सकता है जिससे कि पूरे भारत में विविधता का पता लगाया जा सके।
- ❖ भारत की स्थानिक प्रजातियों में भारत के सभी भागों में व्याप्त लैण्डरेसेज, परिवर्तनशीलता को लिखित रूप देने के लिए विशेषज्ञों का कोर समूह बनाए जाने की जरूरत है।
- ❖ अनेक फलीय फसलों में, डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदकों द्वारा मानक प्रकंदों का उपयोग किया जाएगा।
- ❖ यह सलाह दी जाती है कि एफजीबी विनिर्दिष्ट फसल प्रजातियों में बताए गए कार्यकलाप करते रहेंगे; वे कृषकों को उनके विनिर्दिष्ट क्षेत्रों किस्मों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- ❖ कतिपय दिशानिर्देशों अर्थात् मिर्च में पुरुष निर्जीवाणुता लक्षणों को शामिल किया जा सकता है और प्राधिकरण जैव/अजैव प्रभाव को झोलने वाले लक्षणों को शामिल करने वाली व्यवस्था का निर्धारण करेगा। तथा आण्विक चिन्हों के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा।
- ❖ उपयुक्त टीएफ तैनात करके गन्ना, दलहन, टमाटर, बैंगन, भिंडी जैसे कर्ड डीयूएस दिशानिर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।
- ❖ डीयूएस केन्द्र फॉर्मेट के अनुसार ऑकड़े दर्ज करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आंकड़ों को दिशानिर्देशों के अनुसार दर्ज किया जाए तथा प्राधिकरण को भेजे गए आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेंगे।
- ❖ प्राधिकरण तत्काल इंडुस डाटाबेस तैयार करेगा/इन्हें अद्यतन बनाएगा, ई-शासन और ऑन-लाइन फाइलिंग शुरू करेगा; फरवरी, 2018 समाप्त होने से पूर्व ईडीवी के विशय में बैठक आयोजित की जाएगी।
- ❖ प्राधिकरण सब्जी फसलों से संबंधित मुददों पर चर्चा करने, भागीदारी के लिए दूसरे कुछ केन्द्रों को आमंत्रित करने, डीयूएस परीक्षण प्रक्रिया विधि को समझने और जानकारी साझा करने के लिए आईआईवीआर में विशेष बैठकों आयोजित करेगा।

- ❖ पासपोर्ट डाटा के पीवीजे प्रकाशन में 90 दिनों की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बाद भी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब; नवीकरण का अधिक शुल्क ; फास्ट्रैक ईडीयू आवेदन और संदर्भ किस्म के आंकड़ों को आदान-प्रदान के बारे में बीज उद्योग की ओर चिंता व्यक्त की गई थी। यह जानकारी दी गई थी कि नवीकरण के अधिक शुल्क के मामले पर प्राधिकरण में चर्चा की गई और अंतिम निर्णय अभी प्राप्त होने हैं।
- ❖ प्राधिकरण ने अनुदान-पूर्व आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक माह पीवीजे के ऑन लाइन प्रकाशन की तारीख से 90 दिन गिनने का निर्णय लिया है।
- ❖ आवेदक मूल सामग्रियों के स्रोत और कामकाज के तौर-तरीकों का खुलासा करेंगे ताकि लाभवहन व्यस्थाओं को फलीभूत किया जा सके।
- ❖ प्राधिकरण प्रमुख फसल प्रजातियों के कृषि संबंधी और वणिज्यिक गुणावगुणों को तय करेगा और इन्हें पीवीजे में अधिसूचित करेगा।

तीसरे दिन : 17 जनवरी, 2018

- ❖ बीबीएसकेकेवी में गार्सिनिया की दोनों प्रजातियां शामिल होंगी और आईआईएसआर, कालीकट / एनबीपीजीआर-त्रिसूर की मदद से आंकड़े तैयार किए जाएंगे जिन्होंने पहले ही कम से कम निरूपक तैयार कर लिए हैं।
- ❖ समुद्री बकथॉर्न जैसी फसल प्रजातियों की महत्वपूर्ण किस्मों में उपयोगी गुणों के लक्षण वर्णन से डीयूएस दिशानिर्देशों का महत्व बढ़ जाएगा।
- ❖ कोई भी केन्द्र पीपीवी एवं एफआरए की लिखित अनुमति के बगैर किसी भी सार्वजनिक बैठक / कार्यशाला के दौरान डीयूएस परीक्षण किए गए किसी भी प्रत्याशी किस्म के नाम / पावती सं. निष्पादन, डीयूएस परीक्षण ब्यौरों और पंजीकार का खुलासा नहीं करेगा।
- ❖ डीएसी एवं एफडब्ल्यू भारत सरकार के साथ किए गए पीपीवी एवं एफआरए के करार के अनुसार केन्द्र को समझौता ज्ञापन (संस्थान-वार) संपन्न करना होगा और इसे फरवरी के पहले सप्ताह तक पीपीवी एवं एफआरए के पास भेजना होगा।
- ❖ प्राधिकरण प्रारूप की प्रस्तुति की समयसीमा, टीएफ गढ़ना का सुझाव देने, स्केच, डाटाबेस जैसे किसी भी लंबित मामले को पूरा करने; गुणों की अभिव्यक्ति में नोट्स तैयार की मानक प्रक्रियानिधि तैयार करने एवं इनका अनुपालन करने; डीयूएस परीक्षण में एकरूपता। स्थायित्व के स्तर का निर्धारण करने जैसे अनेक मामलों का समाधान करने के लिए पिछले 2-3 वर्षों में दिशा-निर्देश तैयार करने वाले सभी केन्द्रों के साथ एक बैठक आयोजित करेगा।
- ❖ कुछ केन्द्र / परियोजनाओं ने निर्धारित स्लॉटों के बावजूद न तो तकनीकी प्रगति को दर्शाया था और न ही इस पर चर्चा की थी, जिस पर गंभीरता से विचार किया है और केन्द्र से अनुरोध किया जाता है कि एयूसी / एसओई के बारे में लिखित प्रस्तुति; तकनीकी प्रगति पीपीवी एवं एफआरए को तत्काल भेजे जाएं।
- ❖ एसकेएयूएस एवं टी से अनुरोध किया जाता है कि वे अन्य प्रजातियों (चावल, राजमा, सब्जियों) जहां कृषक किस्में एकत्र एवं प्रलेखित की जा सकती हैं, के बारे में जानकारी दें।
- ❖ एनएफजीटीबी से अनुरोध किया जाता है कि वे जे के पेपर द्वारा आवेदित एक यूकिलिप्ट्स प्रजाति के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एसओई प्रस्तुत करें और एनएयू नवसरी के साथ समन्वय करें।
- ❖ डीयूएस परियोजना के लिए, निदेशक, आईआईवीआर के परामर्श से नागालैंड विश्वविद्यालय में एक अतिरिक्त केन्द्र को शामिल किया जाएगा। (पेठा, चौ चौ, चिचिण्डा, कुंदरु)।
- ❖ सभी केन्द्र वर्ष 2012 से लेकर अब तक प्राधिकरण से प्राप्त चेकों और निधियों का ब्यौरा भेजेंगे।

अध्याय 4 : डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास एवं जननद्रव्य बैंकों की स्थापना

4. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

प्राधिकरण ने पंजीकरण कार्य को विस्तरित करने हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अनेक टास्क फोर्स समितियों का गठन किया। इनमें सम्मिलित फसलें चिनार, विल्लो सेलिक्स, चिराँजी तथा इमली, सहजन, बड़ा रतालू एवं याम बीन, टेक्टोना, मेलिया, बांस, खजूर और जई हैं। आयोजित बैठकों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

- दो फसलों जैसे चिराँजी (**बूचानानिया लंजन स्प्रेंज.**) तथा इमली (**टैमरिंडस इंडिका एल.**) के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु पीपीवी एवं एफआरए कार्यालय में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई।
- चिनार (**पोपुलस डेलटॉयडस एल.**) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 10 अगस्त, 2017 को टास्क फोर्स की बैठक की गई।
- विल्लो सेलिक्स (**सेलिक्स प्रजाति**) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 11 अगस्त, 2017 को टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई।
- बांस की दो फसल प्रजातियों जैसे भोलुका (**बंबुसा बालकोआ**) तथा काको बाह (**डेंड्रोकालामस हेमिलटानी**) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 27 सितंबर, 2017 को टास्क फोर्स की बैठक की गई।
- खजूर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु डॉ. एस. एन. पांडे, पूर्व सहायक महानिदेशक (बागवानी), भाकृअनुप की अध्यक्षता में दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को पीपीवी एवं एफआरए कार्यालय, नई दिल्ली के समिति कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।
- सहजन (**मोरिंगा ओलिफेरा लैम**) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 06 फरवरी, 2018 को टास्क फोर्स की बैठक हुई।
- जई (**अवेना सटीवा एल.**) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु डॉ. भागमल, पूर्व निदेशक, आईसीएआर—आईजीएफआरआई की अध्यक्षता में दिनांक 07 फरवरी, 2018 को पीपीवी एवं एफआरए कार्यालय में टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया।
- दो फसल प्रजातियों सागवान (**टेक्टोना ग्रांडिस**) तथा मेलिया (**मेलिया डुबिया**) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु पीपीवी एवं एफआरए कार्यालय में दिनांक 08 मार्च, 2018 को टास्क फोर्स की बैठक हुई।
- दो फसल प्रजातियों याम बीन (**पाचिरेहिजस इरेसुस**) तथा बड़ा रतालू (**डिसोर्कोरिया अलाटा**) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु पीपीवी एवं एफआरए कार्यालय में दिनांक 20 मार्च, 2018 को टास्क फोर्स की बैठक हुई।

4.1 ज्वार और बाजरा के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में संशोधन



पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली ने ज्वार एवं बाजरा के मौजूदा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों की समीक्षा एवं सामंजस्य के लिए पूर्व में डॉ. लक्ष्मीपति गौड़ा, सेवानिवृत्त उप महानिदेशक (अनुसंधान) इक्रीसेट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। पूर्व में आयोजित बैठकों की चर्चा के आधार पर मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधनों की समीक्षा एवं संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु 07 सितंबर, 2017 को आईसीएआर—आईआईएमआर, हैदराबाद में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉ. विलास टोनापी, निदेशक, आईसीएआर—आईआईएमआर—आईआईएमआर, हैदराबाद; डॉ. तारा सत्यवति, परियोजना समन्वयक (एआईसीपीएमआईपी)—आईसीएआर, जोधपुर; पीपीवी एवं एफआरए के पंजीकार डॉ. टी. के. नागरल्ला एवं श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार; आईआईएमआर के वैज्ञानिक, पीसी यूनिट तथा विभिन्न बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डॉ. बी. एस. राजपुरोहित (नोडल अधिकारी, डीयूएस परीक्षण, बाजरा) ने बाजरा में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने वर्ष 2008 से 2016 के दौरान



बाजरा के डीयूएस परीक्षण की स्थिति, डीयूएस परीक्षण की पद्धति, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण के लिए विवरणक गुणों तथा 29 जुलाई, 2015 को आईआईओआर, हैदराबाद में आयोजित प्रथम बैठक तथा पीसी यूनिट, बाजरा पर एआईसीआरपी, जोधपुर में 01 अक्टूबर, 2015 को आयोजित दूसरी बैठक में की गई चर्चाओं के आधार पर प्रस्तावित संशोधनों को पेश किया।

डॉ. हरप्रसन्ना के. (नोडल अधिकारी, आईआईएमआर, डीयूएस परीक्षण, ज्वार) ने पूर्व में आईआईएमआर, हैदराबाद में 23 सितंबर, 2015 को आयोजित बैठक में सहमति प्राप्त परीक्षण विलक्षणताओं के आधार पर ज्वार के संशोधित डीयूएस दिशानिर्देशों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सभा को सूचित किया कि एमपीयूए एवं टी, उदयपुर में 24–26 अप्रैल, 2016 के दौरान डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए की मौजूदगी में आयोजित वार्षिक समूह बैठक में एआईसीआरपी ज्वार के अनुसंधानकर्ताओं के समक्ष संशोधित दिशानिर्देशों को सुझाव एवं सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान दिशानिर्देशों में 33 विशेषताएं (15 आवश्यक, 9 विवरणात्मक तथा 11 अन्य विलक्षणताएं सम्मिलित हैं) सम्मिलित हैं जिनमें से 7 वीएस, 14 वीजी, 11 एमएस और एक विशेषता को एमजी के रूप में मूल्यांकित किया गया। संशोधित दिशानिर्देशों में 32 विशेषताएं होंगी जिनमें दो नई विलक्षणताएं तथा ज्वार के प्रकार के आधार पर दो अतिरिक्त विशेषताएं सम्मिलित हैं।

4.2 खजूर के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों पर टास्क फोर्स

खजूर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों पर चर्चा एवं अंतिम रूप देने हेतु डॉ. एस. एन. पांडे, पूर्व सहायक महानिदेशक (बागवानी), भाकृअनुप, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर, 2017 को पीपीवी एवं एफआरए कार्यालय, नई दिल्ली के समिति कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली के पंजीकार, संयुक्त पंजीकार, उप-पंजीकार तथा अन्य अधिकारी एवं आईसीएआर—सीआईएएच, बीकानेर के प्रधान वैज्ञानिकगण उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात मसौदा में सम्मिलित करने हेतु सुझाव दिए गए और यह सुझाव दिया गया कि इस टास्क फोर्स बैठक के दौरान दिए गए सुझावों को सम्मिलित करने के पश्चात डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अंतिम मसौदे को पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाए। आगे यह सुझाव दिया गया कि आईसीएआर—सीआईएएच, बीकानेर खजूर फसल के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

4.3 परियोजना मूल्यांकन समिति

क्र.सं.	परियोजना शीर्षक	प्रधान अन्वेषक का नाम एवं पता	अवधि	धनराशि	प्रारम्भ की तिथि
1	लोबिया के विभिन्न जननद्रव्य, रिलीज की गई किस्मों तथा स्थानीय किस्मों के उपयोग से डीयूएस गुणचित्रण	डॉ. एस. के. देशपांडे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, कृषि महाविद्यालय, यूएस, धरवाड़:580005	2 वर्ष	18 लाख	वित्तीय वर्ष 2016–17 (28.02.2017)
2	कद्दू वर्ग जैसे चौ—चौ, पेठा, चिचिण्डा एवं कुंदरी के डीयूएस परीक्षण दिशा निर्देशों का वैधीकरण।	डॉ. एस. पी. कनौजिया, एसोसिएट प्रोफेसर, बागवानी विभाग, एसएएसआरडी परिसर, मेड्जीफेमा, नागार्लैंड विश्वविद्यालय	2 वर्ष	18 लाख	वित्तीय वर्ष 2016–17 (01.03.2017)
3	ब्रोकोली के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	डॉ. प्रीतम कालिया, अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली—110012	2 वर्ष	18 लाख	वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.03.2016)

4	कुलथी, मोठ, ग्वारफली एवं लेथीरस के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	डॉ. पी. के. रॉय, वरिष्ठ वैज्ञानिक (पादप प्रजनन) एवं प्रधान अन्वेषक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर-342003	3 वर्ष	13 लाख	वित्तीय वर्ष 2014-15 (11.06.2014)
5	कुलथी, मोठ, ग्वारफली एवं नाइगर के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	डॉ. विजयकुमार ए. जी., वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), मुल्लाआरपी पर एआईसीआरपी, मुख्य कृषि अनुसंधान केन्द्र, यूएस, धरवाड़-580005, कर्नाटक	3 वर्ष	29.9 लाख	वित्तीय वर्ष 2014-15 (11.06.2014)
6	जम्मू एवं काश्मीर के समशीतोष्ण क्षेत्र के देसी केसर के डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रोत्साहित करने हेतु विवरणकों का विकास	डॉ. एस. ए. डार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी, केसर अनुसंधान केन्द्र, शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काश्मीर	2 वर्ष	18 लाख	वित्तीय वर्ष 2017-18 (15.02.2018)
7	भारतीय स्थितियों के अंतर्गत जैतून के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विवरणकों का वैधीकरण	डॉ. शिव लाल, (वैज्ञानिक, वरिष्ठ वेतनमान), बागवानी (फल विज्ञान), फल विज्ञान प्रभाग, भाकृअनुप-केन्द्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान	3 वर्ष	27 लाख	वित्तीय वर्ष 2017-18 (21.03.2018)

4.4 जारी परियोजनाएं

4.4.1 भाकृअनुप-केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, प्रादेशिक स्टेशन, विट्टल के 2017-18 के माइलस्टोन

- सुपारी के विशिष्ट जीनप्ररूप वाले प्रयोगात्मक भूखंडों से डीयूएस विशेषताओं को दर्ज करना।
- डाटाबेस की तैयारी हेतु सुपारी की सभी किस्मों से संबंधित डाटा का एकत्रीकरण।

4.4.1.1 उपलब्धियां :

वर्ष 2017-18 के दौरान डाटाबेस के विकास के लिए संदर्भ/उदाहरण किस्मों सहित सुपारी के 28 किस्मों/जननद्रव्यों के वयस्क ताड़ों में कुल 20 विशिष्ट आकृतिमूलक/जनन/गरी की विशेषताएं, जैसे क्राउन का आकार, पौधे की ऊँचाई, क्राउन की लंबाई, पत्ती की लंबाई, पत्ती की चौड़ाई, लीफ शीथ की लंबाई, लीफ शीथ की चौड़ाई, पुष्पवृत्तों की संख्या, स्पेडिक्स की लंबाई एवं चौड़ाई, ताजे फल का भार, फल की लंबाई, फल की चौड़ाई, सूखे फल का भार, गुठली (करनेल) की लंबाई, करनेल की चौड़ाई, सूखे करनेल का भार/ताड़, छिलके की मोटाई, सूखे छिलके का भार दर्ज किया गया। संदर्भ/उदाहरण किस्मों के विशेष गुणों, जैसे एरिकोलाइन कंटेंट एवं टेनिन्स (टोटल पॉलीफेनॉल्स) का आकलन कार्य प्रारंभ किया गया। डाटाबेस की तैयारी हेतु नोडल केन्द्र तथा सहयोगिक केन्द्रों से सुपारी के विभिन्न किस्मों के फोटोग्राफों को प्रलेखित किया गया। नोडल केन्द्र में डीयूएस उदाहरण/संदर्भ किस्मों का फोल्ड जीन बैंक स्थापित किया गया।

2018-19 के लक्ष्य

- सुपारी के विशिष्ट जीनप्ररूपों वाले वयस्क ताड़ों से डीयूएस विशेषताओं को दर्ज करना।
- डाटा का एकत्रीकरण एवं संकलन तथा डाटाबेस को अंतिम रूप देना।

4.4.2 भाकृअनुप—राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर

उद्देश्य

- i. काजू किस्मों का मूल्यांकन एवं सूचीकरण
- ii. विशिष्ट प्रकारों की पहचान एवं फील्ड जीन बैंक में संकलन
- iii. काजू के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास
- iv. रेफ्रेंस वैरायटी ब्लॉक की स्थापना



4.4.2.1 इस अवधि के दौरान किए गए कार्य

- जारी किए गए 42 किस्मों की 68 विशेषताओं के लिए गुणवित्रण किया गया और उनका रखरखाव काजू फील्ड जीन बैंक में किया जा रहा है।
- काजू जननद्रव्य प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली में 164 जननद्रव्य वंशक्रमों के पौधों के विभिन्न भागों के 1884 चित्र अपलोड किए गए।
- काजू में डीयूएस परीक्षण के लिए सामान्य प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।
- 30 संदर्भ किस्मों के कलमों को तैयार कर खेत में स्थापित किया गया।

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए परिकल्पित कार्य :

1. रेफ्रेंस वैरायटी ब्लॉक का रखरखाव
2. पीपीवी एवं एफआरए में आशाजनक किस्मों (विद्यमान एवं नई) के पंजीकरण हेतु प्रयास

संदर्भ किस्मों की सूची

एनआरसी 116	एनआरसी—140	एनआरसी—183	एनआरसी—190
एनआरसी 406	एनआरसी—492	एनआरसीसी सेल—1	एनआरसीसी सेल—2
भास्करा	उल्लाल—1	उल्लाल—2	उल्लाल—3
वेनगुर्ला — 1	वेनगुर्ला — 2	वेनगुर्ला — 3	वेनगुर्ला — 4
वेनगुर्ला — 7	मदककाथारा—1	मदककाथारा—2	वीआरआई—1
वीआरआई—2	वीआरआई—3	बीपीपी—4	प्रियंका
तालीपरम्बा—1	के—22—1	वीटीएच 30 / 4	वीटीएच 174
वीटीएच 30 / 2	पर्पल स्यूटेंट		

रेफ्रेंस वैरायटी ब्लॉक



4.4.3 केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, चिकमैंगलोर, कर्नाटक

सीसीआरआई “डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास तथा कॉफी (कॉफिया अराबिका तथा कॉफिया कैनफोरा) के लिए डीयूएस केन्द्र की स्थापना” विषय पर कार्य कर रहा है।

4.4.3.1 वर्ष 2017–18 में परियोजना की प्रगति का सार

कॉफी के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास हेतु विभिन्न कृषि जलवायीय क्षेत्रों से लोकप्रिय अराबिका चयनों की विभिन्न विशेषताओं में से वानस्पतिक पुष्ट संबंधी फल एवं बीन प्राचलों का विवर्णक आंकड़े दर्ज किए गए। सीसीआरआई के विभिन्न चयनों से उत्पन्न विवरणक डाटा का उपोव द्वारा कॉफी के लिए उल्लेखित डीयूएस दिशानिर्देशों के आधार पर विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि सीसीआरआई चयनों के बीच फेनोटाइपिक विविधता यद्यपि सीमित है, तथापि कुछ विशेषताओं के संदर्भ में विशेष भिन्नता देखी गई है, जैसे पौधे की ऊंचाई, तरूण पत्तियों का रंग, पत्ती का आकार, पत्ती की चौड़ाई, कोरोला ट्यूब की लंबाई, स्टिर्ग्मा की लंबाई, कटाई की अवधि (फूल खिलने से फल पकने तक), फल का रंग, फल (बेरी) का आकार (परिपक्व एवं अपरिपक्व), बीज—‘ए’ ग्रेड (:) 6.6 मि.मी. है।

इन विशिष्ट गुणों के आधार पर अराबिका चयनों का प्राथमिक समूहीकरण को परिभाषित किया गया। लघुसूचीबद्ध विशेषताओं के संदर्भ में समूहों के बीच परिवर्तनशीलता सभी स्थानों पर स्थिर पाई गई। भारत में छायेदार कैनापी के नीचे कॉफी की खेती की विशिष्ट पद्धति है। डीयूएस के मानदंडों के निर्धारण में लक्षणों की अभिव्यक्ति एवं छांव का संबंध संवेदनशील है। इस प्रकार समूहीकरण के लिए उपयोग किए गए 10 विशिष्ट लक्षणों में से 7 लक्षण, जैसे पौधे की ऊंचाई, तरूण पत्ती का रंग, पत्ती का आकार, कोरोल्ला ट्यूब की लंबाई, स्टिर्ग्मा की लंबाई, फल (बेरी) का आकार (परिपक्व एवं अपरिपक्व) तथा बीज—‘ए’ ग्रेड (:) छांव से कम प्रभावित होते हैं, जिससे यह सूचित होता है कि डीयूएस के मानदंडों के निर्धारण में ये प्रत्याशित लक्षण हैं। रेफ्रेंस ब्लॉक की स्थापना हेतु कॉफी चयनों के नवोदभिद पौधों को क्रॉउन नर्सरी में उगा कर रखरखाव किया जा रहा है। अगली ऋतु (अगस्त—सितंबर, 2018) में रोपण हेतु पहचान किए गए ब्लॉक में भूखंड तैयार कर ली गई है।



कांस्य



हल्का कांस्य



हरा

विभिन्न अराबिका चयनों में तरूण पत्ती के रंग में परिवर्तनशीलता



लाल



संतरी लाल



पीला

कॉफी में फल के रंग में परिवर्तनशीलता

4.4.4 भाकृअनुप—औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आणंद

4.4.4.1 कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा) के संदर्भ किस्मों का रखरखाव

कालमेघ के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अधिसूचित कर पौधा किस्म जरनल (खंड 10, अंक 1) में 15 जनवरी, 2016 को प्रकाशित किया गया। अंतिम रूप दिए गए लक्षणों में पत्ती का रंग (हल्का हरा, हरा या गहरा हरा), पत्ती पटल का आकार (लैंसियोलेट, ऐलिप्टिकल, ओवेट / ओवेट लैंसियोलेट / ऐलिप्टिकल); पत्ती पटल की लंबाई (छोटी या लंबी), पत्ती पटल की चौड़ाई (पतली, मध्यम या चौड़ी); स्टेम शूट एपेक्स पर समूहीकृत तरूण पत्ती, एपेक्स पर समूहीकृत न की गई

तरुण पत्तियां, लीफ लेमिना; पत्ती पटल की सतह चिकनी या सिकुड़ी हुई; तना शाखन पद्धति (सीधी या फैली हुई); ऐथेसिस पैटर्न (अगेती, मध्यम तथा पछेती); स्पाइकलेट का प्रकार (फूल की कलियां घनिष्ठ रूप से व्यवस्थित या दूर-दूर व्यवस्थित); पौधे की मेन एक्सिस की वृद्धि; तना अंतरगांठ की लंबाई (छोटी या लंबी); पौधे की कैनोपी का आकार, पौधे की ऊंचाई (छोटी, मध्यम या लंबी); लीफ एंड्रोग्राफोलाइट कंटेंट (निम्न, मध्यम, उच्च) हैं। तदानुसार खरीफ 2017 के दौरान 20 उदाहरण किस्मों की पहचान कर रखरखाव किया गया। वर्ष 2016 के दौरान डीएमएपीआर एपी 35 से एक नए पौधे की किस्म डीएमएपीआर एपी 35-1 की पहचान की गई। वानस्पतिक अवस्था तक डीएमएपीआर एपी 35 तथा नई मार्फोटाइप दोनों एक समान दिखता है और जनन अवस्था में नए पौधे के प्रकार में कैनोपी पंखों से ढका हुआ प्रतीत होता है (मयूर = पिकॉक कैनोपी)। नए पौधे के प्रकार में पछेती पुष्पण होता है। रोपण के 110-120 दिनों के पश्चात ऐथेसिस (ऋतु के दौरान प्रथम फूल का खिलना) होता है। मार्फोटाइप की पहचान पहली बार 2016 में हुई है तथा भंडारित बीजों को 2017 में बोया गया है जिसमें उसी प्रकार के मार्फोटाइप देखी गई है।

4.4.4.2 इसबगोल (प्लांटागो ओवाटा) के संदर्भ किस्मों का रखरखाव


वर्ष के दौरान नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसबगोल (प्लांटागो ओवाटा) के 11 संदर्भ किस्मों अर्थात् डीएमएपीआर पीओ1, डीएमएपीआर पीओ2, डीएमएपीआर पीओ3, डीएमएपीआर पीओ4, डीएमएपीआर पीओ5, डीएमएपीआर पीओ6, डीएमएपीआर पीओ7, डीएमएपीआर पीओ8, डीएमएपीआर पीओ9, डीएमएपीआर पीओ10 तथा डीएमएपीआर पीओ11 को रखरखाव के लिए बोया गया। डीएमएपीआर 35-1 एक नये



मार्फोटाइप की पहचान की गई। नये पौधे के प्रकार में कैनोपी पंखेदार (मयूर = पिकॉक कैनोपी) एवं पुष्पण पछेती रूप से होता है। रोपण के 110-120 दिनों के पश्चात ऐथेसिस (ऋतु के दौरान प्रथम फूल का खिलना) होता है।

4.4.5 भाकृअनु-केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम

केन्द्र में बड़ा रतालू (डायोस्पोरिया अलाटा) एवं याम बीन (पैचीरीजस इरोसस) के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास हेतु एक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना का प्रारंभ विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व गुणों की पहचान तथा याम बीन तथा बड़ा रतालू के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के मानकीकरण के लिए किया गया था। 30 विशेषताओं के साथ बड़ा रतालू के लिए दिशानिर्देशों का एक मसौदा तैयार किया गया। इनमें 6 समूहीकरण गुण सम्मिलित हैं, जैसे पत्ती का आकार, डंठल का रंग, कंद : आकार, कंद : बाह्य त्वचा का रंग, कंद : गूदे का रंग एवं कंद की लंबाई। फील्ड जीन बैंक में बड़ा रतालू के 30 संदर्भ किस्मों को भावी डीयूएस परीक्षण हेतु संरक्षित किया गया।




पत्ती आकार विशेषताएं :

1. कॉरडेट
2. कॉरडेट लॉंग
3. कॉरडेट ब्रॉड
4. सैगिटेट लॉंग
5. सैगिटेट ब्रॉड




बड़ा रतालू के संदर्भ किस्मों में कंद के आकार में भिन्नता


याम बीन के संदर्भ में, विभिन्न समूहीकरण विशेषताओं, जैसे पत्ती का आकार, टर्मिनल लीफ, फूल की विशेषताएं : पोड लैंड, कंद एवं बीज का आकार को सम्मिलित कर डीयूएस दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया।



तृतीयाकार पत्ती, कम से कम 5 दांत (1),
5 से 7 दांत (2), 7 से अधिक दांत (3)



फूलों में रंजकता (पंखुड़ी तथा पत्तों का रंग), हल्की भूरी पंखुड़ी –
हल्के बैंगनी पत्ती के साथ (1), भूरी पंखुड़ी के साथ बैंगनी पत्ती (2),
हल्का भूरी बैंगनी पंखुड़ी – बैंगनी पत्ती के साथ (3), गहरी भूरी
बैंगनी पंखुड़ी – बैंगनी पत्ती के साथ (4), गहरी भूरी बैंगनी पंखुड़ी
के साथ गहरी बैंगनी पत्ती (5)



फली की लम्बाई, छोटी (1),
मध्यम (2), लम्बी (3)



कंद का आकार, तकुआकार (1),
गोल से तकुआकार (2), गोल गहरा
धंसा हुआ (3)



बीज का आकार; वर्गाकार (1),
समतलाकार (2)

4.4.6. भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

आईएआरआई का सब्जी विज्ञान प्रभाग मूली एवं गाजर के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार कर रहा है और दिशानिर्देशों के मसौदे को पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया है। इस पर 23.12.2017 को आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में चर्चा की गई। टास्क फोर्स में दिए गए सुझावों को सम्मिलित कर दिशानिर्देशों के अंतिम रूप को प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। पीपीवी एवं एफआरए के निर्देशों के अनुसार परियोजना की अवधि को दो वर्ष अर्थात् मार्च 2020 तक बढ़ाया गया और आईएआरआई के प्रादेशिक केन्द्र, कैटराइन को सह—नोडल केन्द्र के रूप में समिलित किया गया तथा परियोजना में अतिरिक्त कार्य किया जाना है।

4.4.7 भाकृअनुप—केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमन्ड़ी

सीटीसीआरआई में “एफसीवी एवं बीड़ी तम्बाकू के लिए विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व (डीयूएस) दिशानिर्देशों के विकास” का कार्य किया जा रहा है।



वर्ष 2017–18 के दौरान परियोजना की प्रगति का संक्षिप्त विवरण : परियोजना का कार्य वर्ष 2017–18 की मौजूदा ऋतु में प्रारंभ किया गया। विशेषकर तम्बाकू के विशिष्ट गुणों की पहचान हेतु एफसीवी की 31 तथा बीड़ी तम्बाकू की 15 किस्मों;

265 एफसीवी तथा 208 बीड़ी जननद्रव्य वंशक्रमों को कथेरु प्रक्षेत्र में रोपित किया गया। विशेषताओं (53) की मसौदा सारणी तैयार की गई और एफसीवी तथा बीड़ी तम्बाकू किस्मों के डीयूएस गुणचित्रण के लिए 31 एफसीवी और 15 बीड़ी किस्मों के 45 गुणों को दर्ज किया जा रहा है। आगे 29 विशेषताओं की पहचान की गई तथा लगभग 1399 जननद्रव्य वंशक्रमों में दर्ज किया जा रहा है। एफसीवी एवं बीड़ी तम्बाकू किस्मों के डिजीटल फोटोग्राफ्स को दर्ज किया जा रहा है। डाटा एकत्रीकरण का कार्य जारी है।

प्रक्षेत्र स्थितियों के अंतर्गत उगाई गई एफसीवी किस्में



सीटीआरआई स्पेशल (एमआर)



हेमा



वीटी 1158



तुर्पती

क्षेत्र की स्थिति में
उगाई गई बीड़ी की किस्में

पत्ती तथा फल के गुणों में
पायी गई विभिन्नता



आनंद 145



जीटी 7



4.4.8 बागवानी प्रभाग, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप का अनुसंधान परिसर, मेघालय


नींबू (सिट्रस लिमन एल. बर्म) और चकौतरा (सिट्रस ग्रांडिस) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सूत्रण एवं वैधीकरण कार्य आईसीएआर, एनईएच केन्द्र में किया जा रहा है, जो एक सह-नोडल केन्द्र है।

4.4.8.1 परियोजना की प्रगति

वानस्पतिक गुणों के आधार पर नींबू की किस्मों, जैसे असम नींबू, जैनतिया नींबू और इलाइची नींबू का गुणचित्रण किया गया जिसमें काफी भिन्नताएं देखी गई। जैनतिया नींबू में सीधी ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई जबकि असम नींबू तथा इलाइची नींबू के पौधे लटकते हुए पाए गए। सभी किस्मों की पत्तियां साधारण एवं पत्ती का सीमांत क्षेत्र दांतेदार है जबकि पत्ती का आकार दीर्घ वृताकार (असम और इलाइची नींबू), अंडाकार (जैनतिया नींबू) होता है। जैनतिया नींबू और इलाइची नींबू में लीफ ब्लेड की लंबाई (6 से 10 से.मी.) जबकि असम नींबू में (10 से.मी. से अधिक) है। सभी किस्मों में लीफ ब्लेड की चौड़ाई मध्यम (4 से 7 से.मी.) है और टहनियों पर कांटे मौजूद होते हैं। असम नींबू में डंठल नहीं होते जबकि जैनतिया और इलाइची नींबू में मौजूद होते हैं। सभी किस्मों में फूल पूर्ण एवं द्विलिंगी होते हैं और पुष्प केसर प्रत्येक पंखुड़ी में चार से अधिक होते हैं। फल का आकार अंडाकार (जैनतिया नींबू) से दीर्घ वृताकार (असम और इलाइची नींबू) होता है। फल का तल का आकार धनुषाकार (असम नींबू) से समतल (जैनतिया और इलाइची नींबू) होता है। सभी किस्मों में फल का शीर्ष भाग की त्वचा चिकनी होती है। इलाइची और जैनतिया नींबू में फल की लंबाई मध्यम (5 से 7 से.मी.) जबकि असम नींबू में इसकी लंबाई अधिक (10 से.मी. से अधिक) होती है। सभी किस्मों में फल का व्यास मध्यम (5 से 7 से.मी.), फल का भार अधिक (80 ग्रा. से अधिक) तथा निम्न स्तर का टीएसएस (07 ओबी से कम) होता है। संदर्भ किस्मों/वंशक्रमों को वानस्पतिक रूप से परवर्धित कर संस्थान के फील्ड जर्मप्लाज्म बैंक में रोपित किया गया।



जैनतिया नींबू



असम नींबू



इलाइची नींबू

विभिन्न नींबू किस्मों के फलों में भिन्नता

4.4.9 पादप जैवप्रौद्योगिकी विभाग, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बैंगलोर

कटहल हेतु विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व (डीयूएस) दिशानिर्देशों का विकास तथा भारत में कृषक किस्मों का पंजीकरण कार्य, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके में किया जा रहा है।

केन्द्र ने निम्नलिखित किस्मों को एकत्रित किया है :

क्र.सं.	किस्म का नाम	रोपण सामग्री का स्रोत	किस्म का विवरण
1.	रेनुकइया-6 	सन्नप्पना हॉल, डोङडाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर ग्रामीण जिला	यह उत्कृष्ट किस्म है। इसके फल का औसत भार 3 से 5 कि.ग्रा. और बल्ब उपज 10 प्रति कि.ग्रा. फल भार तथा रिकवरी प्रतिशत 0.40 प्रतिशत है। इसका डीएसएस 19–20° ब्रिक्स है। इस किस्म के वृक्ष में प्रति वर्ष औसतन 150 फल लगते हैं।
2.	रेनुकइया-7 	रामपुरा, डोङडाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर ग्रामीण जिला	यह उत्कृष्ट किस्म है। इसके फल का औसत भार 5 से 10 कि.ग्रा. और बल्ब उपज 10 प्रति कि.ग्रा. फल भार तथा रिकवरी प्रतिशत 0.45 प्रतिशत है। इसका डीएसएस 27° ब्रिक्स है। इस किस्म के वृक्ष में प्रति वर्ष औसतन 100–150 फल लगते हैं।
3.	केके-1 (लाल) 	रामपुरा, डोङडाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर ग्रामीण जिला	यह उत्कृष्ट किस्म है। इसके फल का औसत भार 10 से 13 कि.ग्रा. और बल्ब उपज 15 प्रति कि.ग्रा. फल भार तथा रिकवरी प्रतिशत 0.47 प्रतिशत है। इसका डीएसएस 17–18° ब्रिक्स है। इस किस्म के वृक्ष में प्रति वर्ष औसतन 100–150 फल लगते हैं।
4.	केके-2 	रामपुरा, डोङडाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर ग्रामीण जिला	यह उत्कृष्ट किस्म है। इसके फल का औसत भार 8 से 11 कि.ग्रा. और बल्ब उपज 11 प्रति कि.ग्रा. फल भार तथा रिकवरी प्रतिशत 0.54 प्रतिशत है। इसका डीएसएस 17–18° ब्रिक्स है।

5.	केके-6 		यह उत्कृष्ट किस्म है। इसके फल का औसत भार 9 से 12 कि.ग्रा. और बल्ब उपज 16 प्रति कि.ग्रा. फल भार तथा रिकवरी प्रतिशत 0.41 प्रतिशत है। इसका डीएसएस 21.3° ब्रिक्स है।
6.	केके-9 		यह उत्कृष्ट किस्म है। इसके फल का औसत भार 6 से 9 कि.ग्रा. और बल्ब उपज 17 प्रति कि.ग्रा. फल भार तथा रिकवरी प्रतिशत 0.39 प्रतिशत है। इसका डीएसएस 18° ब्रिक्स है।
7.	हनमझा 	चिक्काबेलवेगाला, डोड्डाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर ग्रामीण जिला	यह उत्कृष्ट किस्म है। इसके फल का औसत भार 5 से 7 कि.ग्रा. और बल्ब उपज 20 प्रति कि.ग्रा. फल भार तथा रिकवरी प्रतिशत 0.40 प्रतिशत है। इसका डीएसएस 20–26° ब्रिक्स है।

4.4.10 भाकृअनुप—केन्द्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ओल्ड गोवा

यह केन्द्र कोकुम (गार्सिना इंडिका) के विवरणकों के विकास कार्य में संलग्न है। इस केन्द्र के वर्तमान अध्ययन में अप्रैल से जून, 2017 के दौरान गोवा में भौगोलिक रूप से वितरित 9 भिन्न समष्टियों के 112 गार्सिनीया इंडिका के फलों की फेनोटाइपिकल भिन्नताओं द्वारा फलन ऋतु एवं फल की विशेषताओं का आकलन किया गया। फलन ऋतु अगोती से मध्य और मध्य से पछेती ऋतुओं अर्थात् फरवरी से जून के दौरान होता है। फल का बाहरी रंग गुलाबी से लाल, फल का समूहीकरण प्रवृत्ति एकल और कभी—कभार समूहों में, फल का आकार ऑबलेट से अंडाकार, फल की सतह कोमल, फल के सिरे का आकार रथूल से नुकीला, फल की लंबाई 22.51 से 42.80 मि.मी., फल का व्यास 28.12 से 50.21 मि.मी., फल का भार 9.21 से 59.33 ग्रा., छिलके की मोटाई 1.12 से 5.16 मि.मि., प्रत्येक फल में बीजों की संख्या 2 से 8, फल के छिलके के साथ गूदे का जोड़ ढीले से सख्त, छिलके का भीतरी भाग एवं छिलके का रंग सफेद से गहरा लाल होता है। इसके अतिरिक्त डिजीटल रंगों का मान भी दर्ज किया गया जो बाहरी रंग के अनुसार बदलता है। तत्पश्चात् जून—जुलाई, 2017 के दौरान पूर्व परियोजना से पहचान किए गए आशाजनक वृक्षों के क्लोनल प्रवर्धन का कार्य किया गया और डीयूएस परियोजना को भी संचालित किया गया। जननद्रव्य बैंक में रोपण के पश्चात् शेष कलमों का रखरखाव वर्तमान समय में नर्सरी में किया जा रहा है। इस प्रकार आशाजनक वशंक्रमों को कृत्रिम परिवेश में संरक्षित कर संस्थान में मूल्यांकित किया गया।



गहरे मेरुन रंग के फल



लाल रंग के फल



हल्के लाल रंग के फल



अगेती प्रकार के मेरुन फल



मध्य ऋतु के मीठे प्रकार के फल



मध्य ऋतु के उपज के लिए आशाजनक



छोटे मेरुन रंग के फल



संतरे रंग के नाशपाती आकार के फल



मध्य ऋतु में होने वाले गोलाकार फल, आशाजनक वंशक्रम

4.4.11 वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर

संक्षिप्त उद्देश्य :

- सागवान एवं मेलिया में विशिष्ट एवं अनोखे गुणों की पहचान के लिए विभिन्न समष्टियों/क्लोनों के वृक्ष आकृतिमूलक गुणों का अध्ययन करना।
- सागवान एवं मेलिया के विभिन्न स्थानों/वर्षों में स्थायित्व वाले गुणों की पहचान करना।
- संदर्भ संग्रह के रूप में विभिन्न समष्टियों/क्लोनों के साथ सागवान एवं मेलिया के लिए जननद्रव्य बैंक की स्थापना करना।

प्रमुख उपलब्धियां (परिमाणात्मक एवं गुणात्मक)

सागवान परियोजना का लक्ष्य सागवान एवं मेलिया डूबिया के लिए डीयूएस परीक्षण पद्धति का विकास करना है। सागवान के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु बीज उत्पादन क्षेत्र (एसपीए), संकरणकोड तथा स्थायी संकरण भूखंड (पीपीपी), कोनोली, निलंबूर का दौरा किया गया जो केरल के प्राचीनतम सागवान रोपित भूखंड हैं। वृक्ष के विभिन्न गुणों को दर्ज किया गया। तमिलनाडु के चेंगमपल्ली सेमपट्टी, साथियामंगलम, कराइकल, तेंजोर, अनइक्कट्टी, कृष्णाकरी, पल्लार्गांडापलायम, करुर, पेरामनाल्लूर कनुवाइ, चिन्नातड़गम, मिट्टूपलायम, तुडियालूर, पन्नीमङ्गाई, पेरियाथड़गम तथा अनाइकट्टी का भी दौरा किया गया।



चेरूपुजा, निल्लीकूथा तथा परम्बिकुलम प्राकृतिक एवं रोपित सागवान बागानों का भी दौरा किया गया। सागवान के प्राकृतिक एवं रोपित बागानों के अध्ययन में एक ही बागान के पेड़ों की पत्तियां, छाल, फूल एवं फलों के गुणों में बहुत ही कम अंतर देखा गया है। प्राकृतिक समष्टियों में कुछ हद तक अंतर देखा गया। वृक्ष के तने का रूप, शाखन तथा जनन विशेषताएं विभेदकारी गुण हैं। डीयूएस दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया गया एवं दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान सागवान के टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



ऑबटस



क्यूनीट



ट्रंकेट



एटिनोट



डेकुरे

मेलिया डूबिया

डीयूएस विवरणकों एवं डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु पानमपल्ली, करुर, नेल्लोर, तिरुपति, तिथिमाटी, हास्कोटे, अन्नूर तथा चैन्नई में मेलिया डूबिया के संदर्भ में आकृतिमूलक गुणों, जैसे वृक्ष की प्रवृत्ति, क्रॉउन एपियरेंस, किलयर बॉल हाइट, शाखन पद्धति, शाखन कोण, शाखा की मोटाई, छाल का रंग, बार्क पीलिंग, पत्ती आकार, पत्ती आधार, पत्ती व्यवस्था, पत्ती मार्जिन, पत्ती डंठल की लंबाई, फूल, फल, गुठली की भिन्नताओं का अध्ययन किया गया। चयनित आकृतिमूलक गुणों की एकरूपता एवं स्थायित्व को परिमाणित करने हेतु क्लोनल परीक्षणों का अध्ययन किया गया। दिल्ली में आयोजित बैठक में मेलिया डूबिया के टास्क फोर्स के समक्ष डीयूएस गुणों के अंतिम रूप को प्रस्तुत किया गया।



पत्ती के सिरे में भिन्नता



एक्यू



एक्यूमिन



एक्यूमिनेट

4.4.12 डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन

चिनार के डीयूएस परीक्षण, संदर्भ किस्मों के रखरखाव तथा जननद्रव्य फील्ड बैंक के लिए वृक्ष सुधार एवं आनुवांशिक संसाधन विभाग, यूएचएफ, नौनी, सोलन एक नोडल केन्द्र है। अनुरक्षण प्रजनन/गुणचित्रण/डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की प्रगति से संबंधित किस्मों की संख्या निम्नवत है।

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं की रिलीज़ / आईसीएआर / एसएयू)
पोपुलस डेल्टायड्स	एल 6105, एल30/06, एल621/84, जी-48 (उत्तराखण्ड वन विभाग) एस ₇ सी ₁₅ , एस ₇ सी ₈ , डब्ल्यूएसएल 22, डब्ल्यूएसएल 39 (विमको सीडलिंग्स रुद्रपुर, उत्तराखण्ड) 6503, 5503, 1007, एल 200/86 (टीआईजीआर विभाग, यूएचएफ, नौनी) एल-3, पीएल-6, पीएल-7 (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, वानिकी विभाग, लुधियाना)	एसएयू वन विभाग, डब्ल्यूआईएमसीओ

रिपोर्ट अवधि के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने चिनार के डीयूएस दिशानिर्देशों को ऑनलाइन प्रकाशित किया। चिनार (पोपुलस डेल्टायड्स) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भारतीय पौधा किस्म जरनल 11(10) : 252–269 (2017) में भी प्रकाशित किया गया।

4.4.13 विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

केन्द्र में परवल के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के वैधीकरण पर परियोजना पर कार्य किया जा रहा है जहां डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित कर आईसीएआर—आईआईवीआर, वाराणसी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष 2017–18 के दौरान सब्जी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल, भारत के अनुसंधान प्रक्षेत्र के सी ब्लॉक प्रक्षेत्र में अन्वेषण कार्य किया गया। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड के विभिन्न भागों से परवल के 32 किस्मों को एकत्रित किया गया और प्रत्येक जीनप्ररूप के कंदिल जड़ कतरनों को अक्तूबर, 2017 के दूसरे सप्ताह में 5 से.मी. गहरे गड्ढों में रोपित किया गया जिनमें पहले से ही गाय का सड़ा हुआ गोबर तथा कार्बोफोरान (5 ग्रा. प्रति गड्ढे की दर से) डाला गया था और पंक्तियां 6 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी तथा 15–20 से.मी. ऊंची क्यारियों में पंक्तियों एवं पौधों के बीच की दूरी क्रमशः 1.0 मीटर तथा 0.6 मीटर रखी गई जिससे क्रमरहित ब्लॉक डिजाइन को तीन प्रतिकृतियों में अपनाने पर प्रत्येक भूखंड में 12 पौधों के लिए स्थान बनाया गया। रोपण से पूर्व मृदा में यूरिया के रूप में 75 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, सिंगल सूपरफॉस्फेट के रूप में 75 कि.ग्रा. फार्स्फोरस तथा म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में 75 कि. ग्रा. पोटाशियम डाला गया। तत्पश्चात, 75 कि.ग्रा. नाइट्रोजन को दो खुराकों में बांटकर वनस्पती की चरम अवस्था तथा पुष्पण के दौरान डाला गया। फल के सभी गुणों की बेहतर अभिव्यक्ति के लिए प्रातःकाल के समय (प्रातः 5 बजे से 6 बजे के दौरान) हस्त परागण किया गया। इसकी खेती के लिए निर्धारित अन्य सभी प्रबंधन पद्धतियों को समय पर अपनाया गया।

4.4.13.1 पर्यवेक्षण

- डीयूएस के लिए प्रत्याशी/संदर्भ किस्मों के परीक्षण के लिए 25 गुणों का उपयोग किया गया।
- विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व के मूल्यांकन के लिए 36 पौधों या पौधों के भागों का पर्यवेक्षण किया गया जिन्हें तीन प्रतिकृतियों (12 पौधे प्रति प्रतिकृति) में विभाजित किया गया।
- प्रत्येक शाखा की बगल की टहनियों की संख्या दर्ज की गई चूंकि प्राइमरी शाखा से गोण शाखाएं उगती हैं।
- ऑफ टाइप की संख्या शून्य मानी गई चूंकि फसल वानस्पतिक रूप से परवर्धित की गई।
- पत्ती गुणों का पर्यवेक्षण पूर्ण रूप से विकसित पत्ती के चौड़े भाग पर किया गया।
- फूलों का पर्यवेक्षण गांठ की संख्या पर किया गया जिस पर प्रथम मादा फूल 50 प्रतिशत समष्टियों में खिले हैं।
- फलों का पर्यवेक्षण विपणन योग्य परिपक्वता तक के विकास के पश्चात 12 दिनों पर हस्तपरागित फलों पर किया गया।
- बीजों का पर्यवेक्षण पूर्ण विकसित तथा बीजों को धो कर छांव में सुखाने के पश्चात सूखे बीजों पर किया गया।
- विशिष्ट गुणों पर विभिन्न पर्यवेक्षणों की अवस्थाओं को दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नवत है :

विवरण		कोड
क	सक्रिय वानस्पतिक अवस्था	₹ 10
ख	50 प्रतिशत पुष्पण अवस्था (50 प्रतिशत पौधे में एकल फूल या प्रथम फूल खिलता है)	₹ 20
ग	विपणन योग्य परिपक्वता प्राप्त फल	₹ 30
घ	पूर्ण परिपक्वता (पका हुआ फल)	₹ 40

4.4.13.2 किस्मों का समूहीकरण

डीयूएस परीक्षण के दौरान चयनित प्रत्याशी किस्मों को समूहों में विभाजित किया गया ताकि विशिष्टता का मूल्यांकन हो सके। परवल के समूहीकरण हेतु निम्नलिखित विशेषताओं का उपयोग किया जाएगा :

क्र.स.	पौधे के भाग	गुण
1	पत्ती: आकार	(गुण 5)
2	फल: आकार	(गुण 15)
3	फल: छिलके का प्राथमिक रंग	(गुण 16)
4	फल: सतह के रंग का स्वरूप	(गुण 17)
5	फल: लंबाई	(गुण 19)
6	फल: व्यास	(गुण 20)

4.4.14 भाकृअनुप—केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

फील्ड रिपोजिटरी में खजूर के कुल 42 किस्मों का रखरखाव किया गया तथा आकृतिमूलक एवं फलन गुणों के लिए मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान 30 किस्मों में स्पेथ का उभरना/खुलना तथा पुष्पण का पर्यवेक्षण दर्ज किया गया चूंकि अन्य किस्में वानस्पतिक अवस्था में हैं; तथापि 30 किस्मों का फलन, गुच्छे की विशेषता तथा फल की गुणवत्ता को सारणियों में प्रस्तुत किया गया है। स्पेथ का उभरना जनवरी के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ होकर मार्च के प्रथम सप्ताह में पूर्ण हुआ। वर्ष के दौरान कुछ जननद्रव्यों में स्पेथ का विलंब से उभरना देखा गया और यह संभवतः निम्न तापमान रिस्तियों के कारण है। खुनैजी एवं मस्कट किस्मों में स्पेथ का अगेती रूप से उभरना/पुष्पण तथा फल की परिपक्वता का डोका अवस्था दर्ज किया गया।

सेवी (141 से.मी.) किस्म में गुच्छे की अधिकतम लंबाई दर्ज की गई और इसके बाद का स्थान मिगरफ (116 से.मी.) तथा बीकानेर लोकल (97 से.मी.) का रहा है। गुच्छों की संख्या प्रति पौधा 3–11 के बीच दर्ज की गई। इसी प्रकार पेरी की संख्या 6 से 26 के बीच रही। सेवी तथा ब्रेम (11) किस्मों में गुच्छे प्रति पौधा की अधिकतम संख्या दर्ज की गई और इसके बाद का स्थान हालावी, सेयर तथा टेयर (10) का रहा है। जहीदी किस्म में बेरियों की अधिकतम संख्या 26 प्रति गुच्छा दर्ज की गई और इसके बाद का स्थान हयानी, बीकानेर लोकल तथा हमारा (20) का रहा है। जबकि न्यूनतम संख्या जावंतरी किस्म (8) में दर्ज की गई। खुनैजी, मस्कट तथा हलावी किस्मों में फलों की त्वरित परिपक्वता (डोका) देखी गई और मध्य जून से जुलाई प्रथम सप्ताह के दौरान तुड़ाई की गई। अधिकांश किस्मों में जुलाई के दूसरे सप्ताह में फलों की परिपक्वता (डोका) दर्ज की गई। तथापि, मेड्जूल, दायरी तथा सेवी किस्मों की कटाई से देर से की गई। सभी किस्मों का डोका फलों का कुल घुलनशील ठोस पदार्थ (टीएसएस) 18.6 से 43.800 ब्रिक्स दर्ज की गई है।

4.4.15 डॉ. बी. एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली

डॉ. बी. एस. के. के. वी. दापोली “कोकम (गार्सिनिया इडिका चॉयसी) के लिए विवरणों का विकास” पर कार्य कर रहा है।

वर्ष 2017–18 के दौरान परियोजना प्रगति का संक्षिप्त विवरण :

केन्द्र ने कोंकण क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पर्यवेक्षण हेतु 689 वृक्षों को चिन्हित किया। विवरण निम्नवत है :

क्र. सं	राज्य	जिला	तहसील	चयनित वृक्षों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	दापोली	165 (डॉ. बी. एस. के. के. वी. कैम्पस)
			दापोली	23 (किसानों के खेत में)
2.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	कुडाल	450 (बागवानी महाविद्यालय मुलडे कैम्पस)
			वेंगले	2 (किसानों के खेत में)

3.	महाराष्ट्र	रायगड	सावंतवाड़ी	2 (किसानों के खेत में)
			अलीबाग	2 (किसानों के खेत में)
				689

अलग—अलग वृक्षों में निम्नलिखित पर्यवेक्षणों को दर्ज किया गया और “कोकम के लिए डीयूएस परीक्षण के दिशानिर्देशों का विकास” के दौरान उपयोग हेतु निम्नलिखित रूप से समूहीकृत किया गया :

समूहीकृत विशेषताएं	विशेषताओं में भिन्नताएं
वृक्ष का ओजस	सशक्त, मध्यम, कमजोर
वृक्ष की ऊँचाई	4.5–16.5 मी.
क्राउन का आकार	कोणीय, त्रिभुजाकार
शाखन प्रवृत्ति	प्लैगियोट्रोपिक
पत्ती का जोड़	उलटा
लीफ ब्लेड की लंबाई (से.मी.)	6.15–15.21 से.मी
लीफ ब्लेड की चौड़ाई (से.मी.)	2.72–6.89 से.मी
लीफ ब्लेड का आकार (से.मी.)	दीर्घाकार, अंडाकार, ऑब्लैसोलेट
नाड़ियों का महत्व	महत्वहीन
लीफ मार्जिन	संपूर्ण
पत्ती सीरा का आकार	एक्यूट, ऑप्ट्यूस, शार्टली एक्यूमिनेंट
लीफ बेस का आकार	एक्यूट, ऑप्ट्यूस
फूल	
लिंग का प्रकार	स्टेमिनेट या नर अरमाफोडाइट या द्विलिंगी पिस्टिलेट या मादा
फूल का स्थान	टर्मिनल / ऑक्जलरी
फूल का रूप	एकल / समूह
पटल का रंग	गुलाबी मार्जिन के साथ हल्का पीला हल्की पीली एवं पेटल के भीतरी भाग में लाल रंग
सेपल का रंग	हल्का हरा, हल्का पीला, हल्का हरा से हल्का लाल
ट्रफ्ट्स की संख्या	दो ट्रफ्ट्स, चार ट्रफ्ट्स
फूल की संरचना	हाइपोवेनस / टेट्रोमेरस
फल की लंबाई	1.9–4.43 से.मी.
फल का व्यास	2.1–5.8 से.मी
फलों का आकार	1. एपल 2. गोलाकार / गोल 3. पीयर
फल का रंग	1. लाल 2. भूरा लाल 3. गहरा भूरा 4. काला लाल
फल का भार	14.2–65.4 ग्रा.
छिलके का भार	5.6–34.7 ग्रा.
छिलके की मोटाई	0.18–0.53 से.मी.
बीज का भार	0.53–1.38 ग्रा.
प्रति फल बीजों की संख्या	3.2–7.8




पिरामिडल



कॉनिकल



दो ट्रफ्टस



चार ट्रफ्टस



सिरे का आकार



आधार का आकार



पीयर

एपल

गोल

अध्याय 5 : किसानों से संबंधित गतिविधियां

5.1 प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम

5.1.1 जोन - I

5.1.1.1 कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), बारामुल्ला

कृषि विज्ञान केन्द्र, बारामुल्ला द्वारा बारामुल्ला जिले के रोहामा प्रखण्ड के सीमीवर्ती क्षेत्र में ब्रामन गांव में 25 मई, 2017 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी एवं एफआरए), 2001 विषय पर प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री दलजीत सिंह चिब, (राज्य मंत्री) एवं उपाध्यक्ष, किसान विकास के लिए सलाहकार बोर्ड, जम्मू एवं काश्मीर इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे। उन्होंने इस विषय पर बल दिया कि आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों का अधिकतम उपयोग की आवश्यकता है और किसानों को जागरूक करना है कि वे विभिन्न फसलों की गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन कर सके।



उन्होंने इस विषय पर भी बल दिया कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कृषि विकास योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए ताकि ठोस परिणाम प्राप्त किया जा सके। डॉ. मनोज कुमार, अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र ने एक व्याख्यान प्रस्तुत किया और किसानों को सुझाव दिया कि पौधा किस्मों तथा प्रजातियों को पीपीवी एवं एफआरए के अंतर्गत पंजीकरण कराए ताकि लाभ प्राप्त कर सके। श्री अब्दुल हमीद वानी, सचिव, किसान सलाहकार बोर्ड ने कार्यक्रम और कृषक समुदाय के विकास के लिए बोर्ड की गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया। कार्यक्रम में आसपास के गांवों के 200 से अधिक किसान, कृषक महिलाएं तथा ग्रामीण युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों पर व्याख्यान दिए गए और प्रतिभागियों में फार्म निवेश वितरित किए गए।

5.1.1.2 कृषि विज्ञान केन्द्र, बुदगाम



केवीके, बुदगाम द्वारा बुदगाम जिला मुख्यालय के नए संगोष्ठी हाल में 25 नवम्बर, 2017 को पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम, 2001 विषय पर प्रो. नज़ीर अहमद, माननीय कुलपति, एसकेयूएसटी—काश्मीर की अध्यक्षता में एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए तथा श्री मोहम्मद हारून, उपायुक्त, बुदगाम विशेष अतिथि रहे। प्रो. नज़ीर अहमद ने अधिनियम का विस्तारपूर्ण विवरण दिया और आग्रह किया कि केवीके, बुदगाम के वैज्ञानिक उच्च मूल्य और कम परिमाण एवं विदेशी सब्जियों जैसे लेटूस, ब्रॉककोली आदि को लोकप्रिय बनाने का कार्य करें। डॉ. नासीर अहमद डार, कार्यक्रम

समन्वयक, केवीके बुदगाम ने केवीके की कार्य प्रणाली और उपलब्धियों का उल्लेख किया। डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए अर्थोरिटी (भारत सरकार) ने पंजीकरण की प्रक्रिया और किन फसलों का पंजीकरण कराया जा सकता है इस पर और अधिनियम पर प्रकाश डाला। श्री मोहम्मद हारून, उपायुक्त, बुदगाम ने अपने अधिकार क्षेत्र में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव को सुनिश्चित करने में केवीके, बुदगाम की भूमिका की सराहना की और जिले में भूमि अवक्रमण के लिए संभावित उपचारात्मक उपायों के दृष्टिकोण पर बल दिया। इस कार्यक्रम में बुदगाम जिले के विभिन्न भागों से 165 किसानों ने भाग लिया। डीएआरएस, बुदगाम तथा एनएसपी एसकेयूएसटी—काश्मीर के सहयोग से एक स्टाल भी लगाया गया ताकि कृषि तथा बागवानी फसलों के विभिन्न लैंडरेसेस को प्रदर्शित किया जा सके।

5.1.1.3 सीएसके एचपीकेवी, केवीके कुल्लू, बजौरा



सीएसके एचपीकेवी, केवीके कुल्लू द्वारा बजौरा, हिमाचल प्रदेश में 19 फरवरी, 2018 को पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम, 2001 विषय पर एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. राम लाल मारकण्डा, माननीय कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा जनजातीय मामलों के मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं। डॉ. जे. के. शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बीज विज्ञान सह नोडल अधिकारी, पीपीवी एवं एफआरए एकक, सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर; डॉ. एस. सी. शर्मा, उपपंजीकार, पीपीवी

एवं एफआरए, शाखा कार्यालय, पालमपुर ने पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम पर व्याख्यान दिए हैं। संसाधन व्यक्तियों द्वारा किसानों में पौधा किस्म और कृषक अधिकारों के प्रति संवेदना एवं प्रेरणा उत्पन्न किया गया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर एक प्रदर्शनी भी लगायी गयी। प्रदर्शनी में कृषक अधिकारों, अधिनियम के प्रावधानों, पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित पोस्टर लगाए गए। आसपास के गांवों के 150 से अधिक किसान, कृषक महिलाएं तथा ग्रामीण युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के प्रभाव से जिले के विभिन्न भागों के 38 किसानों ने विभिन्न पर्वतीय फसलों, फलों तथा सब्जियों के बीजों के लाइव नमूनों का प्रवेश कराया। दस किसानों को विभिन्न पर्वतीय फसलों के संरक्षण हेतु प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। अंततः मुख्य अतिथि ने किसानों को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रेरित किया।

5.1.2 जोन-II

5.1.2.1 वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्र. स.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	कार्यक्रम की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1	जैसलमेर-1	22.03.2018	100
2	प्रतापगढ़	12.01.2018	100
3	दौसा	20–21.02.2018	200
4	सिकर	07.02.2018	200
5	जालौर	12.01.2018	120
6	नागौर-1	11.01.2018	152
7	पली	12.02.2018	35
8	करौली	08–09.03.2018	290
9	एस.माधोपुर	09.03.2018	105
10	अलवर-1	16.02.2018	65
11	बरन	23.01.2018	76
12	अजमेर	23.02.2018	60
कुल प्रतिभागी			1503



5.1.2.2 कृषि विज्ञान केन्द्र, जैसलमेर, राजस्थान



कृषि विज्ञान केन्द्र, जयसलमेर, राजस्थान में दिनांक 22 मार्च, 2018 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, (पीपीवी एवं एफआरए 1961) विशय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती अंजना मेघवाल, जिला प्रमुख, श्री कैलाश चन्द मीणा (जिला कलेक्टर, जयसलमेर) तथा डॉ. एस. बी. गौरव, उपपंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, पूर्णे, महाराष्ट्र तथा कृषि वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान एवं 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

5.1.3 जोन - III

5.1.3.1 पीपीवी एवं एफआरए विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. स.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण तिथि	स्थान
1	सितापुर-II	117, 256, 118, 104, 88, 216, 97, सामूहिक	06-09-2017, 09-09-2017	गांव— बिसवान, गांव— साकारन, औल इंडिया रेडियो, लखनऊ
4	बालिया	150	28/03/2018	कृषि विज्ञान केन्द्र बालिया परिसर
8	चंदोली	105	28/03/2018	कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर
9	झांसी	310	20/03/2018	कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर
10	रायबरेली	110	26/03/2018	कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर

11	अलीगढ़	110	27/03/2018	गांव सूरजपु, जवान ब्लॉक जिला: अलीगढ़
12	कन्नौज	125	22/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
13	इटावा	115	23/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
14	मेनपुरी	113	21/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
15	महोबा	110	27/02/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
16	हमीरपुर	220	28/02/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
17	लखीमपुरखेरी	111	28/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
18	ललितपुर	350	24/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
19	बांदा	150	27/02/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
20	रामपुर		21/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
21	सहारनपुर	101	07/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
22	मेरठ	107	08/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
23	मुजफ्फरपुर	150	28/02/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
24	बागपत	100	24/02/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
25	मिर्जापुर	253	05/03/2018 और 12/03/2018 और 28/03/2018	जिला — मिर्जापुर और बीएचयू कृषि विज्ञान केंद्र, मिर्जापुर
26	गोंडा	510	29/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
27	चित्रकूट	125 155	02/02/2018 और 08/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
28	इलाहाबाद	60 40	21/03/2018 और 23/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
29	प्रतापगढ़	56 101	24/01/2018 और 17/03/2018	रायचंद्रापुर और कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
30	उन्नाव	60	29/01/2018 और 30/01/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
31	कोशाम्बी	110 80	01/02/2018 और 09/03/2018 और	गांव—गोविंदपुर नवादा
		80 105	23/2/2018 और 17/03/2018	
32	ओरिया	134	24/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
33	गाजीपुर	57, 60 110	14, 18 और 27/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
34	खुशीनगर	135	13/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर
35	रविदास नगर	175	23/03/ 2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर संत रविदास नगर, भादोही
36	बरेली	504	09/03/2018	गांव देवाचारा
37	लखनऊ	300	16/02/2018	आईसीएआर—आईआईएसआर, परिसर कक्ष
38	मथुरा	1000	21/02/2018	गांव—पालसो, मथुरा
39	आगरा	286	05-09/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन कक्ष, बीचपुरी, आगरा
40	फिरोजाबाद	100	24/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र, परिसर
41	इटा	45, 40, 40, 60	7-8,12,19 फरवरी, 2018	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर इथा



5.1.3.2 कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर

कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 विषय पर दिनांक 08 मार्च, 2018 को एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. एस. के. सचान, निदेशक विस्तार, एसवीपीयूएटी, मेरठ तथा अन्य आमंत्रित अतिथियों के रूप में डॉ. आकाश तोमर, सहायक प्रोफेसर, जैवप्रौद्योगिकी (एसवीपीयूएटी, मेरठ) तथा डॉ. रितेश शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, बासमती नियांत विकास प्राधिकरण, मेरठ उपस्थित रहे हैं।

केवीके परिसर में पौधा किस्मों, उत्पादन प्रौद्योगिकियों तथा अन्य किसान उन्मुख गतिविधियों की प्रदर्शनी लगायी गयी। किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने भी पौधा किस्मों के संरक्षण में रुचि ले रहे हैं। निकट के गावों से 125 से अधिक किसान, कृषक महिलाएं तथा ग्रामीण युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लिए हैं।



5.1.3.3 कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौर, उत्तरकाशी



कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौर, उत्तरकाशी में दिनांक 17 मार्च, 2018 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री प्रकाश चन्द्र रमोला, अध्यक्ष, जिला पंचायत मुख्य अतिथि रहे। कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय एवं किस्मों की पहचान पर जागरूकता उत्पन्न करना और पीपीवी एवं एफआरए के माध्यम से उनका पंजीकरण करवाना है। डॉ. पंकज

नौटियाल, कृषि विज्ञान केन्द्र के बागवानी विशेषज्ञ, केवीके, उत्तरकाशी ने जिले में उपलब्ध सब्जि फलों एवं मसाला फसलों के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया। उन्होंने किसानों से आग्रह किया और उन्हें जिले में उपलब्ध परम्परागत किस्मों के पंजीकरण हेतु प्रेरित किया। डॉ. गौरव पपनेय, विस्तार विशेषज्ञ ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा पंजीकरण योग्य फसलों, फसलों की कुछ विशेषताएं जिनके कारण उनका पंजीकरण किया जा सकता है, देशी किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा पंजीकरण से लाभ के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया।

कार्यक्रम में श्री जी. एस. चौधरी, सहायक महाप्रबंधक, नबार्ड तथा श्री ए. के. मित्रा, अपर बागवानी अधिकारी, उत्तरकाशी ने भी प्रावधानों के संदर्भ में परिज्ञान दिया। किसानों के साथ खुली चर्चा के दौरान यह पहचान की गई कि हरशिल का राजमा

तथा कुछ स्थानीय दलहनों का अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जा सकता है। कार्यशाला में उत्तरकाशी जिले के 160 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

5.1.4 जोन - IV

5.1.4.1 जोन - IV में आयोजित कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केंद्र का नाम	तिथि और स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
अरवाल	29/07/2017 कृषि विज्ञान केंद्र, अरवाल	100
भागलपुर	24-26/02/2018, बिएयू सबोर	160
जेहानाबाद	09/03/2018, कृषि विज्ञान केंद्र, जेहानाबाद	109
मुंगेर	20/03/2018, कृषि विज्ञान केंद्र, मुंगेर	145
देवघर	27-28/03/2018, कृषि विज्ञान केंद्र देहोधर और पिढत लोकशाला मधुपुर, देहोधर	114
गारावाह	27-30/03/2018, कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा	125
राँची	30/03/2018, कृषि विज्ञान केंद्र राँची	210
पश्चिम सिंहभूम	27/03/2018, पंचायत भवन हटगमहरिया और 30/03/2018, गांव असानपथ	100
गुमला	24/03/2018, कृषि विज्ञान केंद्र मुख्यालय	269



5.1.5 जोन -V

किसानों को उनके अधिकारों तथा संरक्षण अधिनियमों के प्रति सचेत करने हेतु पौधा किस्म और किसान अधिकार विशय पर आईसीएआर—अटारी, कोलकाता के अंतर्गत पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से 07 कृषि विज्ञान केन्द्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनका विवरण निम्नलिखित है—

क्र. स.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	कार्यक्रम की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या	पंजीकृतकिस्मों की संख्या	फसल प्रजातियों का नाम
1	आरारीया	05/06/2017	75	4	धान
2	अरवाल	29/07/2017	100	-	—
3	खागारिया	23/05/2017	120	29	अनाज, सब्जियां, कंद फसले, फल, मसाले, दलहन, तिलहन
4	देयोधर	29/04/2017	151	3	धान—3
5	हवराह	08/09/2017	104	7	धान—7
		15/09/2017			
6	नादिया	16/06/2017	180	16	सब्जियां
		22/06/2017			
7	पश्चिम मेदिनीपुर	10/10/2017	383	107	अनाज, दलहन, सब्जियां, तिलहन, मसाले
		01/11/2017			
		11/11/2017			
		16/11/2017			
		20/11/2017			
		23/11/2017			
		27/11/2017			
कुल		1113	166		



5.1.6 जोन -VI

5.1.6.1 कृषि विज्ञान केन्द्र, बोंगायगांव, असम

कृषि विज्ञान केन्द्र, बोंगायगांव ने 17 मार्च, 2018 को कला परिषद भवन, अभयापुरी, बोंगायगांव में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 विशय पर प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. रंजित शर्मा, एसोसिएट डीन, एससीएस कृषि महाविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय, धुब्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों के संरक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने किस्मों के संरक्षण तथा कृषक समुदाय के हित के लिए इनका पंजीकरण हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया। डॉ. एस. के. पाल, मुख्य वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, असम कृषि विश्वविद्यालय, गोसायगांव ने अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया जो मूल्यवान किस्मों के संरक्षण हेतु पादप प्रजनकों और किसानों के हितों की रक्षा करता है तथा नए किस्मों के विकास हेतु प्रोत्साहित करता

है। यह किसानों के अधिकारों को संरक्षण, सुधार एवं पादप अनुवांशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने में दिए गए योगदान के संदर्भ में संरक्षण देता है, पादप प्रजनकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है और बीज उद्योगों के विकास की व्यवस्था करता है। सुश्री मेरी साधना शर्मा, विषयवस्तु विशेषज्ञ (पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी), केवीके, बोंगायांव ने किसानों को बल दिया कि वे स्थानीय किस्मों के जननद्रव्य का संरक्षण तथ जिले में उपलब्ध प्रमुख फसलों के बीज उत्पादन करें ताकि अन्यों पर निर्भर रहना न पड़े। कुल मिलाकर 153 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में उपस्थित हुए।



5.1.6.2 कृषि विज्ञान केन्द्र, जोरहाट



वैज्ञानिक तथा डॉ. एन. सरमह बरुआ, प्रोफेसर, पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी, असम कृषि विद्यालय ने डॉ. पी. के. पाठक, अनुसंधान सह निदेशक (कृषि); डॉ. आर. सूद, विस्तार शिक्षा सह निदेशक; डॉ. एम. के. सरमह, वरिष्ठ विस्तार विशेषज्ञ, डॉ. के. के. सरमह, प्रधान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया तत्पश्चात किसान—वैज्ञानिक पारस्परिक चर्चा की गई।

5.1.6.3 कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवसागर

कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवसागर ने दिनांक 17 मार्च, 2018 को केवीके, शिवसागर में 425 स्थानीय किसानों एवं कृषक महिलाओं की उपस्थिति में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. के. एम. बुजरबुल्ला, कुलपति, असम कृषि विद्यालय ने डॉ. पी. के. पाठक, अनुसंधान सह निदेशक (कृषि); डॉ. आर. सूद, विस्तार शिक्षा सह निदेशक; डॉ. एम. के. सरमह, वरिष्ठ विस्तार विशेषज्ञ, डॉ. के. के. सरमह, प्रधान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया तत्पश्चात किसान—वैज्ञानिक पारस्परिक चर्चा की गई।



5.1.7 जोन –VII

5.1.7.1 कृषि विज्ञान केन्द्र, मॉन (अभोय)



कृषि विज्ञान केन्द्र, मॉन (अभोय) नागालैंड ने 09 मार्च, 2018 को केवीके मॉन (अभोय) में “पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001” विषय पर एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री हितो सेमा, अपर उपायुक्त, अभोय, मॉन, नागालैंड उपस्थित रहे थे। उन्होंने किसानों को किस्मों को संरक्षित करने तथा उन्हें कृषक समुदाय के हितों के लिए पंजीकरण करवाने हेतु प्रेरित किया।

डॉ. एम. एस. सचान, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन), केवीके, मॉन; डॉ. पयहेम मिचुइ, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी (पशु विज्ञान) संसाधन स्रोत के रूप में कार्य करते हुए पीपीवी एवं एफआर अधिनियम पर व्याख्यान दिए हैं। लगभग 100 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिए हैं।

5.1.7.2 कृषि विज्ञान केन्द्र, तवांग, अरुणाचल प्रदेश

कृषि विज्ञान केन्द्र, तवांग, अरुणाचल प्रदेश ने दिनांक 29.03.2018 को जॉमखंग हाल, तवांग में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 विषय पर एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 126 किसान एवं संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



डॉ. डी. एस. छोनकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके, तवांग ने कार्यक्रम लक्ष्य और उद्देश्य का उल्लेख किया। श्री दोर्जी योडॉन थंगॉन, विषयवस्तु विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान) ने अधिनियम के बारे में जानकारी दी और श्री सी. के. सिंह ने डीयूएस (विशिष्टता, समरूपता, स्थिरता) परीक्षण के बारे में बताया। तत्पश्चात पारस्परिक चर्चा के दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं को बताया और उनकी शंकाओं को दूर किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 126 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.1.8 जोन -VIII

5.1.8.1 कार्यक्रमों का विवरण

राज्य: महाराष्ट्र			
रायगढ	12/12/2017	कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ	107
पुणे-II	20/05/2017	कृषि विद्यालय, पुणे	24
सातारा-I	19/01/2018 28/10/2017	स्वरूपखान वाडी, मैन भूषणगढ, खात्वा	45
बीड-I	08/03/2018	वरपगांव	54
राज्य: गुजरात			
कृषि विज्ञान केंद्र तापी	25/04/2017	गांव-अमानीया, ब्लॉक-डोलवान, जिला-टापी	162
	26/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र एनएयू टापी	
	27/03/2018	एनएयू नवसारी	
कच्च-I	19/03/2018	सादाउ (मुँडरा)	42
दहोद	28.03.2018	कृषि विज्ञान केंद्र, एएयू दहोद	71
सबरकान्ता	17/03/2017 18/03/2017	गांव- नावावाकामपा और केशवगंज	312
जूनागढ़	28/03/2018	कृषि विज्ञान केंद्र, जूनागढ़	23
नवसारी	27/03/2018	केंद्रीय परीक्षा कक्ष, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	625



5.1.9 जोन - IX

5.1.9.1 वर्ष 2017–18 के दौरान पीपीवी एवं एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.स.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	स्थान	विवरण	आयोजित कार्यक्रम का दिनांक
राज्य: मध्य प्रदेश				
1	नरसिंहपुर	गांव- अंधीयारी, ब्लॉक: गोठेगांव	प्रदर्शनी और किसान गोष्ठी	06.02.2018
2	दतीया	कृषि विज्ञान केंद्र		20.02.2018
3	जबलपुर	कृषि विज्ञान केंद्र		07.03.2018
4	झाबुआ	कृषि विज्ञान केंद्र		16.02.2018

5	मंडसर	गांव— आमलावाद, जिला—मंडसूर		28.01.2018
6	रायसेन	कृषि विज्ञान केंद्र		07.02.2018
7	निमच	कृषि विज्ञान केंद्र		04.02.2018
8	शाहडोल	गांव— खतोली, ब्लॉक सोहागपुर		08.02.2018
9	सिहोर	कृषि विज्ञान केंद्र		02.02.2018
10	टिकमगढ़	कृषि विज्ञान केंद्र		30.01.2018
11	सिधी	कृषि विज्ञान केंद्र		30.01.2018
12	उमारिया	गांव— धावईझार, ब्लॉक— करकेली		10.2.2018
13	बादवानी	कृषि विज्ञान केंद्र		09.03.2018
14	धार	कृषि विज्ञान केंद्र		21.02.2018
15	डंडोरी	गांव—चापवार, ब्लॉक— सामनापुर		09.02.2018
16	हरदा	गांव— चिराखान तहसील— हदीया		02.02.2018
17	खारगांव	कृषि विज्ञान केंद्र		17.03.2018
18	सागर	कृषि विज्ञान केंद्र		15.02.2018
19	सतना	पगारखुर्द अमृति पंचायत मंज्ञागाव ब्लॉक		28.01.2018 03.02.2018
20	शाजापुर	कृषि विज्ञान केंद्र		29.01.2018
21	पन्ना	गांव— तारा, बताशा		30.01.2018 21.02.2018

राज्य: छत्तीसगढ़

22	बलराम	कृषि विज्ञान केंद्र	प्रदर्शनी और किसान गोष्ठी	25.02.2018
23	बसतर	कृषि विज्ञान केंद्र		20.02.2018
24	बिजापुर	जिला पंचायत सभागार		20.03.2018
25	धामतारी	गांव— कोडेबोद ब्लॉक धामतारी		07.02.2018
26	बिलासपुर	कृषि विज्ञान केंद्र		09.02.2018
27	धांतेवाडा	कृषि विज्ञान केंद्र		20.02.2018
28	जंजगीर चंपा	कृषि विज्ञान केंद्र		05.02.2018
29	जैशपुर	कृषि विज्ञान केंद्र, दुमारबहार, जैशपुर		26.02.2018
30	कंकर	गांव—गोतूलमुंडा, ब्लॉक— दुर्गाकोनल		07.02.2018
31	कावारधा	कृषि विज्ञान केंद्र		15.02.2018
32	कोरिया	गांव— सालका		23.02.2018
33	राजनंदगांव	कृषि विज्ञान केंद्र		01.02.2018
34	सरगुजा	कृषि विज्ञान केंद्र		24.02.2018
35	रायपुर	कृषि विज्ञान केंद्र		14.03.2018

5.1.9.1.1 कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या

क्र. स.	राज्य	किसानों की संख्या	वैज्ञानिकों की संख्या	राज्य अधिकारियों की संख्या	एनजीओ और अन्य प्रतिभागियों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
1	मध्य प्रदेश	5016	152	192	78	5438
2	छत्तीसगढ़	2483	132	103	73	2791
	कुल	7499	284	295	151	8229



5.1.10 जोन X

5.1.10.1 पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 विषय पर जागरुकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कृषि विज्ञान केन्द्रवार विवरण

क्र. स.	राज्य	कृषि विज्ञान केंद्र का नाम और पता	स्थान	कार्यक्रम की तिथि	प्रतिभागियों की सख्ती
1	आंध्र प्रदेश	कृषि विज्ञान केंद्र, रेड्डीपाली, जिला आंन्तपुर	संबंधित विज्ञान परिसर	17/03/2018	503
2		कृषि विज्ञान केंद्र, अमादलावालसा, जिला श्रीकाकुलम			584
3		कृषि विज्ञान केंद्र, रसताकुंताबाई जिला विजीयागनम			562
4		कृषि विज्ञान केंद्र, उतुकूर, जिला कपाड़ा			450
5		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला कृष्ण			678
6		कृषि विज्ञान केंद्र, यागानतिपाली, जिला कर्नूल			754
7		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला पूर्व गोदावरी			344
8		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला पश्चिम गोदावरी			644
9		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला चित्तूर			450
10		कृषि विज्ञान केंद्र, तिरुपति जिला चित्तूर			384
11		कृषि विज्ञान केंद्र, लम, गूटर			780
12		कृषि विज्ञान केंद्र, दरसी, प्रकाशम			480
13		कृषि विज्ञान केंद्र, नेल्लूर			304
14		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला नेल्लूर			350
15		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला विश्वापट्टनम			4780
16		कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वापट्टनम			343
17		कृषि विज्ञान केंद्र, क्रूनूल, बनवासी			540
					12930

1	तमिल नाडु	कृषि विज्ञान केंद्र, जिला सलेम	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर	17/03/2018	216
2		कृषि विज्ञान केंद्र, विद्राचलम, जिला कूड़ालोर			240
3		कृषि विज्ञान केंद्र, सिरुगामनी, जिला त्रिचीरापाली			846
4		कृषि विज्ञान केंद्र, वालिकांदापूरम, जिला पेरामबालूर			763
5		कृषि विज्ञान केंद्र, जैडएआरएस, जिला पूडूकोटई			347
6		कृषि विज्ञान केंद्र, जैडएआरएस, जिला रामनाथपुरम	संग्राहक परिसर		197
7		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला कन्याकुमारी	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर		131
8		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला मदुरई	काकान सभागार, मदुरई		515
9		कृषि विज्ञान केंद्र, टिंडीवानम, जिला विलुपूरम	एनबीसी गोविंदामाल		477
10		कृषि विज्ञान केंद्र, विर्जीपूरम, जिला वेलूर,	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर		222
11		कृषि विज्ञान केंद्र, तिरुर, जिला तिरुवलूर			176
12		कृषि विज्ञान केंद्र, निदामंगलम, जिला तिरुवरुर			234
13		कृषि विज्ञान केंद्र, सिकाल, जिला नागापटिनम	संग्राहक कार्यालय		238
14		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला विरुद्धनगर	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर		132
15		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला धर्मापूरी			217
16		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला कांचीपूरम			238
17		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला शिवागंगई	मंदाबम कूंद्राकुडी		412
18		कृषि विज्ञान केंद्र, जिला नामाकाल	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर		576
19		कृषि विज्ञान केंद्र, गांधीग्राम, जिला डिंदीगुल			312
20		कृषि विज्ञान केंद्र, विवेकानंदापूरम, जिला कोयम्बटर			429
21		कृषि विज्ञान केंद्र, कमातचीपुरम, जिला थेनी	शंति महल कृष्णागिरि		187
22		कृषि विज्ञान केंद्र, मालीनयानापाली कृष्णागिरि			638
23		कृषि विज्ञान केंद्र, गोभीचेतीपलयम, जिला इरोड	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर		531
24		कृषि विज्ञान केंद्र, मूदीवीथानेदल, जिला टूटीकोरीन			647
25		कृषि विज्ञान केंद्र, कूलीथालाई, जिला कर्लर			477
26		कृषि विज्ञान केंद्र, चौजामादेवी, अरीयालूर			740
27		कृषि विज्ञान केंद्र, तालूका वेमबाकुम, तिरुवनामलई			592
कुल					10730

1	तेलंगाना	कृषि विज्ञान केंद्र, एआरएस, जिला अदीलाबाद	केसीबी अदीलाबाद	17/03/2018	654
2		कृषि विज्ञान केंद्र, मंचेरियल	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर		449
3		कृषि विज्ञान केंद्र, मदनापुरम, महबूबनगर			186
4		कृषि विज्ञान केंद्र, पालेम, जिला महबूबनगर			353
5		कृषि विज्ञान केंद्र, जहिराबाद, जिला मेडक			130
6		कृषि विज्ञान केंद्र, रूदरू, जिला निजामाबाद			2015
7		कृषि विज्ञान केंद्र, मेडक (ई)			200
8		कृषि विज्ञान केंद्र, जामीकूंता, जिला करीमनगर			255
9		कृषि विज्ञान केंद्र, रिपूरामंडल, जिला नलगांडा			1251
10		कृषि विज्ञान केंद्र, मलयाल जिला वारंगाल	कृषि विज्ञान केंद्र परिसर		457
11		कृषि विज्ञान केंद्र, वायरा, जिला खामाम			856
12		कृषि विज्ञान केंद्र, ममनूर जिला वारंगाल			375
				कुल	7181



5. 1. 11 जोन -XI

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैंगलोर ग्रामीण, ग्राम हदोनाहल्ली ने दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. निरंजन मूर्ति, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संभावित फसलों पर एआईसीआरपी, जीकेवीके, यूएएस, बैंगलोर तथा डॉ. के. नारायणगौड़ा, विस्तार सह निदेशक, यूएएस, बैंगलोर ने व्याख्यान दिए हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि/बागवानी/पशु पालन/रेशम पालन विभाग, सहाजा सीड़स ने विभिन्न स्टालों के माध्यम से किसीय सम्पदाओं को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 94 किसान/कृषक महिलाएं, 30 विस्तार कार्यकर्ता तथा 6 एजेन्सियों ने भाग लिया।



5.2 अन्य कार्यक्रम

5.2.1 एनआरआरआई, कटक में किसान अधिकार पर क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी

पीपीवी एवं एफआरए द्वारा भाकृअनुप-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा के सहयोग से दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को किसान अधिकार पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. हिमांशु पाठक, निदेशक, भाकृअनुप-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने पीपीवी एवं एफआरए तथा आईसीएआर-एनआरआरआई द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों एवं प्रतिभागी वैज्ञानिकों, किसानों का हार्दिक स्वागत किया। डॉ. बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव (बीज) तथा अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए ने अपने उद्घाटन व्याख्यान में पीपीवी एवं एफआर अधिनियम में उल्लेखित किसानों के अधिकारों, लाभ साझा करने, क्षतिपूर्ति तथा किसानों के किस्मों के पंजीकरण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु इस क्षेत्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु आईसीएआर-एनआरआरआई की सराहना की। डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप ने पीपीवी एवं एफआरए को श्री एस. के. पट्टनायक, सचिव, डीएसी एवं एफडब्ल्यू की गरिमामयी उपस्थिति में इस प्रकार के कार्यशाला के आयोजन हेतु धन्यवाद दिया और कहा कि ओडिशा के लोग इस सभा में मौजूद विशेषज्ञों के सुझावों को सुनने के लिए आतुर हैं।



डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार ने तकनीकी सत्रों का विवरण तथा किसानों के किस्मों, लाभ साझा करने तथा अनुपालन व्यवस्था को मुख्यधारा में लाने हेतु इसके अधिदेश का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों के पंजीकृत किस्मों से उन्हें लाभान्वित करने हेतु रणनीतियों के विकास के लिए इस प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से सुझावों और संकल्पनाओं की अपेक्षा करता है। कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी का आयोजन किसानों के किस्मों में विविधता दर्शाने हेतु किया गया। इस कार्यक्रम में ओडिशा, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के किसानों ने भाग लिया। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने पोस्टरों एवं प्राधिकरण के प्रकाशनों का प्रदर्शनी लगाया और स्टालों में प्रदर्शित किसानों के किस्मों के पंजीकरण हेतु किसानों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में आवेदन प्रपत्र वितरित किया।

5.2.2 असम कृषि विश्वविद्यालय, कहाकुछी, गुवाहाटी में किसानों के अधिकारों पर क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी



असम कृषि विश्वविद्यालय, कहाकुछी, गुवाहाटी के सहयोग से पीपीवी एवं एफआरए ने 14 दिसम्बर, 2017 को किसानों के अधिकारों पर क्षेत्रीय कार्यशाला तथा कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का उद्घाटन श्री के. के. मित्तल, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, असम सरकार ने किया। बैठक में उत्तर पूर्वी राज्यों के 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने पोस्टरों तथा प्राधिकरण के प्रकाशनों का एक स्टाल लगाया। स्टालों में प्रदर्शित किसानों के किस्मों के पंजीकरण हेतु किसानों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में 100 आवेदन प्रपत्र वितरित किए गए।

डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार ने दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के साथ पीपीवी एवं एफआर का गुवाहाटी शाखा कार्यालय का दौरा किया और शाखा कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की एवं मौलिक सुविधाओं का जायजा लिया और मूल्यवान सुझाव दिए एवं भावी कार्यों के लिए मार्गदर्शन दिया। डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार ने सरकारी पत्राचार में हिन्दी के उपयोग के संदर्भ में एक बैठक की अध्यक्षता की और सरकारी पत्राचार में हिन्दी के उपयोग में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

5.2.3 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि—जैवविविधता प्रदर्शनी

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में दिनांक 15 जनवरी, 2018 को क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि—जैवविविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 400 किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में अनेक स्टाल लगाए गए और विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली फसल विविधताओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉ. बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव (बीज) एवं अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए (प्रभारी) ने किया और इस अवसर पर डॉ. आर. सी. अग्रवाल तथा आईआईएसआर के निदेशक डॉ. ए. डी.



पाठक भी उपस्थित थे। पीपीवी एवं एफआरए के अधिकारियों ने किसानों के किस्मों को मुख्य धारा में लाने के संदर्भ में व्याख्यान दिए। इसके अतिरिक्त अनेक किसानों ने अपने अनुभवों को साझा किया। डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार ने किसानों द्वारा संरक्षित परम्परागत किस्मों तथा इन्हें पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आग्रह किया कि किसान आगे आ कर अपने किस्मों का पंजीकरण करायें।



5.2.4 प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद में किसानों के अधिकारों पर क्षेत्रीय कार्यशाला और कृषि—जैवविविधता प्रदर्शनी

इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पीजेटीएसएयू, हैदराबाद तथा आईसीएआर—कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (अटारी)—जोन - I (हैदराबाद) तथा जोन - XI के सहयोग से किया गया ताकि किसान / प्रजनक किसानों के किस्मों, उनके पंजीकरण और भावी प्रजनन कार्यक्रमों में इनके उपयोग हेतु इन्हें मुख्य धारा में लाने तथा कृषि जैवविविधता का संरक्षण के महत्व को पहचान सके।



पांच दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल के लगभग 450 किसान, विभिन्न भाकृअनुप संस्थानों, पीजेटीएसएयू तथा विभिन्न दक्षिणी राज्यों के कृषि विज्ञान केन्द्रों से 170 वैज्ञानिक तथा विश्वविद्यालय के 50 स्नातकोत्तर छात्रों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में किस्मों के पंजीकरण तथा कृषि—जैवविविधता के विभिन्न

पहलुओं पर अनेक सत्रों का आयोजन किया गया। प्लांट जेनोम सेवियर पुरस्कार विजेताओं और अन्य किसानों के लिए एक अलग सत्र का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के किसानों अपने विचार प्रकट किए और अपने अनुभवों को साझा करते हुए अधिनियम से संबंधित अपने संदेहों को दूर किए हैं। श्रीमती अंजम्मा, गंगवार गांव, जहीराबाद मंडल, मेदक जिला, तेलंगाना जो 2015 में प्लांट जेनोम सेवियर फार्मर रिवार्ड के विजेता हैं, ने विविधकृत फसलों की खेती तथा सभी फसलों के खेत में बचत किए बीजों को पड़ोसी किसानों से साझा करने के संदर्भ में अपने अनुभवों के बारे बतायी।

डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए ने तकनीकी सत्रों में उभरे निम्नलिखित मामलों पर टिप्पणियां दी।

- कार्यशाला में किसानों एवं अन्य पण्धारियों द्वारा व्यक्त विचारों को संकलन में सम्मिलित किया जाएगा।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों में दी जाने वाली पुरस्कार राशि में संशोधन किया जाएगा।

- प्राधिकरण, लाभ साझा करने, क्षतिपूर्ति के दावे तथा किसानों के किस्मों के दुरुपयोग जैसी पहलुओं पर कार्य कर रहा है।
- मूल्यांकन के एवीटी-II अवस्था में किस्मों का पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में पंजीकरण के संदर्भ में उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान / बागवानी) से स्पष्टीकरण लेगा।
- प्राधिकरण पंजीकरण शुल्क को रु 2,000 से घटाकर रु 500 करने का प्रयास कर रहा है।

अंत में उन्होंने पुनः कृषक समुदाय से आग्रह किया कि पंजीकरण प्रक्रिया को जल्द पूरी करें चूंकि किसानों के किस्मों और विद्यमान किस्मों के पंजीकरण करने की समय सीमा 2020 है।

5.2.5 किसानों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सेमिनार एवं कृषि-जैवविविधता पर प्रदर्शनी

भाकृअनुप-भारतीय सब्जि अनुसंधान संस्थान, वारणासी, उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी, 2018 को किसानों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सेमिनार तथा कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। सेमिनार में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा अन्य राज्यों से लगभग 5000 किसान, कृषक महिलाएं, विस्तार कार्यकर्ता तथा विकास अधिकारियों ने भाग लिया। विभिन्न कृषि-बागवानी फसलों पर कार्य करने वाले भाकृअनुप के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास अभिकरणों, बैंक तथा गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया और अपने आधुनिक प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को जीवित नमूनों, चार्ट, फोटोग्राफ आदि के माध्यम से राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया।



5.2.6 दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट में किसानों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सेमिनार एवं कृषि-जैवविविधता पर प्रदर्शनी



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट में दिनांक 26 फरवरी, 2018 को “राष्ट्रीय सेमिनार एवं कृषि-जैवविविधता प्रदर्शनी” का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. त्रिलोचन महापात्र, महानिदेशक, भाकृअनुप एवं सचिव, डेयर, नई दिल्ली ने किया और कार्यक्रम में डॉ. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट; डॉ. के. वि. प्रभु, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली; श्री वीरेन्द्रा जीत सिंह, अध्यक्ष, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट; श्री अतुल जैन, संयुक्त सचिव, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट, डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली उपस्थित रहें हैं।

उद्घाटन सत्र के दौरान श्री गणेश सिंह, माननीय संसद सदस्य, सतना निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश ने पीपीवी एवं एफआरए की गतिविधियों की सरहना की। महानिदेशक, भाकृअनुप ने प्राधिकरण में किसानों के किस्मों के पंजीकरण के महत्व के बारे में प्रकाश डाला। डॉ. के. वि. प्रभु, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए ने किसानों के किस्मों के संरक्षण तथा लाभ साझा करने संबंधित विषयों का उल्लेख किया; श्री अतुल जैन, संयुक्त सचिव, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट ने संस्थान में हुई प्रगति तथा संस्थान की गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया; डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए ने अपने सम्बोधन में प्राधिकरण का विस्तृत विवरण तथा भावी रोड मैप प्रस्तुत किया और डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार ने किसानों के अधिकारों पर व्याख्यान दिया।



5.2.7 नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी में क्षेत्रीय कार्यशाला तथा पौधा किस्म विविधता प्रदर्शनी

“क्षेत्रीय कार्यशाला तथा पौधा किस्म विविधता प्रदर्शनी” का आयोजन 27 मार्च, 2018 को नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया जिसका उद्घाटन डॉ. के. वि. प्रभु, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए द्वारा किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एस. आर. चौधरी, डायरेक्टर ऑफ अनुसंधान एवं डीन स्टाडीस, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय ने की। डॉ. जी. आर. पटेल, अपर निदेशक अनुसंधान, निदेशक, विस्तार शिक्षा, परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय भी इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं। कार्यशाला में 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया।



कार्यशाला के दौरान विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 24 स्टाल लगाए गए और स्टेविया और सूरतपोंक के कुछ नए किस्मों को प्रदर्शित किया। इन किस्मों के अतिरिक्त, अध्यक्ष ने आग्रह किया कि ज्वार के किस्मों को पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण करायें। इसी प्रकार कुछ सब्जी किस्मों जैसे इंडियन बीन, स्पांज गौर्ड को भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता है।

डॉ. के. वि. प्रभु, अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन सम्बोधन में श्रोताओं से अनुरोध किया शिक्षे अपने किस्मों को कानूनी अधिकारों तथा किसानों द्वारा कई वर्षों से विकसित / संरक्षित किस्मों के लाभ साझा करने हेतु पीपीवी एवं एफआरए में पंजीकरण करायें। अध्यक्ष ने अनेक महिला प्रतिभागियों की उपस्थिति की सरहना की जिन्हें पीपीवी एवं एफआरए की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा है।

5.2 पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, प्रतिदान एवं पहचान

श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में प्लांट जिनोम सेवियर पुरस्कार समारोह बिहार राज्य के चम्पारण जिले के मोतीहारी में दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न हुआ। भारत के विभिन्न भागों के किसानों एवं कृषक समुदायों को कुल 35 पुरस्कार दिए गए। पुरस्कारों के तीन वर्ग हैं – प्लांट जिनोम सेवियर कम्प्यूनिटी एवार्ड, प्लांट जिनोम सेवियर फार्मर्स रिवार्ड्स तथा प्लांट जिनोम सेवियर फार्मर्स रिकोग्निशन।

कार्यक्रम में पांच कृषक समुदायों को प्रशस्ति पत्र, मेमेन्टो तथा रु 10 लाख का नगद पुरस्कार; दस किसानों को प्लांट जिनोम सेवियर फार्मर्स रिवार्ड के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, मेमेन्टो तथा रु 1.5 लाख का नगद पुरस्कार; तथा बीस किसानों को प्लांट जिनोम सेवियर फार्मर रिकोग्निशन पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र, मेमेन्टो तथा रु 1.0 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया।



5.2.1 पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार विजेता :

5.2.1.1 नोंगलावाय आर्चिड सोसाइटी, नोंगलावाय.II, नोंगस्टोइन, पश्चिमी खासी पर्वतमाला, मेघालय—793119

खासिया जैनटिया गारो पर्वतमाला कृषि-जैवविविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र में स्थित नोंगलावाय आर्चिड सोसाइटी, नोंगलावाय-II, नोंगस्टोइन, पश्चिमी खासी पर्वतमाला, मेघालय सक्रिय रूप से अर्चिड्स के 75 से अधिक प्रजातियों जैसे सिम्बोडियम, डेङ्गोबियम, बल्बोफाइलम, पेफियोपेडीलम, प्लेओन तथा अन्य प्रजातियों के संरक्षण में संलग्न हैं। वे आरईटी आर्चिड प्रजातियों का भी रखरखाव किया जो मेघालय और इसके आसपास पाए जाती हैं। सोसाइटी के सदस्य

आईसीएआर—एनआरसी ऑन आर्चिड्स, सिक्किम द्वारा बेसिन डवलपमेंट यूनिट, वेर्स्ट खासी हिल्स की सहायता से संरक्षण एवं खेती करने में प्रशिक्षित हैं।

5.2.1.2 ग्रामीण खाद्य सम्प्रभुता समूह अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड—263678 के 7 ग्रामीण पंचायतों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

पश्चिमी हिमालयी कृषि—जैवविविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र में स्थित ग्रामीण खाद्य सम्प्रभुता समूह (7 ग्रामीण पंचायतों का समूह नामतः सूरी, गरस्यारी, हरारे, बेरगांव, आईनान, सुनियाकोटे तथा मतिला), तारीखेत प्रखण्ड, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड स्थानीय फसलों के आनुवांशिक संसाधनों जो खाद्य प्रभुता और देशी खेती के लिए महत्वपूर्ण हैं, के संरक्षण तथा सतत उपयोग में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। यह समुदाय उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर फसल—पशुधन के मिश्रित वर्षा आधारित खेती के मॉडल साइट का प्रतिनिधित्व करता है।

5.2.1.3 जनजातीय परिषद निकोबारी जनजाति, कार निकोबार, निकोबार, अंडमान एवं निकोबार—744301 द्वारा आवेदित।

निकोबारी जनजाति, द्वीपीय कृषि—जैवविविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित निकोबारी जनजाति, कार निकोबार, निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निकोबारी आले (बड़ा रतालू) तथा अन्य कंदीय प्रजातियों के परम्परागत किस्मों जैसे अचिन, डोमरित, बोल्ता, थिरोज, कनिया आदि के संरक्षण और सतत उपयोग में समिलित हैं। संरक्षण, खेती और तुहेत/संयुक्त परिवार प्रणाली के माध्यम से किसान से किसान विनिमय से इन समुदायों की सतत आजीविका सुनिश्चित हुई है।

5.2.1.4 अहिंसा कलब, भूटीबहल, गैसालाट, रयसलपाड़ार, बरगढ़, ओडिशा—768037

कोरापुट कृषि जैवविविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित अहिंसा कलब, भूटीबहल, गैसालाट, बरगढ़, ओडिशा चावल, मोटे अनाज, सब्जियां, कंद फसलों, तिलहनों तथा दलहनों के परम्परागत किस्मों के संरक्षण और सतत उपयोग से जुड़ा हुआ है। समुदाय आधारित यह संगठन बीज उपचार, पादप पोषण, भंडारण में जैविक पद्धतियों को बढ़ावा तथा जीविकोपार्जन हेतु स्थानीय किसानों में मिश्रित पालन अपनाता है।

5.2.1.5 कुन्बी जनजाति, जोयडा, उत्तर कन्नडा, कर्नाटक—581186

कौंकण कृषि जैवविविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित कुन्बी जनजाति, जोयडा तालुक, उत्तर कन्नडा, कर्नाटक विभिन्न कंद फसलों के संरक्षण एवं खेती से जुड़े हुए हैं तथा “मुडली” (दशीन टारो) को आईसीएआर—सीटीसीआरआई के साथ साझा किए हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों से समृद्ध है। यह समुदाय खेती, भंडारण तथा प्रसंस्करण में देशी पद्धतियों को अपनाता है।

5.2.2 पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान / पुरस्कार विजेता

5.2.2.1 श्री रेजी जोसेफ, पलककाथराप्पे, कुट्टीचाथन कवला के निकट, ओट्टापालम, श्रीकृष्णपुरम, पलककड़, केरल

श्री रेजी जोसेफ एक प्रगतिशील किसान और आंवला के अनेक स्थानीय किस्मों का संरक्षक है जिनमें शोलायूर, पुथूर, इरुथायमपथी तथा अन्य औषधीय फसल प्रजातियां समिलित हैं। वह आंवला फलों को आर्य वैद्यशाला, कोट्टाक्कल; वन्य आंवला के रूट स्टॉक तथा चयनित किस्मों के अंकुर/कलमों को नर्सरियों एवं अनुसंधान संस्थानों को आपूर्ति करता है।

5.2.2.2 श्री द्वारिकेश पाण्डेय, मस्तूरी, बनियाडिह, सीपत, बिलासपुर, छत्तीसगढ़—495001

श्री द्वारिकेश पाण्डेय एक प्रगतिशील किसान और चावल, काबुली चना, सूर्यमुखी आदि के स्थानीय किस्मों का संरक्षक है। उन्होंने आईजीकेवी, रायपुर के साथ करहनी-1 को साझा किया जिसे चावल के किस्मों के प्रजनन में अनुवांशिक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

5.2.2.3 श्री चैतराम यादव, बिलह, धूमा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़—495001

श्री चैतराम यादव एक प्रगतिशील किसान है जिन्होंने बेर के किस्म ‘अंगूरी’ का विकास किया और सामग्री को केवीके,

बिलासपुर में जमा कराया है। अंगूरी बेर अंगूर जैसा गुच्छों में होता है और इनका स्वाद मीठा और छोटे पत्थर के आकार का होता है। इस किस्म को किस्मों के विकास के लिए डोनर जैसा उपयोग किया जा रहा है।

5.2.2.4 श्री नवनाथ मलहारी कासपाटे, मधुबन निवास, स्वयंवर के निकट, मंगल कार्यालय, लाटूर रोड, बशी, सोलापुर, महाराष्ट्र—413401

श्री नवनाथ मलहारी कासपाटे एक प्रगतिशील किसान है जिन्होंने सेलेक्शन के माध्यम से सीताफल (शरीफा / कस्टर्ड एपल) किस्म 'एनएमके—1 (गोल्डेन)' का विकास किया जिसे फसल सुधार हेतु एमपीकेवी, राहुड़ी में उपयोग किया गया है। एनएमके—1 (गोल्डेन) में आकर्षक रंग, आकार और अच्छी गुणवत्ता होती है।

5.2.2.5 श्री मैथ्यू सेबास्टियन, ताजहेतेल हाउस, मेलाटूर पोस्ट, पेरिनथलमन्ना, वया मलपुरम, केरल

श्री मैथ्यू सेबास्टियन एक प्रगतिशील किसान है जिन्होंने भाकृअनुप—भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोजिकोड के सहयोग से किसानों की प्रतिभागिता प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से जायफल के एक किस्म आईआईएसआर—केरलाश्री का विकास किया। इस किस्म का विकास आईआईएसआर स्रोत के बरलियर, तमिलनाडु के एक विशिष्ट मदर ट्री से किया गया। इस किस्म में जायफल मोटा, जावित्री होता है और जायफल का तेल साबीनेनी से समृद्ध; जायफल एवं जावित्री में कम मात्रा में माइरिस्टीसिन एवं इलीमाइसिन होता है।

5.2.2.6 श्री संजीव कुमार, हाजीपुर चकवाड़ा, वैशाली, बिहार—844101

श्री संजीव कुमार एक प्रगतिशील किसान है जिन्होंने अपने फूलगोभी जननद्रव्य को साझा किया, जिसे अगेती परिपक्वता वाली फूलगोभी किस्म "साबोर अग्रिम" के विकास हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर में उपयोग किया गया।

5.2.2.7 डॉ. मृत्युन्यप्पा सी. एन., रु72, संत्रपथी, भांतला मार्ग, श्रीरामपुरा, मैसूर, कर्नाटक—570008

डॉ. मृत्युन्यप्पा सी. एन., एक प्रगतिशील किसान और अनेक किस्मों के फल, औषधीय पौधों तथा अन्य फसलों के संरक्षक हैं जिन्हें बागवानी महाविद्यालय, (यूएचएस, बागलकोट), मैसूर में किस्मों के विकास के लिए जीन के डोनर के रूप में उपयोग किया गया है।

5.2.2.8 श्री सुन्दरम वर्मा (कुमावत), दंतरामगढ़, धाभियोंवाली कोठी, दांता सीकर, राजस्थान—332702

श्री सुन्दरम वर्मा (कुमावत) एक प्रगतिशील किसान और अनेक फसलों का विकासक है जैसे ज्वार, हरी मूँग, बाजरा, काबुली चना, धनिया आदि। उन्होंने अपने काबुली चना, गाजर, फूलगोभी तथा मिर्च के जननद्रव्य को साझा किया जिन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में उननत किस्मों के विकास के लिए प्रजनन कार्यक्रम में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने धनिया, जीरा, ग्वार, बाजरा तथा मेंथी के जननद्रव्य को एनबीपीजीआर में जमा किया।

5.2.2.9 श्री टी. टी. थोमस, थेक्केल (एच), कांचीयर, कक्कट्टुडकाडा, इदुक्की, केरल—685511

श्री टी. टी. थोमस एक प्रगतिशील किसान और इन्होंने उच्च उपज वाली काली मिर्च के किस्म "थेक्कन" का चयन किया है। यह लम्बी, पूर्णतः शाखित स्पाइक वाली, काली मिर्च की अन्य परम्परागत किस्मों की अपेक्षा प्रति स्पाइक अधिक बेरी लगते हैं। शाखित स्पाइक की इस विशिष्ट गुण का मूल्यांकन आगे के फसल सुधार अध्ययन हेतु केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर में किया जा रहा है।

5.2.2.10 श्रीमती अंजम्मा गंगवार, जहीराबाद, मेदक, तेलंगाना—502251

श्रीमती अंजम्मा एक संरक्षक और ज्वार, चावल, कदन्न, अरहड़, उड़द, मूँग तथा अन्य फसलों के परम्परागत किस्मों का उत्पादक है। इन किस्मों को कृषि अनुसंधान स्टेशन (यूएस, रायचूर), बिदार में प्रजनन कार्यक्रम में उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3 पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान विजेता

5.2.3.1 श्रीमती फुला बाई, टीकमगढ़, सोरीयाना, लार, मध्य प्रदेश—472001

श्रीमती फुला बाई लम्बे समय से "लाल धान" एक स्थानीय किस्म का संरक्षण कर रही है। इस किस्म में डोनर जीन की

पहचान की गई और जेएनएलवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.2 श्री रघुवर अदवाशी जतारा, नदिया, बिजरावन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री रघुवर अदवाशी लम्बे समय से “पैडी लोकल” चावल का एक स्थानीय किस्म का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनएलवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.3 श्री पैरे लाल सौरयाना, लार, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री पैरे लाल लम्बे समय से छोटे बाजरा (लघु कदन्न/स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म “चीना” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनएलवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये कदन्न मीठे होते हैं और शीतकाल के दौरान इसे चपाती बनाने में उपयोग किया जा सकता है।

5.2.3.4 श्री मथुरा प्रसाद कुशवाहा कान्ति, हीरानगर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री मथुरा प्रसाद कुशवाहा लम्बे समय से छोटे बाजरा (लघु कदन्न/स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म “कोदोन” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनएलवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.5 श्रीमती बेनीबाई, सोरीयाना, लार, मध्य प्रदेश—472001

श्रीमती बेनीबाई लम्बे समय से छोटे बाजरा (लघु कदन्न/स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म “कुटकी” का संरक्षण कर रही है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.6 श्री द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा, कान्ति, हीरानगर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा लम्बे समय से छोटे बाजरा (लघु कदन्न/स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म “फिकारा” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके कदन्न मीठे होते हैं और इस किस्म को चारा और अन्न दोनों ही उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

5.2.3.7 श्री स्वामी पाल, जतारा, नदिया, बिजरावन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री स्वामी पाल लम्बे समय से सावन पैडी (किस्म स्थानीय साथिया) का रखरखाव व संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह अल्प अवधि का किस्म है और इसका उपयोग अन्न के लिए किया जाता है।

5.2.3.8 श्री भगीरथ यादव कान्ति, हीरानगर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री भगीरथ यादव लम्बे समय से खान नामक छोटे बाजरे (लघु कदन्न/स्माल मिल्लेट) के एक किस्म का रखरखाव व संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह अल्प अवधि का किस्म है और इसका उपयोग अन्न के लिए किया जाता है।

5.2.3.9 श्रीमती रमा बाई टीकमगढ़, सोरीयाना, लार, मध्य प्रदेश—472001

श्रीमती रमा बाई लम्बे समय से खान नामक छोटे बाजरे (लघु कदन्न/स्माल मिल्लेट) के एक किस्म का रखरखाव व संरक्षण कर रही है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के

विकास के लिए आनंदशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.10 श्री अमर चन्द्र प्रजापति जतारा, नदिया, बिजरावन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री अमर चन्द्र प्रजापति लम्बे समय से छोटे बाजरे (लघु कदन्न / स्माल मिल्लेट) के एक किस्म फिखारा का रखरखाव व संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनंदशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह अल्प अवधि का किस्म है और इस किस्म को चारा और अन्न दोनों ही उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

5.2.3.11 श्री लखन लाल अहिरवार जतारा, नदिया, बिजरावन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्री लखन लाल अहिरवार लम्बे समय से छोटे बाजरे (लघु कदन्न / स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म “चीना” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनंदशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह अल्प अवधि का किस्म है और इसका उपयोग अन्न के लिए किया जाता है।

5.2.3.12 श्रीमती पुम्मा खुशवाहा जतारा, नदिया, बिजरावन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश—472001

श्रीमती पुम्मा खुशवाहा लम्बे समय से छोटे बाजरे (लघु कदन्न / स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म “कोडोन” का संरक्षण कर रही है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। यह अल्प अवधि का किस्म है और इसका उपयोग अन्न के लिए किया जाता है।

5.2.3.13 श्री महेन्द्र सिंह यादव भरत, बनगांव, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश—471201

श्री महेन्द्र सिंह यादव लम्बे समय से चावल के एक स्थानीय किस्म “साथिया” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.14 श्री आई. पी. सिंह यादव नवगांग, भरत, बनगांव, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश—471201

श्री आई. पी. सिंह यादव लम्बे समय से छोटे बाजरे (लघु कदन्न / स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म “कोडोन” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.15 श्री शिव प्रसाद राजपूत नवगांग, भरत, बनगांव, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश—471201

श्री शिव प्रसाद राजपूत लम्बे समय से चावल के एक किस्म “लोकल” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.16 श्री हर सेवक पटेल सुकवा, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश—471201

श्री हर सेवक पटेल लम्बे समय से छोटे बाजरे (लघु कदन्न / स्माल मिल्लेट) के एक स्थानीय किस्म कोडोन का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनंदशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.17 श्री धर्म दास राजपूत नवगांग, मनपुरा, लुगासी, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश—471201

श्री धर्म दास राजपूत लम्बे समय से छोटे बाजरे (कुटकी) के एक किस्म लथारा का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.18 श्री रांगी राजपूत छत्तरपुर, नवगांग, मनपुरा, लुगासी, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश—471201

श्री रांगी राजपूत, मनपुरा लम्बे समय से कोडो मिल्लेट किस्म “कुडवा” का संरक्षण कर रहा है। इस किस्म में डोनर जीन की पहचान की गई और जेएनकेवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में नए किस्मों के विकास के लिए आनंदशिक सुधार कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है।

5.2.3.19 श्री वी. एस. सिद्देश्वर रेड्डी चल्लाकेरे, विद्दापनाकुंटे, एम. एस. हल्ली, चित्रादुग्ग, कर्नाटक—577522

श्री वी. एस. सिद्देश्वर रेड्डी लम्बे समय से मङ्गुवा/रागी किस्म “उदूरु मल्लिगे”; नवाने किस्म “रुद्र दंते; कोरले किस्म “अंदु कोरले” का संरक्षण कर रहा है। इस किसान ने अपनी रागी/मङ्गुवा के किस्म को साझा किया जिसे आरसी यूनिट, एआईसीआरपी—लघु कदन्न, यूएएस, जीकेवीके, बैंगलोर में फसल सुधार कार्यक्रम हेतु मूल्यांकन किया गया।

5.2.3.20 श्री शिव कुमार चन्द्रवंशी करवदा, कोको कबीर धाम, छत्तीसगढ़—491336

श्री शिव कुमार चन्द्रवंशी एक प्रगतिशील किसान एवं बैंगन के स्थानीय किस्मों (एसकेटी 1 से एसकेटी 40) के संरक्षक हैं और अपने किस्मों को पंडित किशोरी लाल शुक्ला बागवानी महाविद्यालय (इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय), राजनन्दगांव के साथ साझा किया जिन्हें नए किस्मों के विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है। उनके किस्म मधु बैंगन को जीन के डोनर के रूप में आईजीकेवीवी में किस्मों के विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है।


अध्याय 6: भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन

6.1 भारतीय पौधा किस्म जरनल

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के नियम 2 (जी) के अनुसार प्राधिकरण अपने आधिकारिक मासिक पत्रिका “भारतीय पौधा किस्म जरनल” (पीवीजे) द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) रूप में प्रकाशित किया जाता है और जनसाधारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर अपने कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाता है। इस जरनल का स्तर विनियम, 2006 के अनुसार राजपत्र का समकक्ष है। जरनल की विषयवस्तु में आधिकारिक एवं सार्वजनिक नोटिस, राजपत्र अधिसूचनाएं, चित्र सहित पौधा किस्मों का पासपोर्ट डाटा, विभिन्न फसल प्रजातियों का डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश, पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण तथा अन्य संबंधित विषय सम्मिलित है।

6.2 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में प्राधिकरण ने पौधा किस्म रजिस्टरी के अन्दर पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है। इस रजिस्टर में पंजीकृत पौधा किस्मों का नाम के साथ संबंधित प्रजनकों के नाम एवं पता, पौधे का महत्व, विशिष्टताएं, मुख्य लक्षण आदि विवरण सम्मिलित है। रिपोर्ट अवधि के दौरान 619 किस्मों का पंजीकरण किया गया जिनमें 76 नए किस्में, 182 विद्यमान किस्में, विद्यमान वीसीके (सामान्य ज्ञान के किस्में) तथा किसानों के 361 किस्में सम्मिलित हैं।



6.3 प्राधिकरण के प्रकाशन

प्राधिकरण, पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 तथा किसानों के अधिकारों पर नियमित रूप से द्विभाषी रूप में विवरणिकाएं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रकाशित कर भाकृअनुप के विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अनेक किसान मेलाओं, बैठकों, प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में वितरित करता है। प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किस्मों का सार संग्रह, पोर्टर्स, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा तथा अन्य प्रकशनों को अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी तैयार का प्रकाशित करता है। प्राधिकरण अपने वेबसाइट को द्विभाषी रूप में रखरखाव करता है। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को प्राधिकरण द्वारा नियमित तौर पर द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष के दौरान 10 फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को प्रकाशित कर अधिसूचना हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा गया है। ये फसल प्रजातियां सूखे मेवों और वानिकीय फसलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा अधिकारिक संचार का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। प्राधिकरण के अधिकारी स्रोताओं / अवसरों की आवश्यकतानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी में व्याख्यान दिए हैं।

अध्याय 7: डाटाबेस, आईआईएनडीयूएस, एनओआरवी, वेबसाइट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

वेबसाइट :

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का अधिकारिक वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के शेड सर्वर से हटाकर एनआईसी के क्लौड सर्वर से जोड़ा गया। सभी सरकारी विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों के लिए उनके वेबसाइट तथा वेब एप्लीकेशंस को एनआईसी के क्लौड सर्वर से जोड़ना अनिवार्य है। मौजूदा शेड सर्वर की अपेक्षा क्लौड सर्वर की विशेषता उसकी मापनीयता/लचीलापन, अधिक निष्पादन, बेहतर आपदा वापसी प्रणाली तथा फ्लेक्सीबल बिलिंग है। वेबसाइट परिवर्तन का कार्य एनआईसी समन्वयक के सहयोग से प्राधिकरण के कार्मिकों द्वारा समयबद्ध रूप में किया गया।



वेबसाइट का रखरखाव दिभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) रूप में किया जाता है। फसलों के डीयूएस के उन्नत दिशानिर्देशों का वेब पेज प्राधिकरण के वेबसाइट के हिन्दी संस्करण में भी जोड़ा गया। इस पृष्ठ में सारणी को फसल समूह, फसल का नाम एवं वनस्पतिक नाम के साथ साथ डाउनलोड करने योग्य फार्मेट (पीडीएफ में) में विभाजित किया गया। कुल 147 फसल प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया।

जावा स्क्रिप्ट के उपयोग से एक नया एफएक्यू वेब पेज जोड़ा गया। डिजाइन किए गए अन्य वेब पेज प्लांट जिनोम सेवियर कम्यूनिटी एवार्ड, रिवार्ड एवं रिकोगनिशन हैं। वेबसाइट में आरटीआई पेज, पौधा किस्म रिजस्ट्री संबंधित सूचना वेब पेज, वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वेब पेज, प्राधिकरण के कार्मिक, नए/विद्यमान/किसानों के किस्म के अंतर्गत पंजीकरण के लिए खुली 148 फसल प्रजातियों की सूची तथा महत्वपूर्ण राजपत्र अधिसूचनाओं का वेबपेज आदि हैं।

आवेदन की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैकिंग :

प्राधिकरण ने वेबसाइट में आवेदनों की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली का विकास किया गया। यह एक गतिशील खोज प्रक्रिया है जहां आवेदक पावती संख्या या डिनोमिनेशन या आवेदक के नाम से आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। स्टेटस रिपोर्ट देखने और प्रिंट लेने की सुविधा है। यह वेब पेज सभी वेब ब्राउजर्स के लिए अनुकूल है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)



प्राधिकरण, केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) पर अपलोड किए गए निविदाओं की प्रतियां भी देता है, प्राधिकरण के लिए सभी खरीद GeM (Government EMarketplace) से की जाती है, अद्यतित जनरल पूल रेसिडेंशियल एकमोडेशन (<http://gpra.nic.in/gpra>), आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट (<http://dsscic.nic.in/users/pn-login>), नयी पेशन योजना का अंशदान (<https://npscan-cra.com/CRA/>), लेखा प्रणाली (<https://npscan-cra.com/CRA/>), सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व भारतीय निगरानी प्रणाली (<http://www.rrcps.nic.in/>) आदि हैं। प्राधिकरण राष्ट्रीय ई-शासन की अवधारणा को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है और इस संबंध में पहल की है।

पंजीकरण हेतु आवेदनों को ऑनलाइन भरना

प्राधिकरण ने पौधा किस्मों का पंजीकरण वर्ष 2007 में प्रारम्भ किया और उस समय पंजीकरण हेतु 12 फसल प्रजातियां थीं जिन्हें अब बढ़कर 147 फसल प्रजातियों तक विस्तरित किया गया। प्राधिकरण, आवेदकों द्वारा भरे गए आवेदनों को निर्धारित शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किए गए शुल्क) के साथ व्यक्तिगत तौर पर या डाक सेवाओं के माध्यम से स्वीकार कर रहा है। आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति और पौधा किस्मों के पंजीकरण प्रक्रिया हेतु भुगतान प्रणाली के विकास से आवेदकों को प्राधिकरण में ऑनलाइन जमा करने तथा निर्धारित शुल्क भुगतान भी डेबिट कार्ड/क्रिडिट कार्ड/नेट बैंकिंग से 'पेमेंट गेटवे' के माध्यम से करने की सुविधा मिलेगी।

ई-राष्ट्रीय सजिस्टर

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में पंजीकृत किस्मों का डाटाबेस का रखरखाव एक रजिस्टर में किया जाता है जिसे पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर कहा जाता है। इसी डाटाबेस को डिजिटल रूप में ई-राष्ट्रीय रजिस्टर में भी रखरखाव किया जाता है। इस साप्टवेयर की सहायता से कोई भी व्यक्ति पंजीकरण संख्या, फसल के नाम, मूल्यवर्ग (डिनोमिनेशन) द्वारा डाटाबेस में खोज कर रिपोर्ट जेनरेट कर सकता है। इस साप्टवेयर में किस्म को विशिष्ट बनाने वाली अनेक महत्वपूर्ण प्रविष्टियों हैं जैसे पंजीकरण संख्या, प्रजनक की राष्ट्रीयता, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, अनुमोदित मूल्यवर्ग, राजपत्र अधिसूचना की तिथि, आवश्यक विशेषताएं आदि।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

प्राधिकरण ने पीएफएमएस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम तथा ई-पेमेंट जैसे आरटीजीएस/एनईएफटी को अपनाया है। प्राधिकरण ऑफलाइन भुगतान जैसे प्राधिकरण के विभिन्न लेखा शीर्शों में नगदी का जमा करना आदि को प्रोत्साहित नहीं करता है। प्राधिकरण अपने भुगतानों को ई-पेमेन्ट जैसे पीएफएमएस तथा अन्य डिजिटल भुगतानों में बदल दिया है।



अध्याय 8 : प्रशासनिक मामले

8.1 विधि एकक

प्राधिकरण के विधि एकक ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर सभी मामलों में सफलतापूर्वक बचाव किया। रजिस्ट्री के समक्ष अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के मामलों में, लीगल इनपुट दिए गए और संबंधित पक्षों के यथासमय डेयली आर्डर शीट प्रेषित किया गया। रिपोर्ट अवधि के दौरान प्राधिकरण या पंजीकार द्वारा पारित किसी भी आदेश को मुलतवी/टाला नहीं गया है। प्राधिकरण ने रिट याचिका (सी) स. 250 / 2009 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2016 को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी सं. 1305–19306 / 2017 के माध्यम से याचिका दायर किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के प्रति अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है।

रिपोर्ट अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 30 मामले लम्बित थे और दो मामलों में प्राधिकरण के पक्ष में निपटाए गए। आर. आर. प्रधान—बनाम—भारतीय संघ एवं अन्य के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.12.2017 द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में रिट याचिका (सी) सं. 1221 / 2017 को खारिज कर दिया है।

फोरम तथा न्याय निर्णय हेतु लम्बित मामलों की संख्या निम्नवत् है –

केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय
3	21	5

वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित गजट अधिसूचनाओं को प्रकाशित किया गया।

- किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य हेतु 140 फसल प्रजातियों (नई, विद्यमान तथा किसानों की किस्में) के संदर्भ में गजट अधिसूचना एस.ओ.1536(ई), दिनांक 12 मई, 2017।
- किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य हेतु दो फसल प्रजातियों (विद्यमान एवं किसानों की किस्में नहीं हैं) काजू और सुपारी के संदर्भ में गजट अधिसूचना एस.ओ. 3406(ई), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017।
- किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य हेतु 5 फसल (विद्यमान एवं किसानों की किस्में नहीं हैं) प्रजातियों, चिरौंजी, इमली, शकरकंद, कसावा, चिनार के संदर्भ में गजट अधिसूचना एस.ओ. 133(ई), दिनांक 09 जनवरी, 2018।
- पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डॉ. कुम्बले विनोद प्रभु की नियुक्ति के संदर्भ में गजट अधिसूचना एस.ओ. 908(ई), दिनांक 01 मार्च, 2018।

8.2 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संबंधित आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा एक सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (एसीपीआईओ) के अतिरिक्त प्रथम अपील अधिकारी को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण के वेबसाइट पर मुख्य शीर्ष आरटीआई के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना प्रस्तुत करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के प्रावधान को नियमित रूप से अनुपालन किया जाता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु 35 आवेदन प्रत्यक्ष या अन्य विभागों के माध्यम (स्थानांतरित) से प्राप्त हुए हैं।

मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपील अधिकारी या मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

प्राधिकरण में प्राप्त आवेदनों की स्थिति प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। आवेदनों की तिमाही स्थिति प्राधिकरण के वेबसाइट पर और मुख्य सूचना आयुक्त के वेबसाइट पर शुल्क प्राप्ति सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध है।

8.3 मानव संसाधन

8.3.1 पीपीवी एवं एफआरए में 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान की गई नियुक्तियाँ –

- डॉ. आर. आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण ने **31.05.2017** (अपराह्न) के प्रभाव से अध्यक्ष का कार्यभार त्याग दिया।
- डॉ. बी. राजेन्द्रा, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ने **13.06.2017** के प्रभाव से अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण का अतिरिक्त कार्यभार संभाला और **06.03.2018** के प्रभाव से अतिरिक्त कार्यभार त्याग दिया।
- श्री आर. एस. सेंगर, सहायक निदेशक, नारियल विकास बोर्ड, एमडीआईसी, दिल्ली को उप-पंजीकार (प्रतिनियुक्ति) पद पर **04.08.2017** (पूर्वाह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया।
- डॉ. टी. के. नागरत्ना, प्रोफेसर, फसल कार्यकी, सूयमुखी पर एआईसीआरपी, यूएएस, जीकेवीके, बैंगलोर को पंजीकार (प्रतिनियुक्ति) पद पर **16.08.2017** (पूर्वाह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया।
- डॉ. एस. ए. देसाई, प्रोफेसर (जीपीबी) एवं ज्वार प्रजनक, क्षेत्रीय कृषि केन्द्र, विजयपुर, यूएएस, धरवाड़ को पंजीकार (प्रतिनियुक्ति) पद पर **06.09.2017** (पूर्वाह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया।
- डॉ. एस. बी. गौरव, पूर्व बागवानी प्रोफेसर, एमपीकेवी, राहुड़ी को पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, पूणे, महाराष्ट्र में उप-पंजीकार (संविदा के आधार) पद पर **03.10.2017** (पूर्वाह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया।
- डॉ. के. जी. परमेश्वरप्पा, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, यूएएस, धरवाड़ (कर्नाटक) को पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, शिवमोगा में उप-पंजीकार (संविदा के आधार) पद पर **06.10.2017** (पूर्वाह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया।
- डॉ. अख्तर हुसैन खान, पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान संरक्षक कार्यालय, गुवाहाटी, असम को पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, गुवाहाटी में उप-पंजीकार (संविदा के आधार) पद पर **12.10.2017** (पूर्वाह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया।
- डॉ. सतीश चन्द्र शर्मा, पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, पालमपुर में उप-पंजीकार (संविदा के आधार) पद पर **27.10.2017** (पूर्वाह्न) के प्रभाव से नियुक्त किया गया।
- डॉ. रितु जैन, वैज्ञानिक, पुष्पविज्ञान प्रभाग, आईसीएआर-आईएआरआई को वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर उनकी पदोन्नति के कारण अपने पैरेंट विभाग में **10.11.2017** के प्रभाव से वापस भेज दिया गया।
- डॉ. के. वि. प्रभु, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा परिसर, नई दिल्ली को **06.02.2018** के प्रभाव से अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए नियुक्त किया गया।

8.3.2 मानव संसाधन प्रशिक्षण

- 8.3.2.1 श्री डी. एस. राज गणेश, विधि सलाहकार एवं श्री नितेश कुमार वर्मा, कम्प्यूटर सहायक, ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद से सितम्बर 18–19, 2017 के दौरान GeM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस) विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- 8.3.2.2. शाखा कार्यालयों के नव नियुक्त उप-पंजीकारों के लिए दिनांक 13–14 नवम्बर, 2017 के दौरान अभिमुखी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उप-पंजीकारों को शाखा कार्यालयों को व्यवस्थित करने, संबंधित शाखा कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में अधिदेशित गतिविधियों का संचालन, अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, किसानों के अधिकारों, वित्तीय प्रबंधन, डीयूएस परीक्षण तथा प्रशासनिक मामलों के बारे में बताया गया।

अध्याय 9 : प्राधिकरण की सामान्य गतिविधियां

9.1 सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में 14–21 सितम्बर, 2017 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसमें महापंजीकार सहित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। डॉ. रितु जैन, सयुक्त पंजीकार एवं डॉ. डी.एस. पिलानिया, तकनीकी सहायक ने इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जैसे कविता पाठ, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद। सभी अनुभागों के कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रतियोगिताओं में विजेताओं के निर्णय हेतु तीन निर्णयकों की सूची बनाई गई।



9.1.1 आईएसआरआई, नई दिल्ली में कार्यशाला

प्राधिकरण ने 13 फरवरी, 2018 को डॉ. दरोगा सिंह सभागार, आईसीएआर, आईएसआरआई, लाइब्रेरी एवेन्यु, नई दिल्ली में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. के.वि. प्रभु, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार; डॉ. एल.एम. भर, निदेशक, आईएसआरआई; डॉ. एस. के. सिंह, परियोजना निदेशक, आईएसआरआई–डीकेएमए और श्री पी.आर. राव, आईसीएआर–एसआरबी की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन किया। डॉ. प्रभु ने प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि सरल भाषा में सरकारी कार्यों में हिन्दी को बढ़ाया जा सकता है और टिप्पणी/मसौदा लेखन भी आसानी से किया जा सकता है।

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार ने अनेक लाभदायक प्रवधानों के संबंध में चर्चा की जैसे किसानों की किस्मों का पंजीकरण, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार एवं समुदायिक सम्मान ने किस प्रकार परम्परागत कृषि समुदाय को किसानों के अधिकारों के प्रति सृजक बनाया। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि उन किसानों/समुदायों को प्रोत्साहित करें, जो कृषि जैव–विविधता का संरक्षण करते हो या पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार के लिए उन्नत किस्मों का विकास करते हैं।

श्री पी.आर.राव ने सुझाव दिया कि सरल शब्द के उपयोग से ही सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा और जहाँ उपयुक्त अनुवाद उपलब्ध न हो वहाँ शब्दों का लिपयांतरण करें। श्री आर.एस. सेंगर, हिन्दी अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

तकनीकी सत्र

1. श्री किशोर श्रीवास्तव, विस्तार निदेशक, विस्तार निदेशालय ने कहा कि अब पहले जैसी रिस्थिति नहीं रही है, आज की पीढ़ी के अधिकारी भी हिन्दी में कार्य करने में रुचि लेते हैं और हिन्दी में किसी भी प्रकार की कार्यशाला करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। हर जगह राजभाषा अधिनियम की धारा को चिपका देना चाहिए। हम सब को बेझिझक हिन्दी में काम करना चाहिए। हिन्दी में कार्य करने का वातावरण बनाने की ज़रूरत है जिससे कठिन शब्दों को प्रयोग करने से कठिन शब्द सरल हो जाते हैं।
2. श्री अरविंद, मृदा सर्वेक्षण अधिकारी ने बताया कि 2005 से राजभाषा संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अपने ऑफिस के बोर्ड पर आज का शब्द लिखते हैं और सारे रजिस्टरों में हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। 2015 से संसदीय राजभाषा समिति के आदेशानुसार वेबसाइट को द्विभाषी करना आवश्यक है। कार्यालय प्रमुख का सहयोग सराहनीय है और वह भी राजभाषा हिन्दी में लेख आदि लिखते हैं।
3. डॉ. एस. के.सिंह, निदेशक, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय ने कहा कि दक्षिणी राज्य में भी लोग लिखी हुई हिन्दी समझ लेते हैं। किसानों की चिन्ता का विषय, अच्छे बीज प्राप्त करने की जानकारी सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए, जिससे सामने वाले को पढ़ने में आसानी हो। मगल फॉन्ट और कृति देव फॉन्ट की पत्रिका को अगर दूसरे कंम्प्यूटर में खोलते हैं तो कई शब्द बदल या गलत हो जाते हैं तो इस पर भी काम करना चाहिए, ताकि फॉन्ट बदले ना, जब हम किसी दूसरे कंम्प्यूटर में खोलते हैं। मगल फॉन्ट और कृति देव फॉन्ट पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन करने की आवश्यकता है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक जुट होकर प्रयास करना चाहिए, जैसे की नई नई तकनीकियों को हिन्दी में प्रकाशित करना चाहिए, जिससे किसानों को समझने में आसानी हो और उसकी सहायता से वह अपनी आय में वृद्धि कर सके।

- श्रीमती अर्चना राधव, हिन्दी अधिकारी, भाकृअनुप—राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरा ने कहा कि नियमों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिकों को भी कार्य हिन्दी में करना चाहिए और वह यूनिकोड का उपयोग कर सकते हैं। यूनिकोड पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। हिन्दी के कार्यों का निरीक्षण सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को करना चाहिए।
- श्री जसवंत सिंह, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सचूना प्रौद्योगिकी संस्थान
श्री जसवंत सिंह ने दस वर्षों तक भारतीय सेना में काम किया और 27 वर्षों तक गृह मंत्रालय में हिन्दी का कार्य किया है। संस्थान के निदेशक महोदय, नराकास की बैठक में नियमित रूप से भाग लेते हैं। क, ख और ग राज्यों से प्राप्त अंग्रेजी के पत्रों का जवाब हिन्दी में देना चाहिए, जिससे राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा मिल सके। सकाल्प, कार्यालय आदेश, स्थायी प्रगति सब हिन्दी भाषा में होनी चाहिए और नियम अनिवार्यता द्विभाषी होनी चाहिए।
- श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय—1, भारत सरकार
श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं का विस्तार से विवरण दिया। संघ के सभी कार्यों में केवल हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिए। कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिए। कार्यालय आदेश, स्थायी प्रगति के हो और जिनका प्रभाव कर्मचारियों के समूह पर पड़ता हो, कार्यालय की सभी निविदाएं द्विभाषी होनी चाहिए। संसदीय समिति के संदर्भ में विस्तार से विवरण दिया।
- श्रीमती ऊषा जैन, राजभाषा नोडल अधिकारी, भारतीय कृषि संस्थिकी अनुसंधान संस्थान ने सूचित किया कि हर कंम्प्यटर में यूनिकोड होना आवश्यक है जिससे जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी टाइप करनी नहीं आती है वे भी यूनिकोड की सहायता से अपने आप हिन्दी में टाइप कर सकते हैं। यूनिकोड की सहायता से ई-मेल को भी हिन्दी में भेज सकते हैं। नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए और समयानुसार कार्यालय में कितना कार्य हिन्दी में हो रहा है इसका पूर्ण विवरण देना चाहिए। कार्यालय में बोर्ड पर आज का शब्द लिखे एवं कार्यालय की वेबसाइट पर आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश जैसे आवेदन हिन्दी व द्विभाषी में होने चाहिए। कार्यालय में निकासी एवं प्राप्ति पत्र रजिस्टर में हिन्दी में लिखना चाहिए।
- श्रीमती टी अरुणा कुमार, प्रमुख, अंग्रेजी सम्पादकीय एकक, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय (डीकेएमए) ने कहा कि अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हर किसी को उस विषय के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकें तथा उस पर अमल किया जा सके।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए., के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन साय: 5:00 बजे हुआ।

9.2 सतर्कता एवं जागरूकता सप्ताह

प्राधिकरण में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 04 नवम्बर 2017 तक मनाया गया जिसमें प्राधिकरण के सभी कर्मिक भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के समर्थन में शपथ लिया और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सम्पूर्ण रूप से सतर्क रहे हैं। जागरूकता सप्ताह के दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता (द्विभाषी) का भी आयोजन किया गया।

- सरकारी कर्मचारी विरुद्ध लबिंत अनुशासनात्मक मामलों का त्वरित निपटान से सम्बंधित रिपोर्ट: वर्ष 2017–18 के दौरान श्री आर.आर. प्रधान, विधि सलाहाकार के विरुद्ध जाँच अधिकारी द्वारा जाँच की गई और यह जाँच वर्ष 2018–19 के दौरान भी जारी है।

9.3 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की बैठकें

वर्ष 2016–17 के दौरान दो बैठकों का आयोजन किया गया, जिनका मुख्य विवरण निम्नवत है।

9.3.1 प्राधिकरण ने अपनी 27वीं बैठक का आयोजन 31 मई, 2017 को अंतराष्ट्रीय अतिथि गृह, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में किया और निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई। राजपत्र अधिसूचना सं.182 दिनांक 19.01.2017 के अनुसार तीन शाखा कार्यालयों पालमपुर, शिवमोगा और पौणे में सम्बंधित अधिकार क्षेत्र से स्थापित करना है।

- पीपीवी एवं एफआर नियम 2003 के नियम 29(9) के अंतर्गत डीयूएस प्रशिक्षण दिशानिर्देशों का अनुमोदन, डीयूएस प्रशिक्षण का निर्धारण तथा काजू और सुपारी के विद्यमान किस्मों के पंजीकरण के लिए समय सीमा का निर्धारण।
- दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को सम्मेपन स्थाई सीमित की बैठक का कार्यवृत्त का अनुमोदन।
- पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए प्रौद्यौगिकी उपलब्धकर्ता से अन्नापति प्रमाण पत्र जारी करना।
- पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु राष्ट्रीय जीन बैंक में बीजों या प्रवर्धन साम्रगी को जमा करने के लिए प्रजनकों के व्यय निर्धारण हेतु विनियमों की पुनः स्थापना हेतु प्रस्ताव।

- पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के कार्मिकों के लिए एमएसीपी योजना को अपनाना।

9.3.2 प्राधिकरण ने अपनी 28वीं बैठक का आयोजन 22 नवम्बर, 2017 को अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में किया और निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई।

- पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001: पीपीवी एंड एफआर नियम 2003 तथा पीपीवी एंड एफआर विनियम, 2006 में संशोधन हेतु समय की प्रस्ताव।
- पीपीवी एंड एफआर नियम 2003 के नियम 29(9) के अंतर्गत डीयूएस प्रिक्षण दिशानिर्देशों का अनुमोदन: डीयूएस प्रिक्षण शुल्क तथा चिरोंजी, इमली, शकरगांद, कसावा, चिनार के लिए प्रक्षेत्र में प्रेषण शुल्क का निर्धारण और इन फसलों के विद्यमान किस्मों के पंजीकरण हेतु समय सीमा का निर्धारण।
- प्राधिकरण द्वारा पीपीवी एंड एफआर नियम 2003 के नियम 22(2) के अधीन ईएनवी एवं वीसीके के 14 फसल प्रजातियों की विद्यमान किस्मों के पंजीकरण हेतु समय सीमा को 27.07.2020 तक बढ़ाया गया।
- काजू और सुपारी के डीयूएस शुल्क का निर्धारण।
- प्राधिकरण के वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा का अनुमोदन।
- भारतीय पौधा किस्म जरनल के मुद्रण कार्य को त्याग देना।

9.4 वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न बैठकों व चर्चाओं में अध्यक्ष की प्रतिभागिता

दिनांक	विवरण
01 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने संस्थान अनुसंधान समिति की बैठक में भाग लेने हेतु आईआईएचआर, बैंगलोर का दौरा किया और सार्वजनिक रूप से प्रजनित किस्मों में आईपीआर के महत्व पर चर्चा की एवं अंल्कारिक एवं सब्जी फसलों के डीयूएय प्रिक्षण भूखंडों का दौरा किया। डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष को महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा यूएस धारवाड के डाक्टरेट ऑफ साइंस उपाधि की जाँच समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।
05 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने ए.पी.शिंदे सिम्पोजियम हॉल, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित आईएसपीजीआर पुरस्कार समारोह एवं द्वितीय डॉ ए.बी. जोशी स्मारक व्याख्यान में भाग लिया। अध्यक्ष को आईएसपीजीआर के मानद फैलोशिप से सम्मानित किया गया।
09–10 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने चेन्नई में नोनी फसलों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम सह आवेदनों की दाखिला में भाग लिया।
11 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने आईसीएआर पटना में पीजीएससी पुरस्कार 2014–15 की व्यावस्था हेतु चर्चा में भाग लिया।
14 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने एफएपीसीसीआई भवन, लकड़ी का पूल, हैदराबाद में छ: वाँ एमएस स्वामिनाथन पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने सभा सदस्यों को 'भारतीय बीज उघोगःउपलब्धिंया' एवं आगे की और अग्रसर होनो' विषय पर एक व्याख्यान दिया।
19 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष तथा पीपीवी एवं एफआरए के अन्य अधिकारी गण 19 अप्रैल, 2017 को जिला स्कूल ग्रांउड, मोतीहारी, पूरी चंपावर्ण, बिहार में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान, सम्मान समारोह में भाग लिया।
21–22 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने भुवनेश्वर में पौधा किस्म और कृषक अधिकरण संरक्षण अधिनियम—पीपीवी एंड एफआरए की पहल' विषय पर आयोजित इंटरफेस बैठक में भाग लिया और राष्ट्रीय चावल अनुसंधार संस्थान में डीयूएस केंद्र का दौरा किया।
24 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने श्री पुरुषोत्तम राव, कृषि संशोधन प्रतिष्ठान, तृतहली कर्नाटक में दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को आयोजित स्थाई समिति में भाग लिया ताकि प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सके।
27–28 अप्रैल 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने चिरोंजी और इमली के लिए पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण नई दिल्ली में आयोजित टास्क फोरस बैठक में भाग लिया।
03 मई, 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण की शाखा कार्यालय शिवमोगा के उदघाटन में उपस्थित हुए।
06–13 मई, 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने पौधा किस्म संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु खोज एवं विभिन्न चरनों पर चर्चा हेतु जर्मनी एवं निदरलैंडस में आयोजित बैठकों में भाग लिया और समझौता देश (कंवेन्शन कंट्र) एवं अन्य पहलुओं पर चर्चा की।
20 मई, 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने कृषि महाविद्यालय एमपीकेवी पूरे में पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण की शाखा कार्यालय के उदघाटन में उपस्थित हुए।

26 मई, 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जीकेवीके बैंगलोर में सदस्य के रूप में चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
30 मई, 2017	डॉ आर आर हंचिनाल, अध्यक्ष ने सीएसके—हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालम में पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण की शाखा कार्यालय के उदघाटन में उपस्थित हुए।
31 मई, 2017	प्राधिकरण की 27वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। रजिस्ट्री की तकनीकी, विधि एवं प्रगति से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की गई।
19 जुलाई, 2017	अध्यक्ष, पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण की अध्यक्षता में कमरा न. 297डी, कृषि भवन, नई दिल्ली में प्लांट ऑथोरिटी भवन से संबंधित बैठक।
08 अगस्त, 2017	पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं महा पंजीकार ने प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों से श्री सचिन ओमबासे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र कैडर) 2015 बैच तथा श्री जोगेंदर सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ.प कैडर) को अवगत कराया।
17 नवम्बर, 2017	डॉ बी राजेंद्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अध्यक्ष ने आईसीएआर—एनआरआरआई कटक में कृषक अधिकार पर आयोजित क्षेत्रिय कार्यशाला एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी में भाग लिया।
22 नवम्बर, 2017	प्राधिकरण की 28वीं बैठक बोर्ड रूम आईजीएच, नई दिल्ली में आयोजित की गई। रजिस्ट्री की तकनीकी, विधि एवं प्रगति से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की गई।
14 दिसम्बर, 2017	डॉ बी राजेंद्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अध्यक्ष ने असम कृषि विश्वविद्यालय, काहीकूची परिसर, गुवाहाटी में कृषक अधिकार पर आयोजित क्षेत्रिय कार्यशाला एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी में भाग लिया।
15 जनवरी, 2018	डॉ बी राजेंद्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अध्यक्ष ने आईसीएआर—भारतीय गनना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के डीयूएस बैठक में कृषक अधिकार पर आयोजित क्षेत्रिय कार्यशाला एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी में भाग लिया।
13 फरवरी, 2018	राजभाषा क्रियान्वयन एवं पौधा किस्म अधिनियम, 2001 एवं कृषक अधिकारों पर कार्यशालाएं पर सक्षिप्त व्याख्यान डॉ. दरोगा सिंह सभागार, संगणक भवन, भा.कृ.अनु.प.—भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष, महा—पंजीकार और समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया।
22–23 फरवरी, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण के महा पंजीकार एवं अन्य अधिकारियों के साथ हयात रिंजेशी नई दिल्ली में बीज क्षेत्र एवं पीवीपी में विकास हेतु भारत—यूरोपियन संघ के सहयोग पर अंतराष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
23 फरवरी, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने पंजीकार एवं उप पंजीकार के साथ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में किसान अधिकार पर राष्ट्रीय सेमीनार एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी में भाग लिया।
26–27 फरवरी, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष, और महा पंजीकार तथा प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों ने दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकुट, सतना, मध्य प्रदेश में किसान अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी में भाग लिया।
01 मार्च 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने मोनसेन्टो कम्पनी का बेयर इंजी के साथ मिलय के संदर्भ में भारतीय प्रतियोगिता आयोग के साथ हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, के.जी.मार्ग में आयोजित बैठक में भाग लिया।
08 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष, महा पंजीकार तथा अन्य अधिकारियों ने पीपीवीएंडएफआरए ने देसी वनीय वृक्ष प्रजातियों के लिए डीयूएस परिक्षण दिशानिर्देश तथा निरूपकों के विकास के लिए टास्क फोरस की बैठक में भाग लिया।
12 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने बाकरा अनूपा—भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में, पादप किस्मों खाद्यान्न फसलों, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों और प्लांट जीनोम संसाधन पर ज्ञान स्वशक्तिकरन विषय पर व्याख्यान दिया।
13 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष तथा महा पंजीकार ने डॉ बी.पी.पॉल ओडीटोरियम, आईसीएआर—एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में “मानव कल्याण के लिए जैव विविधता” विषय पर पदमभूषण डॉ दिलबाग सिंह अतवाल के सम्मान में आयोजित व्याख्यान में उपस्थित हुए।
14 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने इंदा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में पीपीवीएंडएफआरए पर आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
16–19 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष एवं प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों ने कृषि उन्नति मेला—2018 में भाग लिया, जिसका उदघाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किया गया। श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी प्रदर्शनी का दौरा किया।
19 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष तथा महा पंजीकार ने प्लांट अथोरिटी भवन के कार्य की प्रगति पर सगोष्ठी कक्ष, एनएससी, नई दिल्ली में आयोजित परियोजना समीक्षा समिति की बैठक में भाग लिया।

21 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में बांस तथा शाकी ओषधियों तथा संग्रह एवं स्वार्थ पर विशेष ध्यान देते हुए सत्त कृषि के लिए नवाचार पर गोलमेज बैठक में भाग लिया।
22 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने शिपानी कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र मंडसोर, मध्य प्रदेश में किसान अधिकारों पर आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
27 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं पौध विविधता प्रदर्शनी में उपस्थित हुए।
28 मार्च, 2018	डॉ के.वि. प्रभु, अध्यक्ष ने आईडीएसए सभागार नई दिल्ली में भारत एवं अफ्रीका पर चौथी रननीतक वर्ता: सुरक्षा प्रबंधन का सहशक्ति पर आयोजित बैठक में भाग लिया।

9.4 विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में महापंजीकार की प्रतिभागिता

दिनांक	विवरण
24 अप्रैल, 2017	प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हेतु श्री पुरुषोत्तम राय संसोधन प्रतिष्ठान तृतहाली कर्नाटक में 24 अप्रैल, 2017 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण की स्थाई समिति की प्रथम बैठक में भाग लिया।
03 मई, 2017 06–13 मई, 2017	शिवमोगा में पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण के शाखा कार्यलय के उद्घाटन में उपस्थित हुए। महा पंजीकार ने पौधा किस्म संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु खोज एवं विभिन्न चरनों पर चर्चा हेतु जर्मनी एवं निदरलैंडस में आयोजित बैठकों में भाग लिया और conventional countries एवं अन्य पहलुओं पर चर्चा की।
20 मई, 2017	महा पंजीकार ने कृषि महाविद्यालय एमपीकेवी पूर्णे में पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण की शाखा कार्यलय के उद्घाटन का समयवयन किया।
30 मई, 2017	महा पंजीकार ने सीएसके-हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालम में पीपीवीएंडएफआर प्राधिकरण की शाखा कार्यलय के उद्घाटन में भाग लिया।
06–07 जून, 2017	बीज क्षेत्र में इंडो-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, मसोबरा, शिमला में यूपीओवी प्रणाली के अनुसार सेब की किस्मों के डीयूएस प्रशिक्षण के सिंचातों पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का समयवयन किया।
06 जुलाई, 2017	भारतीय प्रबंध संस्थान में नेशनल इंनोवेशन फाउनडेशन द्वारा “दक्षिण अफ्रिका प्रतिनिधि मंडल के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार पर क्षमता निर्माण कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम” पर आयोजित कार्यशाला के दौरान पीपीवीएंडएफआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर व्याख्यान दिया।
20 जुलाई, 2017	बीज विकास हेतु इंडो-जर्मन परियोजना, हैदराबाद में आयोजित परियोजना स्टेरिंग कमेटी की प्रथम बैठक में भाग लिया।
02–03 अगस्त, 2017	काटमांडू, नेपाल में रिएरेंजिंग द गर्वनेंस ऑफ जैनेटिक रिसोर्सिस एंड इंटीलैक्चुल प्रोपर्टी फोर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्यूरिटी इन एशिया विषय पर आयोजित कार्यशाला में आमत्रित व्याख्यान दिया।
16–17 अगस्त, 2017	सीएस अजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में आईपीआर के संदर्भ कृषि अनुसंधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पीपीवीएंडएफआर अधिनियम पर प्रमुख व्याख्यान दिया।
21 अगस्त, 2017	इंडियन सोसाईटी ऑफ जैनेटिक्स, बायोटैक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीचपुरी आगरा में पादप संरक्षण एवं किसान अधिकार के क्षेत्र में प्रमुख व्याख्यान दिया।
30 अगस्त, 2017	बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में पीपीवीएंडएफआरए के अंतर्गत पादप किस्मों के पंजीकरण पर प्रमुख / विशेषज्ञा व्याख्यान दिया।
15 सितम्बर, 2017	सैम हिंगम बौटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसानों की किस्में मक्का, कंदन, दलहन तथा सब्जियों की पहचान, एकत्रिकरण, प्रलेखन एवं पंजीकरण नामक परियोजना की समीक्षा की तथा इलाहाबाद में समुदायिक बीज बैंक का उद्घाटन किया।
22 सितम्बर, 2017	दीन दयान अनुसंधान संस्थान, मुथरा में कृषि उन्नति मेला का आयोजन किया। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने किया।
17 अक्टूबर, 2017	भा.कृ.अनु.प— भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, चलेसर, आगरा में किसान जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
22–27 अक्टूबर, 2017	यूपीओवी के मुख्यालय जीनेवा, स्वीट्जरलैंड में प्रशासनिक एवं विधि समिति की 74वीं सत्र तथा परिषद की 51वीं समान्य सत्र में भाग लिया। बीज क्षेत्र में इंडो-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को जीनेवा में फेडरल प्लांट वेराइटी आफिस में आयोजित बैठक में भी भाग लिया।
17 नवम्बर, 2017	एनआरआरआई, कटक में किसानों के अधिकार पर क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया।

25 नवम्बर, 2017	नई किस्मों के पंजीकरण तथा डीयूएस प्रशिक्षण के संदर्भ में समीक्षा एवं चर्चा हेतु आईआईपीआर, अटारी तथा सीएसएयूएटी, कानपुर का दौरा किया।
06 दिसम्बर, 2017	लखीमपुर, लखनऊ में "डिस्ट्रक्ट ऐग्रीकल्चर समीट" में भाग लिया और किसानों के अधिकारों के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया।
14 दिसम्बर, 2017	असम कृषि विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के काहीकूची परिसर में किसानों के अधिकारों पर क्षेत्रीय कार्यशाला एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया।
19 दिसम्बर, 2017	एनबीए, चेन्नई में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार, 2018 के लिए पुरस्कार चयन समिति की प्रथम बैठक में महा पंजीकार ने भाग लिया।
04–05 जनवरी, 2018	सीआईएसएच एवं आईआईएसआर, लखनऊ में कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी पर क्षेत्रीय कार्यशाला एवं डीयूएस समीक्षा बैठक की व्यावस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की।
15–17 जनवरी, 2018	सीआईएसएच एवं आईआईएसआर, लखनऊ में डीयूएस समीक्षा बैठक एवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया।
19 जनवरी, 2018	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोचिन में थीम आईपीआर पर बौद्धिक सम्पदा पर पुनः विचार, बीजों तक की पहुंच एवं किसानों के अधिकारों पर पांचवा वार्षिक कार्यशाला के दौरान पीपीवीएंडएफआर अधिनियम के संदर्भ में व्याख्यान दिया। व्याख्यान में संकाय सदस्य तथा एलएलबी एवं पीएचडी के 30 छात्रों ने भाग लिया।
22 जनवरी, 2018	एनबीए, चेन्नई में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2018 के लिए पुरस्कार चयन समिति की दूसरी बैठक में निर्णक सदस्य के रूप में भाग लिया।
27 जनवरी, 2018	पीजीटी एसएयू हैदराबाद में दिनांक 27 जनवरी, 2018 को क्षेत्रीय कार्यशाला एवं जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
11 फरवरी, 2018	पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश के महामहीम राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटित पंडित दीन दयाल उपाध्याय की मूर्ति के अनावरण समारोह में भाग लिया।
18 फरवरी, 2018	एनबीए के इंडिया बॉयोडाइव्रिसिटी अवार्ड के लिए बौद्धिक जाँच हेतु वाटरशेड ओर्गनाइजेशन ट्रस्ट का दौरा किया।
22–23 फरवरी, 2018	द जर्मन फैडरल, मिंस्ट्री ऑफ फूड एंड ऐग्रीकल्चर तथा मिंस्ट्री ऑफ ऐग्रीकल्चर, नेचर एंड फूड क्वालिटी, निदरलैंड के सर्वथन से पीपीवी एंड एफआरए, औद्योगिक निति एवं प्रोन्नति विभाग, कम्यूनिटी प्लांट वैराइटी ऑफिस एंड इयूआईपीओ (यूरोपियन संघ) द्वारा "बीज क्षेत्र के विकास एवं पीपीपी में इंडो यूरोपियन यूनियन का सहयोग" विषय पर संयुक्त रूप से हयात रिजेनसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का समयनवन किया गया।
23 फरवरी, 2018	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में कृषक अधिकार पर राष्ट्रीय सेमीनार एंवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
26–27 फरवरी, 2018	दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश में कृषक अधिकार पर राष्ट्रीय सेमीनार एंवं कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

9.6 विदेशी प्रतिनियुक्ति

1. जनेवा, स्विट्जरलैंड (अक्टूबर, 23–27, 2017) में प्रशासनिक एवं विधि समिति की 74वाँ सत्र में प्रतिभागिता।

श्री कुमार संजय कृष्ण, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहाकार, भारत सरकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा डॉ आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए ने यूपीओवी बैठक में भाग लिया।



भारतीय पीवीआर नीति एवं यूपीओवी समझौता के संदर्भ में मई, 2017 के दौरान रोनो फेरेंडस्वीन, नीदरलैंड में भारतीय प्रतिनिधि मंडल तथा श्री पीटर बर्टन, उप—महासचिव, यूपीओवी के बीच सम्पन्न बैठक की अनुवर्ति कार्यवाही के रूप में 26 अक्टूबर, 2017 को यूपीओवी मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चर्चा की गई मुद्दों में निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित हैं।

- पीपीवी एंड एफआर अधिनियम के अनुसार कंवेक्शन कंट्री के मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यूपीओवी सदस्य देश भारत के साथ द्विपक्षीय अधार पर समागम देश बनता है तो यूपीओवी के लिए विधिक प्रतिबंध नहीं है।
- यूपीओवी ने यह सहमति दी है कि भारत को यूपीओवी के टैकनिकल वर्किंग ग्रुप में सम्मिलित किया जाएगा। इससे भारत को वर्किंग ग्रुप के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा में सहायता मिलेगी।
- यह सहमति हुई थी कि फरवरी, 2018 के दूसरे पखवाड़े में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसमें यूपीओवी के प्रतिनिधिगण के साथ जर्मन के विशेषज्ञ, डच विशेषज्ञ, विपीवीओ एवं बीज संगठन भाग लेंगे।
- यूपीओवी ने सूचित किया, कि सरकारी कार्निकों के लिए निशुल्क रूप में यूपीओवी प्रणाली के बारे में दूरस्त अध्ययन का एक प्रावधान है। यूपीओ इस सुविधा का इच्छुक भारतीय प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध कर सकता है।
- यूपीओवी ने सीएजे तथा कॉसिल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की प्रतिभागिता का स्वागत किया तथा अस्वरुप किया कि पीवीपी से संबंधित भारतीय कानून पर विचार करने हेतु वह यूपीओवी की सहायता करेगा।

दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को भारतीय प्रतिनिधि मंडल तथा जर्मनी, नीदरलैंड, सीपीवीओ तथा बीज संगठन के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया ताकि भारतीय कानून से संबंधित विभिन्न पहलुओं तथा पीवीपी के क्षेत्र में संभावित सहयोग पर चर्चा की जा सके।

2. काठमांडू नेपाल में “एशिया में कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए आनुवंशिक संसाधनों और बौद्धिक संपदा के नियंत्रण पर पुनर्विचार” विषय पर 2–3 अगस्त, 2017 को आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता

काठमांडू में 2 और 3 अगस्त, 2017 को “एशिया में कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए जेनेटिक संसाधनों और बौद्धिक संपदा के नियंत्रण पर पुनर्विचार” नामक एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कर्वीसलैंड और फ्रिजॉफ नांसेन इंस्टीट्यूट (एफएनई) में बौद्धिक संपदा और खाद्य सुरक्षा संबंधी एअरसी लॉरिएट परियोजना के साथ साथ साउथ एशिया बाच ऑन ट्रेड, इकॉनॉमिक्स एंड एन्वॉयनमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई) द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य एशिया, प्रशांत देशों में कृषकों और प्रजनकों में अधिकारों की रक्षा के लिए नीतिगत विकल्पों पर चर्चा करना था।



इस कार्यशाला में किसानों, प्रजनकों और बीज व्यावसाहियों सहित सभी संबंधित सार्वजनिक और निजी स्टेकहोल्डरों के हितों का ध्यान रखने वाले विकल्पों पर चर्चा की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय करारों अर्थात् विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्युअल प्रोपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) द कर्वेंशन ऑन बायो डाइवर्सिटी तथा इंटरनेशनल यूनियन फॉर इ प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स (यूपीओवी) संबंधी करार जैसे अंतर्राष्ट्रीय करारों में पौध जेनेटिक संसाधनों से संबंधित व्यवस्थाओं का गंभीरता से आकलन करना भी था।



नेपाल इस समय उदाहरण स्वरूप पौध किस्म सुरक्षा और मौजूदा बीज अधिनियम और बीज विनियम संबंधी अपने प्रारूप में कृषकों और प्रजनकों के अधिकारों के लिए नीतिगत और कानूनी अवसर तैयार करने का विकल्प तैयार कर रहा है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित विशेषज्ञों ने एक नीतिगत व्यवस्था बनाने की जरूरत पर बल दिया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समुदाय, जिनकी पीढ़ियां अभिनव पौध जेनेटिक संसाधनों में बीत चुकी थी, को पुरस्कृत किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से कृषकों और प्रजनकों को पर्याप्त सम्मान दिला पाने और उनके पारंपरिक ज्ञान, जिसे उन्होंने पीढ़ीदर पीढ़ी प्राप्त की है, के इस्तेमाल से मिलने वाले लाभों में उन्हें उनका अंश दिला पाने में सक्षम होनी चाहिए।

विकासशील देशों में से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पौध जेनेटिक संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए सुई जेनेरिस प्रणाली को अपनाया है। भारत के अनुभव के बारे में बताते हुए, डॉ. आर.सी. अग्रवाल महापंजीकार ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पौध जेनेटिक किस्मों के पंजीकारण की शुरूआत धीमी रही थी किंतु अब कुल पंजीकारों में से दो. तिहाई पंजीकार किसानों की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय पौध किस्म सुरक्षा कानून पर चर्चा करते हुए, इस बात की ओर भी इशारा किए गया था कि भारत अंजाने में हुए उल्लंघन के मामले में किसानों को अभियोजन से बचाता भी है। भारत ने प्रजनकों और किसानों दोनों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाली पौध किस्म सुरक्षा व्यवस्था को क्रियान्वित करते हुए 2001 में पौध किस्मों की सुरक्षा और कृषक अधिकार अधिनियम का कानून बनाया था। कृषकों के अधिकारों तथा राष्ट्रीय जीन कोश में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित करने को महत्व देते हुए पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर जोर दिया गया था।

3. नीदरलैंड और जर्मनी का दौरा (8 से 12 मई, 2017)

पौधा किस्म संरक्षण (पीपीवी) के क्षेत्र में इंडो.जर्मन और इंडो.डच सहयोग को बढ़ाते हुए, केन्द्र सरकार में पीपीवी मुद्राओं और समागम देश से संबंधित मुद्राओं पर सहयोग से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के प्रयोजनार्थ जर्मनी और नीदरलैंड के प्राधिकरणों और प्रतिनिधियों के बैठक करने के लिए प्रो. आर. आर. हचिंगाल, डॉ. आर.सी. अग्रवाल और श्री एस. एस. सेल्वराज को तैनात किया था। बैठक के दौरान, कृषि संबंधी नवीन कार्यकलापों एवं दीर्घावधिक कृषि विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने; पीपीवी और पौध प्रजनन के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालयों, कानूनी अटोर्नियों तथा सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की संभवानाएं तलाशने; वर्तमान पीपीवी कानून के अंतर्गत प्रक्रियाविधियों को गति प्रदान करने; “समागम देश” का दर्जा निर्धारित करने वाले विशिष्ट दृष्टिकोणों की जांच करने; भारत में निवेश से संबंधित निर्णय.निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सहायता करने के लिए कानून के बारे में समझ बढ़ाने के लिए भारतीय पीपीवी एवं एफआर अधिनियम तथा विनियमों के विषय में एक विशिष्ट प्रश्नोत्तरी तैयार करने पर चर्चा की गई थी।



4. सांग डो कंवेंसिया, इंचियॉन, दक्षिण कोरिया (12 से 14 अक्टूबर, 2017) में पौधा किस्म संरक्षण पर संगोष्ठी

कोरिया सीड एंड वैरायटी सर्विस ने कोरियन सोसाइटी फॉर हार्टिकल्चरल साइंस के सहयोग से इंचियॉन, दक्षिण कोरिया में पौधा किस्म संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी वर्ष 1997 में प्रारम्भ की गई पीपीवी प्रणाली के 20वीं वर्षगांठ उत्सव का एक भाग है। डॉ. आर. सी. अग्रवाल महापंजीकार ने संगोष्ठी के दौरान “भारत में पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 का क्रियान्वयन : अवसर एवं चुनौतियां” विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने भारत में पीपीवी व्यवस्था, विगत 10 वर्षों के दौरान पीपीवी एवं एफआरए की प्रगति, पीपीवी एवं एफआरए तथा राष्ट्रीय आईपीआर नीतियों के अनुसार कृषक अधिकारों के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के बारे में बताया। समागम देश की अवधारणा पर भी चर्चा की गई थी तथा सभी देशों से भारत के साथ समागम देश उपचार्य पर विचार करने की अपील की गई थी क्योंकि इसमें प्राथमिकता तिथि का प्रावधान किया गया था। कृषक किस्मों तथा कृषक अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में भी अनेक सवाल किए गए थे।

विश्वविद्यालयों और बीज कंपनियों के 200 से अधिक छात्रों और प्रजनकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। बीज उद्योग कानून कोरिया में 31.12.1997 से लागू किया गया जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में प्रजनकों को फायदा

पहुंचाने के लिए 1991 के यूपीओवी अभिसमय के आधार पर राश्ट्रीय पौध प्रजनक अधिकार व्यवस्था का निर्धारण किया गया है। पीबीआर का उल्लंघन होने पर कठोर अर्थदण्ड लगाने और पुनःस्थापना शुल्क का भुगतान करके समाप्त हो चुके अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की संभावना बढ़ाने के लिए वर्ष 2013 के दौरान इस अधिनियम में संशोधन किए गए थे। पीवीपी प्रणाली ने स्थानीय प्रजनकों को उनकी खुद की प्रजनन तकनीकों के विकास में प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में सही गति प्रदान करने का कार्य किया है। कोरिया ने 9300 आईपीआर को मंजूरी दी है जिसमें से 20: विदेशी प्रजनकों के लिए हैं।

9.7 शाखा कार्यालय, गुवाहाटी में कार्य की प्रगति

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गुवाहाटी स्थित शाखा कार्यालय ने असम कृषि विश्वविद्यालय, खानपाड़ा, गुवाहाटी के परिसर से 20 मई, 2011 को अपना कामकाज शुरू किया था।

रिपोर्ट अवधि वर्ष 2017.18 के दौरान, डॉ. ए. के. सिंह, पीवीई गुवाहाटी शाखा कार्यालय में 1 अप्रैल, 2017 से लेकर 15 अक्टूबर, 2017 तक प्रमुख के रूप में और डॉ. ए.एच. खान, सेवानिवृत्त आईएफएस 16 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक उप.पंजीकार के रूप में कार्यरत थे।

9.7.1. प्राप्त आवेदन / बीज नमूने

रिपोर्ट अवधि के दौरान, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के 72 आवेदन प्राप्त हुए थे और प्राथमिक जांच के बाद, इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यालय में भेज दिया गया था। आवेदकों द्वारा सीधे मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में भी कुछ आवेदन भेजे गए हैं। प्रत्याशी किस्मों के लिए प्राप्त बीज नमूने / पौधरोपण सामग्री, जिनके लिए विगत वर्षों में पंजीकार के लिए आवेदन भेजे गए थे, मुख्य कार्यालय में भेज दिया गए थे। 1 अप्रैल, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2018 प्राप्त एवं अग्रेषित किए गए आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. स.	फसल	प्राप्त संख्या	क्र. स.	फसल	प्राप्त संख्या
1.	चावल	25	11.	आर्किंड	06
2.	मक्का	03	12.	फ्रेंच बीन	02
3.	मूँग	01	13.	भिंडी	02
4.	राजमा	01	14.	लोबिया	01
5.	एसिड लाइम	02	15.	कंगनी	01
6.	आम	08	16.	अदरक	02
7.	केला	02	17.	लहसून	01
8.	गन्ना	02	18.	कुम्हड़ा	01
9.	बैंगन	08	19.	प्रोसो मिल्लेट	01
10.	टमाटर	01	20.	कचालू	02

क्र. सं.	वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)	दाखिल आवेदनों की संख्या
1.	2012	115
2.	2013	581
3.	2014	467
4.	2015	28
5.	2016	32
6.	2017	72
	जनवरी से 31 मार्च, 2018	44
	योग	1339

9.7.2. उपपंजीकार तथा पौधा किस्म जांचकर्ता (पीवीई), पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, गुवाहाटी की प्रतिभागिता / दौरे (2017.18)

- डॉ. ए. एच. खान, उपपंजीकार ने मुख्यालय, नई दिल्ली में 13 व 14 नवंबर, 2017 को आयोजित उन्मुखीकरण.सह.प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था जहां उन्हें पीपीवी एवं एफआरए के उद्देश्यों तथा कार्यकलापों और शाखा कार्यालयों की स्थापना एवं प्रबंधन करने के विषय में वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई थी।
- डॉ. ए. एच. खान, उपपंजीकार और डॉ. अजय कुमार सिंह ने कृषक अधिकार और कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया। पीपीवी एवं एफआरए ने असम कृषि विश्वविद्यालय, कहीकुच्ची, गुवाहाटी, असम के साथ मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया था। अलंग से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न विभागों अर्थात् एएयू, पैट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संघ (पीसीआरए), पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के कृषि

of liquor everybody knows covered by an prohibition act

KVK Thoubal Organises Awareness Programme

Thoubal, Feb. 14: Krishn Vignyan Kendra, Thoubal organized one day training cum awareness programme on "Protection of Plant Varieties & Farmers' Right Act 2001" under the sponsorship of PPV & FR Authority New Delhi at its campus today at Kharangabok, H. Thoubal District. Dr. M. Rehman, Zilla Parishad Member, Raymon Singh, Asstt. Director (Agriculture) Manipur, Dr. M. Melendrin, Dr. M. Rehman, Asstt. Director Research CAU Imphal, Dr. I. Meghaichandra Singh, Joint Director ICAR and Dr. Ajay S. Singh Plant Variety Examiner, PPV & FR Authority, Gauhati and P. Devkanta Singh National Awarder, Plant Genome Review Award were the resource persons of the awareness programme.

विज्ञान केन्द्रों, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड और केवीके कामरूप से प्रोत्साहन प्राप्त अन्य उद्यमियों ने भाग लिया था और अनाजों, सब्जियों, फलों इत्यादि की स्थानीय और रिलीज की गई बीज / पौधरोपण सामग्री किस्मों को प्रदर्शित किया था। 700 से अधिक कृषकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और उन्हें पीपीवी एवं एफआरए, 2001 के अंतर्गत प्रदत्त किए गए उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।

- पीपीवी एवं एफआर गुवाहाटी शाखा कार्यालय, गुवाहाटी में 14.12.2017 को डॉ. आर.सी. अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। श्री एम. गुणासेकरण, सहायक आयुक्त (बीज), कृषि मंत्रालय, डीएस एवं एफडब्ल्यू नई दिल्ली और डॉ. रवि प्रकाश पंजीकार, डॉ. टी. नागरथ, पंजीकार, श्री यू.के. दूबे, उप पंजीकार, श्री आर.एस. सेंगर, उपपंजीकार और श्री आर. आर. प्रधान, विधिक सलाहकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली सहित पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया था। डॉ.ए.एच. खान, उपपंजीकार और डॉ.ए.के. सिंह पौध किस्म जांचकर्ता शाखा कार्यालय गुवाहाटी के प्रतिनिधि के रूप में थे। शाखा कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की गई और सुझावात्मक उपाय / निदेश दिए गए थे।
- डॉ. ए.के. सिंह, पीवीई ने पौध किस्मों की सुरक्षा तथा कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में भाग किया और पीपीवी एवं एफआर अधिनियम पर एक व्याख्यान दिया और कृषक किस्मों को दर्ज कराने की प्रक्रियाविधि के बारे में बताया। आवेदन पत्र बांटे गए और इस बात की जानकारी दी गई कि आवेदनों को सभी संबद्ध और अपेक्षित जानकारी के साथ किस प्रकार भरा जाएगा। केवीके, थौबाल, इंफाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ आस.पास के गांवों के लगभग 100 किसानों, जिनमें महिला किसानों की संख्या अधिक थी, ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया था। केवीके, थौबाल, इंफाल द्वारा 4 फरवरी, 2008 को इसका आयोजन किया गय था। मणिपुर के राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक छोटी परस्पर वार्ता बैठक की भी व्यवस्था की गई थी।
- डॉ. सिंह ने इंफाल स्थित एनएपीसीओएन कार्यालय का भी दौरा गया जहां उन्होंने मणिपुर के किसानों की तरफ से कृषकों की 272 किस्मों के लिए आवेदन भेजे थे और उन्होंने कई आवेदनों में बीज सामग्रियों के लंबित पड़े रहने के मामले पर विस्तार से चर्चा की और आगामी मौसम बीज नमूनों का परीक्षण करने के लिए उन्हें शीघ्र भिजवाने के लिए कहा।
- डा. ए.एच. खान, उप पंजीकार ने 15.17 फरवरी, 2018 को आईआईएसआर, लखनऊ, में आयोजित डीयूएस कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने कृषक अधिकार और कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला में भी भाग लिया था।
- डा. ए.एच. खान, उपपंजीकार और डॉ. अजय के. सिंह, पीवीई ने पीपीवी एवं एफआर, नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। कृषि विज्ञान केन्द्रों, फेक, नागालैंड ने 16 मार्च, 2018 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। केवीके, फेक के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आस.पास के गांवों के लगभग 104 किसानों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया था। डॉ. खान ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूद कृषि.जैव विविधता की समृद्धता और भारत में पौध किस्मों की सुरक्षा प्रणाली के बारे में बताया। डॉ. ए.के. सिंही ने पौध किस्मों और कृषि जैव विविधता की सुरक्षा की जरूरत के बारे में बताया और किसानों को पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के तहत उन्हें प्रदत्त किए गए उनके अधिकारों, कृषक किस्मों के पंजीकार की विस्तृत प्रक्रियाविधि तथा पीजीएसई एवं पीजीएसएफ अवार्ड, पुरस्कार तथा सम्मान की जानकारी दी गई थी। प्रजेंटेशनों के बाद जागरूकता कार्यक्रम में आए किसानों के पास मौजूद बीज एवं पौधरोपण सामग्रियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।
- डॉ. ए. एच. खान उपपंजीकार और डॉ. अजय के. सिंह, पीवीई ने 12 मार्च, 2018 को कृषि विज्ञान एवं ग्रामीण विकास विद्यालय, मेदिजफेमा कैंपस, नागालैंड विश्वविद्यालय का दौरा किया। एक क्षेत्रीय दौर किया गया जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलग.अलग भागों से एकत्र किए गए पेठा, चिचिंडा और कुंदरु की संदर्भ किस्मों / स्थानीय लैंडरेस को रोपा गया था ताकि पीपीवी एवं एफआरए के लिए इन फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को मान्य ठहराया जा सके। डॉ. खान और डॉ. सिंह ने पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली के तत्वावधान में कृषि विज्ञान केन्द्र, दीमापुर नागालैंड द्वारा पौधा किस्मों की सुरक्षा और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 पर आयोजित किए गए एक दिवसीय



प्रशिक्षण.सह.जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लिया था। दोनों ने संसाधन व्यक्ति के रूप में बारी.बारी से अपनी बातें रखी तथा पीपीवी एवं एफआरए, इसके प्रावधानों, अधिकारों और आवेदन भेजने की प्रक्रिया के बारे में किसानों को जानकारी दी। आवेदन भेजने की प्रक्रिया को व्यावहारिक प्रदर्शन दर्शाया या और उनकी किस्मों के पंजीकार से संबंधित उनके सवालों पर चर्चा की गई।

- डॉ. ए. एच. खान, उपपंजीकार और डॉ. अजय के. सिंह, पीवीई ने केवीई, रि बोई, असम द्वारा आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में कृषक किस्मों का विशेष संदर्भ लेते हुए पीपीव एवं एफआर अधिनियम, 2001 पौधा किस्मों का पंजीकारण एवं संरक्षण के क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण दिए हैं। केवीके, रि बोई के अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ.साथ नजदीकी गांव के लगभग 75 किसानों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। प्रस्तुतिकरण के बाद जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने आए किसानों के पास उपलब्ध बीज एवं पौधरोपण सामग्री की किस्मों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। केवीके प्रमुख के दैस्थर में एक छोटी बैठक भी आयोजित की गई भी जहां माननीय विधायक श्री जॉर्ज बी. लिंगदोह ने सरकारी एजेंसियों से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न मिल पाने कारण मेघालय के किसानों को स्थानीय किस्मों की संरक्षण में होने वाली कठिनाईयों के बारे में चर्चा की।



9.8 शाखा कार्यालय, रांची में कार्य की प्रगति

पीपीवी एवं एफआरए शाखा कार्यालय, रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची (झारखंड) के कंप्यूटर सेंटर भवन के परिसर में स्थित है और मई, 2011 से अपना कार्य कर रहा है। इस शाखा का मुख्य कार्यकलाप विभिन्न अवार्ड, पुरस्कार और सम्मान देने, कृषक किस्मों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करते हुए इसे लोकप्रिय बनाने सहित पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 से जुड़ी जानकारियों के प्रचार.प्रसार के लिए अपने क्षेत्राधिकार में चल रहे विभिन्न अनुसंधान संगठनों/कृषि विश्वविद्यालयों/केवीके/विभागों/ संगठनों/एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण. सह. जागरूकता कार्यक्रमों/बैठकों/सेमिनारों/ कार्यशालाओं में भाग लेना है।

9.8.1. पौधा किस्मों का पंजीकरण

01 नई और 01 विद्यमान किस्म के आवेदन के साथ कृषक किस्मों के 459 आवेदन रांची शाखा कार्यालय से पंजीकरण के लिए भेजे गए थे जिनमें 01 नई और 01 विद्यमान किस्मों के लिए सीधे किसानों से मिले 102 आवेदन भी शामिल थे। शुरुआती जांच के पश्चात् थे आवेदन आगे की कार्रवाई के लिए पौध किस्म पंजीकार, नई दिल्ली को भेजे गए थे। डीयूएस और ग्रो आउट टेस्ट (जीओटी) के लिए विभिन्न फसलों की 242 किस्मों के बीज नमूने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे राश्ट्रीय जीन बैंक और या विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को भेजे गए थे। रांची स्थित शाखा कार्यालय ने अपने क्षेत्राधिकार में स्थित केवीके सहित विभिन्न संगठनों को प्रशिक्षण.सह जागरूकता कार्यक्रमों के लिए प्राधिकरण द्वारा टिलीज की गई निधियों के आयोग प्रमाणपत्र एकत्र करने के पुरजोर प्रयास किए हैं।

9.8.2. पीपीवी और एफआरए शाखा कार्यालय, रांची के अधिकार क्षेत्र में आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं/किसान गोष्ठियों में प्रतिभागिता

- मोतिहारी सत्याग्रह समिति द्वारा मोतिहारी (बिहार) में 15.19 अप्रैल, 2017 के दौरान कृषक मेले का आयोजन किया गया था: श्री राम कृपाल यादव, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ; श्री राजीव प्रसाद रुड़ी, माननीय कौशल विकास राज्यमंत्री ; श्री अतंत कुमार सिंह, रसायन एवं उर्वरक मंत्री सहित भारत सरकार के अनेक मंत्रियों ने चंपारण सत्याग्रह मेले में भाग लिया। इनके अलावा, श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 16.04.2017 को पीपीवी एवं एफआरए स्टॉल का अवलोकन किया। 220 से अधिक किसानों ने पीपीवी एवं एफआरए स्टॉल का दौरा किया। किसान कृषक किस्मों के पंजीकार और प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड, पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक थे।
- पीपीवी एवं एफआरए और भाकृअनुप.एनआरआरआई ने मिलकर 17.11.2017 को एनआरआरआई, कटक में क्षेत्र स्तरीय कृषक मेला और कार्यशाला का आयोजन किया था। श्री एस. के. पट्टनायक, सचिव, कृषि समन्वय और किसान कल्याण विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई तथा डॉ. टी. मोहापात्र, सचिव डेयर और महानिदेशक भाकृअनुप ; डॉ. वी. राजिन्द्र, अध्यक्ष, डॉ. आर. सी. अग्रवाल,


महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए ; डॉ. हिमांशु पाठक, निदेशक भाकृअनुप. एनआरआरआई ने इसमें भाग लिया। रांची स्थित शाखा कार्यालय ने छत्तीसगढ़ से आए 12 किसानों, झारखंड से 12 किसानों और ओडिशा से आए अनेक किसानों के दौरे में भी अपना सहयोग किया। प्रदर्शनी के दौरान, किसानों ने सेमिनार और कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण कृषक किस्मों के बीज / पौधरोपण सामग्रियों को प्रदर्शित किया।

- गुवाहाटी के समीप काही कुची कैंपस में असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (असम) के सहयोग से पीपीवी एवं एफआरए द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला और कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। श्री के. के. मित्तल, भा.प्र. से., अयर मुख्य सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी), असम सरकार ; डॉ. एम. प्रेमजीत सिंह, माननीय उप कुलपति, सीएयू इंफाल ; डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार ; डॉ. रवि प्रकाश पंजीकार (कृषक अधिकारी); डॉ. टी. के. नागरथ, पंजीकार ; श्री उशा कांत दूबे, उप पंजीकार ; श्री आर. एस. सेंगर, उप पंजीकार तथा पीपीवी एवं एफआरए के अन्य सदस्य इस सेमिनार कार्यशाला में उपस्थिति थे। कई अन्य अधिकारियों / वैज्ञानिकों अर्थात् श्री एम. गुणासंकरण, सहायक आयुक्त (बीज), डीएसी एवं एफडब्ल्यू कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. ए. के. त्रिपाठी, निदेशक, आईसीएआर-अटार-IV, गुवाहाटी; डॉ. बी. सी. डेका, निदेशक, आईसीएआर-अटारी-VII, उमियम (मेघालय); डॉ. जी. एन. हजारिका, निदेशक (अनुसंधान), असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (असम);, डॉ. आर. बोर्गाहियाम, केवीके प्रमुख, जोरहट; डा. डी. एन. कलिता, केवीके प्रमुख, कामरूप; डॉ. ए. एच. खान, उप पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, गुवाहाटी; डॉ. ए. के. सिंह, पीवीई, पीपीवी एवं एफआरए, गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कृषि संकाय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा अन्नामलईनगर, तमिलनाडु में 14.03.2018 को एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. एस. मण्यम, माननीय उप कुलपति, अन्नमलई विश्वविद्यालय, श्री उमाकांत दूबे, उप पंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली, आर. नैत्रायण, संयुक्त निदेशक (कृषि), डू. एमयावराम्बण, राष्ट्रीय बीज निगम, डॉ. एम. रविचंद्रन, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, अन्नामलई विश्वविद्यालय, डॉ. वी. वंकटेशुलू, प्रोफेसर और प्रमुख, वनस्पति विज्ञान विभाग, अन्नामलई विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और विषय पर व्याख्यान भी दिए।

9.9 शाखा कार्यालय, पुणे में कार्य की प्रगति

पौधा किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने डॉ. एस. के पट्टनायक, सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गरिमामयी उपस्थिति में 20 मई, 2017 को पुणे शाखा कार्यालय का शुभारंभ किया। डॉ. राम खर्च, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, पुणे और डा. के. पी. विश्वनाथ, माननीय उपकुलपति, एमपीकेवी, राहुरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस शाखा कार्यालय की स्थापना कृषि महाविद्यालय, पुणे के परिसर में की गई है। इस शाखा में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के प्रादेशिक क्षेत्रों को कवर किया गया है। प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- आईसीएआर-एनआईएसएम, बारमती, पुणे में 06.12.2017 को प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 50-60 किसानों ने भाग लिया। डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार ने भी इसमें भाग लिया।
- मोशी, पुणे में 13-17 दिसंबर, 2017 के दौरान किसान 2017 (प्रदर्शनी) का आयोजन किया गया। 1300 से अधिक किसानों ने पीपीवी एवं एफआरए स्टालों का संदर्शन किया तथा लगभग 500 कंपनियों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां 5 दिनों के दौरान 1555000 लोगों ने प्रदर्शनी को देखा।
- डॉ. पी. डी. के. वी. अकोला में प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 10 जनवरी, 2018 को किया गया। लगभग 25 फसल प्रजनकों, विभाग प्रमुखों, फील्ड स्टाफ ने इसमें भाग लिया और माननीय उप-कुलपति एवं अनुसंधान निदेशक ने जागरूकता कार्यक्रम में गहरी रुची दिखाई।





- केवीके, अंटा, बारण, राजस्थान ने 23 फरवरी, 2018 को प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 70 किसानों ने भाग लिया। डॉ. ए. वी. गौरव, उप-पंजीकार ने संसाधन व्यक्ति के रूप में इसमें भाग लिया और किसानों के साथ बातचीत की।
- महाराष्ट्र राज्य अंजीर उत्पादक संघ द्वारा श्री शरद पवार, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में कालेबाड़ी, तहसील—पुरंदर, जिला पुणे में 28 फरवरी, 2018 को अंजीर उत्पादन के विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 600 किसानों ने भाग लिया।
- दिनांक 08–09 मार्च, 2018 के दौरान एमपीकेवी, राहुरी द्वारा चितावी, तहसील नवापुर और वडगांव, तहसील—शहादा, नंदुरबार में प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 190 और 136 जनजातीय किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. एस. बी. गुप्ता, उप-पंजीकार ने संसाधन व्यक्ति के रूप में इसमें भाग लिया।
- केवीके, जैसलमेर, राजस्थान द्वारा 02 मार्च, 2018 को आयोजित पीपीवी एवं एफआरए जागरूकता कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। इसमें 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया।
- माननीय अध्यक्ष, डॉ. के. वी., प्रभु, अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली और माननीय उप कुलपति, एनएवी, नवसारी के मार्गदर्शन में पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली में 27 मार्च, 2018 को आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में उप-पंजीकार ने भाग लिया और लगभग 700 किसानों ने भी इसमें भाग लिया।
- केंद्र ने वर्तमान अधिसूचित फसल प्रजातियों के अंतर्गत 7 किस्मों के आवेदनों पर आगे की कार्रवाई की।



9.10 शाखा कार्यालय, शिवमोगा में कार्य की प्रगति

पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सहायता से प्रो. आर. आर. हनचिनाल (अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए) और आर. सी. अग्रवाल (महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए) के नेतृत्व में इस वर्ष तीन शाखा कार्यालयों (दिनांक 19 जनवरी, 2017 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा. आ. 182 के माध्यम से) की स्थापनी की। 03 मई, 2017 को श्री बी. एस. येदुरप्पा (सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) ने श्री वाई. वी. राघवेन्द्र, डॉ. वासुदेवप्पा (उपकुलपति, कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय, यूएचएस, शिवमोगा, कर्नाटक) ने यूएचएस, शिवमोगा के परिसर में शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्ष्मीपुर, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

9.10.1 शाखा कार्यालय की स्थापना

- पौधा किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का शिवमोगा शाखा कार्यालय ने 06 अक्टूबर, 2017 से कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा के परिसर से अपना कामकाज शुरू कर दिया था।
- डॉ. के. जी. परमेश्वरप्पा ने 26 अक्टूबर, 2017 को पीपीवी एवं एफआरए में उपपंजीकार का कार्यभार ग्रहण किया।
- 27 दिसंबर, 2017 के समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्यालय के कामकाज के लिए यूएचएस, भवन द्वारा कार्यालय भवन सुपुर्द किया गया।
- एसएयू के सभी अनुसंधान निदेशकों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यूएचएस शिवमोगा में शाखा कार्यालय शुरू होने के बारे में सूचित किया गया था और उनसे वर्तमान और कृषक किस्मों के पंजीकारण के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था।
- उपकुलपति, अनुसंधान निदेशक, विस्तारण निदेशक तथा कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी केवीके के व्याख्यानों को एकत्र करने के प्रयास किए गए थे।

- शाखा कार्यालय ने जागरूकता कार्यक्रम में इस्तेमाल किए जाने के लिए अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में विस्तार साहित्य, पीपीवी एवं एफआर के उद्देश्यों एवं कार्यों के बारे में प्रस्तुतीकरण तैयार किया।
- कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रमों, कृषि मेलों, वार्षिक प्रजनकों की तकनीकी बैठकों तथा विभिन्न संगोष्ठियों में भाग लिया।
- शाखा कार्यालय ने कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय के कई किसानों और प्रजनकों से संपर्क किया और उन्हें किसानों एवं प्रजनकों के अधिकारों, लाभों के आदान प्रदान, आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क इत्यादि के बारे में अवगत कराया।

9.10.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित

दिनांक	कार्यक्रम	विवरण
13–14 नवम्बर, 2017	शाखा कार्यालयों के उप पंजीकारों, पीपीवीएंडएफआरए के लिए अभुमिकी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम	पीपीवीएंडएफआरए मुख्यालय में शाखा कार्यालयों के उप पंजीकारों के लिए अभुमिकी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि पीपीवीएंडएफआरए के उद्देश्यों एवं गतिविधियों तथा शाखा कार्यालय की स्थापना एवं प्रबंधन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दी जा सके।
23 दिसम्बर, 2017	कृषि मेला, यूएचएस, भागलकोट	बीजगम तथा पादप अनुवाशिंक संसाधनों विषय पर संसाधन व्यक्ति के रूप में एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान के पश्चात् किसानों से परिचर्चा की गई। 15–17 जनवरी, 2018
	डीयूएस समीक्षा बैठक, आईआईएसआर, लखनऊ	महा पंजीकार, पीपीवी एंड एफआरए, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, आईआईएसआर, लखनऊ में 13–19 जनवरी के दौरान आयोजित डीयूएस समीक्षा बैठक में भाग लिया।
15 फरवरी, 2018	आईसीएआर प्रायोजक सीएएफटी प्रशिक्षण कार्यक्रम, केआरसीसीएच, अराभावी	भाकृअनुप द्वारा प्रायोजित एवं केआरसीसीएच, अराभावी में आयोजित फटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया तथा 'फूलों एवं अंल्कारिकों में अनुवाशिंक विविधता और फूलों एवं अंल्कारिक पौधा किस्मों के संरक्षण में पीपीवीएंडएफआरए की भूमिका पर व्याख्यान दिया।
22 फरवरी, 2018	प्रजनकों की वार्षिक तकनीकी बैठक	यूएचएस, शिवमोगा में विश्वविद्यालय के प्रजनकों की वार्षिक तकनीकी बैठक के तकनीकी सत्र–1 में अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। सत्र के अंत में प्रजनकों तथा कृषकों की किस्मों के पंजीकरण पर बत दिया।
23 मार्च, 2018	एनएसएस दिवस कार्यक्रम, सोगेन गांव, पशु चिकित्स महाविद्यालय, शिवमोगा	सोगेन गांव, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, शिवमोगा में एनएसएस दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और पशुओं की आनुवांशिक विविधता तथा पौधा किस्मों के संरक्षण में पीपीवीएंडएफआरए की भूमिका के विषय पर एक व्याख्यान दिया।

9.10.3 प्राप्त आवेदन / बीजों के नमूने

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार तथा मूँग की फसलों के कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा प्राथमिक परिक्षण के पश्चात् इन्हें आवश्यक कार्रवाही हेतु मुख्यालय भेज दिया गया है। आवेदनों के साथ प्रत्याशी किस्मों के बीज के नमूनों/रोपण सामग्री को भी मुख्यालय भेज दिया गया है।

फसल प्रजातियां	आवेदन की संख्या
चावल	01
मक्का	02
ज्वार	01

फसल प्रजातियां	आवेदन की संख्या
मूँग	03
कुल	07

9.11 शाखा कार्यालय पालमपुर के कार्यों में प्रगति

- पालमपुर में विश्वविद्यालय के मुख्यालय में विस्तार शिक्षा निर्देशालय के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र, कांगड़ा द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2018 को जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाँच प्रखण्डों नामतह नगरोटा, बागवान, पंचरूपी, भवरना, बैजयूनाथ तथा भीदूमहादेव के लगभग 107 किसानों ने प्रतिभगिता / कार्यक्रम हेतु पंजीकरण करवाया। कृषक किस्मों के पंजीकरण पर प्रमुख रूप से बल देते हुए अधिनियम के अधीन प्रावधानों तथा प्राधिकरण की गतिविधियों पर एक व्याख्यान दिया गया। कृषक किस्मों के पंजीकरण में सम्मिलित विभिन्न चरणों / प्रक्रियाओं पर विस्तृत विवरण दिया गया, जिससे डीयूएस (विशिष्टता, एकरूकता एवं स्थिरता) को बल मिलता है। राज्यकृषि विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठन/कृषिविज्ञान केंद्र/आईसीएआर/राज्य कृषि/बागवानी विभाग/एनबीए/ बीआई के माध्यम से पौधा किस्मो के संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण तथा सम्मान एवं प्रतिदान के अधिकारों के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी गई।
- डॉ सतीश सी शर्मा, पालमपुर के शाखा कार्यालय ने आईआईएसआर, लखनऊ में आयोजित वार्षिक डीयूएस समीक्षा बैठक, क्षेत्रीय कार्यशाला एवं जैव विविधता प्रदर्शनी में भाग लिया।
- जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रगति से की गई ताकि इन्हें प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा सकें और शाखा कार्यालय भी पादप किस्मों के पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदनों का प्रलेखन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने सभी स्टेकहोल्डरों (सभी कृषि विज्ञान केंद्रों, कुलपतियों, अनुसंधान निदेशकों, कृषि/बागवाली विभाग के निदेशकों, वन संरक्षक/आईसीएआर के अधिकारियों के नाम, पता और टेलीफोन न. की एक सूची तैयार की है)।
- उप पंजीकार ने 26 मार्च, 2018 को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रोटोगिकी विश्वविद्यालय में कृषक अधिकार / डीयूएस परिक्षण तथा पीपीवीएंडएफआर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अधिकारों के विषय पर आधारित जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सात कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधि तथा कृषि/बागवानी निर्देशालय / विश्वविद्यालय के सभी डीन/निदेशक तथा विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। कृषक किस्मों के पंजीकरण, डीयूएस परिक्षण के लिए बीजों की आवश्यकता, प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु भेजे गए कृषक किस्मों की स्थिति, किसानों के पुरस्कार, सम्मान एवं प्रतिदान से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

अध्याय 10: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

बीज क्षेत्र के विकास में इण्डो—जर्मन सहयोग के ढांचे में, भारत में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सहयोगी है।

10.2 संयुक्त कार्यशाला : बीज क्षेत्र में भारत, नीदरलैंड तथा जर्मनी की तकनीकी साझेदारी से पौधा किस्म संरक्षण में अनुभवों का आदान प्रदान।

बीज क्षेत्र के विकास में इण्डो—जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत 21–22 नवम्बर, 2017 के दौरान लेक्चर हाल, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, नई दिल्ली में एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उदघाटन श्री कुमार संजय कृष्णा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया। डॉ. बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव (बीज) एवं अध्यक्ष, पीपीवी एवं एफआरए; डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए; डॉ. उडो वॉन क्रोचर, अध्यक्ष, बीएसए; श्री मेरियन वलस्टर, डीजी—एग्रो, नीदरलैंड; श्री मैकेल केस्सलर, पार्षद (कृषि—खाद्य), भारत में जर्मन दूतावास के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित हुए थे। भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अनेक वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, बीएसए—जर्मन संघीय गणराज्य के पौधा किस्म संरक्षण कार्यालय; बीडीपी—जर्मन के पादप प्रजनकों के संघ; बीज उद्योग के प्रतिनिधिगण तथा पीपीवी एवं एफआरए के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया और चर्चा में विचार विमर्श किया।

दो दिन के इस विचार विमर्श में निम्नानुसार पांच तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।

- तकनीकी सत्र I : भारत, जर्मनी और नीदरलैंड में पौधा किस्म संरक्षण का एक सिंहावलोकन। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. ए.के. सरियल, माननीय कुलपति, सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने की।
- तकनीकी सत्र II : पहचान की गई फसलों के डीयूएस परीक्षण में सहयोग। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. के. पी. विश्वनाथ, माननीय कुलपति, एमपीकेवी, राहुरी ने की।
- तकनीकी सत्र III : नवाचार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इस सत्र की अध्यक्षता भी डॉ. के. पी. विश्वनाथ, माननीय कुलपति, एमपीकेवी, राहुरी ने की।
- तकनीकी सत्र IV : पादप आनुवंशिक संसाधनों का प्रबंधन। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. पी. नारायणस्वामी, माननीय कुलपति, यूएएचएस, शिवमोग्गा ने की।
- तकनीकी सत्र V : पेटेंट्स एवं पौधा किस्म संरक्षण। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. एन. के. ददलानी, पूर्व निदेशक, एपीएस ने की।

इन सत्रों के पश्चात पौधा किस्म संरक्षण तथा पेटेंट्स : आगे की दिशा विषय पर पैनल चर्चा और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का गोलमेज चर्चा : बीज क्षेत्र का विकास एवं सहयोग : भारत और जर्मनी, का आयोजन किया गया जिनमें उडो वॉन क्रोचर, अध्यक्ष, बीएसए; श्री मेरियन वलस्टर, डीजी—एग्रो, नीदरलैंड; सुश्री निककी कुमारी, श्री एम. प्रभाकर राव, मुख्य प्रबंध निदेशक, नूजीवीडू सीड़स तथा डॉ. आर. सी. अग्रवाल, महापंजीकार, पीपीवी एवं एफआरए ने भाग लिया। संक्षिप्त सिफारिशों निम्नलिखित हैं—

- पॉयलेट अवस्था के अंतर्गत सामान्य संदर्भ किस्मों को साझा करते हुए तथा डाटाबेस के उपयोग से पहचान की गई प्रजातियों के विवरणकों को सुसंगत बनाने हेतु डीयूएस लक्षणों का कैलीब्रेशन करना तथा प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाने हेतु विशेषज्ञों के समूह का गठन करना आवश्यक है।
- डीयूएस परीक्षण, बीज गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणीकरण व्यवस्था में सम्मिलित तकनीकी कार्मिकों एवं वैज्ञानिकों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों में सामंजस्य हेतु ये भविष्य में अभिमुख होंगे।
- प्राधिकरण राज्य सरकार के कृषि, बागवानी एवं वानिकी विभागों के अधिकारियों को कानूनी शिक्षा प्रदान कर सकता है और कानूनी व्यवसायियों एवं न्यायाधीशों में पीपीवी एवं एफआरए के प्रति जागरूकता ला सकती है।

- भारत के जैव—संसाधन, पीपीवी एवं एफआरए की धारा 26 के अंतर्गत पहुंच बनाने एवं लाभ साझा करने का विशिष्ट अवसर प्रदान करता है ताकि एफआरएनडी के शर्तों के अनुसार लाइसेंस देने की प्रक्रिया हेतु एक मंच का सृजन किया जा सके।
- प्राधिकरण, डीयूएस परीक्षण में भावी उपयोग हेतु जैव आण्विक मार्कर प्रौद्योगिकियों, जेनेटिक डिसटेंस तथा आटोमेशन की खोज कर सकता है।
- “प्राथमिकता दिनांक को प्रथम कार्यवाही के रूप स्वीकार किया जा सकता है जिससे कवेंशन कंट्री एग्रीमेंट को यूरोपीय संघ / भारत के बाहर से अनेक आवेदकों का लाभ मिल सकता है।
- अक्सर पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से यूरोपीय संघ के प्रजनक संघों द्वारा पीपीवीएंडएफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों को समझने हेतु गहन अध्ययन किया जाएगा।

आगे यह चर्चा कि गई है कि भारत—यूरोपीय संघ की बैठक का आयोजन फरवरी, 2018 में किया जाएगा, जिसमें सम्भाव्य रूप से यूपीओवी, यूरोपीय संघ एवं भारत के प्रजनक संघ, नीदरलैंड, जर्मनी और भारत के पौधा किस्म संरक्षण प्राधिकारी तथा अन्य स्टेकहोल्डर भाग लेंगे ताकि कवेंशन कंट्री के स्तर के मामले में यूपीओवी नीतियों को सुसंगत बनाने के संदर्भ में पीपीवीएंडएफआर अधिनियम, 2001 विभिन्न प्रावधानों को समझने हेतु कानूनी एवं तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हो सके।

10.3 बीज क्षेत्र के विकास में इंडो—जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत कार्यशाला

“यूपीओवी प्रणाली के अनुसार गुलाब की किस्मों और सब्जियों के डीयूएस परीक्षण सिद्धान्तों पर इंडो—जर्मन द्विपक्षीय कार्यशाला, पीपीवीएंडएफआरए, नई दिल्ली के सहयोग से 14—15 दिसम्बर, 2017 के दौरान आईआईएचआर में आयोजन किया गया। बीएसए, जर्मनी के सुश्री फ्राइड हिलडे ट्राट विन, गुलाब एवं सब्जियों के विशेषज्ञ ने डीयूएस परीक्षण पदतीयों एवं जर्मनी पादप प्रजनकों के अधिकारों के बारे में बताया। श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त पंजीकार, पीपीवीएंडएफआरए ने भारत में पीपीवीएंडएफआर अधिनियम के बारे में बताया। कार्यशाला में दक्षिण भारत के पुष्प उत्पादन संघ के अतिरिक्त, गुलाब के फूलों के वैवसायिक उत्पादकों ने भाग लिया और गुलाब में पौधा किस्म संरक्षण से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की। कार्यशाला में पुष्प उत्पादन निदेशालय, एआईसीआरपी—एनएआरपी, पुणे, यूएचएस, भागलकोट के वैज्ञानिक एवं अनुसंधान क्रामिकों ने फसल प्रजनकों एवं आईआईएचआर के डीयूएस परीक्षण हो रहे भूखंडों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई जिनका समाधान गुलाब एवं सब्जियों के पंजीकरण में आवश्यक है।



अधिकारियों ने भाग लिया, गुलाब एवं सब्जियों के डीयूएस दिशानिर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं डीयूएस परीक्षण हो रहे भूखंडों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई जिनका समाधान गुलाब एवं सब्जियों के पंजीकरण में आवश्यक है।

- सभी डीयूएस परीक्षणों पर चर्चा की गई और जहाँ तक सम्भव हुआ वहाँ कैलीब्रशन एवं हारमोनाइजेशन किया गया। शेष लक्षणों के लिए जिन पर आगे चर्चा की आवश्यकता महसूस की गई उन्हे संलग्न सूची में दिया गया है।
- कैलीब्रशन एवं हारमोनाइजेशन के लिए और अधिक चित्र एवं फोटो के साथ पर्यवेक्षण की अवधि/अवस्था की स्पष्टता सहित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास आवश्यक है।
- देशों के बीच विशिष्ट उदाहरण एवं प्रमुख संदर्भ किस्मों को साझा करने की आवश्यकता है।
- बीएसए, जर्मनी द्वारा उपयोग किए जा रहे डाटा लोगर को भी पर्यवेक्षण दर्ज करने में सुविधा हेतु प्राप्त किया जा सकता है।



- अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिजीटल रिपोजिटरी तैयार किया जा सकता है जिसका उपयोग संदर्भ किस्मों के चयन के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है।

10.4 “बीज क्षेत्र के विकास तथा पौधा किस्म संरक्षण में भारत—यूरोपियन संघ का सहयोग” विषय पर हयात रिजेंसी, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

हयात रिजेंसी, नई दिल्ली में 22–23 फरवरी, 2018 के दौरान “बीज क्षेत्र के विकास तथा पौधा किस्म संरक्षण में भारत—यूरोपियन संघ का सहयोग” विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन पीपीवीएंडएफआरए, आद्यौगिक नीति एंव संवर्धन विभाग (वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार), जर्मन संघ की खाद्य एंव कृषि मंत्रालय तथा कृषि, प्राकृति एंव खाद्य गुणवत्ता मंत्रालय, नीदरलैंड के समर्थन से किया गया। कृषि सहाकारिता एंव किसान कल्याण विभाग, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय



बागवानी बोर्ड, भारत स्थित दूतावासों के कृषि पार्षदों के अतिरिक्त भारत, यूरोपीय संघ के बीज उद्योग, न्यायवाधियों, विधि सलाहाकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यशाला ने यूरोपियन संघ तथा भारत के पादप प्रजनकों, बीज संघों तथा पीवीपी कार्यालयों के बीच पारस्परिक चर्चा हेतु एक मंच का सृजन किया। विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा की गई चर्चा, यूरोपियन संघ तथा भारत द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न प्रणालियों के अतिरिक्त ईयू—सीपीवीओ, भारत में पौधा किस्म अधिकारों की नीति तथा यूपीओवी में दक्षता एंव ज्ञान के सुदृढ़िकरण पर केंद्रित था। कार्यशाला ने यूरोपियन संघ के साथ भारत में पौधा किस्म संरक्षण में आपसी पहचान हेतु कवेशन कंट्र की व्यवस्थाओं के ढाचे के निर्माण पर बल दिया। डॉ पीटर बट्टन, उप महासचिव, यूपीओवी ने भाग ले कर कार्यशाला के प्रति संतोष एंव बीज क्षेत्र विकास में इंडो—जर्मन द्विपक्षीय सहयोग हेतु जारी कार्यों का समर्थन किया।

दो दिनों की बैठक के दौरान कानूनी पहलुओं, भारत एंव यूरोपियन संघ के किसानों के संघ तथा प्रजनकों के संघ के दृष्टिकोण एंव अकाशाओं पर चर्चा हेतु अनेक सत्रों का आयोजन किया गया। पौधा किस्म संरक्षण के संबंध में अनेक सूचनाओं के आदान प्रदान से कार्यशाला सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।



अध्याय 11 : 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की आय और व्यय लेखा

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि (रुपये में)

कॉर्पस / पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस / पूंजी निधि	1	483,737,227	402,074,246
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	2	-	-
निर्धारित / स्थायी निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	125,765,631	123,527,750
योग		609,502,858	525,601,996
<u>परिसम्पत्तियां</u>			
अचल परिसम्पत्तियां	8(बी)	30,326,059	30,025,715
घटाएँ : संचयित मूल्यहस्त		25,648,117	24,983,197
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		4,677,942	5,042,518
पूंजीगत कार्य में प्रगतियां	8(बी)	18,147,519	17,838,219
निवेश – निर्धारित / स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य से	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशागियां आदि	11	586,677,398	502,721,259
फुटकर व्यय		-	-
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हों)			
योग		609,502,858	525,601,996

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि (रुपये में)

आय	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
	2017–18	2016–17	2017–18	2016–17
बिक्री / सेवाओं से हुई आय	-	-	-	-
अनुदान / सहायता	-	-	-	-
शुल्क / चंदा	-	-	-	-
निवेशों से हुई आय	-	-	-	-

रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	-	-	-	-
अन्य आय	8,682	-	132,304	2,805,487
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (गिरावट)				
और चालू कार्य	-	-	-	-
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर				
मूल्यहास)	664,923	664,923	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)	-	-	-	-
कुल (क)	673,605	664,923	132,304	2,805,487
व्यय				
स्थापना व्यय	-	57,167,000	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	484,309	-	-	-
अनुदान / चंदों आदि पर हुआ व्यय	-	-	-	-
ब्याज	-	-	-	-
मूलहास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)	664,923	664,923	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध—क)	-	1,999,941	-	-
योग (ख)	1,149,232	59,831,864	-	-
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष				
राशि (क—ख)	(475,627)	(59,166,941)	132,304	2,805,487
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग—अलग बताएं)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को / से हस्तांतरण	-	-	-	-
कॉर्पस / पूंजी निधि तक ले जाई गई शेष				
अतिरिक्त राशि (अंतर)	(475,627)	(59,166,941)	132,304	2,805,487

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं अदायगियाँ

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आंदिशेष				1. व्यय	
क. मौजूद नकद राशि	25,819	22,815	क. स्थापना व्यय	29,327,769	19,920,282
ख. बैंक अधिशेष एसबीआई	25,340,939	52,271,445	ख. प्रशासनिक व्यय	25,760,344	39,142,253
सिडिकेट बैंक	40,484,983	32,976,805	2. निधियों के विरुद्ध अदायगियाँ		
लेन-देन में वापसी	-	-	क. विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ख व ग)	48,678,826	47,131,161
एस बी आई (जीन निधि)	65,009,845	52,161,780	ख. नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध घ व ड.)	15,029,404	11,225,966
गुवहाटी बैंक	32,433	32,433	ग. संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध च)	-	-
रांची बैंक क्रम: रसीप अधिशेष (कुल)	26,087	26,086 (127,740,142)	घ. फैल्ट जीन बैंक (अनुबंध छ व ज)	2,405,515	3,524,952
2. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	151,710,000	197,500,000	3. अचल सम्पत्तियों पर व्यय तथा पूँजी कार्य में प्रगति		
			क. अचल सम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	269,414	48,036
3. बैंक में जमा राशि पर प्राप्त व्याज व्यय	-	-	जीन निधि	-	-
प्राधिकरण निधि	5,791,575	14,633,296	4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशारी (अनुबंध क)	23,050,738	17,712,267
प्राधिकरण एफडी पर प्राप्त व्याज सीपीएफ जमा राशि पर प्राप्त व्याज	3,727		5. बाहरी पक्षों को पेशारी (अनुबंध जे)	417,705	1,101,075

राशि (रुपये में)

एसबी(सिंडीकेट बैंक) पर प्राप्त व्याज 17,04,151 एसबी (एसबीआई) पर प्राप्त व्याज 1,207 स्वीप पर प्राप्त व्याज (सिंडीकेट) 40,73,808 आयकर पर वापिस व्याज 8,682		6. फैक्टिंग मशीन को पुनः भरना 7. जीन बैंक के लिए योगदान	150,000 -	100,000 57,167,000
4. प्रशिक्षण केन्द्रों से अग्रिम राशि की वापसी (अनुलग्नक-एन)	313,411 पीडीकेबी, अकोला	8. कार्मिकों को अग्रिम राशि (अनुलग्नक-के)	4,018,048	1,307,562
5. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास से संबंधित अग्रिम राशि की वापसी (नया डीयूएस केन्द्र)	- 163,141	9. वित्तीय प्रभार	5,464	17,945
6. कार्मिकों से अग्रिम राशि की वापसी (अनुलग्नक-एन)	उमा कांत दुबे 608,939	10. बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस	950	199,483
7. फील्ड जीन बैंक से अग्रिम राशि की वापसी	892,629 351,181	11. फिक्सेड डिपोजिट (एसबीआई)	147,076,000	356,000
8. संदर्भ किस्मों के रखरखाव से अग्रिम राशि की वापसी (अनुलग्नक-ओ)	एसकेएनएयू जावेनर (जो)	148,050 12. रिकार्डिंग डिपोजिट (सीपीएफ)	- 297,000	
9. रेफर्ल प्रयोगशालाओं से अग्रिम राशि की वापसी	- 1,000,000	13. भुगतान की गई सांविधानिक देयताएं (अनुलग्नक-एल)	7,372,419	5,356,830
10. डीयूएस परीक्षण हेतु अग्रिम राशि एवं पंजीकरण शुल्क	- 285,600	14. अन्य प्रकार के रेमिटेंसेस (अनुलग्नक-एल-II)	30,658	37,560
11. शुल्क / ग्राहकी शुल्क / अन्य आय आवेदन / पंजीकरण शुल्क	6,664,800 10,141,600	15. आटो रसीप का सूजन आटो रसीप का सूजन, एसबीआई	62,838,000 207,403,000	

राशि (रुपये में)

पीवीजे ग्राहकी शुल्क विरोध नोटिस का शुल्क वार्षिक शुल्क (बीजों की बिक्री में 'अंश सहित)–जीन निधि डियूस परीक्षण शुल्क वार्षिक नवीकरण शुल्क	101,800 - 5,370,206 4,829,500 2,072,100	107,500 10,000 4,722,123 8,278,500 722,000	आटो रसीप का सूजन, एसबीआई – जीन आटो रसीप का सूजन, सिंडिकेट बैंक 16. अंत शेष a) इम्प्रेस्ट नगद	90,460,000 34,887,000	21,970,000 45,159,000
निरीक्षण शुल्क वार्षिक रिटर्न फार्म	186,500 132,304	273,000 2,805,487	प्राधिकरण रांची कार्यालय	25,000 3,186	25,819 52
अन्य आय प्रकाशनों की बिक्री पुराने समाचार पत्रों, स्क्रोप की बिक्री आरटीआई काटे गए टीडीएस की वापसी बैंक द्वारा दिया गया अतिरिक्त ऋण प्राधिकरण निधि से अंशदान	27,000 3,370 - 248,058 -	600 29,486 370 81,077 -	गुवाहाटी कार्यालय ख) बैंक में शेष (एमओडी सहित) i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) सिंडिकेट बैंक iii) एसबीआई (जीन निधि) iv) गुवाहाटी बैंक v) रांची बैंक	(6,262)	767
12. रसीप का नगदीकरण–एसबीआई	174,484,996	155,849,395		20,066,070 32,415,441 3,106,549 8,015 16,056	25,340,939 40,484,983 65,009,845 32,433 26,087
13. रसीप का नगदीकरण–एसबीआई–जीन	31,689,954	9,970,473			
14. रसीप का नगदीकरण–सिंडिकेट बैंक	30,508,354	363,775			
15. रसीप पर अर्जित ब्याज	221,083	-			

राशि (रुपये में)

16. एफडी का नगदीकरण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-	63,754,768		
फिक्सेड डिपोजिट (सिंडिकेट बैंक)	690,574	70,408,303		
17. सीपीएफ रिकर्स डिपोजिट	93,000	658,000		
18 एलएस एवं पीसी	119,453			
योग	546,757,362	610,098,297	योग	547,412,310
				610,098,297

अध्याय 12 : नागरिक आचार संहिता

प्राधिकरण का विजन

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना।

प्राधिकरण के उद्देश्य

- पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं के संरक्षण हेतु एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।
- पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा करना तथा अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने और नई किस्मों का मूल्यांकन करना।
- पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने में किसानों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना।
- किसानों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता हेतु उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

प्राधिकरण के कार्य

- कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- परंपरागत बीजों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और बारहमासी फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना।
- पौधों की नई और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण
- पंजीकृत पौधा किस्मों के प्रलेखन का विकास
- कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूचीपत्र बनाना
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्र बनाने की सुविधा
- यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्यतः लाइसेंस उपलब्ध कराना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को सहायता देने तथा इस प्रकार के संरक्षण हेतु पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ—साथ पण्धारियों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग। पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध क्रियाकलाप, पहलें एवं हितधारक सम्मिलित हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाएं

- कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं / पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) की सुरक्षा प्रदान करना।

- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।
- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- समुदायों / किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के योगदान / साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
- स्टेकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

शिकायतों के निपटाने की व्यवस्था

महापंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, लोक शिकायतों के निपटान के लिए नामित पदाधिकारी हैं और निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं :

डॉ. आर. सी. अग्रवाल

महापंजीकार

अपील अधिकारी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग

नई दिल्ली— 110 012

फोन — 011—25843316, फैक्स : 011—25840478

ई—मेल : ppvfra-agri@nic.in

www.plantauthority.gov.in

मुख्य जन सूचना अधिकारी के रूप में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पंजीकार को आरटीआई आवेदनों को निपटाने का दायित्व सौंपा गया है। उनसे आरटीआई कोष्ठ में सम्पर्क किया जा सकता है।

डॉ. रवि प्रकाश

मुख्य जन सूचना अधिकारी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट

नई दिल्ली— 110 012

फोन — 011—25843853

ई—मेल : prakash.ravi@nic.in

अनुबंध I प्राधिकरण के सदस्य

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पता
1	डॉ एस. के मल्होत्रा	कृषि आयुक्त	कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली— 110001
2	डॉ ए. के. सिंह	उप महानिदेशक (फसल विज्ञान)	फसल विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली— 110012
3	श्री अश्वनी कुमार (20 जनवरी, 2018 के प्रभाव से)	संयुक्त सचिव (बीज)	कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली— 110001
4	डॉ बी.एन.एस. मूर्ति	बागवानी आयुक्त	कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 238, कृषि भवन, नई दिल्ली— 110001
5	डॉ. कुलदीप सिंह	निदेशक	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली—110 012
6	डॉ. मोहम्मद असलम	सलाहकार / वैज्ञानिक 'जी'	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 809, 8वां तल, ब्लॉक-2, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003
7	डॉ. सुजाता अरोड़ा	सलाहकार	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. वी—235, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली—110 003
8	श्री बिहारी लाल शर्मा	कार्यकारी निदेशक	सतत विकास के लिए युवा, बी—2, एम.सी. कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समीप, शिमला—171 001
9	श्री अरुणा कुमारा वी.के.	निदेशक	कृषि प्रयोग परिवार, कृषि निवास, कुरुवल्ली, थिर्थाहल्ली, शिमोगा जिला, कर्नाटक—577 432
10	श्री प्रभाकर राव	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक	नुजीवीडु सीडस प्राइवेट लिमिटेड, एनएसएल ऑइकॉन, चौथा तल, आईसीआईसीआई बैंक के सामने, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना—500 034
11	डॉ. आर. सी. श्रीवास्तव	कुलपति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर—848125
12	डॉ. निक्की हेमब्रॉम		एमआईजी 52, हनुमान नगर, कंकरबाग, पटना— 800020
13	श्री बिजय कुमार, भा.प्र.से.	प्रधान सचिव (कृषि)	महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई—462004

14	डॉ राजेश राजोरा, (आईएएस)	प्रधान सचिव (कृषि)	मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नं. 83, वल्लभभवन, भोपाल— 462 004
15	श्री आर.एस.वर्मा	संयुक्त सचिव और विधि सलाहाकार	विधि और न्याय मंत्रालय कमरा न. 145 ए, रेलवे भवन, नई दिल्ली—110001

*डॉ बी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव (बीज) (13 जून, 2017 से 19 जनवरी, 2018 तक) और श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव (बीज) (01 जून से 12 जून, 2017 तक)

अध्यक्ष

1. डॉ. कुम्बले विनोद प्रभु (06 फरवरी, 2018 से)
2. डॉ. बी. राजेन्द्र (13 जून, 2017 से 19 जनवरी, 2018 तक)
3. श्री आर.के.सिंह (01 जून से 12 जून, 2017 तक)
4. डॉ. आर. आर. हंचिनाल (31 मई, 2017 तक)

सदस्य सचिव:

डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महापंजीकार

अनुबंध II पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के मानव संसाधनों का विवरण

पद का नाम	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार	स्वीकृत पद	रिक्त पद
अध्यक्ष	स्तर 17 (₹2,25,000)	1	—
महा पंजीकार	स्तर 15 (₹1,82,200—2,24,100)	1	—
पंजीकार	स्तर 13 (₹1,23,100—2,15,900)	3	—
वित्तीय सलाहाकार	स्तर 13 (₹1,23,100—2,15,900)	1	—
संयुक्त पंजीकार—I	स्तर 12 (₹78,800—2,09,200)		
संयुक्त पंजीकार-II	स्तर 12 (₹78,800—2,09,200)	2	1
विधि सलाहाकार—I	स्तर 11 (₹67,700—2,08,700)	2	1
विधि सलाहाकार-II	स्तर 11 (₹67,700—2,08,700)		
उप पंजीकार	स्तर 11 (₹67,700—2,08,700)	3	3
पौधा किरम परीक्षक	स्तर 7 (₹44,900—1,42,400)	3	2
तकनीकी सहायक	स्तर 6 (₹35,400—1,12,400)	1	—
कंप्यूटर सहायक	स्तर 6 (₹35,400—1,12,400)	6	1

अनुबंध III: वर्ष 2017–18 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	जारी की गई राशि (रुपये में)
1.	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बैंगलोर	चाइना एस्टर	250,000
2.	टीएनएयू कोयम्बत्तूर	पपीता और सीताफल	182,036
3.	यूएचएस, भागलकोट	सहजन	296,200
4.	सीआईएच, आईसीएआर—यूनिट, बीकानेर	आवला	99,013
5.	सीआईएसएच, आईसीएआर—यूनिट, लखनऊ	बेल	215,309
7.	एनआरसी, आईसीएआर—यूनिट, काजू	काजू	399,760
8.	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो (सेलिक्स स्पीसीस)	362,574
9.	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	गेंदा	377,215
10.	सीपीसीआरआई, आईसीएआर—यूनिट	कोको	832,090
11.	सीसीएआरआई—आईसीएआर, गोवा	कोकम	429,000
12.	एनआरसीएसएस, अजमेर	अजवाइन, डिल, नाइजेल्ला, सेलेरी, अनाइज	860,106
13.	डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	लिल्लम एसपी, ओरियंटल, एशियाटिक, एलए एवं ओटी संकर	450,000
14.	आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर	अइलानथस	835,078
15.	आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर	रेड सेन्डर्स एवं इंडियन सैंडल गुड	499,513
16.	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बैंगलोर	जरबेरा	435,560
17.	एसएचयूएटीएस, इलाहाबाद	—	450,000
18.	एसकेयूएसटी—के, श्रीनगर	मक्का लैंड रेसेस	450,000
19.	यूएएस, धारवाड	.लोबिया	450,000
20.	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपारी	00,000
21.	बीएसकेकेवी, दापोली	कोकम	329,476
22.	सीआईएच, आईसीएआर—यूनिट, बीकानेर	खजूर	300,000
23.	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीबकथार्न	416,890
24.	सीआईएसएच, आईसीएआर—यूनिट, लखनऊ	आवला	364,759
25.	सीआईएसएच, आईसीएआर—यूनिट, लखनऊ	जामुन	275,000
26.	बीएसकेकेवी, दापोली	जायफल	278,000
27.	यूएएस, धारवाड.	कुलथी, मोथबीन, ग्वारफली, लेथीरस	99,600

क्र.सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	जारी की गई राशि (रुपये में)
28.	भा.कृ.अ.सं., सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	मूली एवं गाजर	929,664
29.	भा.कृ.अ.सं., फल एवं औद्यानिक प्रौद्योगिकी संभाग, नई दिल्ली	नींबू एवं चिकोतरा	1,088,446
30.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	कटहल	288,559
31.	बीएसकेकेवी, दापोली	दलहन, सब्जी एवं अनाज	205,000
32.	नागालैंड विश्वविद्यालय	चौ—चौ	900,000
33.	यूएस, धारवाड़	मेस्टा	450,000
34.	यूएस जीकेवीके, बैंगलोर	कटहल	283,789
35.	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, आईसीएआर—यूनिट मुजफ्फरपुर	लीची व अमरुद	546,767
36.	यूएचएस शिमोगा	—	100,000
		कुल	15,029,404

अनुबंध IV: वर्ष 2017–18 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण

सारणी :वर्ष 2017–18 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	जारी की गई राशि (रुपये में)
1.	एनआरसीसी, आईसीएआर–यूनिट, नागपुर	नीबू वर्ग	50,000
2.	डीटीआर एवं डीसीटीबी, कुर्सियोंग	चाय	100,000
3.	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	गुलनार	300,000
4.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	कंद और कचालू	240,496
5.	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	रजनीगंधा	360,000
6.	केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	शकरकंद एवं कसावा	375,000
7.	एनबीआरआई आईसीएआर–यूनिट, लखनऊ	ग्लेडियोलस	415,641
8.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	परवल	425,000
9.	आईआईपीआर, आईसीएआर–यूनिट, कानपुर	अरहर	500,000
10.	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	चमेली	450,000
11.	सीआईटीएच, श्रीनगर	आडू और आलूबुखारा	638,195
12.	सीआईएसएच, लखनऊ	आम	718,190
13.	सीआईएच, आईसीएआर–यूनिट, बीकानेर	तरबूज और खरबूजा	300,000
14.	एसकेएनएयू, जोबनेर	जौ	275,000
15.	जेएनकेवीवी, जबलपुर	दाल मटर और अलसी	575,000
16.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	पान	300,000
17.	सीएसएयूए और टी, कानपुर	अलसी	746,520
18.	आईजीकेवी, रायपुर	चावल	475,695
19.	सीआईएमएपी, लखनऊ	औषधीय पौधे	625,000
20.	सीआईएच, बिकानेर	बेर	545,163
21.	भा.कृ.अ.सं., सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	लौकी	615,693
22.	भा.कृ.अ.सं., क्षेत्रीय केंद्र, कटराइन	फूल गोभी और बंदगोभी	350,000
23.	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	आम	525,000
24.	एनआरसीबी, ट्रिकी	केला	213,211
25.	टीआरए, टोकलई	चाय	325,000
26.	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर	नोनी	421,294
27.	टीएनएयू, कोयम्बटूर	छोटा अनाज	350,000
28.	एनबीपीजीआर, आईसीएआर–यूनिट, नई दिल्ली	चौलाई	411,999
29.	टीएनएयू, कोयम्बटूर	चमेली	100,000
30.	डीजीआर, आईसीएआर–यूनिट, जूनागढ़	मूंगफली	342,312
31.	भा.कृ.अ.सं., सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	मिर्च	278,016
32.	जेएनकेवीवी, जबलपुर	तिल और नाइजर	417,354
33.	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	तरबूज और खरबूजा	300,000
34.	केन्द्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	शहतूत	151,056
35.	जेएयू, जामनगर	अरण्डी	389,088

36.	गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली	गन्ना	556,933
37.	आईएफजीटीबी, कोयम्बटूर	नीलगिरी और कैसुरीना	209,649
38.	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	चौलाई, पालक और तुरई	625,000
39.	एएयू जोरहाट	चावल	562,900
40.	आईएआरआई, नई दिल्ली	गेंदा	550,000
41.	वीपीके एएस, अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन और मक्का	374,259
42.	डीओजीआर, राजगुरुनगर	प्याज और लहसुन	253,317
43.	एनआरसी, सिक्किम	ऑर्किड	341,056
44.	एनआरसीपी, शोलापुर	अनार	556,742
45.	आईएआरआई, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	416,268
46.	आईआईएसआर, लखनऊ	गन्ना	572,563
47.	आईआईएचआर, बंगलुरु	पान	200,038
48.	आईआईएसआर, कालीकट	मसाले	400,000
49.	डीएसआर, इंदौर	सोयाबीन	590,696
50.	आईआईपीआर, कानपुर	मूंग, उड्ढद, मसूर, राजमा और सब्जी मटर	400,000
51.	एनआरसी—अंगूर, आईसीएआर—यूनिट,	अंगूर	584,925
52.	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	चावल	586,470
53.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	गन्ना	603,894
54.	आईजीकेवी, रायपुर	वृद्धि परीक्षण (चावल)	489,191
55.	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	गन्ना	512,649
56.	डीआरएमआर, भरतपुर	तोरिया और सरसों	375,770
57.	आईआईएचआर, आईसीएआर—यूनिट, बंगलुरु	मिर्च	1,100,000
58.	राएयू बीकानेर — मंदौर एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर	बाजरा	470,662
59.	पीएयू लुधियाना	जई, लोबिया और गिनी घास, कपास	295,901
60.	सीआरआरआई, आईसीएआर—यूनिट, कटक	चावल	1,519,382
61.	पीडीकेवी, अकोला	चना और अरहर	550,000
62.	डीएमएपीआर, आनंद	औषधीय एवं सगंधीय पौधे	554,109
63.	सीसीएसएचएयू हिसार	कपास और चना	735,000
64.	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूं	149,539
65.	सीपीआरआई, शिमला	आलू	600,000
66.	एनईएच क्षेत्र, बारापानी	चावल	847,647
67.	आईएआरआई, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	409,263
68.	पीजेटीएसएयू हैदराबाद	मक्का	1,059,706
69.	आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल	गेहूं	1,201,484
70.	टीएनएयू कोयम्बटूर	चावल, सूरजमुखी और मूंगफली	589,355
71.	आईआईएमआर, हैदराबाद	ज्वार	870,896
72.	सीआरआईजे एफआर, बैरकपुर एवं सीएसआरएस, बुदबुद	पटसन	754,332
73.	एमपीकेवी, राहुडी	कपास व चना	626,905

74.	आईआईओआर— आईसीएआर, हैदराबाद	सूरजमुखी, अरण्ड और कुसुम	832,178
75.	सीपीसीआरआई, केरल	नारियल	486,036
76.	यूएस, बंगलुरु	छोटे अनाज	954,260
77.	सीआईएसएच, लखनऊ	अमरुद व लीची	272,000
78.	आईआईपीआर, कानपुर	चना और अरहर	413,801
79.	एमपीकेवी, राहुड़ी	ज्वार, बाजरा	935,580
80.	आईआईएचआर, बैंगलोर	सब्जी	2,045,270
81.	यूएस, धारवाड़	कपास, सोयाबीन, मूँगफली और तिल	1,593,812
82.	आईआईएचआर, बंगलुरु	गुलाब और गुलदाउदी	212,346
83.	आईआईआरआर, हैदराबाद	चावल	1,433,093
84.	आईआईएमआर, नई दिल्ली	मक्का	1,165,029
85.	सीआईसीआर, कोयम्बटूर	कपास	900,000
86.	सीआईसीआर, नागपुर	कपास	500,000
87.	एचवीआर, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी	1,439,000
88.	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	चिनार	205,003
कुल			48,678,826

अनुबंध V: वर्ष 2017–18 के दौरान फील्ड जीन बैंक/जीन बैंक को जारी की गई राशि का विवरण

वर्ष 2017–18 के दौरान फील्ड जीन बैंक/जीन बैंक को जारी की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	जारी की गई राशि (रुपये में)
1	डॉ. बालासाहेब कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	735,088
2	काजरी, जोधपुर	233,440
3	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	544,358
4	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	892,629
	कुल	2,405,515

अनुबंध VI: वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता

तालिका : वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता

	लाभार्थी का नाम	वर्ष 2017–18 के दौरान जारी
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोहराट (एएयू)	515,000
2.	सीआरआरआई, कटक	520,000
3.	सीएसएयूएंडटी, कानपुर	79,212
4.	सीएसकेएचपीकेवी	200,000
5.	सीआईएसएच, लखनऊ	915,000
6.	आईआईवीआर, वाराणसी	900,000
7.	अनुसंधान एसएचआईएटीएस इलाहाबाद (136 / 15)	80,000
8.	भा.कृ.अ.प, आरईसीआर, पटना (136 / 15)	500,000
9.	एमपीकेवी, राहुरी	600,000
10.	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम	80,000
11.	पीएयू लुधियाना	154,766
12.	आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर (136 / 15)	80,000
13.	यूए एंड एचएस, शिमोगा, कर्नाटक (136 / 15)	800,000
14.	वाईएसपीयूएच एंड एफ, सोलन (चंबा)	80,000
15.	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय – भा.कृ.अ.प.अंचल – I लुधियाना,	955,294
16.	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय – भा.कृ.अ.प. अंचल – IV कानपुर,	3,666,657
17.	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय – भा.कृ.अ.प. अंचल – V हैदराबाद	4,299,809
18.	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय – भा.कृ.अ.प. अंचल – VI जोधपुर	480,000
19.	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय – भा.कृ.अ.प. अंचल – VII जबलपुर	3,770,000
20.	एनएयू, गुजरात (केविके), नवसारी, नरमदा	500,000
21.	एनबीआरआई, लखनऊ	80,000
22.	नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर	80,000
23.	सचिव, आईएसवीएस, वाराणसी	80,000
24.	बीएयू शिक्षा निदेशालय, साबौर, भागलपुर	480,000
25.	भारतीय आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन सोसायटी	80,000
26.	सचिव, इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ हिल फार्म	80,000
27.	आईआईएसडब्लूसी, आगरा	80,000
28.	एनआईएसएम, बारामती	80,000
29.	समुदायों के टिकाऊ विकास के लिए समिति	80,000
30.	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय अंचल – III बाड़ापानी	1,680,000
31.	आईएसपीआरडी–पीयूएलएसवाईएम, कानपुर	80,000
32.	युएचएस, भागलकोट	80,000
33.	आईएसडब्लूसी, देहरादून	160,000
34.	पीजेटीएसएयू हैदराबाद	515,000
35.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	80,000
36.	कृषि विज्ञान संस्थान बीयू झारंसी	80,000
37.	सैम हिंगिंबोटम कृषि प्रौद्योगिकी एवम् विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	80,000
		23,050,738

अनुबंध VII: वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त कृषक किसां की सूची

फसल	कुल									
	पौधा किरण	पौधा उत्पादन								
मेथी	-	1	-	1	1	1	1	1	1	3
मटर	-	3	-	-	-	11	-	-	-	16
रागी	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-
कंगनी	-	1	-	-	-	-	-	-	5	13
लहसुन	-	1	-	-	-	1	-	2	-	9
अदरक	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4
मुँग	-	3	-	-	-	1	-	16	-	22
मुफ़्फ़ली	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
अमरुद	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3
आंवला	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
बेर	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
भारतीय सरसों (करन चाई)	-	1	3	-	-	11	-	-	-	1
भारतीय सरसों (सरसों)	-	1	-	-	-	-	-	2	-	19
जामुन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
पट्टसन	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
राजमा	-	1	-	-	2	-	-	-	6	12
कोदो	-	1	-	-	1	-	-	-	7	-
मसूर	-	-	-	-	4	-	-	-	4	10
अलसी	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-
लिचि	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
मतका	-	4	-	-	6	29	-	-	18	58
आम	1	8	1	2	-	2	-	1	-	5
गेंदा	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3

अनुबंध VIII : पंजीकरण के अंतर्गत फसलें

क्र.सं.	फसलें	वानस्पतिक नाम
1.	चावल	ओराइजा सेटिवा एल.
2.	चपाती गेहूँ	ट्रिटिकम एस्ट्रिवम एल.
3.	मक्का	जीमेज एल.
4.	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंच
5.	बाजरा	पेनीसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर.
6.	चना	साइसर एसिटिनम एल.
7.	मूंग	विग्ना रेडिएटा (एल.) विल्कजैक
8.	उड्ड	विग्ना मुगो (एल.) हैप्पर
9.	मटर	पाइसम सेटिवम एल.
10.	राजमा	फैसियोलस वलोरिस एल.
11.	मसूर	लैंस क्यूलीनेरिस मैडिक
12.	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) मिल्स्प
13.	भारतीय सरसों	ब्रैसिका जुंसिया एल. सीजर्न एवं कॉस
14.	करनराई	ब्रैसिका कैरिनाटा ए. ब्रॉन
15.	तोरिया	ब्रैसिका रेपा एल.
16.	गोभी सरसों	ब्रैसिका नेपस एल.
17.	मूंगफली	अराकिस हाइपोजिया एल.
18.	सोयाबीन	ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मैरिल
19.	सूरजमुखी	हैलियंथस एनस एल.
20.	कुसुम	कार्थमस टिंक्टोरियस एल.
21.	अरण्ड	रेसिनस कम्युनिस एल.
22.	तिल	सिसेमम इंडिकम एल.
23.	अलसी	लिनुम उसिटाटिसिमम एल.
24.	द्विगुणित कपास	गोसिपियम आर्बोरियम एल.
25.	द्विगुणित कपास	गोसिपियम हार्बेरियम एल.
26.	चर्तुर्गुणित कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.
27.	चर्तुर्गुणित कपास	गोसिपियम बार्बेंडेस एल.
28.	पटसन	कार्कोरस ओलिटोरियस एल.
29.	पटसन	कार्कोरस कैप्सुलेरिस एल.
30.	गन्ना	सेकेरम एल.
31.	कालीमिर्च	पाइपर नाइग्रम एल.
32.	छोटी इलायची	एलिटेरिया कार्ड्मोमम माटन
33.	हल्दी	करकुम्मा लोंगा एल.

क्र.सं.	फसलें	वानस्पतिक नाम
34.	अदरक	जिंजिबर ओफिसिनेल रॉर्क
35.	टमाटर	लाइकोपरसिकोन लाइकोपर्सिकम (एल.) कर्स्टन एक्स. फर्व.
36.	बैंगन	सोलेनम मेलोनजेना एल.
37.	भिणडी	एबेलमोस्कस एस्कुलेंट्स (एल.) मोयंच
38.	फूल गोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया एल. वैर. बोट्राटिस
39.	पत्ता गोभी	ब्रैसिका ओलेरेसिया वैर. कैपिटाटा
40.	आलू	सोलेनम ट्यूबेरोसम एल.
41.	प्याज	एलियम सेपा एल.
42.	लहसुन	एलियम सेटिवम एल.
43.	गुलाब	रोसा प्रजाति (आर. डेमासेना के अतिरिक्त)
44.	गुलदाउदी	क्राइसेंथेमम एसपीपी.
45.	आम	मैंगीफेरा इंडिका एल.
46.	झ्यूरमगेहूँ	ट्रिटिकम झ्यूरम डैरफ.
47.	डाइकोकमगेहूँ	ट्रिटिकम डाइकोकम एल.
48.	अन्य	ट्रिटिकम प्रजातियाँ
49.	ईसबगोल	प्लांटागो ओवाटा फोस्क
‘50.	पुदीना	मैंथा आर्वेन्सिस एल.
51.	जामदानी गुलाब (इत्र)	रोसा डेमासेना मिल.
52.	सदाबहार	कैथारेंथस रोजियस एल. जीडॉन
53.	ब्राह्मी	बैकोपा मोनिएरी एल. पैनेल
54.	नारियल	कोकस न्यूसिफेरा एल.
55.	ऑर्किड	वांडा
56.	ऑर्किड	डैंड्रोबियम
57.	ऑर्किड	सिमबिडियम
58.	अनार	पुनिका ग्रेनेटम एल.
59.	ऑर्किड	कैटलेया लिंडल.
60.	ऑर्किड	फैलेनोप्सिस ल्यूम
61.	सफेदा	यूकेलिप्टस कोमालझुलेंसिस देहन्ह
62.	सफेदा	यूकेलिप्टस टेरेटिकोर्निस एसएम
63.	कैसुरीना	कैसुरीना इक्वीसेटीफोलिया एल.
64.	कैसुरीना	कैसुरीना जुंघुहनियाना मिक.
65.	करेला	मोमोरडिका चरेनटिया एवं एल
66.	लौकी / धीया	लैगेनेरिया साइसेरेरिया (मोल) स्टैन्डल
67.	खीरा	क्यूक्यूमिस सेटिवस एल.

क्र.सं.	फसलें	वानस्पतिक नाम
68.	कद्दू	कुकुरबिटा मॉस्केटा डच. एक्स पोयर
69.	जौ	होर्डेयम वल्नोरे एल.
70.	धनिया	कारिएंड्रम सोटिवम एल.
71.	मेथी	ट्राइगोनेल्ला फोइनम ग्रेएकम एल.
72.	बादाम	प्रूनस डलसिस (मिल.) डी.ए. वैब
73.	सेब	मेलस डोमेस्टिका बॉख्ब
74.	नाशपाती	पायरेस कम्युनिस एल.
75.	खुबानी	प्रूनस आर्मेनियाका एल.
76.	चेरी	प्रूनस एवियम एल.
77.	अखरोट	जुगलांस रेगिया एल.
78.	अंगूर	विटिस प्रजाति
79.	बेर	जिजिफस मौरिटियाना लैम्फ
80.	चाय	कैमेलिया सिनेसिस
81.	चाय	कैमेलिया ऐसेमिका
82.	चाय	सी. ऐसेमिका लासियोकैलिक्स
83.	खट्टानीबूं	सिट्रस औरेंटिफोलिया स्वीगल
84.	मौसमी	सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लांका
85.	संतरा	सिट्रस सिनेसिस (एल.) ओस्बैक
86.	बेगनविलिया	बोगनविलिया कॉम. एक्स जस
87.	केला	म्यूसा प्रजाति
88.	ऑर्किड	ऑसेडियम एसडब्ल्य
89.	देवकली	कन्ना एल.
90.	र्लाडियोलस	र्लाडियोलस एल
91.	खरबूजा	क्यूक्यूमिस मैल्ड एल.
92.	तरबूज	सिट्रुलस लानाटस (थुन्ब) मैंस्फ
93.	चमेली	जैसमिनम ऑरिकुलेटम एल.
94.	रजनीगंधा	पोलिएंथेस ट्यूबरोज एल.
95.	पपीता	कैरिका पपाया एल.
96.	चाइना एस्अर	कैलिस्टेफस चाइनेसिस (एल.) नीस.
97.	आङू	प्रूनस पर्सिका एल. बैट्स्च
98.	जापानीबेर	प्रूनस सेलिसिना एल.
99.	स्ट्रॉबेरी	फ्रैगेरिया एक्स एन्नासन डच.
100.	मिर्च, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च	कैप्सीकम अनुम एल.
101.	रागी	एल्यूसीन कोराकाना (एल.) गेझर्टन
102.	कंगनी	सेटारिया इटालिक (एल.) ब्यूव

क्र.सं.	फसलें	वानस्पतिक नाम
103.	सब्जी चौलाई	एमरेंथस ट्राइकलर एल.
104.	तोरई	लुफ्फा एक्यूटेंगुला (एल.) रॉक्सब.
105.	पालक बीट	बीटा वल्नोरिस किरम बॅंगालेसिस रॉक्सब
106.	कॉर्नेशन	डिआनथस कैरियोफाइलस एल.
107.	ऑर्किड	पैफियोपेडिलम फिट्ज
108.	नोनी	मोरिंजा सिट्रिफोलिया एल.
109.	बेल	एइग्ल मार्मलॉस (एल.) कोरी
110.	जामुन	सिजिजियम क्यूमिनी (एल.) स्कील्स
111.	जायफल	माइरिस्टिका फँगरांस हौउट
112.	चमेली / मोगरा	जैरस्मीनम सैम्बैक एल.
113.	शारीफा	एन्नोना स्ववेमोसा एल.
114.	कालमेघ	एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा (बर्म.एफ.) वाल. एक्स नीस
115.	करंज	पॉगामिया पिन्नाटा (एल.) पिएरे
116.	नीम	एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस.
117.	आंवला / आमला	एम्बिलिका ओफिसिनेलिस गेइटर्न
118.	अमरुद	सिडियम गुआजावा एल.
119.	लीची	लीची चिनेनसिस सोन.
120.	गेंदा	टैगेटस उपप्रजातियां एल.
121.	पान	पाइपर बीटल एल.
122.	देवदार	सेङ्गस डियोडारा (रॉक्सब) जी. डॉन
123.	चीड	पिनस रॉक्सबर्धी सारजेंट
124.	शहतूत	मोरस उपप्रजातियां
125.	चमेली	जैरस्मीनम मल्टीफ्लोरम एल.
126.	कुटूम्बीठी	फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटम
127.	कुटूकड़वी	फैगोपाइरम टैटारिकम
128.	राजगीरा यारामदाना	एमरेंथस हाइपोकॉन्ड्रीकस
129.		एमरेंथस क्रूएन्टस
130.		एमरेंथस कॉडेटस
131.		एमरेंथस इडुलिस
132.	फाबा बीन	विसिया फाबा एल.
133.	रतनजोत	जैट्रोफा कर्कसि एल.
134.	चेना (प्रोसो मिल्लेट)	पैनिकम मेलियासियम एल.
135.	बार्नयार्डमिल्लेट (सम्बत के चावल)	इचिनिक्लोए फ्रूमेंटासी (रॉक्सब.) लिंक
136.	लिटिलमिल्लेट (कुटकी)	पेनीकम सुमाट्रेस रोथ. एक्स. रौमर और स्कूलेट्स

क्र.सं.	फसलें	वानस्पतिक नाम
137.	कोडो बाजरा	पास्पालम स्कॉर्बिकुलेटम एल.
138.	जिमीकंद	अमोरफोफलस पियानीफोलियस
139.	कचातू	कोलोकेसिया एस्कुलेंटा
140.	भीमकाय अरबी	क्राइटोस्पर्मा चमिशनइस/सी. मेरकुसी
141.	काजू	एनाकार्डियम ओक्सीडेंटेल एल.
142.	सुपारी	एरिका केटिचू एल.
143.	चिरोंजी	बुकानेनियालेंजन सप्रेंज
144.	इमली	टैमरिड्सइंडिका एल.
145.	शकरकंद	इपोमोइया बटाटास (एल) लम
146.	कसावा	मानीहोटेसक्यूलेंटा क्रैंट्ज
147.	चिनार	पॉपुलसडेल्टोइडस बारटर.

अनुबंध IX: वर्ष 2017–18 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र

क्र.स.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
1.	2017 का 149	काभी राज	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
2.	2017 का 150	जल—धिपा	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
3.	2017 का 151	बासकामिनी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
4.	2017 का 152	धरांसल	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
5.	2017 का 153	नेता	चामरलाल गंझू	कृषक
6.	2017 का 154	सूवाकालमा	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
7.	2017 का 155	लाइक काकूआ	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
8.	2017 का 156	पनी धन	बुधना उर्योन	कृषक
9.	2017 का 157	बाराहा सेल	रामधनी गंजु	कृषक
10.	2017 का 158	चाइना कामिनी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
11.	2017 का 159	ओके 606	नूजीविडू सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
12.	2017 का 160	यूएस 305	सीड वर्क्स इंटरनेशनल	नई
		(आईईटी 21827)	प्राइवेट लिमिटेट	
13.	2017 का 161	एसपीएच—1635	डा. पंजाबराँव देशमुख कृषि विध्यापीठ	नई
14	2017 का 162	सूर्यप्रभा (एसएसएफएच—32)	सफल सीडस एण्ड बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
15.	2017 का 163	बदशाह—B	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
16.	2017 का 164	कालो नूनीया	सैय्यद अराफात अली	कृषक
17.	2017 का 165	कथाली चापा	सैय्यद अराफात अली	कृषक
18.	2017 का 166	झालीक	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
19.	2017 का 167	मुक्ता	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
20.	2017 का 168	मोती—I	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
21.	2017 का 169	वालोधोपा	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
22.	2017 का 170	भूरीसल	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
23.	2017 का 171	मेदी—डब्लूबी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
24.	2017 का 172	नाबाना	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
25.	2017 का 173	अयान	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
26.	2017 का 174	लंगन मूठी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
27.	2017 का 175	निकूंजा	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
28.	2017 का 176	कालो भट	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
29.	2017 का 177	अशीष	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
30.	2017 का 178	बदवर्ना—II	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
31.	2017 का 179	सुंदरी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
32.	2017 का 180	सितापी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
33.	2017 का 181	निरझारा	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
34.	2017 का 182	नेता	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
35.	2017 का 183	केशव साल	सैयद अराफात अली	कृषक
36.	2017 का 184	भूरा सिलेट	निर्मल मोंडल	कृषक
37.	2017 का 185	कांधागिरि—I	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
38.	2017 का 186	मूछीसल	सहदेव दास	कृषक
39.	2017 का 187	एशफोल	आनंदा दास	कृषक
40.	2017 का 188	ओडा सल	सुसांत दास	कृषक
41.	2017 का 189	कामिनी	अमित दास	कृषक
42.	2017 का 190	दूल्पी	परीक्षित हालदर	कृषक
43.	2017 का 191	चीनी कामिनी	हरेन्द्रनाथ गायेन	कृषक
44.	2017 का 192	काला बट्ट	सैयद अराफात अली	कृषक
45.	2017 का 193	पंजाब नवीन	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
46.	2017 का 194	पंजाब हल्दी—1	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
47.	2017 का 195	पंजाब हल्दी—2	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
48	2017 का 196	विराट (फूले जी95418)	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	विद्यमान (अधिसूचित)
49	2017 का 197	कृष्ण	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	विद्यमान (अधिसूचित)
50.	2017 का 198	पूसा मंगल (8713)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
51.	2017 का 199	फूले सुचित्रा (आरएसवी 1098)	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	विद्यमान (अधिसूचित)
52.	2017 का 200	जीए—513	विक्रम सीड़स प्राइवेट लिमिटेड	नई
53.	2017 का 201	86एम84	पायोनियर ओवर्सेज कॉरपोरेशन	नई
54.	2017 का 202	एलएच 2076	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	नई
55.	2017 का 203	7493870 बी	मैसर्स भारती सीड़स	विद्यमान (वीसीके)
56.	2017 का 204	नरेंद्र विट 5054	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
57.	2017 का 205	के 1006	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
58.	2017 का 206	कोमल 2486	अडवानटा इंडिया लिमिटेड	नई
59.	2017 का 207	एसएल 744	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
60.	2017 का 208	एग्रीफाउंड पार्वती जी—313)	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन	विद्यमान (अधिसूचित)
61.	2017 का 209	कासी अनमोल (के-ए—2)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
62.	2017 का 210	कलामखारी—2	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
63.	2017 का 211	राधा तिलक	सैयद अराफात अली	कृषक
64.	2017 का 212	मुक्रीमाला	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
65.	2017 का 213	भूरी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
66.	2017 का 214	सेनागोरी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
67.	2017 का 215	लाल टिपा	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
68.	2017 का 216	कालो बयार	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
69.	2017 का 217	फूल पागरी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
70.	2017 का 218	राधा तिलक रन	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
71.	2017 का 219	वाइट भूरमा	प्रेसीडेंट, कारेन वेल्फेयर एसोसिएशन	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
72.	2017 का 220	नयाव इन	प्रेसीडेंट, कारेन वेल्फेयर एसोसिएशन	कृषक
73.	2017 का 221	ब्लैक ब्रमा	प्रेसीडेंट, कारेन वेल्फेयर एसोसिएशन	कृषक
74.	2017 का 222	खुशबाया	प्रेसीडेंट, कारेन वेल्फेयर एसोसिएशन	कृषक
75.	2017 का 223	केएसएमएस 233	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
76.	2017 का 224	फूले चित्रा (एसपीवी—1546)	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
77.	2017 का 225	निर्मल—18 (एनएसीएच—18)	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	नई
78.	2017 का 226	केबीएमएस 569	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	नई
79.	2017 का 227	केबीएमएस 253	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
80.	2017 का 228	केबीएमएस 219	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
81.	2017 का 229	केबीआर 877	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
82.	2017 का 230	एम 34	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
83.	2017 का 231	एम 104	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
84.	2017 का 232	एनबीएच 225	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
85.	2017 का 233	चेंगा रांगी	नूजीविठू सीडस प्राइवेट लिमिटेड	कृषक
86.	2017 का 234	नोना अश्कुल	तारकनाथ हल्दर	कृषक
87.	2017 का 235	कान्ता रांगी	अयुफ अली मुल्ला और अन्य	कृषक
88.	2017 का 236	ददशल	संतोष मंडल और अन्य	कृषक
89.	2017 का 237	लाल बादशाहभोगरन	अमल मंडल और अन्य	कृषक
90.	2017 का 238	तुलसी मुकूल बी1	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
91.	2017 का 239	नेता शोल	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
92.	2017 का 240	इको	असीम मंडल और अन्य	कृषक
93.	2017 का 241	पैन बोट	तरुण मंडल	कृषक
94.	2017 का 242	होगला	सुलाता मंडल	कृषक
95.	2017 का 243	ओलिसेंट	ज्योतसना दास और अन्य	कृषक
96.	2017 का 244	27पी11 (आईईटी 19766)	सुलाता बिसवास	विद्यमान (अधिसूचित)
97.	2017 का 245	जेडब्लू 3020	पायोनियर ओवर्सेज कारपोरेशन	विद्यमान (अधिसूचित)
98.	2017 का 246	एचडी 3043	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
99.	2017 का 247	केरे रामादी	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कृषक
100.	2017 का 248	केरे भालू दूबराज	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
101.	2017 का 249	केरे खुराबन	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
102.	2017 का 250	श्याम सर्वना	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
103.	2017 का 251	लेचादे धान	राम प्रकाश केसरवानी	कृषक
104.	2017 का 252	लाल गूदा कुंता	एटवारी	कृषक
105.	2017 का 253	जामना फूल	सुडरु राम वेक	कृषक
106.	2017 का 254	केरे दुमाकी	नंदलाल राठौर	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
107.	2017 का 255	एनएस 157	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	नई
108.	2017 का 256	एनसीजीए 26	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
109.	2017 का 257	पीएनपीएच 24 (आईईटी 21406)	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	नई
110.	2017 का 258	शेंटस धान-1 (एएआईआर-2) (आईईटी 20928)	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (अधिसूचित)
111.	2017 का 259	27पी61 (आईईटी 21447)	सैम हिंगीनबोटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान	विद्यमान (अधिसूचित)
112.	2017 का 260	एमपी 3211 (जेडब्लू 3211)	पायोनियर ओवर्सेज कारपोरेशन	विद्यमान (अधिसूचित)
113.	2017 का 261	एमपी 3288 (जेडब्लू 3288)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
114.	2017 का 262	एमपी 3336 (जेडब्लू 3336)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
115.	2017 का 263	एचबीएल 391 (गोकुल)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
116.	2017 का 264	सनेहिल (एमपी (जेडब्लू) 1142)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
117.	2017 का 265	रत्न (सीजी 5016)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
118.	2017 का 266	पूसा शितल (बीएचएस 400)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
119.	2017 का 267	वीएल बरेली 56	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
120.	2017 का 268	एमपी 1203	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
121.	2017 का 269	इंदिया बारानी धान 1 (आरएफ 17-38-70) (आईईटी 21205)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
122.	2017 का 270	केबीएमएस 227	इंद्रिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	नई
123.	2017 का 271	एनपी 549 (सुमा)	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
124.	2017 का 272	एनसीएस 55	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
125.	2017 का 273	एनसीएस 556	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
126.	2017 का 274	एनसी 107	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
127.	2017 का 275	बायो 6007510	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
128.	2017 का 276	एसवाईएन टीओ 1952	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
129.	2017 का 277	पीसीएच 225	सिनजेंटा इंडिया लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
130.	2017 का 278	एनसीएस 904 बीटी	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	नई
131.	2017 का 279	एनसीएस 863 बीटी2	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
132.	2017 का 280	एनसीएस 859 बीटी2	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
133.	2017 का 281	सीओ 0238	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
134.	2017 का 282	केबीएमएस 239	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
135.	2017 का 283	पीसीएच 405 बीटी	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
136.	2017 का 284	केबीआर 831	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	नई
137.	2017 का 285	केबीआर 823	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
138.	2017 का 286	एससीएफएच 2178	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
139.	2017 का 287	झमपूर्व शिरिया	सनग्रो सीडस प्राइवेट लिमिटेड	नई

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
140.	2017 का 288	सत्यम	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
141.	2017 का 289	एचजैडडी०१ ५८	रासी एचवाई वेज प्राइवेट लिमिटेड	नई
142.	2017 का 290	पानामेरा	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	नई
143.	2017 का 291	चीनी शक्कर	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	कृषक
144.	2017 का 292	गूड शक्कर	राम प्रकाश केसरवानी	कृषक
145.	2017 का 293	केरे हिरन बांको	राम प्रकाश केसरवानी	कृषक
146.	2017 का 294	केरे जलकेशवर	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
147.	2017 का 295	चंद्रकांति बी१	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
148.	2017 का 296	बोयरमल	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
149.	2017 का 297	बरशा	सुदर्शन साई पैनकारा	कृषक
150.	2017 का 298	किलेश १९८१	श्रीहरि नैया	कृषक
151.	2017 का 299	बोना	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
152.	2017 का 300	अरका	अगरस्था झुंगझुंग	कृषक
153.	2017 का 301	कालाचंपा आर	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
154.	2017 का 302	मालाबाति रन	पवित्रा मोहन साहू	कृषक
155.	2017 का 303	गीतांजली	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
156.	2017 का 304	काकउ	कचिमुदिदन लश्कर और अन्य	कृषक
157.	2017 का 305	सीता सोल	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
158.	2017 का 306	केरे कुंहार	मधुसूदन हलदर और अन्य	कृषक
159.	2017 का 307	जानाकिसल	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
160.	2017 का 308	मुशले	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
161.	2017 का 309	सोनी—एनबीएच २२७	प्रेसीडेंट, कारेन वेल्फेयर एसोसिएशन	नई
162.	2017 का 310	पीसीएच ८८५ बीटी२	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
163.	2017 का 311	पीसीएच १४११ बीटी	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	नई
164.	2017 का 312	केबीएमएस २५१	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	नई
165.	2017 का 313	आरएक्स १५६६०८१४	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
166.	2017 का 314	आरएक्स १५६६०६३५	मोनसेन्टो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	नई
167.	2017 का 315	कासतेली	मोनसेन्टो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	नई
168.	2017 का 316	मेमफिस	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	नई
169.	2017 का 317	ईवोरा	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	नई
170.	2017 का 318	सीएसवी २९आर	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	नई
171.	2017 का 319	एनसी १०५०	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (वीसीके)
172.	2017 का 320	एनसी १६९	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
173.	2017 का 321	एनसी ११५४	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
174.	2017 का 322	एनसी १५३	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
175.	2017 का 323	एनसी 157	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
176.	2017 का 324	एनसी 154	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
177.	2017 का 325	एनसी 190	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
178.	2017 का 326	सी 5710	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
179.	2017 का 327	एनसी 89	महाराष्ट्रा हाईब्रिड सीडस कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
180.	2017 का 328	एनसी 1135	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
181.	2017 का 329	एनसी 85	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
182.	2017 का 330	एनसी 913	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
183.	2017 का 331	एनसी 138	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
184.	2017 का 332	एनसी 152	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
185.	2017 का 333	एनसी 182	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
186.	2017 का 334	एनसी 108	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
187.	2017 का 335	एनसी 188	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
188.	2017 का 336	एनसी 2153	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
189.	2017 का 337	एनसी 113	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
190.	2017 का 338	हरदी जीरा	धरोहर समिति	कृषक
191.	2017 का 339	कुदेसर	श्री लिंगुराम ठाकुर	कृषक
192.	2017 का 340	इला (वाइट फ्लोवर कार्डोमम)	के.जे. बेबी	कृषक
193.	2017 का 341	वसुंदरा दामिनी	चन्द्र शेखर सिंह	कृषक
194.	2017 का 342	साई नीलकांत	चन्द्र शेखर सिंह	कृषक
195.	2017 का 343	मायुरी 6698	चन्द्र शेखर सिंह	कृषक
196.	2017 का 344	रामशाल	मदन मोहन हलदर और अन्य	कृषक
197.	2017 का 345	सादा पटनाई	सुधीर हलदर और अन्य	कृषक
198.	2017 का 346	दुर्गा	देवासीस शित	कृषक
199.	2017 का 347	कालो पटनाई	श्रीकांता हलदर और अन्य	कृषक
200.	2017 का 348	देशी पटनाई	शंकर हलदर और अन्य	कृषक
201.	2017 का 349	सबीता पटनाई	मृदंगा हलदर और अन्य	कृषक
202.	2017 का 350	नीको स्पेशल	बिमल मंडल और अन्य	कृषक
203.	2017 का 351	मागुरा पैडडी	जालंधर बाग	कृषक
204.	2017 का 352	चित्का	राथा बाग	कृषक
205.	2017 का 353	पाखी	अमित दास	कृषक
206.	2017 का 354	गालई धान	हरीश चंद्र बुशिया	कृषक
207.	2017 का 355	सगीता	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	नई
208.	2017 का 356	छतीसगढ़ जिंक राइस 1	इंद्रिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	नई
209.	2017 का 357	छतीसगढ़ मधुराज धान 55	इंद्रिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	नई
210.	2017 का 358	एसबीजे-एच 038	सनग्रो सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
211.	2017 का 359	एनसीएस 959	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
212.	2017 का 360	एमएचबीजे 114	महाराष्ट्रा हाईब्रिड सीडस कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
213.	2017 का 361	एसबीजे-एच 081	सनग्रो सीडस प्राईवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
214.	2017 का 362	एसबीजे-एच 132	सनग्रो सीडस प्राईवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
215.	2017 का 363	एनसी 57	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
216.	2017 का 364	एनसीएस 1335	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
217.	2017 का 365	एनसी 158	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
218.	2017 का 366	एनसीएस 1332	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
219.	2017 का 367	एनसी 105	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (वीसीके)
220.	2017 का 368	पीसी पी6107	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
221.	2017 का 369	पीसी पी6507	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
222.	2017 का 370	विवके मेज हायब्रिड 47 (एफएच 3513)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
223.	2017 का 371	डीएचएम 121 (बीएच 41009)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
224.	2018 का 1	सुपार श्यामाली	कालीपदा समंता और अन्य	कृषक
225.	2018 का 2	मोरिशल	शरोत चंद्रा मृधा और अन्य	कृषक
226.	2018 का 3	रानी अकान्दा	निभाषी मुंड़ा और अन्य	कृषक
227.	2018 का 4	राज भोज	मोनोरंजन मंडल और अन्य	कृषक
228.	2018 का 5	कोहिनूर	प्रबीर बोस	कृषक
229.	2018 का 6	कालो मोटा	अर्जुन हलदर और अन्य	कृषक
230.	2018 का 7	खेजूरचेरी	गौरपाडा हावली और अन्य	कृषक
231.	2018 का 8	मोटोरमाला	संतोष कुमार हलदर	कृषक
232.	2018 का 9	पालुई	बिश्वजीत मंडल और अन्य	कृषक
233.	2018 का 10	गंगाजल	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
234.	2018 का 11	अर्गोर बन	सदानंदा हलदर और अन्य	कृषक
235.	2018 का 12	हमई	नीलकमल हलदर और अन्य	कृषक
236.	2018 का 13	धीयास	बीरेन मंडल और अन्य	कृषक
237.	2018 का 14	गावेर सारू	सुभेंदु दास और अन्य	कृषक
238.	2018 का 15	नंगाल हानरा	गोबिंदा हलदर और अन्य	कृषक
239.	2018 का 16	सादा मोटा	सचिपति हलदर और अन्य	कृषक
240.	2018 का 17	पाल बारी	बिश्वजीत बर्मन	कृषक
241.	2018 का 18	भासा कलमा	हिमांशु शेखर मैती और अन्य	कृषक
242.	2018 का 19	बरसा लक्ष्मी	सविता मंडल और अन्य	कृषक
243.	2018 का 20	मेली	सुकुमार मंडल और अन्य	कृषक
244.	2018 का 21	डरे बनया	नरोथम हलदर और अन्य	कृषक
245.	2018 का 22	कालो कुमरो	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
246.	2018 का 23	बिराही	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
247.	2018 का 24	ओश पंचाली	बरुन गिरी और अन्य	कृषक
248.	2018 का 25	ओलकोचुरी	अराबिंदा जंतुआ और अन्य	कृषक
249.	2018 का 26	डीआरके	दादाजी रामाजी खोब्रागडे	कृषक
250.	2018 का 27	मारिच मुथ	सुशांता राय	कृषक
251.	2018 का 28	मारचल	बसुदेव हलदर और अन्य	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
252.	2018 का 29	गिरिराज (डीआरएमआरआईजे 31)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	नई
253.	2018 का 30	जी 3782528	मोनसेन्टो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	नई
254.	2018 का 31	एम013	बायर क्रॉप साइंस एजी	नई
255.	2018 का 32	एमएचटीएम 303	महाराष्ट्रा हाईब्रिड सीडस कंपनी लिमिटेड	नई
256.	2018 का 33	उत्कल ग्रीन	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
257.	2018 का 34	एनबीएच 2930	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
258.	2018 का 35	केओएएल 1165	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
259.	2018 का 36	जेकेटीएच 5202	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
260.	2018 का 37	जेकेटीएच 811	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
261.	2018 का 38	जेकेटीएच 5419	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
262.	2018 का 39	बीजे 60311	महाराष्ट्रा हाईब्रिड सीडस कंपनी लिमिटेड	नई
263.	2018 का 40	केटीएल 3237	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई
264.	2018 का 41	जेकेटीएच 1108	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
265.	2018 का 42	जेकेटीएच 1093	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
266.	2018 का 43	जेकेटीएच 1100	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
267.	2018 का 44	टोरस	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	नई
268.	2018 का 45	सीआरआईएसपीएस4 एएलएल	एचजैडपीसी हॉलैंड बी.वी.	नई
269.	2018 का 46	निर्मल 900 (एनटीएल 900)	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	नई
270.	2018 का 47	निर्मल 383 (एनएसओ 383)	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	नई
271.	2018 का 48	संजीवनी 34	बसंत एग्रो टैक (इंडिया) लिमिटेड	नई
272.	2018 का 49	आरएक्स 156404141	मोनसेन्टो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	नई
273.	2018 का 50	जेकेआर 101	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
274.	2018 का 51	पैन 804	पान सीडस प्राइवेट लिमिटेड	नई
275.	2018 का 52	झंपूर्व भाग्या	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
276.	2018 का 53	जेकेपीएच 24104	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	नई
277.	2018 का 54	पी3303	पायोनियर ओवर्सीज कारपोरेशन	नई
278.	2018 का 55	एसपीवी 135 (सुपर अमन)	सुपर एग्री सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
279.	2018 का 56	गुजरात सुगरकेन-7 (सीओएन 04131)	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
280.	2018 का 57	गुजरात सुगरकेन-4 (सीओएन 03131)	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
281.	2018 का 58	गुजरात सुगरकेन-6 (सीओएन 05072)	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
282.	2018 का 59	गुजरात सुगरकेन-8 (सीओएन 07072)	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
283.	2018 का 60	गुजरात सुगरकेन—5 (सीओएन 05071)	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
284.	2018 का 61	पंजाब केराली 1	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
285.	2018 का 62	एलएल 931	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
286.	2018 का 63	माश 391 (एलयू 391)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
287.	2018 का 64	माश 114	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
288.	2018 का 65	जीएससी 7 (जीएससी 101)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
289.	2018 का 66	पीबीडब्लू 550	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
290.	2018 का 67	पीबीडब्लू 502	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
291.	2018 का 68	पीबीडब्लू 291	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
292.	2018 का 69	पीबीडब्लू 596	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
293.	2018 का 70	पीबीडब्लू 590	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
294.	2018 का 71	पूसा बेकर (एचएस 490)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
295.	2018 का 72	नंदायाला सांगा 1 (एनबीईजी 3)	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
296.	2018 का 73	माहामाना 113 (एचयूबी 113)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
297.	2018 का 74	जीवी 2	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
298.	2018 का 75	पीकेपी एनटी 11 (एनटी 11–91)	डा. पंजाबराँव देशमुख कृषि विधयापीठ	विद्यमान (अधिसूचित)
299.	2018 का 76	एमपीओ (जेडब्लू) 1215 (एमपीओ 1215)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
300.	2018 का 77	कोहिनूर (एनबीआरीएच 66)	नवभारत सीड़स प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (अधिसूचित)
301.	2018 का 78	स्मारक (ओएससी 560)	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
302.	2018 का 79	पीडीकेवी वासिम (डब्लूएसएम 1472)	डा. पंजाबराँव देशमुख कृषि विधयापीठ	विद्यमान (अधिसूचित)
303.	2018 का 80	बांदा बाड़ी	जोनी सुरेन	कृषक
304.	2018 का 81	हेनयूम बाबा	गंजू पाहन	कृषक
305.	2018 का 82	कोटन क्वीन (एसआईएमए)	सुमंता मिश्रा	कृषक
306.	2018 का 83	बाबूर बूटा	भगत राम कमा, एस/ओ लखुराइ	‘कृषक
307.	2018 का 84	बंदी मराहन धान	बंदीराम	कृषक
308.	2018 का 85	माचरी काटा धान	सुखदेव	कृषक
309.	2018 का 86	समसारी धान	पीलाराम कश्यप	कृषक
310.	2018 का 87	सुखी धान	कुमाराम	कृषक
311.	2018 का 88	कुटी चुड़ी	शंभुनाथ सेथिया	कृषक
312.	2018 का 89	रेला धान	बलदेव कुमार कुदामी	कृषक
313.	2018 का 90	कुसूम पैडडी	अराखिता भोई	कृषक
314.	2018 का 91	सलमा	अफजल हुसैन	कृषक
315.	2018 का 92	भाहदुई	पप्पू पाल	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
316.	2018 का 93	भूदमांजी पैडडी	रत्नाकर पात्रा	कृषक
317.	2018 का 94	बेद 50 धान	उज्जवल बीज ग्राम जायपुर चुतियारो गोविंदपुर	कृषक
318.	2018 का 95	झरना	श्याम चन्द्र लाला	कृषक
319.	2018 का 96	गोकूल धान	गोकुल रवानी	कृषक
320.	2018 का 97	बेथानी धान	सुखराम	कृषक
321.	2018 का 98	गंधो	लंगुराम ठाकुर	कृषक
322.	2018 का 99	पंचम गाथी धान	पंचम राम नाग एस/ ओ नंदराम नाग	कृषक
323.	2018 का 100	तुलसी बहल धान	गिरिधारी महतो	कृषक
324.	2018 का 101	विजय नन्द	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
325.	2018 का 102	कारी कामोद	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
326.	2018 का 103	केरे रत्न चुड़ी	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
327.	2018 का 104	केरे कोसावरी	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
328.	2018 का 105	माजोरी	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
329.	2018 का 106	नन्द	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
330.	2018 का 107	आत्मा शितल	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
331.	2018 का 108	भूसू	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
332.	2018 का 109	सुतई धान	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
333.	2018 का 110	इलाइची	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
334.	2018 का 111	बंगला गुरमतिया	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
335.	2018 का 112	बैश पत्री	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
336.	2018 का 113	तूरीयागाडा गुतंग	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
337.	2018 का 114	दो दाना	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
338.	2018 का 115	कटींग	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
339.	2018 का 116	दिपक रत्ना	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
340.	2018 का 117	भाटा लूचई	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
341.	2018 का 118	नंद चिनूर	डॉ. रिचारिया किसानी संवर्धन समिति	कृषक
342.	2018 का 119	पैंद्रीकूटू धान	चाल्की	कृषक
343.	2018 का 120	शंभूगाथी धान	शंभुनाथ सेथिया	कृषक
344.	2018 का 121	फलोद धान	मुंडक राम	कृषक
345.	2018 का 122	बोरनी	दिलीप राँय	कृषक
346.	2018 का 123	सतीया	दिलीप राँय	कृषक
347.	2018 का 124	अगूपक	दिलीप राँय	कृषक
348.	2018 का 125	सिंहचूरा चिंदमोरी	रामेश्वर प्रसाद तिवारी	कृषक
349.	2018 का 126	चुड़ी धानठाकूर	राजू ठाकुर एस / ओ मणिराम ठाकुर	कृषक
350.	2018 का 127	बोबेल धान	सुक्का देव	कृषक
351.	2018 का 128	धान (लाल धूसरा)	रंजीत मंडल	कृषक
352.	2018 का 129	कनक जीरा	शशिकांत सिंह	कृषक
353.	2018 का 130	इकमा धान	भीमसेन वेक	कृषक
354.	2018 का 131	बादा गुडा	घासीराम यादव	कृषक
355.	2018 का 132	कालमा—III	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
356.	2018 का 133	मायना	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
357.	2018 का 134	धान (अकाश)	सोनाली मंडल	कृषक
358.	2018 का 135	कालमाकाथी लक्ष्मी धान	परमेश्वर सिंह चौधरी	कृषक
359.	2018 का 136	धूसरी सादा	प्यार अली अंसारी	कृषक
360.	2018 का 137	राधूनीपागल—I	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
361.	2018 का 138	मेघना	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
362.	2018 का 139	वाल्की—एम	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
363.	2018 का 140	शेषफल	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
364.	2018 का 141	पूरनेडू -I	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
365.	2018 का 142	प्रबाती	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
366.	2018 का 143	बोईशाली	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
367.	2018 का 144	मेघा	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
368.	2018 का 145	चाझनाबोरो-II	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
369.	2018 का 146	सिधांता-I	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
370.	2018 का 147	बिन्नीधान रान	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
371.	2018 का 148	बदालीधान	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
372.	2018 का 149	कालोबोरो-I	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
373.	2018 का 150	प्रिथा	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
374.	2018 का 151	नंदीनी	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
375.	2018 का 152	लालपटनी एसके	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
376.	2018 का 153	रत्ना-I	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
377.	2018 का 154	बसकांता	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
378.	2018 का 155	सोना सारी	धरोहर समिति	कृषक
379.	2018 का 156	मोकड़ो	धरोहर समिति	कृषक
380.	2018 का 157	पंखीराज रान	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
381.	2018 का 158	तुलईपांजी रान	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
382.	2018 का 159	बासकाती रान	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
383.	2018 का 160	निधि —एल	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
384.	2018 का 161	ददखानी—II	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
385.	2018 का 162	लतीसल—II	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
386.	2018 का 163	हीरामोती	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
387.	2018 का 164	कल्पना	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
388.	2018 का 165	मंदीरा	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
389.	2018 का 166	भूदेव—I	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
390.	2018 का 167	झूमूर	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
391.	2018 का 168	गिरिधारी	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेयर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
392.	2018 का 169	अंजली –I	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
393.	2018 का 170	साराबंती	अमरकानन रुरल सोशियो— एनवायरमैंटल वेलफेर सोसाइटी (एआरएसडब्ल्यू सोसाइटी)	कृषक
394.	2018 का 171	पूसा लोसर (बीएच 380)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
395.	2018 का 172	विएल बारले 85	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
396.	2018 का 173	अरका बिंदू	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	विद्यमान (अधिसूचित)
397.	2018 का 174	अरका पितांम्बर	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	विद्यमान (अधिसूचित)
398.	2018 का 175	यमुना सफेद 5 (जी 189)	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन	विद्यमान (अधिसूचित)
399.	2018 का 176	निलगिरि खापली (एचडब्ल्यू 1098)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
400.	2018 का 177	यूएच 1 (यूएच 04—06)	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
401.	2018 का 178	सीओ डबलू2	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
402.	2018 का 179	सीआर धान 40 (आईईटी 19253)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
403.	2018 का 180	सहायादरी 5	डा. बालासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ	विद्यमान (अधिसूचित)
404.	2018 का 181	जीएम (गुजरात मस्टड 3)	सरदारकृष्णनगर दांतिवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
405.	2018 का 182	डीएस 5	कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
406.	2018 का 183	दिग्विजय	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	विद्यमान (अधिसूचित)
407.	2018 का 184	वीएलबी118 (वीएल जेएयू 118)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (अधिसूचित)
408.	2018 का 185	पीबीडब्ल्यू 644	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
409.	2018 का 186	पंजाब सम्प्राट (डब्ल्यूआईआर 4446)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
410.	2018 का 187	पीबीआर 357	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
411.	2018 का 188	जेजीएल 11470 (जगतियाल माहसूरी)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
412.	2018 का 189	जेजीएल 3855 (करीमनगर सांभा)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
413.	2018 का 190	सुगंदा सांभा (आरएनआर 2465)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
414.	2018 का 191	जेर्जीएल 3828 (मानाएर सोना)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
415.	2018 का 192	जेर्जीएल 3844 (जगतियल सांभा)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
416.	2018 का 193	शोभीनी (आरएनआर 2354) (आईइटी 20987)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
417.	2018 का 194	रामापा (डब्ल्यूजीएल 23985) (आईइटी 17856)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
418.	2018 का 195	तेलंगाना सोना (आरएनआर 15048) (आईइटी 23746)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
419.	2018 का 196	जेर्जीएल 18047 (बाथूकाम्मा)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
420.	2018 का 197	एल 555 (जीएलके 26155)	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
421.	2018 का 198	पीबीजी 7 (जीएल 26054)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
422.	2018 का 199	शारदा (एमएएस 946—1)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
423.	2018 का 200	ओना शिरी (एमएएस 26)	कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
424.	2018 का 201	पीएसएच 996	कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
425.	2018 का 202	पीएल 751	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
426.	2018 का 203	एचएमटी 100—1	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
427.	2018 का 204	एनबीएच 801 (प्रिंयका)	कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
428.	2018 का 205	एनबीजे 16	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
429.	2018 का 206	जेकेसी 708	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
430.	2018 का 207	एसबीजे-एच 033	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
431.	2018 का 208	पूणीमा (एनसीएच 1166)	सनग्रो सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
432.	2018 का 209	एनसी 126	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
433.	2018 का 210	जेके काजल	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
434.	2018 का 211	जेकेसी 750	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
435.	2018 का 212	एनसी 180	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
436.	2018 का 213	जेकेसी 756	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
437.	2018 का 214	जेकेसी 724	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
438.	2018 का 215	संजय (एनबीएच 627)	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
439.	2018 का 216	अंकूर 786 (एआरबीएच 786)	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
440.	2018 का 217	पीसीएच 115	अंकुर सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
441.	2018 का 218	केपीएच 412	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
442.	2018 का 219	केपीएच 272	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
443.	2018 का 220	पीसी पी651	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
444.	2018 का 221	एसबीजे-एच 010	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
445.	2018 का 222	एनबीजे 21	सनग्रो सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
446.	2018 का 223	चैंगरो लक्ष्मी भोग	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
447.	2018 का 224	एनसी 189	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
448.	2018 का 225	निर्मल 467 (एनबीएच 467)	त्रिलोकी	विद्यमान (वीसीके)
449.	2018 का 226	एनसी 159	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
450.	2018 का 227	एनपी-एच 369	निर्मल सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
451.	2018 का 228	एनपी 22 आर	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
452.	2018 का 229	एनसी 1051	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
453.	2018 का 230	जेकेसी 701	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
454.	2018 का 231	ओके 49	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
455.	2018 का 232	एमएचबीजे 115	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
456.	2018 का 233	एनसीएस	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
457.	2018 का 234	पीसी पी5607	महाराष्ट्रा हाईब्रिड सीडस कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
458.	2018 का 235	एनसीएस 18	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
459.	2018 का 236	एनबीएच 538 (गणेश)	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
460.	2018 का 237	एनसी 142	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
461.	2018 का 238	एनसी 160	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
462.	2018 का 239	पूसा रोहिनी	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
463.	2018 का 240	एमओके 60029	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
464.	2018 का 241	मोहिनी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (वीसीके)
465.	2018 का 242	एसबीजे-एच 143	महाराष्ट्रा हाईब्रिड सीडस कंपनी लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
466.	2018 का 243	पीआरएन 36	मैसर्स शक्ति वर्धक हाईब्रिड सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
467.	2018 का 244	एसबीजे-एच 305	सनग्रो सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
468.	2018 का 245	आईआईएसआर अवीनाश	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
469.	2018 का 246	जेके विजय किरन	सनग्रो सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
470.	2018 का 247	ओके 608	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	विद्यमान (वीसीके)
471.	2018 का 248	लूटनी सरसों	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
472.	2018 का 249	बाराई सरसों	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
473.	2018 का 250	बाहगी सरसों	परमानंद	कृषक
474.	2018 का 251	कालामकाती रान	मनगन खालको	कृषक
475.	2018 का 252	दानागुरगूरी	मनगन खालको	कृषक
476.	2018 का 253	गेरवा मुदी	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
477.	2018 का 254	आदा सेल	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
478.	2018 का 255	लॉची	देदी खान	कृषक
479.	2018 का 256	पूदी रेसी	श्याम चरन मङ्गी	कृषक
480.	2018 का 257	रुंडी	भोला पाहान	कृषक
481.	2018 का 258	धूसरी	गोमेया मुड़ा	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
482.	2018 का 259	तेनवा (छोटा)	जुबेर खान	कृषक
483.	2018 का 260	मुदी फूटा	सोहराय पाहान	कृषक
484.	2018 का 261	रांधी लाल	जगमोहन बेदिया	कृषक
485.	2018 का 262	कोहरा फूल	मागड़ाली एइंद	कृषक
486.	2018 का 263	सिक्की	माती सिंगी पाहान	कृषक
487.	2018 का 264	बाला गोडा	सोहरया बेदिया	कृषक
488.	2018 का 265	धोडा सेल	बुध राम मेहतो	कृषक
489.	2018 का 266	बाग पंजर	लाली बेदीया	कृषक
490.	2018 का 267	कांदू फूल	रामपोड सिंह	कृषक
491.	2018 का 268	राईस धान	कालीनाथ मुंडा	कृषक
492.	2018 का 269	खरीका कूजी	जोहान कुलू	कृषक
493.	2018 का 270	ताल मुगूर	लाल धारी मेहातो	कृषक
494.	2018 का 271	गसरीजा	चुलू सिंह	कृषक
495.	2018 का 272	बाली भाजना	त्रीहि	कृषक
496.	2018 का 273	काया	त्रीहि	कृषक
497.	2018 का 274	अजीरमन (अहीरमन)	त्रीहि	कृषक
498.	2018 का 275	नोना	त्रीहि	कृषक
499.	2018 का 276	लाल गेटू	त्रीहि	कृषक
500.	2018 का 277	मटला	त्रीहि	कृषक
501.	2018 का 278	भोरानी	त्रीहि	कृषक
502.	2018 का 279	नोना खिरिश	त्रीहि	कृषक
503.	2018 का 280	गंजीजाता के	त्रीहि	कृषक
504.	2018 का 281	पंजूकी सार्वना	त्रीहि	कृषक
505.	2018 का 282	एनजीआरएच रानापुर बेगन मंजीया	निरंजन प्रधान और अन्य	कृषक
506.	2018 का 283	पर्वतजीरा	पादामल कुशल मानचा, जुबाराज नायक और अन्य	कृषक
507.	2018 का 284	बोध मलझोली	गानानिधि सुंदारो और अन्य	कृषक
508.	2018 का 285	पंनीकजाला	गुप्तेश्वर एसएचजी निनि प्रधान और अन्य	कृषक
509.	2018 का 286	बगूदी	छायाकान्त साहू	कृषक
510.	2018 का 287	अनू	दांदापानी साहू और अन्य	कृषक
511.	2018 का 288	भोदा चंपा	अकरुरा प्रधान और अन्य	कृषक
512.	2018 का 289	एएनजीएल सूनापानी	अजया कुमार प्रधान और अन्य	कृषक
513.	2018 का 290	करहानी	मारकान्डा चरन साहू	कृषक
514.	2018 का 291	मोरीसाली	गगन आमंता और अन्य	कृषक
515.	2018 का 292	तुलसी भोग बाल	पारस मुंडा	कृषक
516.	2018 का 293	मंदाई	कम्युनिटी ऑफ फार्मरस	कृषक
517.	2018 का 294	बोध कुसुमा	अंजन कुमार सिन्हा	कृषक
518.	2018 का 295	बोध मालझलका	संतोष प्रसाद	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
519.	2018 का 296	साहारा भोजानी	पादामल क्रुशल मानचा, नाबीन कुमार माहाकुद और अन्य	कृषक
520.	2018 का 297	बोध चंपियासाली	हीमांशु रनबीदा और अन्य	कृषक
521.	2018 का 298	एएनजीएल पिंपाला बांसा	कैलाश चंद्रा प्रधान और अन्य	कृषक
522.	2018 का 299	बोदिया चांपा ए	सीबा कुमार बिशी	कृषक
523.	2018 का 300	चिन्नामिली ए	जनक साहू और अन्य	कृषक
524.	2018 का 301	कुदरत 3	अशोक बेहरा और अन्य	कृषक
525.	2018 का 302	कालाहोसू	प्रफुल कुमार रोउत और अन्य	कृषक
526.	2018 का 303	मेहलायन बाको धान	प्रकाश सिंह रघुवंशी	कृषक
527.	2018 का 304	तेंदुमोरी धान	पुसाउ	कृषक
528.	2018 का 305	दादबाको	विजय नागेश	कृषक
529.	2018 का 306	साफरी—I नाकना	देवनाथ बेक	कृषक
530.	2018 का 307	गंगतार्झ धान	मो. मुस्तिल फोरदोसी	कृषक
531.	2018 का 308	खीरासर	राम कुमार नाई	कृषक
532.	2018 का 309	केराकांधी	कमेश्वर नागेश	कृषक
533.	2018 का 310	गंगा धान	भुवनेश्वर एकका	कृषक
534.	2018 का 311	नाता कालमा	लोडो टीगगा	कृषक
535.	2018 का 312	काला नेता	मंगल खालको	कृषक
536.	2018 का 313	बार गैरो माह	रतनु ओरान	कृषक
537.	2018 का 314	अन्नापूर्ण	अजित कुलु	कृषक
538.	2018 का 315	अथारव	सोनाली पाथार पारीचालाना समिति	कृषक
539.	2018 का 316	रामकली	रामगोपाल शर्मा	कृषक
540.	2018 का 317	कामिनी	कृष्ण कुमार	कृषक
541.	2018 का 318	आरएसएफ	राजाराम	कृषक
542.	2018 का 319	मावली—4	गंगाराम	कृषक
543.	2018 का 320	मावली—2	राम स्वरूप	कृषक
544.	2018 का 321	तितिर पांखी	धरोहर समिति	कृषक
545.	2018 का 322	रामी गाली	धरोहर समिति	कृषक
546.	2018 का 323	लाल बाको	धरोहर समिति	कृषक
547.	2018 का 324	लीम धान	धरोहर समिति	कृषक
548.	2018 का 325	काकडो	धरोहर समिति	कृषक
549.	2018 का 326	लाजनी सुपर 1	धरोहर समिति	कृषक
550.	2018 का 327	लाजनी सुपर 2	धरोहर समिति	कृषक
551.	2018 का 328	साफरी	धरोहर समिति	कृषक
552.	2018 का 329	मावली 3	धरोहर समिति	कृषक
553.	2018 का 330	माछरी पोटी	धरोहर समिति	कृषक
554.	2018 का 331	अजाम धान	धरोहर समिति	कृषक
555.	2018 का 332	बैंस पाथ	धरोहर समिति	कृषक
556.	2018 का 333	मावली 1	धरोहर समिति	कृषक
557.	2018 का 334	गांजा काली	धरोहर समिति	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
558.	2018 का 335	लाली चूवादा	धरोहर समिति	कृषक
559.	2018 का 336	घनिया धान	रमेश कुमार साहू	कृषक
560.	2018 का 337	जिराफूल पूसला	अनिल कुमार नाग	कृषक
561.	2018 का 338	ए 2000	संदीप कोराम	कृषक
562.	2018 का 339	राज 1992	नंदकुमार चेखा	कृषक
563.	2018 का 340	पटीनी	राम ईश्वर राम	कृषक
564.	2018 का 341	गूटूरा	भोले रय	कृषक
565.	2018 का 342	पंदूकायान	श्री प्रताप महाराना और अन्य	कृषक
566.	2018 का 343	कोरापुत संमुद्राबाली	पुरना च. खैन और अन्य	कृषक
567.	2018 का 344	एएनजीएन कालाचंपा	सालुका मुंडा और अन्य	कृषक
568.	2018 का 345	पूनीन	सुभाष च. भीमीडी	कृषक
569.	2018 का 346	पराकूंजा	अतिथि राउल और अन्य	कृषक
570.	2018 का 347	हल्दीगुंडी एस	दुर्जयोधन प्रधान	कृषक
571.	2018 का 348	हल्दी चाइनामाल	रघुनाथ प्रधान और अन्य	कृषक
572.	2018 का 349	मुगुधी सू	बलराम प्रधान	कृषक
573.	2018 का 350	अक्षय	चंद्रामनी प्रधान	कृषक
574.	2018 का 351	बीपी	दूबराज पुर्सेथ और अन्य	कृषक
575.	2018 का 352	केरा कान	अक्षय कुमार	कृषक
576.	2018 का 353	पेत्रा	सुरेशपाल सिंह	कृषक
577.	2018 का 354	ब्रहा साल	श्री राजा राम	कृषक
578.	2018 का 355	तुलसीमाला	शिव शंकर सिंह पैनकरा	कृषक
579.	2018 का 356	भागलपुरी	नंद किशोर साई पारहा	कृषक
580.	2018 का 357	कलाम लुचई	श्री जगदीश साई पैनकरा	कृषक
581.	2018 का 358	कुंद धान	सुकल साई	कृषक
582.	2018 का 359	जीरा साई	श्री जगमोहन साई	कृषक
583.	2018 का 360	जावा फूल	श्री जयशंकर साई	कृषक
584.	2018 का 361	जौ फूल	बीरबल साई	कृषक
585.	2018 का 362	मोरादा जंगलीजाता	श्री शशि प्रकाश प्राहा	कृषक
586.	2018 का 363	भांजानगर कालाजीरा	अमर सिंह	कृषक
587.	2018 का 364	बालनगिरि राजकरानी	दुखीराम तिपीरिया	कृषक
588.	2018 का 365	सुबरनापुर यूबराज	महेशपर पात्रा	कृषक
589.	2018 का 366	बालानगीर रानी साहेबा	अनानता भोई	कृषक
590.	2018 का 367	भादरक नागारा	नीलामानी पुरोहित	कृषक
591.	2018 का 368	बारगढ नागारा	बिश्नू प्रसाद तांडी	कृषक
592.	2018 का 369	नकटीझूल लक्ष्मीविलास	तिलक गयानेंद्र बेहरा	कृषक
593.	2018 का 370	बारगढ मालपात्री	सुनील कुमार नाग	कृषक
594.	2018 का 371	बालनगीर हिरन	कोशलया प्रधान	कृषक
595.	2018 का 372	सुंदरगढ खांदासागर	रमेश चौ. नाग	कृषक
596.	2018 का 373	बालानगीर प्रभात जीरा	चित्रारंजन थानापाती	कृषक
597.	2018 का 374	नूआपाडा जाबाफूल	किशोर चौ. बेहरा	कृषक
598.	2018 का 375	भादराक सामूलाई	चक्राधार पटेल	कृषक

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	मूल्यवर्ग	आवेदक का नाम	किस्म का प्रकार
599.	2018 का 376	नोयूपाडा सित्का	धोबा मांझी	कृषक
600.	2018 का 377	नोयूपाडा खरकोइली	भागाबन सेठी	कृषक
601.	2018 का 378	केंद्रारापरा कालामुलाई	हीरालाल साबर और अन्य	कृषक
602.	2018 का 379	नगराबाली धान	लेकरु प्रधान और अन्य	कृषक
603.	2018 का 380	सामा अरहर	सत्याब्रात पारिया और अन्य	कृषक
604.	2018 का 381	रामदी अरहर	आशेशवर वेदीया	कृषक
605.	2018 का 382	एसबीजे-एच 041	शिवचरन गोपे	कृषक
606.	2018 का 383	एपी 9742आर	लक्ष्मीकांत मेहेतो	कृषक
607.	2018 का 384	एनबीजे 30	सनग्रो सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
608.	2018 का 385	बायो 60118 I0	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
609.	2018 का 386	बायो 6317बीजी I0	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	नई
610.	2018 का 387	जेकेसी 720	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
611.	2018 का 388	एसवीजे 64	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
612.	2018 का 389	एनबीजे 58	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
613.	2018 का 390	एनबीजे 96	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीडस प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
614.	2018 का 391	ओके 459	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
615.	2018 का 392	झांनाडू	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
616.	2018 का 393	डीएसबी 21	नूजीविडू सीडस लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
617.	2018 का 394	केएमएल 133	सोफलेट माल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	विद्यमान (वीसीके)
618.	2018 का 395	कालमा—III	कृषि विश्वविद्यालय	विद्यमान (अधिसूचित)
619.	2018 का 396	मायना	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड	नई

अनुबंध X: उपयोग किए गए लघुरूप का तात्पर्य

ए आई सी आर पी
बी ए यू
बी एम सी
बी सी आई एल
सी ए जी
सी ए आर आई
सी बी डी
सी एम डी
सी एस आई आर
सी एच ई एस
सी एस एस आर आई
डी ए सी
डी यू एस
ई वी आर सी
ईटीएल
जी ए टी टी
आई ए आर आई
आई सी ए आर
आई सी एफ आर ई
आई एन डी यू एस
आई पी जी आर आई
आई टी पी जी आर एफ ए
के ए यू
के वी के
एन ए एस सी
एन जी ओ
एन ओ आर वी
एन एस ए आई
एन आर सी पी बी
एन एस आर टी सी
एम एस ई जैड
ओ ई सी डी
पी एस
पी डी
पी जी आर
पी पी वी एंड एफ आर ए
पी वी ई
पी वी आई एस
पी वी जे
आर एंड डी
आर टी आई
एस ए ओ
एस ए यू
एस टी ओ
टी आर आई पी एस
यू पी ओ वी
वी सी के
डब्ल्यू टी ओ

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
जैवविविधता प्रबंध समिति
बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
जैविक विविधता पर सम्मेलन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र
केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
कृषि एवं सहकारिता विभाग
विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व
विद्यमान किरम संस्तुति समिति
आर्थिक गहाई स्तर
सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
बायोवर्सिटी इंटरनेशनल
खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संधि
केरल कृषि विश्वविद्यालय
कृषि विज्ञान केन्द्र
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
गैर-शासकीय संगठन
भारत की अधिसूचित एवं जारी की गई किस्में
नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र
राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड
आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन
प्रधान वैज्ञानिक
परियोजना निदेशक
पादप आनुवंशिक संसाधन
पौधा किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पौधा किस्म परीक्षक
पौधा किस्म सूचना प्रणाली
भारतीय पौधा किस्म जरनल
अनुसंधान एवं विकास
सूचना का अधिकार
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
राज्य कृषि विश्वविद्यालय
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू
पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय यूनियन
सामान्य ज्ञान की किस्म
विश्व व्यापार संगठन

दिनांक नवम्बर 13, 2018 को पौधा किस्म
और कृशक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई
दिल्ली की 30वीं बैठक में एजेंडा क्रम संख्या
14 में वाषिक रिपोर्ट 2017–18 को स्वीकार
किया गया।



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली—110012

ईमेल: ppvfra-agri@nic.in, दूरभाष: 011-25848127, 25843316

100 प्रतियां